1 से 240 तक

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

मंगलवार

दिनांक 23 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा यह रही है कि यदि अध्यक्ष महोदय अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सदन को सूचना दी जाती है । कृपया यह बताने का कष्ट करें कि अध्यक्ष महोदय कहां गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण को मैं सूचित करता हूं कि अध्यक्ष महोदय टूर पर गये हुए हैं । इस वक्त मुकाम पर हैं । आज शाम को आ जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ कहा मुझे उस पर आपत्ति है । आपत्ति इस बात की है कि इस समय अध्यक्ष महोदय नहीं हैं । इस सदन की कई परम्परायें हैं, आसन की व्यवस्थाएं और कई बातें हैं । टूर असेम्बली के बिजनेस से कम महत्व के होते हैं इसलिए जब सत्र चल रहा हो तब अध्यक्ष महोदय को यहीं रहना चाहिए । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब अध्यक्ष महोदय यहां उपस्थित होंगे तब इस प्रश्न को पूछूंगा और मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी अनुमति देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुख्य सचेतक से पूछ लीजिए, उनको भी जानकारी है कि इस सदन में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं । कोई मेम्बर क्वेश्चन पूछते हैं वह मैम्बर अगर अनुपस्थित रहते हैं तो सदन में आपत्ति उठायी जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की जानकारी होगी कि राज्य सरकार को विधान सभा की तरफ से यहां तक लिखा हुआ है कि जिस समय सदन की कार्यवाही चल रही हो उस समय ऐसी मीटिंग का आयोजन नहीं किया जाय जिसमें मैम्बर्स को उपस्थित रहना पड़े । ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं । अगर अस्वस्थ रहते या कोई और ऐसी बात होती तो समझ में आती ।

श्री उपाध्यक्ष : जनाब, काम होते हैं, किसी कार्यवश जाते हैं तो उसमें कोई आपत्ति

(श्री उपाध्यक्ष)
नहीं होनी चाहिए। श्री दाऊदयाल जोशी।

जिला कोटा की ग्रामीण विद्युतिकरण योजनायें

1. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत कौन सी पंचायत समितियों के क्षेत्रों में विद्युतीकरण की केन्द्र से स्वीकृति कब–कब प्राप्त हुई ?

(2) गत 3 वर्षों में स्वीकृत योजना का नाम, धनराशि व कब से कब तक कौन से ग्रामों में विद्युत् आपूर्ति करना प्रस्तावित था, उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से वर्तमान में किस-किस पर कार्य हो रहा है तथा जिन स्वीकृत योजनाओं पर कार्य नहीं हो रहा उसका क्या कारण है व कार्य कब तक पूरा करने का सरकार विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) कोटा जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं :—

1. सांगोद	1-1970-71
	2-1979-80
	3-1980-81
2. अटरू	1972–73
3. चेचट	1974-75
4. सुल्तानपुर	1975-76
	1980-81
5. छबड़ा	1975-76
6. अन्ता	1978-79
7. बारां	1978-79
8. शाहबाद	1978-79
9. किशनगंज	1978-79
10. इटावा	1979-80
11. लाडपुरा	1979-80

(2) गत 3 वर्षों में स्वीकृत योजनाओं व धनराशि एव प्रस्तावित ग्रामों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

1. इटावा	8618600 रु.	5 वर्ष	216	1979–80
2. लाडपुरा	5710800 रु.	5 वर्ष	136	1979–80
3. सांगोद एन. एन.	1535700 रु.	2 वर्ष	22	1979–80
4. सांगोद आर. एम. एन. पी.	1954700 रु.	5 वर्ष	66	1980–81
5. सुल्तानपुर	49352 रु.	5 वर्ष	96	1980–81

उक्त योजनाओं में ग्रामों के विद्युतीकरण का वर्षवार कार्यक्रम बताते हुये सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1981-82 के कार्यक्रम में कोटा जिले की निम्न स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है :

1. सांगोद
2. लाडपुरा

योजना मद में उपयुक्त राशि आवंटित,

(परसराम मदेरणा)

नहीं होने के कारण शेष स्वीकृत योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। योजना मद में चालू ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं हेतु वार्षिक प्रावधानों के अनुसार शेष योजनाओं में कार्य आगामी वर्षों में किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि आर. ई. सी. से राज्य सरकार ने सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली है? नम्बर एक। क्या यह बतायेंगे माननीय मंत्री महोदय कि जो सांगोद और लाडपुरा में कार्य चल रहे हैं, वर्तमान में, 79-80, 80-81 और 81-82 में 22 गांवों की जो मंजूरी हुई थी उसमें से कितने गांवों में प्राथमिकता के आधार पर काम चल रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही नहीं है कि सम्पूर्ण राशि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन द्वारा एक साथ दी जाती है, वह इन्सटालमेंट में दी जाती है। जहां तक सांगोद के 22 गांवों की योजना है और लाडपुरा योजना के गांवों की संख्या दी है इन गांवों के कितने काम हो चुके हैं, इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सांगोद के 22 गांव 79-80 में प्रस्तावित हुए हैं किन्तु एक भी गांव में 80-81 व 81-82 में बिजली नहीं पहुंची। सारा पैसा प्राप्त कर लिया उसके बावजूद बिजली नहीं पहुंचना इस बात का द्योतक है कि दल के प्रति प्रतिबद्धता है इस लिये यह योजना टाली जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न का जवाब आ चुका है।

श्री दाऊदयाल जोशी : बिल्कुल नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : अन्ता की जो स्कीम चल रही है, उसका नाम मंत्री महोदय ने नहीं लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने 2 योजनाओं के संबंध में निवेदन किया है। माननीय सदस्य ने पूछा था कि 3 साल में कौन सी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं उनमें तेजी से काम चल रहा है। जहां तक आपने कहा बारां और अन्ता में काम चल रहा है, वह स्वीकृत नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : गत 3 वर्षों की लिस्ट मांगी गई है, 78-79, 79-80 और 80-81 की। क्या माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि 78-79 में शाहबाद, जो कि अनुसूचित जन-जाति का क्षेत्र है, में आर. ई. सी. स्कीम प्रारम्भ हो गई है, उसकी स्वीकृति आर. ई. सी. से हो गई है? इसी प्रकार किशनगंज, 78-79 में इसकी भी स्वीकृति हो गयी है। इन दोनों का नाम सूची में माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अलग से प्रश्न नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट सवाल है। गत तीन वर्षों का मंत्री महोदय आप बतावें। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में 1978-79, 1979-80 और

(5)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
1980-81, यह मैं कोट कर रहा हूं, बताएं मंत्री महोदय कि शाहबाद के लिये क्या आर. ई. सी. से योजना मन्जूर हुई है ? क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि आर. ई. सी. से योजना मन्जूर नहीं हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। यह आपको सिंचाई से मालूम होना चाहिये।

(व्यवधान)

जवाब मेरी अनुमति के बिना नहीं दिया जा सकता है। जो इन्फार्मेशन कलेक्ट की जा रही है उसके बाद में आपको जवाब दिया जा सकता है। पहले मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा स्पेसिफिक सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इसका उत्तर आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह अलग से प्रश्न नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद की योजना 1978-79 में स्वीकृत हुई थी। पिछले तीन साल में पांच पंचायत समितियों की योजना स्वीकृत हुई है। शाहबाद की आलरेडी स्वीकृत हो चुकी है। मैंने प्रश्न (1) के उत्तर में स्पष्ट कह दिया है कि पंचायत समितियों की 14 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उन 14 योजनाओं के नाम पढ रहा था उसमें शाहबाद भी सम्मिलित है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सांगोद की योजना स्वीकृत हुई है उसमें 22 गांव हैं योजना के अन्तर्गत उन गांवों का विद्युतीकरण 1980-81 में पूर्ण होना था। उसके लिये 51.076 लाख मन्जूर हुए थे। 1980-81 में उन सारे गांवों का विद्युतीकरण हो जाना चाहिये था, परन्तु नहीं किया गया है। यह बताएं कि 1980-81 में केन्द्र से जो पैसा लिया गया है उसके अन्तर्गत उन गांवों की योजना क्यों नहीं ली गई ? इस साल में भी इन गांवों को इलेक्ट्रिफाई करने की सरकार की मन्शा नहीं है। यह मेरा सरकार पर आरोप है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि योजना मद की धनराशि और आर. ई. सी. की धनराशि दोनों को मिला कर एक ही स्थान पर आर. ई. सी. एरिया के अन्दर कुओं की संख्या बढादी गई है। कृषि का उत्पादन बढाने के लिये कुओं की संख्या इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत बढा दी गई है। जनता राज के अन्दर कुओं को कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया था परन्तु यह नहीं किया गया। इसलिये पिछले तीन साल में इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना मद में धनराशि की कमी है। इसके अभाव में सभी योजनाओं को एक साथ में नहीं ले सकते हैं। आज जितनी 396 योजनाएं स्वीकृत हैं उनमें सभी में काम नहीं चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है धन का अभाव।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था—शाहबाद शिड्यूल्ड कास्ट—ट्राइबल एरिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सवाल का जवाब आ चुका है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 51 लाख में से 25 लाख रुपया आर. ई. सी. का आपने केन्द्र से लिया है....

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जन जाति क्षेत्र हैं उसमें गत तीन वर्षों में 311 गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाना चाहिये था उसके बजाए केवल 12 गांवों में ही हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आ चुका है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। वहां से निर्वाचित माननीय सदस्य, श्री हीरालाल जी बैठे हैं। यह भेदभाव है। यह राजनीतिक भेदभाव है। माननीय मंत्री महोदय ने जनता राज की बात कही है। वे कोट करें, जनता राज में किस वर्ष में नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। व्यवस्था दे दी है। कुछ नहीं हो सकता। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह पक्षपात पूर्ण तरीका है। इस तरीके से....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जावे।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, एक-एक ही प्रश्न करें। एक साथ नहीं करें वरना मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने भावनापूर्ण वक्तव्य दिया है। यह वक्तव्य तथ्यों से परे है। यह केवल शाहबाद का प्रश्न नहीं है। और भी ऐसी पंचायत समितियां हैं जिनमें आदिवासी लोग बसते हैं। आप विद्युत मंत्री रहे हैं। पंचायत समितियों के कितने गांवों को बिजली देनी है और कितने कुओं को कनेक्शन देना है- उसकी योजना साल के प्रारंभ होते ही बना ली जाती है। उस योजना के अन्दर शाहबाद भी सम्मिलित है। जो पंचायत समितियां इसके अन्तर्गत हैं उनका उल्लेख मैंने कर दिया है। शाहबाद के कितने गांव इलेक्ट्रिफाई होने हैं यह नहीं बताया है। पिछले तीन साल में जो स्वीकृत हैं वह बताये हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अन्तर्गत कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है वह सूची प्रस्तुत नहीं की है। आप चाहेंगे तो वह सूची भी मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को समझाने का प्रयास करें। मैं जो पूछना चाहता हूं—मेरी बात का जवाब नहीं आ रहा है। शाहबाद क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें 1980-81 में 48 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना था परन्तु 14 गांवों में बिजली लगी है। यह हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोटा जिले के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस प्रकार राजनीतिक भेदभाव की जो नीति है वह गलत है। माननीय मंत्री महोदय गत तीन साल का बतायें 78-79, 79-80 और 1980-81...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)
जरा बैठ जाइये। मंत्री महोदय, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य।

श्री बाऊदयाल जोशी : क्या राज्य सरकार ने दूसरे मद में इस पैसे का उपयोग करके अमानत में खयानत नहीं की है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सरकार स्थिति को स्पष्ट करे। 51 लाख में से 25 लाख रुपये सरकार ने केन्द्र से उठा लिये हैं। वह पैसा वहां पर क्यों नहीं लगाया है?

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। इसको मैं काफी समझता हूं।

श्री बाऊदयाल जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये।

श्री बाऊदयाल जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं जवाब दिलवाना उचित नहीं समझता, हूं।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : आप मजाक उड़ा रहे हैं आसन का। अंकित नहीं करने का आदेश दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : श्रीमान्, यह जो प्रश्न है इसमें मेरा भी नाम है। यह प्रश्न मेरा है इसलिये मैं इसी पर बोलने के लिये ही खड़ा हुआ हूं अगले प्रश्न के लिये नहीं, कृपया मुझे मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल का जवाब आ चुका है। मैं जितना उचित समझता था उतना जवाब आ चुका है।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्षजी मेरा क्षेत्र है अनुसूचित जाति का वह उनके लिये सुरक्षित है, इसलिये वहां पर प्राथमिकता के आधार पर बिजली देनी चाहिए। मार्च, 82 तक मेरे क्षेत्र में, मेरे इलाके में 104 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना चाहिए था लेकिन अभी तक केवल 19 गांवों को ही विद्युतीकृत किया गया है और 80-81 में एक भी गांव को नहीं लिया गया। यहां तक किया गया कि जिन गांवों में बिजली के लिये खम्भे डाल दिये गये थे उनको वहां से उठवा लिया गया और दूसरे गांवों को बिजली दे दी गयी....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य, सवाल पूछें।

श्री हीरालाल आर्य : जब खम्भे वहां पर पहुंच गये थे तो वहां पर से उनको दूसरी जगह किस प्रकार पहुंचाया गया तथा क्यों?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री बाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ कहना चाहता हूं आप तशरीफ रखें। इस सदन की गरिमा को कायम रखने में आप मुझे सहयोग दीजिये। जब कभी आसन पैरों पर हो तब आप बराये मेहरबानी विराज जायें। जब आसन पैरों पर हो तब भी अगर आप बोलते चले जायेंगे तो फिर मुझे कानून कायदों के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री हीरालाल आर्य : मेरे गांवों में जो खम्भे थे उनको वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किन कारणवश किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, जो पीपल्दा से आ रहे हैं, जिस योजना का जिक्र कर रहे हैं उसको इस साल हाथ में नहीं लिया गया है। आपने जो खम्भे डलवाये जाने के बाद वहां से विदड्रा करने के बारे में कहा है तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने बोर्ड को इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया है कि कोटा के साथ में भेदभाव किया जाय। मैं यह भी देखूंगा कि जो पैसा जिस योजना के लिये स्वीकृत किया गया है वह उसमें खर्च हुआ या नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य अगला प्रश्न।

शिक्षकों को बी. एड. करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि देना

2. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने शिक्षकों को बी.एड. करने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि देने की घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो उक्त घोषणा का क्रियान्वयन अभी तक नहीं होने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यवाही अब शीघ्र ही करने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं, बी. एड. पास करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि देने की घोषणा तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने दिनांक 20-3-79 को विधान सभा में की थी।

(2) उपरोक्त घोषणा के अन्तर्गत वेतन वृद्धि का मामला विचाराधीन है।

(3) इस प्रकरण में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में घोषणा हो गयी कि अध्यापक, जो बी. एड. कर चुके होते हैं, को इन्क्रीमेंट मिलना आवश्यक है। जो बी. एड. करके आते हैं उनको अलग से वेतन दिया जाता है। इसलिये जो शिक्षक बी. एड. कर चुके हैं उनको वेतन वृद्धि दी जानी चाहिये। वे इतने परिश्रम से बी. एड. की परीक्षा पास करते हैं अपनी औरतों के गहने गिरवी रखकर बड़ी मुश्किल से बी. एड करते हैं उनको वेतन वृद्धि दी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सप्लीमेंट्री प्रश्न करना चाहते हैं तो वह करें। यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अमीन खां।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये मुझे इसको पूछने की इजाजत दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास उनकी अनुमति है क्या ?

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं है । अनुमति ही तो मैं आपसे मांग रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति नहीं है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है । एक हरिजन चुनाव में खड़ा हुआ, उसको हारने पर जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना अनुमति के प्रश्न नहीं उठा सकते हैं ।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति ही तो मांग रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: Not allowed. Sit down.

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सदस्य को जबरदस्ती बाहर भेजा गया है । इसका मतलब यह है कि सरकार यह चाहती है कि हरिजनों के साथ ज्यादती होती रहे ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । मैं इसका कोई नोटिस नहीं ले रहा हूं ।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह अहम् सवाल है । माननीय सदस्य को बाध्य करके बाहर भेजा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री गोपाल पचेरवाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं दी गयी है और आप बोले जा रहे हैं । अगर आपने स्थान ग्रहण नहीं किया तो मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री गोपाल पचेरवाल : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के साथ अत्याचार····

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को····

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा ।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह हाउस की प्रॉपर्टी है । अगर कोई प्रश्न सूची में आ जाता है तो उसको पूछने दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(9)

श्री बुलाराम : हरिजनों के साथ इतने अधिक अत्याचार किये जा रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अधिक महत्व का प्रश्न है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अमीन खां की ओर से आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ही पहले इस प्रश्न को पढ़िये, यह कितने महत्व का प्रश्न है····

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा !

श्री हीरालाल आर्य : हरिजनों को जूतों की माला पहनाकर यह उनका मोरल गिराना चाहते हैं और उस जागीरदार को····

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) : यह जन-जाति से संबंधित प्रश्न है इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको पूछने की अनुमति नहीं दी है। आप बैठ जाइये।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों के साथ अत्याचार का प्रश्न है, इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये। आखिर कब तक यह सब होता रहेगा····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे फिर नाम से पुकारना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैं रूल कोट करता हूं····"जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम पर वह प्रश्न हो और किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को भी पूछने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उस सदस्य ने उसे इस तरह का प्राधिकार दिया हो।" और मैंने आपको इस तरह की कोई अनुमति नहीं दी है इसलिये माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : ×××

श्री बुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि श्री अमीन खां इस हाउस में आये थे, उनको भगाया गया है।

निर्वाचन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : भगाया नहीं गया है। अगर हाउस में आये थे तो मेरा इतना निवेदन है कि उनको भगाया नहीं गया है। इस प्रश्न को टाला नहीं गया है।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बुलाराम : हरिजन को एक जागीरदार जूतों की माला पहनाये और राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले, राज्य सरकार उससे कह दे कि आप बाहर खड़े रहिये। आप उनको बुलाकर पूछ लीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से पहले तो मैं निवेदन करूं कि मैं खुद भी यहां नहीं था····

श्री बुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर अमीन खां के दस्तखत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर आ रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन की मेज पर रख दें।

नेड़ाई पंचायत (जैसलमेर) के गत चुनावों में हरिजन सरपंच पद का उम्मीदवार

3. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) श्री अमीन खां (शिव) की अनुपस्थिति में) क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जैसलमेर की नेड़ाई पंचायत में एक हरिजन सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ था ? यदि हां, तो उसका क्या नाम था ?

(2) क्या यह बात सही है कि हरिजन एक भूतपूर्व जागीरदार के विरुद्ध खड़ा हुआ था और हारने पर उसको जूतों की माला पहनाकर उसका अपमान किया गया और मारपीट की किन्तु जिला प्रशासन ने इस पर कोई कदम नहीं उठाये ? यदि हां, तो क्यों ?

निर्वाचन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(1) जी हां, उम्मीदवार का नाम श्री नोतनराम पुत्र श्री राजाराम, जाति मेघवाल है।

(2) उक्त उम्मीदवार श्री नोतनराम के विरुद्ध श्री लखसिंह पुत्र श्री समरथ सिंह खड़े हुए थे। जांच के फलस्वरूप जूतों की माला पहनाना व मारपीट करना नहीं पाया गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। नन्दलाल मीणा।

श्री बुलाराम : अमीन खां जी बैठे हैं। प्रश्न कर रहे हैं।

श्री अमीन खां : यह प्रश्न तो सही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई प्रश्न करना हो तो करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ××× बोलने के आदी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। श्री अमीन खां जी ने कोई पूरक प्रश्न नहीं किया है।

श्री बुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, हमें पीटा जाता है और रोने भी नहीं दिया जाता है। क्या हम यहां प्रश्न भी नहीं पूछेंगे ?

श्री गोपाल पचेरवाल : सरपंचों के चुनाव के अन्दर एक दो तो जीतते हैं। अगर उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो आयंदा कोई सरपंच के चुनाव में खड़ा नहीं होगा। उनको सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिये। उनको जूतों की माला पहनायी जाय·····

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन है पहले कि…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आ रहा है।

श्री दुलाराम : जवाब गलत दिया है। मंत्री को सही जवाब देना चाहिये। जूतों की माला पहनायी है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनना चाहिये था, जवाब क्या देंगे। उसके खिलाफ कौनसा मुकदमा दर्ज हुआ, कौनसी गिरफ्तारी की गयी? क्या उसको गिरफ्तार किया गया? अगर नहीं, तो क्यों? निर्वाचन मंत्री जवाब नहीं दे सकते इसका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माथुर मंत्रिमण्डल है या हरिजन विरोधी मन्त्रिमंडल है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे पास तो उस सरपंच के बयान हैं, उन बयानों के आधार पर मैंने जवाब दिया है। जूतों की माला नहीं पहनायी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, हल्ला-गुल्ला जरूर हुआ, पत्थर फेंके गये। एक माला किसी व्यक्ति ने आकर जरूर पहनायी है।

श्री दुलाराम : उस पर क्या कार्यवाही की गयी? अगर नहीं तो क्या करने का विचार है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी जांच तहसीलदार द्वारा की गयी है।

×××माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मुख्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : एक हरिजन उम्मीदवार के हार जाने के पश्चात उसके साथ किये गये व्यवहार पर उठाये गये प्रश्न के जरिये जो जानकारी यहां पर सरकार को मिली उसके आधार पर यहां उत्तर दिया गया है। यदि माननीय सदस्य उससे संतुष्ट नहीं है और यह समझते हैं कि यह जानकारी सही नहीं है तो मैं इसकी जांच किसी विशेषाधिकारी के जरिये करा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसके संबंध में जानकारी करना चाहूंगा। सरकार को उसकी सूचना कब और किसके द्वारा मिली? क्या यह कॉग्नीजेबल आफेंस था? यदि हां, तो क्या केस रजिस्टर किया गया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके बारे में किसी ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करायी, न किसीने सूचना दी। हमारे माननीय सदस्य का प्रश्न जब आया तो उसके बाद इसकी जानकारी मांगी गई।

श्री दुलाराम : तो फिर उस सरपंच के बयान लेने की भी क्या आवश्यकता थी?

श्री अमीन खां : मुख्य मंत्रीजी ने जो आश्वासन दिया उससे मैं संतुष्ट हूं। जो एस. एच. ओ. ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की उसके खिलाफ आप जांच कराइये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसकी भी जांच करा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ गया। श्री नन्दलाल मीणा।

(12)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात। अभी आपने कहा कि उस हरिजन के बयान मेरे पास हैं....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कलेक्टर ने तहसीलदार से पूछताछ करने के लिये कहा था। उसने बयान दिये थे।

श्री दुलाराम : तहसीलदार आँथोराइज्ड हैं क्या बयान लेने के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष : वह बयान कानून की नजर में कोई मायने नहीं रखते। इन्क्वायरी करवाने का आश्वासन दे दिया, उस पर कार्यवाही होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय बतायें कि क्या उस बयान से काग्नीजेबल आफेन्स बनता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बयान के बाद जो कार्यवाही की जानी है वह तो अब की जायगी।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने दो-तीन बातें स्वीकार की। किसी व्यक्ति ने जूतों की माला पहना दी, हरिजन के चुनाव में हार जाने से हो-हल्ला हुआ, पत्थर फेंके गये और जूतों की माला...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जूतों की माला नहीं, मींगणी की माला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह तीनों बातें जो आपने बतायी उससे कोई कॉग्नीजेबल आफेन्स नहीं बनता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रश्न आने के बाद यह वहां पर इन्फार्मेशन के लिए भेजा गया। तहसीलदार ने जो इन्फार्मेशन दी उसको आधार मानकर उत्तर दिया गया है। जो रिपोर्ट आई है उस पर कार्यवाही तो अब होगी। एक दिन में कैसे हो जायगी ?

(व्यवधान)

श्री रामदाराम चौधरी (नागौर) : एक आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार हो जाय और सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करे....

श्री उपाध्यक्ष : यह बड़े अफसोस की बात है कि एक वीकर सैक्शन के व्यक्ति के साथ इस किस्म की हरकत की गई। अब चूंकि मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है उस पर कार्यवाही की जायगी तो सदन को इससे संतुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री नाथूसिंह : एक प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : जैसलमेर जैसी जगह में....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य ने 5 तारीख को प्रश्न किया था।

(व्यवधान)

किसी भी माननीय सदस्य को बिना आसन की अनुमति के बोलने के लिये खड़ा नहीं होना चाहिये, कृपा करके इसका ध्यान रखें वरना इस सदन की क्या डिगनिटी रहेगी, आप खुद सोचिये। आप कोऑपरेट कीजिये ताकि सुचारू रूप से कार्यवाही चल सके और इतमिनान से कार्यवाही चल सके। आप इत्मिनान रखिये, सभी को बोलने का मौका देता हूं। कृपा करके कोऑपरेट कीजिये।

श्री शमीम खां : जीतने वाला हरिजन आपके दल का है।

श्री नाथूसिंह : एक प्रश्न...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब सवाल ही पैदा नहीं होता

(व्यवधान)

श्री वेदीसिंह मार्टर (कोलायत) : ××× की बात है, हरिजन के प्रति हमदर्दी जताना चाहते हो...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

मैं वार्निंग दे रहा हूं कि या तो आप बिना अनुमति के खड़े होकर मत बोलिये...

श्री शिवचरण माथुर : इसके बारे में जो चर्चा यहां पर हुई है और जो फैक्ट्स आये हैं, मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन किया है, पूरी जांच करवा लूंगा, कॉग्नीजेबल आफेन्स है या नहीं, आपने पूछा कि इसके बारे में क्या कार्यवाही की। इसको किसी सीनियर आफिसर से जांच करवा लेंगे। तथ्य जो यहां पर सामने आये हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही होनी चाहिये वह की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत जल्दी हो जायगी कार्यवाही। श्री नन्द लाल मीणा।

जिला चित्तौड़गढ़ हेतु एकीकृत मीणा विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड के लिए अनुदान राशि का प्रावधान

4. श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के प्रत्येक विकास-खंड के लिये अनुदान राशि का प्रावधान किया गया और लक्ष्य की पूर्ति के लिये सितम्बर, 1981 से अभियान आयोजित किया गया था?

(2) यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न पंचायत समितियों से कितने व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों से ऋण दिलवाया गया तथा ऋण स्वीकृत होने के पश्चात्

(श्री नन्दलाल मीणा)

कितने समय बाद अनुदान राशि दी गयी ? ऋण व अनुदान के बीच जो समय का अन्तर रहा उस अवधि के ब्याज का कौन जिम्मेदार होगा ?

(3) चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति, प्रतापगढ़ एवं अरनोद के किन-किन व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करवाया और अनुदान राशि कब व कितनी किसे दी गयी ? कृपया प्रत्येक पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि तथा पशुपालन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां, कार्य वर्ष के प्रारम्भ से ही चालू हो जाता है। किन्तु सघन अभियान सितम्बर, 1981 से प्रारम्भ हुआ।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के 3095 परिवारों को अप्रेल, 1981 से जनवरी, 82 तक ऋण स्वीकृत करवाया जा चुका है। ऋण स्वीकृत होने की सूचना बैंक से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्राप्त होने के साधारणतया 7 दिन की अवधि में अनुदान अधिकृत कर दिया जाता है। ऋण व अनुदान के बीच के समय का ब्याज भार कृषक पर नहीं पड़ता क्योंकि ऋण भाग व अनुदान भाग की राशि को मिलाकर बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है।

(3) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1981-82 के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में पंचायत समिति, प्रतापगढ़ और अरनोद के लिये अनुदान की कितनी राशि आवंटित की गई और वीकर-क्लास के कितने व्यक्तियों को चयनित किया गया था ?

श्रीमती कमला : इसका ऑल इण्डिया पैटर्न है, प्रत्येक ब्लॉक के लिये 6 लाख रुपयों की स्वीकृति वे ही करते हैं, इसका प्लान किया जाता है। कितने लोगों को कितना-कितना अनुदान दिया गया, वह सूची दे दी गई है। उसके अन्दर इसका उल्लेख है।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया कि प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों, जिनकी संख्या 600 से 800 के बीच होगी, के लिये 6 लाख रुपये आवंटित किये जायेंगे लेकिन उसके अनुसार पंचायत समिति में केवल 33 व्यक्तियों को कर्ज दिया गया ? अरनोद में 100 लोगों को लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने के क्या कारण है ?

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी सूचना सही कर लें। अरनोद में 270 ऋण पत्रावलियां तैयार की गई उसके पेटे 100 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया यानि 100 व्यक्तियों को उतनी राशि उपलब्ध कराई गई। इसी तरह से अरनोद में 378 ऋण पत्रावलियां खोली गईं जिसके पेटे 137 व्यक्तियों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई। 6 लाख रुपयों का प्रावधान है उसके अन्तर्गत 600 परिवारों को लेने का प्रावधान है, 800 का

(श्रीमती कमला)

नहीं। 1981-82 का लक्ष्य था प्रत्येक पंचायत समिति का, आपकी पंचायत समिति में 6 लाख का आवंटन हो चुका है।

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जिन पंचायत समितियों को जितनी राशि आवंटित हुई है उनको उतनी राशि आज तक जो दी गई है वह मार्च के आखिर तक उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर जितनी राशि उपलब्ध है उसका पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्त किया जायगा। मैं मार्च में उसकी सूची पेश कर दूंगी। सारी सूची इस वक्त नहीं है, सिर्फ जनवरी तक की आपके पास है बाकी सूची में मार्च तक जानकारी उपलब्ध करा दी जायगी।

श्री नन्दलाल मीणा : ऋण स्वीकृत होने की सूचना के सात दिन की अवधि में अनुदान अधिकृत किया जाना चाहिये। आप मार्च के अन्दर सूची देंगी तो क्या आप आश्वस्त करा सकेंगी कि जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया उसके ब्याज का जिम्मेदार कौन होगा ?

श्रीमती कमला : मैं पूर्ण रूप से आपको भरोसा दिला सकती हूं कि जिन केसेज में सात दिन से अधिक की देरी हुई है उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उसके प्रति कार्यवाही करने में मैं नहीं हिचकूंगी। लेकिन आपके क्षेत्र में यह गड़बड़ हुई है कि वहां की कई बैंक शाखाओं ने अनुदान की राशि और ऋण की राशि जो उनको नहीं देनी चाहिये उसके पेटे में ऋण देकर पैसा जारी कर दिया और अनुदान की राशि के लिए नहीं लिखा। जहां-जहां जो गलती हुई है उसके लिए हमारे अधिकारी ने लिखा है कि ऋण के बारे में आप ऐसी गलत कार्यवाही नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या पांच।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टायरों के बेचान से संबंधित प्रकरण

5. श्री घनश्याम तिवाड़ी : (सीकर) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में टायरों को रद्दी बताकर बेचने में घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) इस घोटाले में कितने टायर जब्त किये गये हैं तथा वे टायर कितने मूल्य के हैं ? इनको पहले रद्दी बताकर कितने रुपयों में नीलाम किया गया था तथा इनकी वास्तविक कीमत क्या आंकी गयी है ?

(3) निगम द्वारा पिछले तीन साल में कितने टायर खरीदे गये हैं ? निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में खरीदे गये तथा रद्दी में बेचे गये टायरों का मूल्य क्या है ? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में दर्ज किए गए मुकद्दमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति तथा फर्द जब्ती की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8)

राज्य मंत्री, यातायात (श्री जय-कृष्ण शर्मा) : (1) जी हां । इस मामले पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(2) 2999 टायर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जब्त किये गये । निगम द्वारा प्रति-नाकारा टायर 40.00 रु. में नीलाम किये गये हैं, इन टायरों की वास्तविक कीमत निर्धारण समिति द्वारा 38.00 रु. प्रति टायर आंकी गयी है । वर्तमान वास्तविक कीमत के सम्बन्ध में अन्वेषण चल रहा है ।

(3) वांछित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है । (परिशिष्ट-1 व 2)

(4) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में दर्ज किये गये मुकदमे की प्रथम सूचना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । फर्द जब्ती एक महत्व-पूर्ण अभिलेख है, प्रकरण के अन्वेषण की समाप्ति तक इस अभिलेख को जनहित में प्रदर्शित करना उचित नहीं हैं ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, फर्द जब्ती कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो सदन में न रखा जा सके । यह ऐसा दस्तावेज है जिससे सारी रिपोर्ट का पता चलता है । इसलिए इसे सदन के पटल पर पेश करें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जानकारी में नहीं.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, 2999 टायरों में से 2000 ऐसे हैं जो चल सकते हैं इसलिए इसको पेश किया जाये । जब तक यह फर्द जब्ती पेश नहीं होगी सदन को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न कीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर इसको पेश नहीं किया गया.....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इसको पेश करना जरूरी है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना अनुमति खड़े हुए हैं, आप अभी नहीं बोल सकते ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फर्द जब्ती ऐसा दस्तावेज है या नहीं जो सदन के पटल पर पेश नहीं किया जा सकता ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इसकी जांच कर रहा था.......

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मेरा प्रश्न नहीं है । क्या इसको सदन के पटल पर रखा जा सकता है या नहीं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इसकी जांच कर रहा है उससे जानकारी हासिल करने पर उसने यह बतलाया कि अगर फर्द जब्ती इस सदन के पटल पर रखी जाय या इसकी जानकारी दे दी जायेगी तो वह जनहित में ठीक नहीं रहेगा । वे इसके बारे में अन्वेषण कर रहे हैं इसलिए अन्वेषण पर ठीक सिद्ध नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है और इसलिए मैंने भी यह ठीक माना है ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने यह बयान किया है कि जो फर्द जब्ती, है उसको

(श्री उपाध्यक्ष)

पेश करना जनहित में उचित नहीं है मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मुझे चैम्बर में मिलकर इसकी प्रति दिखायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस प्रति को सदन में रखें।

श्री उपाध्यक्ष : रख दी जायेगी। श्री भगवानदास शास्त्री।

राज्य को केन्द्र से सीमेंट व कैरोसिन का आवंटन

6. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सितम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 तक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सीमेंट व कैरोसिन कितना आवंटित करने की मांग की थी?

(2) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक माह राज्य को कितना-कितना सीमेंट व कैरोसिन केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किया गया और क्या यह मांग के अनुरूप ही मिला? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार ने उसे आवंटित सीमेंट व कैरोसिन पूरी मात्रा में प्राप्त कर लिया था? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) सीमेंट का तिमाही आवंटन होता है और कैरोसिन का मासिक। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ख") यह सही है कि मांग के अनुरूप सीमेंट व कैरोसिन का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। देश में आवश्यकता की अपेक्षा इनकी उपलब्धि कम है। कैरोसिन पर्याप्त मात्रा में आयात भी किया जाता है।

(3) यह सही है कि आवंटित मात्रा के अनुरूप सीमेंट प्राप्त नहीं हुआ। कैरोसिन इस अवधि में आवंटित मात्रा कुल 69,956 किलो लीटर के मुकाबले में 70,683 किलो लीटर प्राप्त हुआ है, जो आवंटित मात्रा से अधिक है। सीमेंट कम प्राप्त होने का मुख्य कारण बिजली कटौती से फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होना एवं बन्द रहना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

श्री भगवानदास शास्त्री : यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, 1980-81 में, जैसा आप कहते हैं, जो डिमाण्ड थी राज्य सरकार की उससे भी कम सीमेंट हमको प्राप्त हुई। क्या यह सही है कि 1981 तक या जनवरी, 1982 तक जो सीमेंट की स्थिति राजस्थान में बनी वह आपको उचित दिख रही थी? लोगों के औरतों के जेवर उतारे गये, उनको बेइज्जत होना पड़ा। लोग कैरोसिन और सीमेंट के लिए लाइनों में घण्टों खड़े रहे और उन्हें बेइज्जत होकर वापस लौटना पड़ा, क्या यह आपको पसन्द आया?

श्री घासीराम यादव : आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। सितम्बर, 1981 को, जनवरी, 1982 में......

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार कैरोसिन

(श्री भगवानदास शास्त्री)
और सीमेंट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के बारे में बिल्कुल फेल हुई है। यह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं सिद्ध हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल प्रश्न कीजिए।

श्री भगवानदास शास्त्री : 1980-81 में जो आपने डिमाण्ड की थी कि इतना कोटा हमें मिले वह नहीं मिला, लेकिन आपने कह दिया कि हमें पूरा प्राप्त हो गया है। 1932 में पूरी कर देंगे। मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने गड़बड़ करके सौ-सौ रुपये में सीमेंट की बोरी बेची है। जिनको अपने लाइसेंस दिये हैं उनसे सब ने मिलकर सीमेंट की बोरियां चोरी-छिपे बेची हैं।

श्री घासीराम यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल है उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं और भाषण दे रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरासर भ्रष्टाचार है...

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ गया, आप और पोइन्ट कहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा कहना है कि 1980-81 में जो सीमेंट और केरोसिन प्राप्त हुआ वह वर्तमान समय से कम था या अधिक ?

श्री घासीराम यादव : जो हमें केरोसिन मिला वह हमारी मांग से कम था। उसका मैंने कारण बता दिया कि सारे भारतवर्ष में जितने केरोसिन और सीमेंट की आवश्यकता होती है उससे उपलब्धि कम है।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो सीमेंट की मांग केन्द्र सरकार से की थी और साथ में केरोसिन की भी मांग की थी उससे कम मिला तो क्यों नहीं ये यह मांग करते कि इन पर से कंट्रोल उठा दिया जाय ?

श्री घासीराम यादव : हमने मांग की थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने जितना देना था, दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुनीलकुमार बिश्नोई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राज्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्योंकि सीमेंट लाने में असफल रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : जनता की इतनी बुरी हालत है कि उसका जीना खाना-पीना दुश्वार हो गया है, उसके पैर और टांगें • •

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न किया जाय।

श्री भगवानदास शास्त्री : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है...

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): आपने नाम पुकारा है, इसका उत्तर दिला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : 12 बज चुके हैं इसलिये अब प्रश्न नहीं होंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : जब आपने नंबर पुकारा है तो उसका उत्तर दिलाना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने वापस ले लिया है।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन है इसको सदन की तरह चलाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : वापस ले लिया है।

श्री मोहनलाल मोदी : इसका उत्तर दिलाया जाय। जब आपने नंबर पुकारा है तो आसन की जिम्मेदारी है ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वापस ले लिया है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मोरेल बांध से निकाली गई नहरों में आई काश्तकारों की भूमि का मुआवजा

1. श्री कुन्दनलाल (बामनवास): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मोरेल बांध की नहरें (तह.) बौली-बामनवास क्षेत्र के काश्तकारों की भूमि में से होकर निकाली गई है? यदि हां, तो अब तक किन किन काश्तकारों को इसका मुआवजा दे दिया गया है एवं किन-किन को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील बौली के काश्तकारों के मुआवजे की रकम रुपये 1,32,070/- का भुगतान दिनांक 2-12-78 को चैक द्वारा तहसीलदार बौली को भेजा जा चुका है। सूची "अ" पटल पर रख दी गई है। बामनवास तहसील के काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे काश्तकारों की सूची "ब" पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

कोटा जिलान्तर्गत नदी एवं तालाब के किनारे आवंटन योग्य भूमि

2. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में कितनी भूमि नदी व तालाब के किनारे की अस्थायी आवंटन योग्य है?

(2) कितनी भूमि का अब तक अस्थायी आवंटन कर दिया गया है तथा शेष भूमि का आवंटन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) कोटा जिले में नदी व तालाब के किनारे की 2037 बीघा 13 बिस्वा भूमि अस्थाई आवंटन योग्य है।

(राजस्व मंत्री)

(2) कोटा जिले में अब तक 1773 बीघा 5 बिस्वा भूमि का अस्थाई आवंटन किया जा चुका है। शेष भूमि का आवंटन भूमि पानी में डूबी रहने से तथा पंचायत व नगर पालिका चुनावों में व्यस्त रहने से इस भूमि का अस्थाई आवंटन नहीं किया जा सका है।

जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम राणासर में नाडी के आगोर और हरिजन-वस्ती के बीच की भूमि को गोचर भूमि घोषित किया जाना

3. श्री अमीन खां (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम राणासर में नाडी के आगोर और हरिजन वस्ती के बीच में भूमि को गोचर घोषित करने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या जिला प्रशासन जल्दी से जल्दी तालाब तथा हरिजन वस्ती के हित में किस्म परिवर्तन करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम राणासर में तत्कालीन सरपंच, श्री अमीन खां ने ख. नं 1971 व 1975 की भूमि को गोचर में परिवर्तन करने के लिये प्रस्ताव रखा था। तत्पश्चात् तहसीलदार शिव एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर ने इस भूमि को गोचर के बजाय आगोर में परिवर्तन करने के लिये राय दी थी चूंकि ऐसा करना गांव के हित में था। श्री अमीन खां विधायक महोदय ने भी दिनांक 18-2-82 को उक्त प्रस्ताव से जबानी सहमति व्यक्त की थी जिसके अनुसार उक्त भूमि को आगोर में परिवर्तन करने हेतु आरक्षित कर दिया है।

(2) प्रस्तावित भूमि को तालाब तथा हरिजन वस्ती के हित में नाडी के आगार के लिये आरक्षित कर दिया है।

प्रदेश में छोटे-बिजली घरों का निर्माण

4. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार प्रदेश में छः छोटे ताप बिजली घर लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तथा कितनी-कितनी मेगावाट बिजली के?

(2) क्या इन ताप बिजली घरों के निमित्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है?

(3) छठी पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में इनके निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है? इन पर कुल कितनी लागत आयेगी।

उत्तर

(1) जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर व श्री गंगानगर जिलों में उपयुक्त स्थान पर 60 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत गृह स्थापित करने की संभावनाओं का अन्वेषण करने के लिये उचित कार्य करने हेतु विद्युत मण्डल ने निर्णय ले लिया है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) इन प्रस्तावित ताप विद्युत गृहों की संभावनाओं का पता लग जाने के पश्चात् ही प्रारम्भिक कार्य सर्वेक्षण का किया जाएगा। आज की स्थिति के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) इन ताप विद्युत गृहों के लिये पृथक से कोई प्रावधान नहीं है। जांच एवं सर्वेक्षण (सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन) के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में 150 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

जिला कोटा की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम काचरी को बिजली देने में विलम्ब

5. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति, अन्ता के ग्राम काचरी को अभी तक विद्युत नहीं दी गई और न ही इस गांव के हरिजन मोहल्ले में विद्युत प्रदाय की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामवासियों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवाकर "एल" फार्म भी दे दिये हैं तथा ग्राम पंचायत ने रोड लाइट की राशि जमा करा दी है? यदि हां, तो बिजली देने में विलम्ब का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है। ग्राम काचरी का विद्युतीकरण दिनांक 17-2-81 को किया जा चुका है। हरिजन मोहल्ले में विद्युत् प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत काचरी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जिन व्यक्तियों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा दी है तथा "एल" फार्म प्रस्तुत कर दिये हैं उनके कनेक्शन दिये जा चुके हैं। कुल 18 कनेक्शन अभी तक दिये जा चुके हैं। रोड लाइट का कनेक्शन भी दिया जा चुका है।

अजमेर नगर में हैण्ड पम्पों की मंजूरी

6. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हैण्ड पम्पों द्वारा आगामी गर्मी के समय पेयजल की व्यवस्था करने की योजना बनाई है? यदि हां, तो जोधपुर, अजमेर व बीकानेर नगरों में कितनी-कितनी संख्या में हैण्ड पम्प लगाने की योजना है?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में 150 हैण्ड पम्प लग चुके हैं तथा 80 की मंजूरी हो चुकी है? यदि हां, तो अजमेर की 5,00,000 की जनसंख्या के लिये अन्य जल स्रोत के अभाव में और कितने हैण्ड पम्पों की आवश्यकता रहेगी?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने हैण्ड पम्पों द्वारा गर्मी में पेयजल की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। जोधपुर, अजमेर नगरों में क्रमशः 200 एवं 80 हैण्ड पम्प और लगाने की योजना है। बीकानेर शहर में जल स्तर गहराई पर होने के कारण हैण्ड पम्प लगाये जाना उपयुक्त नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) अजमेर नगर में अब तक 182 हैण्ड पम्प लग चुके हैं। अन्य जल स्रोतों से सम्भावित कमी की पूर्ति हेतु 80 हैण्ड पम्प और लगाये जाने की मंजूरी विचाराधीन है।

कृषि उपज मंडी के नियमों में संशोधन

7. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार कृषि उपज मंडी के नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इन नियमों में संशोधन के बाद मण्डी समिति के चुनाव कराये जायेंगे?

उत्तर

जी हां।

कृषि उपज मण्डी के नियमों में संशोधन का प्रश्न अभी राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। संशोधन स्वीकार हो जाने पर चुनाव अविलम्ब कराये जावेंगे।

अजमेर के अलावा राज्य के अन्य जिलों में डेयरी विकास की योजना

8. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या डेयरी विकास निगम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर डेयरी में गुजरात की तरह आधुनिक संयंत्र लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्या डेयरी द्वारा पनीर, दुग्ध पाउडर व चीज आदि का विक्रय राज्य के बाहर किया जायेगा?

(2) अजमेर के अलावा राज्य के अन्य जिलों में डेयरी विकास की योजना का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि अजमेर डेयरी के घी की क्वालिटी अन्य डेयरियों से भिन्न है? यदि हां, तो किस रूप में?

उत्तर

(1) जी हां।

दुग्ध पाउडर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, चीज बनाने के संयंत्र का प्रावधान नहीं है।

जनवरी, 1983 तक संयंत्र उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे तथा प्रतिवर्ष 180 मैट्रिक टन पाउडर विक्री हेतु उपलब्ध होगा।

(2) राज्य में डेयरी विकास की भावी योजनाओं का विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला कोटा की तहसील रामगंज मंडी की सड़कों का निर्माण

9. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की तहसील रामगंज मण्डी की खैराबाद, गोयन्दा तथा चेचट-कुड़ायला की सड़कें कब तक बनकर तैयार हो जायेंगी। इनका काम कब से चल रहा है?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) कोटा जिले की तहसील रामगंज मण्डी की खैरावाद, गोयन्दा तथा चेचट-खेड़ारूद्धा की सड़कें क्रमशः जुलाई, 82 एवं जून, 83 तक बनकर तैयार होने की संभावना है । खैरावाद, गोयन्दा सड़क का कार्य 17-11-80 एवं चेचट-खेड़ारूद्धा सड़क का कार्य 2-5-81 से चल रहा है ।

जिला कोटा की बारां-झालावाड़ रोड का निर्माण

10. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में बारां-झालावाड़ रोड पर चौकी से कुन्जेड तक की सड़क कब तक पक्की बनाने की योजना है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं जिन्हें सड़क पक्की नहीं होने के कारण बड़ी कठिनाई होती है ?

(3) क्या कुन्जेड अंगस क्षेत्र का गांव है तथा ग्राम पंचायत का मुख्यालय भी है ?

(4) क्या इस सड़क के संबंध में जिला आयोजना समिति ने भी प्रस्ताव सरकार को भेजा हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) इस विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जयपुर शहर में मिनी बसों के स्थायी अस्थायी परमिट

11. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर के लिये कितनी मिनी बसों के परमिट दिये हुये हैं और उनमें से कितने परमिट स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

(2) क्या सरकार इनको स्थायी परमिट देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन बसों के मार्ग तथा स्टैण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(4) क्या इन बसों के चलाने से राज्य पथ परिवहन निगम को हानि हो रही है ? यदि हां, तो अनुमानित कितनी ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के लिये 154 मिनी बसों के परमिट दिये हुये हैं और उनमें से 89 परमिट स्थायी और 65 अस्थायी हैं ।

(2) इन्हें स्थायी परमिट देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(3) मार्गों का निर्धारण किया हुआ है । स्थायी स्टेण्ड निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(4) जी हां, कितनी हानि हो रही है,

(यातायात मंत्री)
इसका सही अनुमान लगाना संभव नहीं है।

आवास एवं नगर विकास निगम, भारत सरकार से राजस्थान को प्राप्त ऋण

12. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आवास एवं नगर विकास निगम, भारत सरकार से इस वर्ष राजस्थान को कितनी आवासीय बस्तियों के लिये कितना ऋण प्राप्त हुआ ?

(2) ये आवासीय बस्तियां कहां-कहां बनायी जायेंगी ?

(3) क्या निगम से घर बनाने के लिये भी कोई कर्ज राजस्थान को मिला है ? यदि हां, तो कितना और कितने मकानों के लिए ?

उत्तर

(1) आवासन एवं नगर विकास निगम, भारत सरकार (हुडको) से इस वर्ष 1981-82 में आवासीय बस्तियों बनाने हेतु राजस्थान को 25 आवासीय योजनाओं हेतु 12 करोड़ 9 लाख 48 हजार का ऋण स्वीकृत हुआ है।

(2) हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण से निम्न शहरों में आवासीय योजनायें बनाई जावेंगी। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर।

(3) निगम से अब तक 45,839 घर बनाने के लिए राजस्थान को 62.88 करोड़ रुपये ऋण स्वीकृत हुआ है।

अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के निवास हेतु आवासीय बस्तियों का निर्माण

13. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के निवास हेतु आवासीय बस्तियों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) अगर हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के निवास हेतु आवासीय बस्तियों के निर्माण की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) पैरा नं. 1 के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1981-82 में राजस्थान को आयातित गेहूं, चीनी, केरोसीन व तेल का आवंटन

14. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1981 से फरवरी, 1982 तक राजस्थान सरकार को कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं, केरोसिन, चीनी व आयातित तेल आवंटित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वस्तुएं उचित मात्रा में प्राप्त करने में राज्य सरकार विफल रही है ? यदि हां, तो

(श्री भगवानदास शास्त्री)

भविष्य में उपरोक्त, वस्तुएं उचित मात्रा में प्राप्त करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उपलब्धि के आधार पर राज्य सरकार उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त कर पाई है। अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार को निरन्तर पत्रों एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर निवेदन किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जयपुर शहर में राशन द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं के वितरण हेतु निर्धारित दुकानें

15. **श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में मिट्टी के तेल, चीनी, अनाज, सीमेंट, कपड़ा व लकड़ी के कोयले के वितरण के लिये कितनी दुकानें हैं ? चौकड़ीवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राशन द्वारा वितरण की जाने वाली सामग्री पर्याप्त मात्रा में जनता को उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो उचित मात्रा में राशन की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उपलब्धि के अनुसार वस्तुएं जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। इनकी अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार को निरन्तर पत्रों एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर निवेदन किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण

16. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज का भवन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

(2) क्या सरकार ने भवन के लिये भूमि ले ली है ? यदि नहीं, तो भवन निर्माण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि ऐसे कई छात्र जो कोटा के कालेजों में प्रवेश ले सकते थे, अभी जयपुर में पढ़ रहे हैं और इससे उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

उत्तर

(1) कोटा इन्जीनियरिंग कालेज के लिए, छत्र विलास कोठी (काम्पलेक्स) इंजीनियरिंग महाविद्यालय कोटा के लिये आवंटित दिनांक 10-12-81 को कर दी गई है। जिसमें वर्तमान में कामर्स कालेज चल रहा है, जिसके लिये नया भवन बन रहा है, जो समाप्ति पर है। पूर्ण होने पर कामर्स कालेज उसमें स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी नहीं। इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है तथा मेरिट में जिस छात्र का जहां दाखिला होगा, वहीं अध्ययन करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त बिल्डिंग अभाव के कारण, कोटा इंजीनियरिंग कालेज के सभी छात्र, मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में पढ़ रहे हैं।

राजस्थान में जलाऊ लकड़ी के वृक्षों के लगाने हेतु वनारोपण योजना के तहत जिलों का चयन

17. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जलाऊ लकड़ी के वृक्ष लगाने के लिये विशेष वनारोपण योजना के लिये केन्द्र सरकार ने राजस्थान के कुछ जिलों का चयन किया है? यदि हां, तो ये जिले कौन-कौन से हैं तथा इनमें किस प्रकार के वृक्ष लगाये जायेंगे?

(2) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई विशेष सहायता मिली है? यदि हां, तो कितनी?

(3) राज्य सरकार ने किन-किन स्थानों का चयन करने के लिये लिखा था तथा उनमें से किन-किन स्थानों का चयन हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस योजना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

(1) जी हां। इस विशेष वनारोपण योजना के तहत अभी तक राज्य के आठ जिलों अर्थात् भरतपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, एवं झुंझुनू को चुना गया है। इस योजना में स्थानीय कारकों के अनुकूल किस्म के पौधे लगाये जा रहे हैं।

(2) जी हां। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 25.42 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया गया है। वर्ष 1981-82 में अभी तक 27.76 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में मिल चुके हैं।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) इस योजना के अन्तर्गत अब तक 3850 है. क्षेत्र में वनारोपण कार्य कराया जा चुका है तथा वर्ष 82-83 में वृक्षारोपण हेतु 3900 है. क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी के अन्तर्गत 20 लाख पौधे पौधशालाओं में उगाये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र के गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना

18. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पीपल्दा क्षेत्र के नोनेरा, रनोदिया, बमूलिया, ककरावदा, जोरावरपुरा, डूंगरली, फलोद रोण, नीमोला, बोरदा, बांगली, दुर्जनपुरा, लुहावद, पीपल्दा खुर्द, बलवन, अनघोरा, ढीपरी, बालूपा, छापोल,

(श्री हीरालाल आर्य)
ममोरी कलां, भटवाड़ा, जलोदा खातियान, जलौदा, तेजाजी, कऊ व महुवा गावों को सड़कों से जोड़ने का सरकार का क्या विचार है ?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1 एवं 2) "बीस संकल्प" पिछड़े को पहले योजना के अन्तर्गत सरकार पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की योजना तैयार कर रही है जिसके अन्तर्गत नोनेरा, रनोदिया, बमूलिया, ककरावदा, जोरावरपुरा, बांगली, दुर्जनपुरा, लुहावद, ढीपरी, बालूपा, जटवाड़ा, जलोदा खातियान ग्राम सड़कों से जोड़े जावेंगे।

शराब बन्दी समाप्त करने से राज्य सरकार को हुई आय

19. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शराब बन्दी समाप्त करने से 1 अप्रेल से 30 नवम्बर, 1981 तक राज्य सरकार को कुल कितनी आमदनी हुई तथा प्रत्येक जिले से कितनी-कितनी आय हुई ? यह आय 1980-81 में आबकारी से हुई आय से कितनी अधिक है ?

(2) सन् 1980-81 में शराब बन्दी के कारण केन्द्र सरकार से कितनी अनुग्रह राशि प्राप्त हुई ?

(3) शराब बन्दी समाप्त करने के बाद भिन्न-भिन्न जिलों में शराब की कितनी-कितनी नई दुकानें खोली गई और इनमें से विदेशी शराब को कितनी व देशी शराब की कितनी दुकानें हैं ?

(4) मद्य निषेध क्षेत्र में कितनी दुकानें खोली गई ?

(5) नई दुकानों के लाइसेन्स किस नीति के अनुसार दिये गये तथा किन-किन व्यक्तियों को दिये गये तथा दुकानों के लाइसेन्स देने से कितनी आय हुई ?

उत्तर

(1) आबकारी आय माह अप्रेल, 81 से 30 नवम्बर, 81 तक 19,72,28,458 रुपये हुई है तथा अप्रेल, 80 से नवम्बर, 80 तक आय 7,74,11,136 रुपये हुई है उक्त अवधि में आबकारी आय 11,98,-17,322 रुपये अधिक हुई है। जिलेवार आय का मानचित्र संलग्न है।

(2) वर्ष 1980-81 में शराबबन्दी के कारण केन्द्र सरकार से रुपये सात करोड़ तीन लाख मात्र अनुग्रह राशि के रूप में प्राप्त हुये।

(3) शराब बन्दी समाप्त करने के बाद भारत निर्मित विदेशी मदिरा की कोई नई दुकान नहीं खोली गई। राज्य सरकार की नीति के अनुसार मद्यनिषेध समाप्ति के पूर्व के अनुज्ञाधारियों को जहां उनकी दुकानें स्थित थीं, उन्हीं व्यक्तियों को अनुज्ञा-पत्र दिये गये तथा मद्यनिषेध के समय चल रही दुकानों की अवधि 31-3-82 तक बढाई गई। इसके फलस्वरूप भारत निर्मित विदेशी

(आबकारी मंत्री)

मदिरा दुकानों की जिलेवार स्थिति निम्नानुसार हुई:—

क्र. सं.	नाम जिला	मद्य निषेध के समय की दुकानों की स्थिति वर्ष 81-82	मद्य निषेध समाप्ति बाद वर्ष 81-82 के लिये दी गई दुकानों की स्थिति	योग
1.	श्री गंगानगर	22	59	81
2.	उदयपुर	20	16	36
3.	भरतपुर	12	32	44
4.	जोधपुर	27	33	60
5.	बीकानेर	16	20	36
6.	जयपुर सिटी	24	65	89
7.	जयपुर ग्रामीण	8	13	21
8.	कोटा	8	15	23
9.	अजमेर	18	29	47
10.	उपायुक्त म. नि.	17	5	22
		172	287	459

शराब बन्दी समाप्त करने के पश्चात् देशी मदिरा की कोई नई दुकानें नहीं खोली गई है। मद्यनिषेध के पूर्व जहां-जहां देशी मदिरा की दुकानें थी, उन्हें पुनः चालू किया गया। देशी मदिरा की दुकानों के संख्या की जिलेवार सूची साथ में संलग्न है।

(4) राज्य के संपूर्ण जिले में मद्य-निषेध हो जाने के बाद यानी 1-4-80 से 31-3-81 तक की अवधि में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर मदिरा उपलब्धि हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 180 दुकानें तथा देशी मदिरा की 462 दुकानें खोली गई।

(5) मद्य निषेध समाप्ति दिनांक 11-8-81 को की गई तथा मद्यनिषेध के समय की विदेशी मदिरा की जो दुकानें दिनांक 1-4-81 व उसके बाद दी गई, की अवधि 31-3-82 तक बढाई गई। मद्य-निषेध के पूर्व के अनुज्ञाधारियों, जिनकी संख्या 465 थीं, में से वर्तमान तक 287 दुकानों के अनुज्ञा पत्र दिये जा चुके हैं। अब 178 दुकानों के अनुज्ञा पत्र देना शेष हैं। 287

(आबकारी मंत्री)

दुकानों के अनुज्ञाधारियों की सूची संलग्न है। उक्त दुकानों के अनुज्ञा पत्र दिये जाने से प्रारम्भिक शुल्क व न्यूनतम लाईसेन्स फीस रुपये 1,18,45,500 की आय हुई है।

मद्य निषेध समाप्ति के पश्चात् देशी मदिरा की दुकानें टेण्डर व नीलाम के द्वारा दी गई। देशी मदिरा की दुकानों के अनुज्ञा पत्र एक वर्ष के लिये दिये जाते हैं, अतः प्रत्येक वर्ष अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा दुकानें उठा दी जाती हैं। वर्ष 82-83 के लिये देशी मदिरा की दुकानें उठाने की कार्यवाही जारी है। वर्ष 81-82 में दिनांक 1-9-81 से 31-3-82 तक की अवधि के लिये देशी मदिरा की दुकानें 14.60 करोड़ की प्राप्त राशि पर उठायी गई हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

कोटा तथा बारां से खातौली, पीपल्दा, गैंता, गुढ़ला, लुहावद, मांगरोल के लिये जाने वाली बसों की संख्या में वृद्धि

20. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा तथा बारां से विभिन्न डिपोज की बसें खातौली, पीपल्दा, गैंता, गुढ़ला, लुहावद, मांगरोल के लिये कितने बजे रवाना होती हैं ? समय की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यात्रियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए क्या पीपल्दा, गैंता, गुढला, लुहावद व मांगरोल कस्बों के लिए जाने वाली बसों की संख्या पर्याप्त है ?

(3) क्या सरकार उक्त मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाने का आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ?

(4) क्या उक्त समय के अनुसार बसें समय पर रवाना होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समय पर बसों के रवाना नहीं होने के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार बसों को समय पर रवाना करने हेतु शीघ्र ही उचित व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) कोटा तथा बारां से खातौली, पीपल्दा, गैंता, गुढला, लुहावद, मांगरोल के लिये रवाना होने वाली वाहनों के निर्धारित समय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) यदि यात्रीभार में वृद्धि हुई तो बसों की संख्या में वृद्धि करने हेतु विचार किया जावेगा।

(4) साधारणतया बसें समय पर ही रवाना होती हैं। कभी-कभी यान्त्रिक व तकनीकी दोषों की वजह से समय पर रवाना नहीं होती है। दोनों प्रकार के विलम्ब के लिये निगम के अधिकारी समय पर वाहन संचालन हेतु निरन्तर प्रयत्नशील हैं। कार्यशाला के कार्यकलापों में सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जिला भीलवाड़ा के आसीन्द, कोटड़ी, बनेड़ा रायपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना

21. **श्री रतन लाल तांम्बी** (जहाजपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रतनलाल ताम्बी)
करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में आसीन्द, कोटड़ी, बनेड़ा, रायपुर में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो यह न्यायालय कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या देवली, जिला टौंक में भी मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या 1 अप्रेल, 1982 से यहां पर न्यायालय प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

(3) क्या मोटर दुर्घटना के न्यायालय क्षेत्रों के पुनः विभाजन के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्षेत्रों में परिवर्तन कब से लागू कर दिये जावेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान में नये सत्र एवं मुन्सिफ न्यायालयों में वृद्धि के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कहां-कहां नये सत्र एवं मुन्सिफ न्यायालय खोल दिये जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । माननीय उच्च न्यायालय का परामर्श आने पर इसको लागू करने की कार्यवाही की जावेगी ।

(4) राज्य के सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए वर्तमान में कोई नया न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक में दिनांक 15 फरवरी, 1982 को लिये गये निर्णय के विरुद्ध राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षायें मार्च में न लिये जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के बारे में ।

(2) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिलाधीश, बूंदी के कार्यालय पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल के विषय में ।

(3) सर्व श्री गुलाब चंद कटारिया, अनंग कुमार जैन, बालचन्द्र आर्यवीर, महावीर प्रसाद, जीतमल जैन, बंशीलाल पटवा, भूपाल सिंह, रामकिशोर मीणा, नाथूसिंह व भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार.....

एक माननीय सदस्य : यह पक्षपात है ।

श्री उपाध्यक्ष : लिखा हुआ मैंने पढ़ दिया । राज्य सरकार द्वारा रोड वेज की बसों के किराये में की गई 10 प्रतिशत की वृद्धि के विषय में ।

(4) श्री देवी सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर,

(श्री उपाध्यक्ष)

तहसील कोलायत के ग्राम गजनेर की रोही में तहसील की इजाजत के बिना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा काफी अधिक मात्रा में पेड़ काटने की घटना के विषय में।

(5) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से की जा रही बिजली की कटौती से किसानों और मजदूरों का भविष्य अंधकारमय हो जाने के विषय में।

(6) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो जाने के उपरान्त सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों को लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं:—

(1) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर मदार गेट, कबाड़ी बाजार में नगर परिषद् द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस द्वारा बाजार में लाठीचार्ज किये जाने के विषय में।

(2) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जिला नागौर एवं जोधपुर में शीत लहर का प्रकोप होने से फसलों को नुकसान होने के विषय में।

(3) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के देवली मच्छीयान ग्राम में गत 8 फरवरी को हुई डकैती की घटना के विषय में।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है, इनमें से पूर्व में प्राप्त स्थगन प्रस्तावों का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है, दूसरे स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) श्री बालचन्द्र आर्यवीर – राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के बारे में। यह प्रस्ताव अस्पष्ट भी है और किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है।

(2) श्री बंशीलाल पटवा – भीलवाड़ा नगर में नगर न्यास द्वारा सड़कों में पार्टीशन लगाकर अवरोध उत्पन्न करने के बारे में। यह विषय स्थानीय नगरपालिका या यू. आई. टी. से संबंधित है।

(3) श्री गोपाल पचेरवाल – जिला जोधपुर, तहसील शेरगढ़ के गांव नाथूराम में भूख व दवा के अभाव में मेघवाल जाति के दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के संबंध में। इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य के अलावा श्री उम्मेद सिंह, सदस्य, विधान सभा ने भी हस्ताक्षर किये हैं।

जिन प्रस्तावों को मैंने रिजेक्ट किया है, वे माननीय सदस्य दो-दो मिनट बोल सकते हैं। श्री भगवान दास शास्त्री !

सूचना प्राप्ति प्रश्न

नये राज्यपाल की नियुक्ति

श्री नाथूसिंह (दौसा) : प्वॉइंट ऑफ इन्फार्मेशन। हमें समाचार-पत्रों में पिछले दिनों पढ़ने को मिला है कि

(श्री नाथूसिंह)
महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री ओ. पी. मेहरा राजस्थान के राज्यपाल बनकर आ रहे हैं। क्योंकि सदन चल रहा है और राज्यपाल महोदय सदन के अभिन्न अंग हैं, मुख्य मंत्री यहां पर सौभाग्य से बैठे हुये हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में सच्चाई क्या है ? क्या मुख्य मंत्री से केंद्र ने बातचीत कर ली है, उनसे राय ले ली है जो आ रहे हैं उनके बारे में और क्या उनका अपाइंटमेंट हो चुका है ? इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री सदन को अवगत करायें। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है, राज्यपाल कौन हैं, क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि अभी राज्यपाल श्री के. डी. शर्मा है।

श्री नाथूसिंह : वही स्थिति मैं क्लीयर करवाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय आने पर आपको अवगत कराया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के कौनसे नियम के अन्तर्गत यह मुद्दा आप उठा रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : 168 के अन्तर्गत। राज्यपाल महोदय सदन के अभिन्न अंग हैं और हम जान सकते हैं...

श्री परसराम मदेरणा : 168 में राज्यपाल महोदय की जो स्थिति है उस संबंध में आपको बताया गया है कि राज्यपाल कौन हैं, कौन आ रहे हैं, यह प्रश्न अलग है।

श्री नाथूसिंह : मैं इसलिये जानकारी चाहता था कि क्या मुख्य मंत्री से विचार विमर्श किया गया है इस बारे में कि श्री ओ. पी. मेहरा राजस्थान के गवर्नर बनकर आ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिये। हमारे मुख्य मंत्रीजी की राय भी इसमें लेनी चाहिये पर मैं समझता हूं कि वह नहीं ली जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या ऐसा आर्टिकल 168 में प्रावधान है कि किसी प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करते समय मुख्य मंत्रीजी से परामर्श किया जावे।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी स्टेट्स पश्चिमी बंगाल में ऐसा हुआ है जहां पर कि राज्यपाल को भेज दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारे मुख्य मन्त्रीजी को पूछे बिना ही यहां पर किसी राज्यपाल को भेज दिया जाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अभी चूंकि सैशन चल रहा है इसलिये हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारे मुख्य मन्त्रीजी की भी जानकारी में यह बात है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी यह सवाल कहीं भी उत्पन्न नहीं होता है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

33

(श्री नाथूसिंह)
सवाल तो पैदा नहीं होता लेकिन ऐसा समाचार पत्रों में हमें रोजाना पढ़ने को मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : समाचार-पत्रों की बातों पर आप नहीं जाइये।

श्री नाथूसिंह : वह तो ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें पता तो पड़ना चाहिये कि वास्तविक स्थिति क्या है ? उसका तो पता लगे।

श्री उपाध्यक्ष : समय आयेगा तब अपने आप ही आपको पता लग जायेगा।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी चूंकि हाउस भी चल रहा है और ऐसी चर्चा है कि यहां पर राज्यपाल महोदय की नियुक्ति होने जा रही है इसलिये हमें पता तो पड़ना चाहिये। यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मन्त्रीजी से पूछ लें कि क्या वह इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Why do you worry about all ?

श्री नाथूसिंह : आप पूछ लीजिये। आप भी सम्मिलित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे मामलों में मुख्य मन्त्रीजी की राय नहीं ली जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मन्त्रीजी से राय नहीं ली जाती है वह तो राज्य के चीफ सेक्रेटरी से राय ली जाती है वह ले ली है।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्रीजी को पता नहीं है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कौन राज्यपाल बन कर आ रहे हैं उनको मालूम नहीं है। हमें पता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने प्रिज्यूम कर लिया तो आप बैठ जाइये।

व्यवस्था का प्रश्न राज-काज की भाषा

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न संख्या 14 का 51 पेज का इंग्लिश में उत्तर मिला है, तो क्या राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गयी थी कि राज्य सरकार द्वारा सारा काम हिन्दी में किया जायेगा वह समाप्त हो गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, जब 14 नम्बर के सवाल का उत्तर आवे तब कहना। अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानकारी के रूप में जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार ने हिन्दी में काम-काज करना बन्द कर दिया है इसलिये उत्तर अंग्रेजी में आ रहे हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन इस आशय का रखा था कि गांव भरतपुर में एक जमुना देवी नाम की औरत की हत्या करके उसकी 40 हजार रुपये की सम्पत्ति लूट ली गयी। उसके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेन्ट मोशन 9 बजकर 45 मिनट पर प्राप्त हुआ इसलिये उसको सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक एडजोर्नमेन्ट मोशन अजमेर में कबाड़ी बाजार के अन्दर अतिक्रमण हटाओ अभियान के संबंध में था। उपाध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को दिन के 11 बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान अजमेर नगर परिषद् के द्वारा चलाया गया। तो नगर परिषदों द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे राजस्थान में चल रहे हैं पर अजमेर में एक नाटकीय ढंग से यों समझो एक राक्षसीय तरीके से यह अभियान चलाया गया न केवल नगर परिषद के लोग थे बल्कि उनके साथ में एडीशनल एस.पी. और डीवाई.एस.पी. वगैरह भी थे, इसके अलावा उनके साथ सी.आर.पी. के लोग थे। उन लोगों ने वहां जिस तरह तानाशाही तरीके से उन लोगों के साथ ज्यादति की ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। उपाध्यक्ष महोदय, कबाड़ी बाजार उसको कहें, चाहे उसको मीना बाजार कहें वहां पर तो आपको कबाड़ियों के पास कबाड़ी की चीजें ही मिलेगी। उस बाजार को हटाने का क्या कारण था, यह समझ में नहीं आता ? कबाड़ी बाजार में आपको गन्दी से गन्दी चीजें मिलेंगी, छोटी से छोटी चीजें मिलेंगी और बढ़िया से बढ़िया चीजें मिलेंगी। वहां पर आकर उन लोगों ने इस प्रकार से आक्रमण किया जैसे कोई चोर और डाकू आकर आक्रमण करते हैं। उन लोगों का सामान उठाकर फैंक दिया। इतना ही नहीं जो राह चलते राहगीर थे, जो बच्चे 18-20 साल की उम्र के थे और जो विद्यार्थी स्कूल और कालेज जा रहे थे उन पर प्रहार किया गया। उनको पकड़ कर पुलिस द्वारा निर्मम तरीके से उनकी पिटाई की गयी। उन लोगों को पकड़ कर कोतवाली भेज दिया गया। मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के लोगों ने इस तरह से पीटा और उनको पकड़ कर ले गये, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बुरा हुआ। अजमेर के नगरवासी, जो कि सभ्य और शिष्ट हैं, के साथ इस प्रकार अतिक्रमण हटाओ अभियान का नाम लेकर अत्याचार किया और लोगों की हड्डियां जिस तरह से पीट-पीट कर तोड़ी गई वह एक तरह से पुलिस का नादिरशाही अत्याचार था। इसके बाद में भी पुलिस ने उन लोगों को पकड़ कर तरह-तरह की गम्भीर धारायें लगाकर उन पर केसेज बनाये हैं। मैं कहता हूं कि यह पुलिस और राज्य सरकार के ऊपर एक बहुत भारी कलंक है। कबाड़ी बाजार जहां है वह ऐसी बस्ती है जहां पर पक्के मकान बने हुए हैं। वहां पर न तो मोटर जा सकती है, न मोटर साइकल जा सकती है और न जीप जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वहां का हाल देखा तो इस प्रकार मालूम हुआ जैसे पुलिस द्वारा बड़ा भारी दुराचार और अत्याचार किया गया। पुलिस ने कबाड़ी बाजार पर तानाशाही तरीके से अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस पर एसिड की बोतलें और सोडे की बोतलें फेंकी गयीं। उन्होंने यह इलजाम कबाड़ी बाजर के लोगों पर लगाया। इस प्रकार झूठे आरोप लगाकर आपकी पुलिस वहां पर अत्याचार कर रही है। जिस तरह आपने नगरपालिकाओं के चुनाव दूसरी जगह जीते, जोधपुर में बिजली और हैण्ड-पम्प की बात कर तथा लोगों को रुपये बांट कर जीते हैं, उसी तरह आप अगर

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अजमेर और जयपुर में चुनाव जीतना चाहते हैं तो आप की इस धौंस और तानाशाही तरीके से आप जो चुनाव जीतने के स्वप्न देख रहे हैं वह आपके पूरे नहीं होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि किस निर्दयता से वहां पर लोगों को पीटा गया है ? लोगों की हड्डियों के चार-चार टुकड़े होकर फ्रैक्चर हो गये हैं। इसके ऊपर वहां की पुलिस यह इलजाम लगाती है कि आप भी इसमें शामिल थे। उपाध्यक्ष महोदय, कबाड़ी बाजार में दो-चार परिवार रहते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों पर भयंकर रूप से अत्याचार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : अब कृपया समाप्त कीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है तब इनके ××× और जो इनके जो ××× आफिसर होते हैं, वह उसमें नियुक्त होते हैं। वह जनता को परेशान करते हैं। आज वहां पर जनता में बड़ा ही जबरदस्त आक्रोश है। इस प्रकार का अत्याचार अजमेर की जनता नहीं सहन करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अजमेर के लोग बड़े ही सीधे-सादे लोग हैं और सभ्य हैं उनके साथ इस प्रकार का अन्याय करके आप अपनी खुद ही खाई खोद रहे हैं। आप इससे पाताल में जाने का काम कर रहे हैं। इसमें आपकी सत्ता की शक्ति की नींव नहीं खुद रही है, बल्कि आप स्वयं पाताल खोद रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर की जनता झगड़ों में विश्वास नहीं करती है। वहां के लोग सभ्य हैं और सभ्यता से रहना चाहते हैं इसलिये सरकार को भी उनके साथ इस प्रकार अन्याय नहीं करना चाहिये। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महीराम चौधरी।

श्री महीराम चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्षजी, मेरा स्थगन प्रस्ताव इस विषय का था कि नागौर और जोधपुर जिले में, जो पिछले कार्तिक और मिगसर माह में किसानों ने बहुत महनत करके रायड़ा और तारामीरा के बीज खरीद कर अपने खेतों में बोये थे, उसमें अभी पिछले 1 से लेकर 7 और 8 तारीख तक जो शीतलहर हमारे यहां पर पड़ी उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार जिस तरह प्राकृतिक प्रकोप अकाल और बाढ़ को मानती है उसी तरह इसको प्राकृतिक आपदा नहीं समझती है और न ही सरकार यह जानकारी प्राप्त करती है कि इससे लोगों का कितना नुकसान हुआ। मेरा निवेदन है कि सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिये कि वहां के लोगों से जानकारी की जाय। वहां सैकड़ों लोगों का अहित हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां के किसानों की 50 से 60 प्रतिशत तक फसल तो सत्यानाश हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा ही नुकसान किसी शहरी क्षेत्र का हो जाता या किसी मूल्यवान वस्तु का हो जाता तो राज्य सरकार की तरफ से काफी कुछ किया जाता, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्र में नुकसान हुआ है, मैं आपसे निवेदन करूं कि

××× शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महाराम चौधरी)

हमारे देश की रीढ की हड्डी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां नुकसान हुआ है उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यह कितना महत्वपूर्ण विषय है पर आज किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने भी देखा है।

श्री महाराम चौधरी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने नहीं देखा है। आपने जो देखा है वह सिर्फ ऊपर की हरियाली ही देखी है लेकिन वास्तव में कितना सत्यानाश हुआ है वह आपने नहीं देखा है। आपने अगर देखा है तो कार में बैठकर देखा है। आप देख लीजिए उस फसल का 60 पर्सेन्ट नुकसान नहीं हो गया हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी समझूंगा कि इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण समझकर सरकार से आप मूल्यांकन कराइये कि किस-किस क्षेत्र में कितना-कितना इससे नुकसान हुआ है। इस नुकसान के आधार पर इसको प्राकृतिक आपदा समझकर....

श्री उपाध्यक्ष : That will follow. Don't worry.

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप अंग्रेजी में वांच गया म्हाने तो ठाही नहीं पड़ी।

मैं तो आपको स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं और हाथ जोडकर निवेदन करता हूं कि आप किसानों की इस फसल का मूल्यांकन कराइये और मूल्यांकन कराने के बाद में उसका कितना नुकसान हुआ है, इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कराइये उसके बाद यदि सरकार मुआवजा देने की या कुछ राहत देने की कुछ कार्यवाही नहीं कर सकती है, या क्षमता नहीं है तो उस क्षेत्र में अकाल-राहत कार्य तो सबसे पहले खुलवाइये। यही प्राथमिकता मिलती है तो लोगों को थोड़ी-बहुत राहत मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा आपको याद दिलाऊंगा कि इस विषय को लोक महत्व का समझकर इसका मूल्यांकन कराइये और मेरे इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, तारीख 9-2-1982 को कोटा से 60 किलोमीटर दूर देवली मच्छीयान नाम ग्राम में पटेल कल्याण के नाम के घर जब कि बच्चे की सगाई को लेकर नाई गया हुआ था और सारे गांव की महिलायें मंगल-गान करने के लिए उपस्थित थीं तब अचानक 9 व्यक्तियों ने....

श्री उपाध्यक्ष : आप मौजूद थे कि नहीं?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं मृतक के परिवार से मिल कर आया हूं। मंगल-गान के समय महिलाओं पर 9 व्यक्तियों ने योजना बनाकर पुलिस यूनिफार्म में हमला किया। पहले पहल कल्याण पटेल के घर पर वह गये। उन्होंने जाते ही फायर करना शुरू कर दिया और कल्याण पटेल का मकान तलाश किया। कल्याण पटेल के मकान पर जैसे ही वह घुसे सबसे पहले उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया। वार करने के बाद जब वह गिरा नहीं तो दो व्यक्तियों ने उसके सीने पर पिस्तौल तान दी और कहा कि बताओ तुम्हारी तिजोरी कहां है। तिजोरी की चाबी छीनकर जब वह व्यक्ति ताला तोड़ने

(श्री ताऊदयाल जोशी)

लगे तो उसमें से 10 हजार रुपया और चार नेवरियां और चार कंगन इस प्रकार से करीब 25 हजार रुपये का माल उस मकान से निकाला। मंगल गान करने आई औरतों के सुहाग चिन्हों को बाहर खड़े हुए व्यक्तियों ने लूटा, खसोटा, मारा पीटा और सुहाग चिन्हों को तोड़कर अपने पास रख लिया। जब इस सारी घटना को लेकर वहां के गांव वाले भागे कि यह राइफल और पिस्तौलें कहां चल रही है तो उस समय फूलसिंह नाम का व्यक्ति वहां से भाग गया। फूलसिंह के ऊपर पांच फायर किये और पांच फायर भगवान की दया से गलत जगह नहीं लगे लेकिन जो अन्तिम फायर उसके सीने पर लगा। तारीख 20 को यह मेरे पास टेलीग्राम आया है, 20 तारीख को फूलसिंह भी उन डकैतों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। लगातार 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक वह मृत्यु से जूझता रहा। उसके 5 बच्चे हैं और 2 बच्चियां हैं। 7 बच्चे बच्चियों को छोड़कर फूलसिंह इस सरकार की नृशंसता को नहीं रोकने और पुलिस के निकम्मेपन के कारण शहीद हो गया, मारा गया डाकुओं के द्वारा। मुझे मालूम हुआ है कि पुलिस के योग्य अधिकारियों ने इसकी छानबीन की और 15 तारीख को पुलिस ने सुराग लगाया। सुराग में जो बात पता लगी है वह एकदम गंभीर है। उसमें दो कर्मचारी रेलवे के हैं उनके नाम हैं लालमोहन सिंह, अनन्त नाथ मिश्र। यह 11 साल से रेलवे वर्कशॉप के अन्दर नौकरी में कार्यरत हैं। यह दोनों व्यक्ति उस डकैती में शामिल थे। सबसे पहले लाल मोहन सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया······

श्री उपाध्यक्ष : आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी ?

श्री ताऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक 9 में से सिर्फ दो ही अपराधी पकड़े गये हैं। लाल मोहन सिंह ने जो जानकारी दी वह अपने आपमें गंभीर है। कोटा सैनिक छावनी है। कोटा में 43 हजार सेना के लोग निवास करते हैं। उन सेना के लोगों में से 3 लोग उस डकैती में भाग लेना लाल मोहन सिंह के आधार पर बताये हैं। श्री भरत सिंह यादव, मानसिंह एवं जंग बहादुरसिंह। यह तीनों व्यक्ति उस डकैती में शामिल थे और जब पुलिस ने भरत सिंह यादव के घर जो कि सैनिक छावनी के पास है, पर तलाशी ली तो वहां राइफल और रिवाल्वर मिली। मेरा निवेदन करना है कि यह सैनिक व्यक्ति ड्यूटी पर काम करते हुए, रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारी रेलवे में काम करते हुए इस प्रकार की डकैतियों में शामिल हो इससे बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता। मेरा निवेदन करना यह है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने वहां जाकर उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया। मेरा निवेदन करना है कि उस क्षेत्र के विधायक वहां नहीं गये, उस क्षेत्र के माननीय मंत्री महोदय, कोटा जिले को जो रिप्रजेन्ट करते हैं वह आज तक उस जगह नहीं पहुंचे हैं और आज पांच व्यक्ति महाराव भीमसिंह हॉस्पिटल में पड़े-पड़े कराह रहे हैं और उन 5 में से एक व्यक्ति मर चुका है····

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री ताऊदयाल जोशी : मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन

(श्री दाऊदयाल जोशी)······

करना चाहता हूं जो श्री परसराम जी से गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा निवेदन करना यह है माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि यह डाकुओं के मुकाबले में फूलसिंह नाम का व्यक्ति 20 तारीख को मरा है मैं आपसे पुरजोर शब्दों में, नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि उसके 7 बच्चे हैं उन सात बच्चों के परिवार के भरण पोषण के लिए डाकुओं से मुकाबला करने में जो मारा गया है उसको अनुदान राशि शीघ्र ही यहां घोषित करने की कृपा करेंगे तो बड़ी-बड़ी अनुकम्पा उसके परिवार पर होगी। डाकुओं की जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, चम्बल के बीहड़ों में छुप जायेंगे लेकिन कोटा और कोटा से 7 किलोमीटर दूर इस प्रकार की डकैती हो जाये······

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : ....मेरा आपसे निवेदन है····

श्री उपाध्यक्ष : अब आप श्री हीरालाल आर्य को बोलने दीजिये। श्री हीरालाल आर्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज ही घोषणा करेंगे कि राज्य सरकार मृतक के परिवार को निश्चित रूप से 20-25 या 50 हजार रुपया जितना हो सकता है उतना उसके परिवार को देने की यहां घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवली मच्छियान गांव में जिस प्रकार का डाका पड़ा····

श्री उपाध्यक्ष : अब जो बात कही जा चुकी है उसको रिपीट मत कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : उस घटना के बारे में तो माननीय दाऊदयालजी जोशी ने बताया लेकिन इस डकैती में सम्मिलित होने वाले लोग हैं वह रेलवे के कर्मचारी हैं और सेना के सैनिक हैं—यह आश्चर्य की बात है। इसके बावजूद कोटा और इस स्थान के बीच की अधिक दूरी नहीं है। वह स्थान जहां डकैती पड़ी और उस डकैती में जो लोग हताहत हुए हैं और दौलतसिंह नाम का व्यक्ति मारा गया है उनको अस्पताल में रहते हुए किसी ने संभाला नहीं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि दौलतसिंह नामक व्यक्ति जो इस काण्ड में मारा गया उसके परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं उसको मुआवजा देने की सरकार घोषणा करे। दूसरे, जो हताहत लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं उनको भी सहायता पहुंचायें। तीसरे, मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग डकैती में पकड़े गये हैं—चाहे इस डकैती में या केशोरायपाटन काण्ड हुआ था उसमें भी जितने लोग पकड़े गये थे आये दिन कोटा में ट्रकों से माल जाता है उसको लूटा जाता है, कभी ट्रेनें लूटी जाती हैं और कभी गांवों में इस तरह से डकैतियां पड़ती है मैं आपकी मार्फत से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की डकैतियां हो रही हैं और अपनी कानून और जो व्यवस्था है उसके लिए पुलिस को आगाह करूंगा कि इस तरह की जो डकैतियां होती हैं उनको तत्परता से निपटायें ताकि जो जनता के आक्रोश है और आतंक है वह मिट जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालनन्द आर्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने निवेदन

(श्री दाऊदयाल जोशी)
किया था, माननीय मुख्य मंत्री जी विराजे हैं वह सदन में घोषणा करेंगे ।

श्री **उपाध्यक्ष** : जवाब नहीं होगा ।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : मैं जवाब नहीं मांगता । मैं तो इतनी सी बात करता हूं कि मानवता के नाम पर, गृहमंत्री जी और बृजसुन्दर जी विराजमान हैं, निश्चितरूप से इसके लिये कोई घोषणा होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही..

श्री **दाऊदयाल जोशी** : वे बोल रहे हैं, साहब

श्री **हीरालाल आर्य** : डाकुओं का मुकाबला करते हुए मरे हैं

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता, माननीय सदस्य।

श्री **हीरालाल आर्य** : गांव वालों ने डाकुओं का मुकाबला किया है। वह व्यक्ति मर गया

(व्यवधान)

श्री **दाऊदयाल जोशी** : यह संदर्द का सवाल है ।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज ही डी. आई. जी., कोटा से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके, जो तथ्य मेरे सामने माननीय सदस्यों ने कहे, उनकी जानकारी अधिकारीगणों से प्राप्त करने के बाद जो भी उनकी सहायतार्थ की जाने वाली कार्यवाही होगी सरकार के स्तर पर वह निश्चित रूप से की जायेगी, यह मैं आश्वासन देता हूं ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेंट मोशन माननीय सदस्यों ने रखा था कि बस का किराया 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है । आपने दूसरे एडजोर्नमेंट मोशन्स के साथ में उसमें भी व्यवस्था दे दी कि सरकार से जानकारी की जा रही है। इसमें जानकारी का सवाल नहीं है

श्री **उपाध्यक्ष** : किन परिस्थितियों में किया है वह आवें तो

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी इस पर स्टेटमेंट दे सकते हैं । इसमें कोई जानकारी का सवाल नहीं है। 10 प्रतिशत की वृद्धि की है, गवर्नमेंट ने प्रोपराइटी को चैलेन्ज किया है। विधान सभा का सत्र 20 तारीख से आरम्भ हो रहा था, 19 तारीख को इस प्रकार के आदेश निकले कि 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा, इसी वर्ष राजस्थान सरकार ने दो बार 25, 25 प्रतिशत किराया बढ़ाया है । आज से एक वर्ष पहले जहां 2.50 रुपये किराया लगता था अब वही किराया बढ़कर रु. 3.26 पैसे हो गया ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दो बार 25 प्रतिशत और तीसरी बार 10 प्रतिशत बढ़ा, रिजल्ट यह निकल रहा है, रोडवेज कार्पोरेशन का इनकम एण्ड एक्सपेन्डीचर का स्टेटमेंट मंगाकर देखें तो स्टेटमेंट से मालूम होगा कि 1980 में किराया बढ़ाने से पूर्व जो इनकम थी उतनी की उतनी इनकम आज है। 25 प्रतिशत एक बार बढ़ाया उससे इनकम बढ़नी चाहिये थी, दूसरी बार 25 प्रतिशत बढ़ाया उससे इनकम बढ़नी चाहिये थी, पर नहीं बढ़ी। अब 10 प्रतिशत और बढ़ा दिया। 2.50 रुपये के स्थान पर 3.26 रु. किराया होने के उपरान्त भी आज इनकम बढ़ नहीं रही है सरकार किराया बढ़ाती जा रही है। मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा, क्या सरकार ने यह फैसला किया है कि विधान सभा के अन्दर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठे, विधान सभा में चर्चा न हो, विधान सभा को कान्फीडेंस में न लिया जाय। खास तौर से बजट सत्र आरम्भ होने से पहले इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाये। मैं समझता हूं यह प्रोपराइटी नहीं है। राज्य सरकार को बजट में इसको रख कर के बजट के समय प्रस्तुत करना चाहिये था। आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि डाक, तार के जब मूल्य बढ़ाये तो यह प्रश्न राज्य सभा में उठाया गया। राज्य सभा के अध्यक्ष वाइस प्रेसीडेन्ट ने इसको प्रोपराइटी का प्रश्न मानकर व्यवस्था दी थी कि इस प्रकार से डाक तार के मूल्य नहीं बढ़ाने चाहिये थे। यह कोई कानून का प्रश्न नहीं है, विधान का प्रश्न नहीं है। यह प्रोपराइटी का प्रश्न है। प्रोपराइटी के प्रश्न पर सरकार उत्तर नहीं दे पाई। दुर्भाग्य तो यह है कि जब राज्य सभा में चर्चा होती है, आपत्ति होती है तो स्वयं उप-राष्ट्रपति, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, ने प्रोपराइटी के प्रश्न को स्वीकार किया है। उसके बाद राजस्थान की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये था। किराया बढ़ाना उसके विरुद्ध है। मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दे देते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं उचित यह समझता हूं कि रिपोर्ट आ जाये, इन्फार्मेशन मिलने के बाद ही....

(व्यवधान)

आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं....

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : यह अधिकारों का सवाल है....उपाध्यक्ष महोदय, हमको इस पर विचार करना है। सरकार अपने आप बढ़ायेगी ?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

(व्यवधान)

आप एक मिनट बैठ जायें।

इन्फार्मेशन राज्य सरकार से आने के बाद यदि वैसा मामला हुआ जैसा राज्य सभा में उठाया गया है तो....

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : यह नहीं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री **जयकृष्ण शर्मा** (राज्य मंत्री, यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने और माननीय सदस्यों ने कहा कि रोडवेज ने बस किराया बढ़ाया और विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने से पहले बढ़ाया, इस संबंध में राज्य सरकार स्पष्टीकरण दे....

श्री नाथूसिंह : 12 घंटे पहले।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसलिये मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं कल सरकार की ओर से स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने किराया वृद्धि के बारे में प्रश्न नहीं उठाया। उन्होंने किराया बढ़ाया, उसका नोटिफिकेशन इश्यू हो गया। प्रश्न यह है कि विधान सभा का सत्र आरम्भ होने से पूर्व, खास तौर से बजट सत्र आरम्भ होने से पूर्व, जो बात बजट में होनी चाहिये उस बात को एक नोटिफिकेशन के जरिये लागू करके क्या विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया है? क्या सरकार ने जो कुछ कार्यवाही की है वह प्रोपराइटी के आधार पर उचित है? इसमें क्या कहना है?

श्री उपाध्यक्ष : पहले इन्फार्मेशन प्राप्त हो जावे....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : किराया बढ़ाना आवश्यक है, अनावश्यक है, इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट देंगे। आपने सवाल प्रोपराइटी का उठाया है। विपक्ष के माननीय नेता जानते हैं कि किराया बढ़ाने के लिये प्रक्रिया पहले से शुरू करनी पड़ती है। 19 तारीख को वह प्रक्रिया खत्म हो कर, किराया बढ़ा दिया गया है। कार्पोरेशन का जो खर्चा था उसके कारण बढ़ाना अनिवार्य था। उस दृष्टि से देखते हुए बढ़ाने की प्रक्रिया पहले से शुरू की जो मैच्योर इस वक्त हो गयी। इसलिये किराया बढ़ाने वाली बात सामने आई है। मैं समझता हूं कानून की दृष्टि से भी गवर्नमेंट के वाइड पावर्स हैं इवन टैक्स लगाने की कार्पोरेशन की बात बिल्कुल अलग है। यह कार्पोरेशन एक आटोनोमस बॉडी है इसको अधिकार सरकार की ओर से दिये गये हैं, उसकी कैपिटल है। घाटे में चलता है तो इसका अपना सोचने का अधिकार है। किराया बढ़ाने के लिये कार्पोरेशन ने इनिशियेट किया, वह मैच्योर विधान सभा के एक दिन पहले हुआ। हमने असेम्बली को बाई-पास करके उसका अपमान करने वाली कोई बात नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद यह जरूरी हो गया है कि स्थिति का स्पष्टीकरण किया ही जाना चाहिये। खेद है, मुख्य मंत्रीजी को राज्य सरकार के अधिकार क्या हैं इसकी जानकारी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में 10 प्रतिशत के किराये की वृद्धि की है और उसके इम्प्लीमेंटेशन में रोडवेज कार्पोरेशन ने 10 प्रतिशत किराया बढ़ाया है। इसमें केवल रोडवेज कार्पोरेशन नहीं है, इसमें प्राइवेट बस ओनर्स भी हैं। वे भी 10 प्रतिशत का किराया बढ़ायेंगे। यहां आटोनोमस बोडी का कोई क्वेश्चन नहीं है वे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इजाजत दी है। गवर्नमेंट ने आदेश निकाला है तब बोर्ड ने किराया बढ़ाया है। पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूंगा।

श्री शिवचरण माथुर : गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन एक महीने पहले निकाला। उसकी मियाद मैच्योर होने के बाद किराया बढ़ाने वाली बात हुई। उसके लिये आब्जेक्शन इन्वाइट किये। आपको उस तारीख में मिल जायेगा, सवाल आपने प्रोपराइटी का उठाया है, मैं समझता हूं, प्रोपराइटी का सवाल

(श्री शिवचरण माथुर)
इसमें कहीं भी इन्वाल्व नहीं होता है जो सारा प्रोसेस किया गया है, उस सारे प्रोसेस को करने के बाद ही किराया बढ़ाया गया है।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की तो मुझे खुशी है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे तो स्वीकार कर लिया कि रोडवेज कार्पोरेशन इण्डिपेन्डेन्टली किराया नहीं बढ़ा सकता है, और किराया बढ़ाने के लिये राज्य सरकार की सारी, कार्यवाही करनी पड़ती है। आप शायद पहले भूल गये थे या जानकारी नहीं थी। दूसरा सवाल प्रोपराइटी का है, इस प्रोपराइटी के क्वेश्चन के आधार पर मैं एक चीज रेज करना चाहता हूं। मान लीजिये सब कुछ कार्यवाही चल रही थी। उस कार्यवाही में कहीं कोई संकेत नहीं है कि जो आपने एक महीने नोटिफिकेशन निकाला, और नोटिफिकेशन निकालने के बाद आब्जेक्शन की सुनवाई की, और सुनवाई करने का परिणाम यदि किराया बढ़ाने में निकलता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वह आर्डर 20 तारीख को निकालेंगे या 19 तारीख को निकालेंगे। मैं समझता हूं इसमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं होगा। किराया बाद में भी बढ़ाया जा सकता था जब 20 को ही बजट सत्र प्रारम्भ होने वाला था। मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट सत्र के पहले आखिर में कोई भी किराया बढ़ायें, कितनी भी आमदनी हो बजट में जो राज्य सरकार को अब तक आती रही है उसका इस बजट पर रिफलेक्शन होता तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं सरकार ने प्रोपराइटी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्य किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, हमें इन्हेरेन्ट पावर्स हैं। मैंने कभी आपके इस इन्हेरेन्ट पावर्स को चेलेन्ज नहीं किया है। आपके इन्हेरेन्ट पॉवर्स हैं लेकिन इस विधान सभा के सदस्यों के भी इन्हेरेन्ट राइट्स तो हैं। इन्हेरेन्ट पावर्स में बजट सत्र में डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट टैक्स लगाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। आप इसको इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन मानें या डाइरेक्ट मानें लेकिन मैं इसको डाइरेक्ट, इन्डाइरेक्ट न मानकर निवेदन करना चाहता हूं जो टैक्स सत्र के एक दिन पहले लगाया जाय तो उस टैक्स की सदन में ही कार्यवाही होनी चाहिये। इसके पहले नहीं होनी चाहिये। आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, और आपको जानकारी भी होगी, आप विद्वान हैं जिस समय सत्र आरम्भ हो रहा हो या सत्र चल रहा हो तो कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हो सकती है जो सदन के बाहर की जाय। अगर करते हैं तो माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन होता है। 20 को सदन की कार्यवाही आरम्भ हो रही हो, और 20 के एक दिन पहले इस प्रकार की कार्यवाही होती है तो ऐसी महत्वपूर्ण बात को सदन में लाया जाना चाहिये था तो कोई आपत्ति नहीं थी। आप बहुमत के आधार पर यह निर्णय इस सदन से करवा लेते कि किराया बढ़ेगा। एक दिन में कोई खास बात नहीं होती। सदन में सदस्यों से जानकारी ले लेवें, रोडवेज की स्थिति क्या है? आपके जो आय के आंकड़े हैं वह तो उतने के उतने ही रहने वाले हैं। मैं आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहता हूं अन्दाज से भी नहीं कहना चाहता हूं लेकिन मेरी जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि रोडवेज कार्पोरेशन के अन्दर कम से कम 10 से 15 करोड़ का टैक्स और किराया बाकी है, आज रोडवेज में सब चीजों का इवेजन है। सरकार उसको नहीं रोक पा रही है और किराया बढ़ाती जा रही है। मैं ऐसा समझता हूं, किराये के इवेजन, टैक्स के इवेजन के विषय पर चर्चा होने के बाद और इसके ऊपर पूरी कार्यवाही होने के बाद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में सरकार और सदन इस बात के लिये सहमत होता कि इससे आगे टैक्स इवेजन को रोक नहीं सकते, इससे ज्यादा आमदनी बढ़ा नहीं सकते हैं, और खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है इसलिये किराया बढ़ाना आवश्यक है तो मैं समझता हूं कोई आधार बनता और उस आधार पर किरायों बढ़ाने की कोई चीज पैदा होती, लेकिन इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? इस सम्बन्ध में कानून या कार्पोरेशन के एक्ट में या संविधान में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होते हुए यह किया गया है। इस सरकार को इन्हेरेन्ट पावर्स सही हैं। वह भी होते हुए क्या विधान सभा की कार्यवाही होते हुए विधान सभा के बाहर इस प्रकार के इन्डाइरेक्ट टैक्स का एक प्रपोजल नोटिफिकेशन के आधार पर इस राजस्थान की जनता पर लागू किया जाना विधान सभा की परम्पराओं के विरुद्ध नहीं आता? क्या विधान सभा का अपमान नहीं है? आप इस आधार पर अपना निर्णय दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है कि यह परम्पराओं के विपरीत है या कानून के विपरीत है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोडवेज कार्पोरेशन की एक सेपरेट सैक्टिटी है, इसका रजिस्ट्रेशन सेपरेट है, इसका एक कन्सोलिडेटेड फन्ड है और वह अकाउन्ट फार नहीं होता है। न तो यह टैक्स में आता है और न कन्सोलिडेटेड फण्ड में आता है . . .

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप कोई नई बात नहीं बता रहे हैं . . .

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टैक्स लगाने से पहले इस सदन को नहीं बताया जाय तो यह एक अलग बात है। टैक्स लगा दिया है लेकिन यह वास्तव में कानून और परम्पराओं के विपरीत हो, ऐसी बात नहीं है। मोटर ट्रान्सपोर्ट का जो किराया बढ़ाया है, कार्पोरेशन ने सरकार को कहा है और उसके लिये सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है, आब्जेक्शन्स इन्वाइट हुए हैं और उसके बाद निर्णय होकर सरकार ने उसको बढ़ाया है। यह न तो परम्पराओं के विपरीत है और न ही कानून के विपरीत है, न कन्सोलिडेटेड फन्ड में आता है, और न ही उसको कोई अकाउन्ट फार करते हैं। इसलिये, मैं समझता हूं, विरोधी दल के नेता ने जो आपत्ति की है, आप स्वयं विद्वान हैं, यह आपत्ति नहीं मानी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मुद्दा जो उठाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक सरकार के पक्ष का सवाल है उन्होंने कानूनी कार्यवाही की, नोटिफिकेशन निकाला, आब्जेक्शन्स इन्वाइट किये। सवाल कानूनी बात का नहीं है, सवाल है कि प्रोपराइटी थी कि नहीं थी। मैं इसको उचित नहीं मानता हूं किराया बढ़ाने को।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो विद्वतापूर्ण व्यवस्था दी है . . .

(व्यवधान)

मुझे समझ में नहीं आता है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब विद्वता का नाम लेता हूं तो ट्रेजरी बैन्चेज हंसती है . . .

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कोई नहीं हंसता है। आसन स्वयं हंस रहे थे। जब आपने सम्बोधित किया.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन हंस रहा था या नहीं हंस रहा था, लेकिन मैं आसन को विद्वान कहूं तो क्या आप हंसी उड़ायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आपने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था दी है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार को 19 तारीख को इस प्रकार का नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको जानकारी नहीं है और उनको भी जानकारी नहीं होगी, न सदन को जानकारी है कि 10 प्रतिशत किराया बढ़ाने के बाद कितनी आय होगी? न तो यह ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को पता है और न कोई असेसमेंट ही किया है कि कितनी आमदनी होगी इसका उनको कोई पता नहीं है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि जो सरकार इवेजन को रोक नहीं सकती है, वह जनता पर डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट टैक्सेज का भार बढ़ाती जा रही है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी कार्यवाही में, मैं समझता हूं, जनता की जो धारणाएं है, उन धारणाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ विरोध पक्ष अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। आपने इसको अनुचित बताया इसलिये आपके हाथों को स्ट्रेन्थन करने के लिये उचित होगा कि विरोध पक्ष और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी इस सदन से बहिर्गमन करके सरकार को यह बताये कि सरकार भविष्य में इस प्रकार के नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करे। इसलिये मैं मेरे दल सहित बहिर्गमन करता हूं।

(भाजपा के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : सवाल इतना था जब दूसरे दिन विधान सभा होने वाली थी तो यह नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : .....कभी रोडवेज का किराया बढ़ता है, तो कभी रेल का किराया बढ़ता है। जनता बिलकुल भार से दब गई है। इसलिये यह अब नाकाबिले बर्दाश्त है। इस जुल्म के खिलाफ मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, जनता आपसे पूछती है, आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं लेकिन क्या आपकी आत्मा गवाही देती है, यह मुझे बता दीजिये, हंसने से काम नहीं चलेगा.....

(व्यवधान)

एक बार 20 प्रतिशत बढ़ाया गया, फिर एक बार 25 प्रतिशत बढ़ाया गया और अब फिर 10 प्रतिशत और बढ़ाया, इस तरह से गरीब जनता की जेबों पर, उनके पैसों पर डाका डाल कर आप खजाना भरते रहेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको वापस लें। इसका विरोध करने के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय भी मैंने बहिष्कार किया और आज भी इसका विरोध करते हुए, मैं दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं। सरकार इस बढ़े हुए किराये को वापस ले।

(बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अकेले ही हैं।

श्री रतनलाल शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी ने और यातायात मंत्रीजी ने बताया था कि रोडवेज एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसके आधार पर निर्णय करती है। मेरी जानकारी के अनुसार जब रोडवेज इस प्रकार से किराया बढ़ाती है तो प्राइवेट ऑपरेटर्स भी राजस्थान में किराया बढ़ा देते हैं। अभी रोडवेज का 10 प्र. श. किराया वृद्धि का मामला प्रारंभ हुआ तो उसके साथ ही प्राइवेट ऑपरेटर्स ने भी किराया बढ़ा दिया। मैं मुख्य मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि ऑटोनॉमस बाडी के आधार पर वह निर्णय करते हैं अथवा होम डिपार्टमेंट में यह कमिट करके कि राजस्थान में किराया बढ़ाया जाय। मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे रूट्स हैं, उनके ऊपर चलने वाली बसों का भी कियारा बढ़ाया जा चुका है, इस बारे में, मैं चाहूंगा कि स्पष्टीकरण दिया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि किराया बढ़ाने के प्रश्न पर आपने सरकार को चेतावनी दी है। पिछले एक साल में तीन बार सरकार ने किराया बढ़ाया। अभी 19 तारीख को ऐसे टाइम में किराया बढ़ाया जब कि 20 तारीख को सदन बैठ रहा था। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की मनमानी और तानाशाही प्रवृत्ति हो चुकी है। इस तरह की कार्यवाही के लिये ताड़ना आपने सरकार को दी है। इस प्रकार की ताड़ना राज्य सभा के चेयरमैन ने भी दी है, यह सदन की अवमानना...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको और अनुमति नहीं दे सकता बोलने की, कोई एजेण्डा नहीं है। अगर आप...

श्री यदुनाथ सिंह : आपने सरकार की गलती मानी इसलिये आपकी बात का समर्थन करते हुए अपने दल के साथ मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से रोडवेज का किराया बगैर सदन की अनुमति के बढ़ाया, नोटिफिकेशन के द्वारा जनता पर कर-भार लगाया, उसका सदन में विरोध होगा उसका सामना करने की सरकार में हिम्मत नहीं है। पिछली दफा मुख्य मंत्रीजी ने छाती ठोक कर घोषणा की थी कि रोडवेज में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घाटे में जा रहा है रोडवेज, उसका मैं निश्चित तौर पर कोई न कोई समाधान करके उसको फायदे में ले जाने की कोशिश करूंगा। वह तो हो नहीं रहा है, निरंतर घाटा बढ़ता जा रहा है और जनता पर टैक्स लादे जा रहे हैं। आखिर गरीब जनता आपको इस आशा से चुन कर भेजती है ताकि आप उनके हितों की रक्षा करेंगे और महंगाई से बचायेंगे, परन्तु एक वर्ष में तीन बार किराये की बढ़ोतरी की गई। अगर बढ़ोतरी करनी थी तो सदन के अन्दर लाते। 19 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करके 20 तारीख को सदन की बैठक बुलाई गई। यह हउस में डिस्कशन होता। उचित-अनुचित पर डिस्कशन होता, उसके उपरान्त अगर किराया बढ़ाया जाता...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से तानाशाही करते रहे तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। जो नोटिफिकेशन जारी करके रोडवेज का 10 प्रतिशत किराया बढ़ाया है उसका विरोध करता हुआ इस सदन का बहिष्कार

(श्री देवीसिंह भाटी)

करता हूं। आइन्दा सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे, और सरकार को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ेगा।

(बहिर्गमन)

अनुपस्थिति अनुमति

श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा को 23 फरवरी, 1982 से सत्रान्त तक सदन की बैठक से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण 23 फरवरी, 1982 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें 23 फरवरी, 1982 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बेरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई है, वह बाजार में मिल रही है....

श्री उपाध्यक्ष : कौन से आइटम पर बोल रहे हैं ? बिना अनुमति, कृपा करके न बोलें। मैं रूल्स के मुताबिक कार्यवाही करूंगा। आप विराज जाइये सीट पर। कोई आपका पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। मैं इस तरह से अनुमति नहीं दे सकता। I am sorry.

श्री नाथूसिंह : सवाल यह है कि कमीशन बनाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं दी गई है।

श्री नाथूसिंह : बिना सुने ही। हमारा अधिकार है, उपाध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन की रिपोर्ट माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, वह बाजार में सड़कों पर बिक रही है लेकिन हमको उपलब्ध नहीं हो रही है, सदन में उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इन्फार्मेशन मांगी है। आप इन्तजार कीजिये।

श्री नाथूसिंह : इन्फार्मेशन का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि सरकार ने बेरी कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत क्यों नहीं किया ? हम को उपलब्ध क्यों नहीं करवाया ? आप सरकार से पूछिये बेरी कमीशन की रिपोर्ट को कब तक उपलब्ध करवायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : लिखा नहीं जायेगा।

श्री नाथूसिंह : × × ×

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेखित विषयों से सम्बन्धित सामग्री की विधान सभा सदस्यों को वितरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 20 तारीख को सचिव, राजस्थान विधान सभा को पत्र लिखा था और उसके माध्यम से निवेदन किया था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन मुख्य बातों का

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उल्लेख आया है उनके संबंध में राजस्थान विधान सभा को कुछ ऐसी सामग्री, जो आवश्यक है, उपलब्ध कराई जाय। इस दृष्टि से मैंने निवेदन किया था कि रावी-व्यास के संबंध में जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच प्रधान मंत्री की मध्यस्थता में समझौता हुआ, उसकी प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाय। इसके साथ मैंने मांग की थी, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की चंबल परियोजना के संबंध में जो संयुक्त बैठक हुई उसके मिनट्स सदन की मेज पर रखे जांय। इसके साथ ही निवेदन किया था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख आया बार-बार कि राजस्थान में बाढ़ और अकाल की स्थिति बड़ी भयंकर हुई है, उसके संबंध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्टडी टीम के सदस्यों को राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किये गये ज्ञापन और रिपोर्टस सदन की मेज पर रखी जाय। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि राजस्थान की सरकार अन्य राज्यों से अपने हिस्से की बिजली प्राप्त करने के प्रयत्न कर रही है, उसके संबंध में भी मैंने पत्र में लिखा था कि इस संबंध में कितनी बिजली, जो हमारे हिस्से की थी, मध्य प्रदेश व पंजाब से प्राप्त कर पाये हैं, उसका भी विवरण सदन की मेज पर रखा जाय। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मसला उठाया, यह मसला भी कोई कम महत्व का नहीं है। आखिर सरकारी रिपोर्ट बाजार में बिक जाय और विधान सभा के पटल पर नहीं रखी जाय। आप रखेंगे तो सही उसको। यदि आज ही रख देते या विधान सभा की कार्यवाही से पहले रख देते तो अच्छा ही रहता। आज बाजार से या कर्मचारियों से रिपोर्ट लेवें तो उपलब्ध हो जायेगी लेकिन सरकार उपलब्ध नहीं करना चाहती। इसमें क्या रहस्य है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व मुख्य मंत्रीजी सदन को इन चीजों को उपलब्ध करायें ताकि जो भी चर्चा हो वह सार्थक हो, और राजस्थान सरकार के हितों की सुरक्षा हो। इस आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विधान सभा की ओर से एक लेटर, एक चिट्ठी भेजी गई है चीफ सैक्रेटरी साहब को, और उनसे विस्तृत विवरण मंगाया गया है। उसके आने के बाद ही विचार किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें रावी-व्यास का उल्लेख आया है। अब यदि समाचार-पत्रों के आधार पर कुछ कहना चाहेंगे तो कोई भी सदस्य पॉइन्ट आफ आर्डर रेज करके ऐसा कहेगा कि इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि जो वास्तव में समझौता हुआ है, उस समझौते की सारी बातें समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं हुई हों। इसलिए जब उस समझौते का उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है तो समझौते की प्रति, जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी को याद होगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से उन्होंने पार्वती और कोल के बारे में समझौता किया और उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी। उसकी प्रति आज भी उपलब्ध है। तो रावी-व्यास के संबंध में प्रति उपलब्ध कराने में आपको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अकाल के संबंध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि यह मांगा है। रावी-व्यास के सम्बन्ध में हाल में प्रधानमंत्री जी की मध्यस्थता में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में हुए समझौते की प्रतियां मांगी गई हैं। दूसरा, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में अंतिम स्थिति सम्बन्धी विवरण, यह भी मांगा गया है। चम्बल परियोजना के सम्बन्ध में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच हाल ही की संयुक्त बैठक की कार्यवाही का विवरण यह सब मंगाया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंगाया है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप डिबेट किस पर करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 1982-83 में मध्य-प्रदेश और पंजाब की संयुक्त विद्युत परियोजना में राजस्थान की भागीदारी का अनुपात तथा विद्युत सम्बन्धी विवरण, यह सब मंगाया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब मंगाये गये हैं, यह सब तो सही है। आपने बहुत अच्छा किया कि मंगा लिया, लेकिन डिबेट किस पर करेंगे ? आज सदन की इन्फार्मेशन नहीं है। किसी भी तरह से कांफीडेंशियल प्रिविलेज डाकुमेंट नहीं हैं। सदन के माननीय सदस्यों को उनको देखने का अधिकार है। ये सूचनायें यदि दस दिन बाद में आती हैं, और गवर्नर के एड्रेस पर आज डिबेट आरम्भ होती है तो हम उन तथ्यों पर जा नहीं सकते जो वास्तविक हैं। यह सरकार के लिए भी आवश्यक है। सरकार के हित में है, उपाध्यक्ष महोदय। आज रावी-व्यास के सम्बन्ध में उन्होंने जो समझौता किया उस समझौते के आधार पर जब तक पंजाब रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं आता तब तक कोई कार्यवाही विशेष रूप से नहीं हो सकती। अब इस सदन की इस सारे मामले में क्या प्रतिक्रिया होती है, वह सब तभी जानी जा सकती है जब कि समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, इस सारी सामग्री को सदन की मेज पर रखने में, वह तो बोलें।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो पत्र विधान सभा सचिवालय को भेजा है वह मैंने अभी देखा नहीं है लेकिन जानकारी आपने दी है, मैं समझता हूं कि हम विवरण बना कर भेज देंगे :...

श्री त्रिलोकसिंह : तब तक बहस किस पर करें ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : डाकूमेंट की कापी मांगी है, यही तो मैं कह रहा हूं। रावी-व्यास समझौते की और नाथपा झाकड़ी की मांगी है वह आपको सप्लाई कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चम्बल बोर्ड के मिनट्स ? ये कोई कांफिडेंशियल नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि विरोधी पक्ष के नेता ने जो दस्तावेजों के लिए लिखा है, अभी जो फ्लड की बात कही, मैं समझता हूं कि सरकार को जानकारी नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी ने विभिन्न विभागों के सैक्रेटरी को विधान सभा सचिवालय के उस पत्र की प्रति भेजी है या नहीं। आप अर्जेन्ट ली जानकारी करना चाहते हैं लेकिन अर्जेन्टली कौनसे डाकूमेंट रखे जायेंगे, जैसा मुख्य मंत्री

(श्री परसराम मदेरणा)
जी ने कहा कि जो रावी व्यास के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है, वैसा ही, क्योंकि यह अन्तर्राज्यीय समझौता है और जैसा कि पूर्व में भी एक समझौता हिमाचल से हुआ था उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखी थी, उसी तरह से निश्चित रूप से इसे भी रखेंगे ताकि आप चर्चा कर सकें। बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स के संबंध में सरकार निर्णय लेकर कि कौन-कौनसे डाकूमेंट्स यहां रखने की बात है, उसके संबंध में जानकारी आपको दे देंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, निर्णय लेने वाली बात कौन सी है ? या तो आप यह कहिये कि ये प्रिविलेज्ड डाकूमेंट हैं। आप कहें। सदन से वही चीज छुपा सकते हैं जिस पर सरकार प्रिविलेज क्लेम करे।

श्री परसराम मदेरणा : वही निर्णय लेना है। कौन से डाकूमेंट आपने मांगे हैं, आॅफहैंड मांगे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के संबंध में स्टडी टीम को जो आपने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के बाद में स्टडी टीम की जो रिपोर्ट आई है, क्या आप कांफीडेंशियल क्लेम करते हैं या प्रिविलेज क्लेम करके सदन से छुपाना चाहते हैं ? बाढ़ के संबंध में आपने ज्ञापन दिया और स्टडी टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी इसे कहां से कांफिडेंशियल क्लेम करते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्री के बीच में जो ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : स्टडी टीम की क्या रिपोर्ट होती है वह कभी भी सरकार को प्रति नहीं दी जाती। केवल जो धनराशि कितनी आवंटित की गई अलग-अलग मदों के नीचे उसकी सीलिंग आती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी लोक सभा में, राज्य सभा में प्रश्न किया था कि राजस्थान सरकार ने अकाल के संबंध में आज तक जितनी स्टडी टीम्स ने अध्ययन किया है उसके अध्ययन की रिपोर्ट दी जावे। वह सब मेरे पास है।

श्री परसराम मदेरणा : वह भारत सरकार ने दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी हां, भारत सरकार ने दी थी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार जिस डाकूमेंट को प्रिविलेज डाकूमेंट क्लेम नहीं करती या जिसको कांफिडेंशियल डाकूमेंट क्लेम नहीं करती है उसको आप कांफिडेंशियल डाकूमेंट क्लेम करते हैं। तो संसद सदस्य जिस बात का पता रख सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी जानकारी है कि एक बार स्टडी टीम की रिपोर्ट को लेकर वर्तमान प्रधान मंत्री ने राजस्थान सरकार को उलाहना दिया था कि स्टडी टीम ने जिस प्रकार के नॉर्म्स डिसाइड किये हैं, किस मद में कितना खर्चा करना था उससे ज्यादा पैसा खर्च किया। आप जानते हैं कि राजस्थान में ओवर ड्राफ्ट की हालत बड़ी घातक हो रही है। ओवर ड्राफ्ट बढ़ने के कारण कल राज्यपाल महोदय ने यह बताया कि बाढ़ और अकाल राहत के कारण से हुआ है। हम इस सदन में यह बताना चाहते हैं कि अकाल राहत और बाढ़ के कारण कितना रुपया खर्च करना चाहिए था, कितना किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और कितनी कमी रही ? आखिर किस बात की डिबेट आप हमसे कराना चाहते हैं। उसमें कौन सी कांफीडेंशियल बात हो सकती है। कोई कान्फीडेंशियल कहीं भी नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के हाथ स्ट्रेन्थन होते। आज आपने रेगुलर प्लान असिस्टेंस से लेकर राजस्थान के क्लेम की हत्या की है। इस सदन की राय लेकर जब मुख्य मंत्रीजी प्रधान मंत्री के पास जायेंगे, आप कहेंगे कि प्लान में कटौती करने के क्या परिणाम निकलते हैं, हम वही बतायेंगे ? राजस्थान विधान सभा में, राजस्थान पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान सरकार के हाथ स्ट्रेंथन होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रिविलेज्ड डाकूमेंट हैं तो सरकार क्लेम करें और प्रिविलेज्ड डाकूमेंट नहीं हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्णय दें कि ये सब डाकूमेंट सदन की मेज पर रखे जायं ताकि बहस हो सके वरना बहस करने में कोई सार नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अर्जेंटली कोई सवाल आए और उसका उसी वक्त जवाब चाहा जाय तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। ....

(व्यवधान)

आप भी रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : From efficient administration it is expected offhand.

श्री शिवचरण माथुर : आप भी रहे हैं। आपने कितने जवाब दिये हैं ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय विपक्ष के .... .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं उनके बीच में बोलने खड़े हो गए।

(व्यवधान)

पहले मुख्य मंत्रीजी को बोलने दें। वे बोल रहे हैं, उनको बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने ....

श्री शिवचरण माथुर : आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : 1979 की बाढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रिपोर्ट दी ? उसकी कोई प्रतिलिपि तत्कालीन सरकार ने सदन के पटल पर नहीं रखी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस वक्त का विरोधी दल इतना मुर्दा था कि उसने प्रति की मांग नहीं की।

श्री परसराम मदेरणा : विरोधी दल मुर्दा था या वह सरकार मुर्दा थी। इसलिए वहां पर बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हुआ क्या, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं अभी अर्ज करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

आपके सामने सवाल आयेगा गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बहस का, उस टाइम पर आप बोल सकते हैं, उस समय अप्रोप्रियेट होगा ।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात का जिक्र गवर्नर के अभिभाषण में किया गया है उस बात के बारे में तथ्य नहीं दिलाये जायें तो बहस का अर्थ क्या होगा ?

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि आटोनॉमस बॉडी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मानी जाती है,उसके साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर वालों ने किराया बढ़ा दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाल खत्म हो गया ।

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां हुआ, जवाब ही नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है, आप विराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह कोई अर्थ नहीं हुआ, साहब । जवाब दिलायें उस बात का ।

श्री उपाध्यक्ष : जो सवाल, जो मुद्दा पहले उठाया गया, दुबारा उसको अनुमति नहीं दे सकता ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण), विधेयक, 1981
2. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1981
2. जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981
3. उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981
4. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981
5. राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी, विधेयक, 1981
6. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1981
7. राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री, राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1981 सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री यदुनाथसिंह : फांसी का फन्दा।

यह फांसी का फन्दा है, सदन की मेज पर नहीं रखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है, इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो अध्यादेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख रहे हैं, वह ऐसा काला कानून है.....

श्री उपाध्यक्ष : पहले रखने तो दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : ऐसा काला कानून नहीं रखा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले सदन की मेज पर रखने दें, बाद में बहस कीजिये।

अभी नहीं। आपको मौका खूब मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : यह मजदूरों के, राज्य कर्मचारियों के ऊपर, गले पर छुरी है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा काला कानून नहीं रखने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा।

(व्यवधान)

आपको मौका मिलेगा।

सदन की मेज पर रखे जाने के बाद आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : यह मजदूरों का गला घोंटना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री त्रिलोकसिंह : ×××

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री यदुनाथसिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप सदन की मर्यादा का ध्यान रखिये। अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अंकित हो या नहीं हो....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : ++का रवैया सामने है, ऐसा काला कानून नहीं रखा जाये....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री त्रिलोकसिंह : ×××

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नाम से सम्बोधित करता हूं। श्री त्रिलोकसिंह श्री मेघराज।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह हमारे अधिकारों की हत्या हो रही है। इस देश के लोकतन्त्र की हत्या हो रही है.....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये

××× माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह 1975 का इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। फिर से बेगुनाह लोगों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। लोगों के मुंह पर ताले लगायें जायें, उनको जो हड़ताल का अधिकार है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये अन्यथा मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

अंकित नहीं किया जाये। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण मायुर।

(व्यवधान)

अध्यादेश

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1982) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री त्रिलोक सिंह : ×××

यह महात्मा गांधी का देश है। जोर-जबरदस्ती नहीं चलने दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : यह मजदूरों +++ लोगों के साथ ज्यादती करके उनको जेलों में रख करके और उनके बोलने के अधिकार छीन करके....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री त्रिलोकसिंह : ×××

श्री यदुनाथसिंह : ×××

व्यवस्था का प्रश्न
अध्यादेश सदन पटल
पर रखने में विलम्ब

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यादेशों के संबंध में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिस दिन सत्र का आरम्भ हो उसी दिन जितने भी अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये हैं उनको सदन की मेज पर रखा जाय। 20 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी को अध्यादेश सदन की मेज पर रख देने चाहिये थे, जो उन्होंने नहीं रखें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको रखने की अनुमति न दें।

श्री छोगालाल बकोलिया : रख दिये हैं, साहब।

श्री यदुनाथसिंह : ऐसे नहीं रखे जाते।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपका नम्बर नहीं आया।

(व्यवधान)

××× माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

एक माननीय सदस्य: आप असंतुष्ट हैं।

श्री छोगालाल बकोलिया : असंतुष्ट आप हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आर्टिकल 213 का जो रेलेवेन्ट पोर्शन है, उसको पढ़कर सुनाता हूं-

An Ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor but every such Ordinance shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the houses, ands hall cease to operate at the expiration of six week from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that periods a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council;

इसमें कोई तारीख निर्धारित नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि जो आर्डिनेन्स जारी किये जावें, असेंबली शुरू होने के बाद विदिन सिक्स वीक्स में उनको पास किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पास किया जाय इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं—

"Shall be laid before the Legislative assembly......"

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य सचेतक जी जो व्यंग कर रहे हैं उसको आप नहीं समझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये मैं अनुमति देता हूं, रखने की। अध्यादेश रखे जायं।

श्री शिवचरण माथुर : वह रख दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अनुमति अब दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखने में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : नियमों के अन्तर्गत पाइन्ट आफ आर्डर है, यह हमारा राइट है, उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

अधिनियमों के परिशोधित पाठ

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिनियमों के परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) राजस्थान बन्दी अभियान अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का अधिनियम सं. 12) (शुद्धि पत्र सहित)।

(2) राजस्थान होमियोपैथिक

(श्री हजसुन्दर शर्मा)

चिकित्सा अधिनियम, 1969

उक्त अधिनियमों के परिशोधित पाठ गत सत्रों में सदन की मेज पर रखवाये गये थे परन्तु राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न होने के कारण इन्हें प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यादेश

श्री चेतराम मीणा : मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश सं. 9, सन् 1981) ;

(2) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन), अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश सं. 2 सन् 1982)।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको पाइन्ट आफ आर्डर सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में पाइन्ट आफ आर्डर हो ही नहीं सकता।

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री पंचायत राज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश सं. 11 सन् 1981) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह क्या मजाक हो रहा है ? पाइन्ट आफ आर्डर सुन लीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक आदमी बोल सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अण्डर रूल 64 कम से कम सुन लीजिये, 64 में स्पष्ट आया है कि ऐसे किसी आर्डिनेंस को रखने का विरोध किया जाय उसमें कम से कम इस हाउस की भावना का ख्याल जरूर रखें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जिस समय कन्सीडरेशन में आयेगा तब।

श्री नाथूसिंह : आर्डिनेंस रखे जाते हैं उस समय हाउस की भावना को सुनना चाहिये। जो कर्मचारियों पर तलवार लटकाने वाले आर्डिनेन्स जारी कर रहे हैं और जो कर्मचारियों के हितों की बात है उसको हाउस में कब रखने जायेंगे उसके लिये सरकार ने पूछा तक नहीं न वेरी कमीशन की रिपोर्ट . .

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर बताइये न ?

श्री नाथूसिंह : मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है कि जिसके लिये कर्मचारी धमकियां दे रहे हैं उसको तो रखेंगे नहीं और जो कर्मचारियों पर तलवार चलाई जाती है . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर हो तो कहिये।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन यह है कि हाउस की भावना का ख्याल रखें। कर्मचारियों के हितों में यह आर्डिनेन्स नहीं है और जनता के हितों के विपरीत है इसलिये इनको नहीं रखा जा सकता। आप अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : No point of order.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा व्यवस्था

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का प्रश्न यह है कि अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश पेश कर रहे हैं, वह नहीं किया जा सकता क्योंकि जो चार्ज लगाये हैं, सी. आर. पी. सी. के उपवन्धों के रहते हुए लगाये गये हैं, मैं आपको धारा....

(व्यवधान)

436, 437, 438 जो भारत सरकार के कानून की हैं, उनमें जब तक अमेण्डमेंट न हो, तब तक इनको वाई पास करने का कोई अधिकार नहीं होता। जब तक इसमें स्टेट अमेण्डमेंट नहीं होता है, 381 के अन्तर्गत यह पावर है कि वह एन्टीसिपेटेड बेल ले सकता है परन्तु इसमें यह पावर दी गई है कि ऐसी एन्टीसिपेटेड बेल के रहते हुए भी किसी भी कर्मचारी को राज्य सरकार गिरफ्तार कर सकती है जबकि सी. आर. पी. सी. में ऐसा स्टेट अमेण्डमेंट नहीं किया गया है। उसमें अमेण्डमेंट न हो तब तक यह प्रावधान नहीं किया जा सकता है ....

श्री उपाध्यक्ष : आप इस मामले में चिन्ता क्यों करते हैं ? कानून का कन्ट्रावेन्शन होगा तो अपने आप रद्द हो जायेगा। आपको फिक्र क्यों है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ..दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा, विधान सभा को आहूत करने के बाद इस अध्यादेश को जारी किया गया है। इस बीच में कोई स्थिति ऐसी नहीं थी, न हड़ताल का नोटिस मिला हुआ था। इसलिये मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को सदन की मेज पर रखने की अनुमति न दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी आपत्ति निरस्त की गई।

अधिनियमों के परिशोधित पाठ

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं,

(1) राजस्थान वन्दी अभियान अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का अधिनियम संख्या 12) (शुद्धि पत्र सहित) व

(2) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 को सदन की मेज पर रखता हूं।

उक्त अधिनियमों के परिशोधित पाठ गत सत्र में सदन की मेज पर रखवाये गये थे परन्तु राजस्थान राजभाषा अनुपूरक उपबन्ध, अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचनाएं सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के संकलन की ओर दिलाना चाहता हूं। पेज नम्बर 279, नम्बर 5 पर आप देखें।

शासकीय अधिसूचनायें प्रकाशित होने पर यथाशीघ्र सदन की मेज पर रखी जायें :

श्री हरीश चन्द्र यातायात मंत्री, होम "बी" विभाग की अधिसूचना, जो 10 जुलाई,

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

1961 को प्रकाशित हो चुकी थी, सदन की मेज पर रख रहे थे तो श्री भैरोंसिंह ने आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने के बाद विधान सभा के दो अधिवेशन हो चुके हैं और तीसरे को भी आरम्भ हुए एक महीना हो गया, फिर इतने विलम्ब से इन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने के क्या कारण है जबकि नियमानुसार अधिसूचना के प्रकाशित होने के तुरन्त पश्चात् जो अधिवेशन हो, उसमें प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं।

इस प्रश्न पर कुछ वाद-विवाद के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कहा :

मैं आपसे निवेदन करूंगा—माननीय मंत्री महोदय से कि इस विषय के अन्दर और भी विशेष तौर से ध्यान रखें। अधिसूचनायें जारी 10 जुलाई, 1961 को हो गई तो कोई कारण नहीं हो सकता जिसकी वजह से यह सदन में न लायें। आइन्दा पूरा ध्यान रखें कि इस तरह की बात न हो। बगैर कारण से विलम्ब होना उचित नहीं है।

यह जो कार्य सूची हमको दी गई है, जो, अधिसूचनायें माननीय जयकृष्ण जी सदन की मेज पर रख रहे हैं उनमें अधिसूचना संख्या प. 5 (2) गृह।81, दिनांक 24, जनवरी, 1981 है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय 24 जनवरी, 1981 के बाद 30 फरवरी, 1981 से 3 अप्रेल, 1981 तक एक सत्र हो चुका है। उसके बाद 14 सितम्बर, 1981 से 25 सितम्बर, 1981 तक दूसरा सत्र नौ दिन का हो चुका है, जिसमें आपने ये अधिसूचना प्रस्तुत नहीं कीं अब यह तीसरा सत्र चल रहा है और उसको प्रारम्भ हुए यह दूसरा दिन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री महोदय को ताड़ना दें 24 जनवरी, 1981 की यह अधिसूचना आज रखने का क्या कारण है? इसी प्रकार आप देखेंगे, 2 अप्रेल, 1981, 24 मार्च, 1981, यह तीन अधिसूचनायें हैं, जिनको रखने में दो-दो सत्र निकल गये हैं। इसलिये आप इनको विलम्ब से रखने के लिये माननीय मंत्री महोदय को ताड़ना दें। यह मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको सूचित करता हूं कि मुझे इत्तला मिल गई है। पहले सत्र में ही यह रख दी गई थी और इनकी बारी नहीं आई थी। उसके बाद में जो नई आयी हैं वे नहीं रखी गई थीं। यह पहले सत्र में आ चुकी थीं। इनकी बारी नहीं आने से इनको उस सत्र में नहीं रखा जा सकता था। इसलिये यह उचित नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, 71, 72 व 74 यह जो अधिसूचनायें हैं यह पहले नहीं रखी गई हैं। पहले 1 से 69 तक रखी गई। आप इसका मुलाहिजा करें। मैं जो कोट कर रहा हूं 71, 72 व 74 इस सदन में पहली बार रखी जा रही हैं। आप इनको ताड़ना दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह अधिसूचनायें समय पर रखी जानी चाहिये थीं, यह नहीं रखी गयीं, यह गलत है। ऐसी भी परम्परा रही है कि इस सदन में 5-6 साल बाद अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी गई; जनता रूल में इस तरह अधिसूचनायें रखी गई हैं और इसके पहले भी रखी जाती थीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

महोदय, जनता रूल में एक बार इस तरह का प्रश्न उठा था। उसके बाद हम जाग्रत हो गये और समय पर अधिसूचनायें रखी गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को अर्ज करना चाहता हूं कि आइन्दा ऐसी गलती न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्वस्थ परम्परा डाली जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर स्वस्थ परम्परा डाली जानी चाहिये...

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था देने के बाद आपको क्या ऐतराज है ? श्री जयकृष्ण शर्मा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र, अधिसूचनाएं

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री यातायात) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या प. 5 (51) गृह-7180, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980

(2) अधिसूचना संख्या प. 5 (33) गृह-71-80, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
(3) अधिसूचना संख्या प. 5(114) गृह-7180, दिनांक 6 नवम्बर, 1980
(4) अधिसूचना संख्या प. 5 (38) गृह-7180, दिनांक 13 नवम्बर, 1980
(5) अधिसूचना संख्या प. 5 (53) गृह-7180 दिनांक 27 अक्टूबर, 1980
(6) अधिसूचना संख्या प. 5 (57) गृह 7-80, दिनांक 1 नवम्बर, 1980
(7) अधिसूचना संख्या प. 5 (112) गृह-7180, दिनांक 25 नवम्बर, 1980
(8) अधिसूचना संख्या प. 5 (64) गृह 7180, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
(9) अधिसूचना संख्या प. 5 (63) गृह-7180, दिनांक 25127 अक्टूबर, 1980
(10) अधिसूचना संख्या प. 5 (113) गृह-7180, दिनांक 6 नवम्बर, 1980
(11) अधिसूचना संख्या प. 5 (109) गृह-7180, दिनांक 11 नवम्बर, 1980
(12) अधिसूचना संख्या प. 5 (80) गृह-7180, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980
(13) अधिसूचना संख्या प. 5(111) गृह-7180 दिनांक 5 नवम्बर, 1980
(14) अधिसूचना संख्या प. 5 (44) गृह-7180 दिनांक 16 अक्टूबर, 1980
(15) अधिसूचना संख्या प. 5 (60) गृह-7180 दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
(16) अधिसूचना संख्या प. 5 (110) गृह-7180 दिनांक, 5 नवम्बर, 1980
(17) अधिसूचना संख्या प. 5 (52) गृह-7180, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980
(18) अधिसूचना संख्या प. 5 (106) गृह-7180 दिनांक 30 अक्टूबर, 1980
(19) अधिसूचना संख्या प. 5 (98) गृह-7180, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
(20) अधिसूचना संख्या प. 5 (35) गृह-7180, दिनांक 23124 अक्टूबर, 1980
(21) अधिसूचना संख्या प. 5 (43) गृह-7180 दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
(22) अधिसूचना संख्या प. 5(46) गृह-7180, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(23) अधिसूचना संख्या प. 5 (47) गृह-7180, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980

(24) अधिसूचना संख्या प. 5 (56) गृह-7180, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980

(25) अधिसूचना संख्या प. 5 (58) गृह-7180, दिनांक 1 नवम्बर, 1980

(26) अधिसूचना संख्या प. 5 (77) गृह-7180, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980

(27) अधिसूचना संख्या प. (59) गृह-7180, दिनांक 29 नवम्बर, 1980

(28) अधिसूचना संख्या प. 5 (107) गृह-7180, दिनांक 30 अक्टूबर, 1980

(29) अधिसूचना संख्या प. 5 (26) गृह-7180 दिनांक 3 अक्टूबर, 1980

(30) अधिसूचना संख्या प. 5 (109) गृह-7180, दिनांक 31 अक्टूबर, 1980

(31) अधिसूचना संख्या प. 5 (146) गृह-7180 दिनांक 2 दिसम्बर, 1980

(32) अधिसूचना संख्या प. 5 (49) गृह-7180 दिनांक 24 अक्टूबर, 1980

(33) अधिसूचना संख्या प. 5 (93) गृह-7180, दिनांक 3 नवम्बर, 1980

(34) अधिसूचना संख्या प. 5 (28) गृह-7180, दिनांक 3 नवम्बर, 1980

(35) अधिसूचना संख्या प. 5 (73) गृह-7180, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980

(36) अधिसूचना संख्या प. 5 (61) गृह-7180, दिनांक 25 अक्टूबर, 1980

(37) अधिसूचना संख्या प. 5 (28) गृह-7180 दिनांक 27 अक्टूबर, 1980

(38) अधिसूचना संख्या प. 5 (88) गृह-7180 दिनांक 28 अक्टूबर, 1980

(39) अधिसूचना संख्या प. 5 (37) गृह-7180 दिनांक 31 अक्टूबर, 1980

(40) अधिसूचना संख्या प. 5 (78) गृह-7180 दिनांक 1 नवम्बर, 1980

(41) अधिसूचना संख्या प. 5 (34) गृह-7180 दिनांक निल

(42) अधिसूचना संख्या प. 5 (46) गृह-7180 दिनांक 23|24 अक्टूबर, 1980

(43) अधिसूचना संख्या प. 5 (25) गृह-7180 दिनांक 13 अक्टूबर, 1980

(44) अधिसूचना संख्या प. 5 (92) गृह-7180 दिनांक 3 नवम्बर, 1980

(45) अधिसूचना संख्या प. 5 (141) गृह-7180 दिनांक 26 नवम्बर, 1980

(46) अधिसूचना संख्या प. 5 (79) गृह-7180 दिनांक 1 नवम्बर, 1980

(47) अधिसूचना संख्या प. 5 (151) गृह-7180 दिनांक 29|30 दिसम्बर, 1980

(48) अधिसूचना संख्या प. 5 (104) गृह-7180 दिनांक 3 नवम्बर, 1980

(49) अधिसूचना संख्या प. 5 (89) गृह-7180 दिनांक 3 नवम्बर, 1980

(50) अधिसूचना संख्या प. 5 (97) गृह-7180 दिनांक 31 अक्टूबर, 1980

(51) अधिसूचना संख्या प. 5 (65) गृह-7180 दिनांक 27 अक्टूबर, 1980

(52) अधिसूचना संख्या प. 5 (148) गृह-7180 दिनांक 20 दिसम्बर, 1980

(53) अधिसूचना संख्या प. 5 (82) गृह-7180 दिनांक 3 नवम्बर, 1980

(54) अधिसूचना संख्या प. 5 (21) गृह-7180 दिनांक 15|16 सितम्बर, 1980

(55) अधि सूचना संख्या प. (5) (108) गृह-7180 दिनांक 1 नवम्बर, 1980

(56) अधिसूचना संख्या प. 5 (50) गृह-7180 दिनांक 27 अक्टूबर, 1980

(57) अधिसूचना संख्या प. 5 (55) गृह-7180 दिनांक 27 अक्टूबर, 1980

(58) अधिसूचना संख्या प. 5 (99) गृह-7180 दिनांक 31 अक्टूबर, 1980

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(59) अधिसूचना संख्या प. 5 (90) गृह-7180, दिनांक 3 नवम्बर, 1980
(60) अधिसूचना संख्या प. 5 (27) गृह-7180, दिनांक 23 अक्टूबर, 1980
(61) अधिसूचना संख्या प. 5 (96) गृह-7180, दिनांक 30 अक्टूबर 1980
(62) अधिसूचना संख्या प. 5(76) गृह-7180, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
(63) अधिसूचना संख्या प. 5 (41) गृह-7180, दिनांक 9113 अक्टूबर, 1980
(64) अधिसूचना संख्या प. 5 (81) गृह-7180, दिनांक 3 नवम्बर,
(65) अधिसूचना संख्या प. 5 (62) गृह-7180, दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
(66) अधिसूचना संख्या प. 5 (48) गृह-7180 दिनांक 24 अक्टूबर, 1980
(67) अधिसूचना संख्या प. 5 (143) गृह-7180, दिनांक 28 नवम्बर, 1980
(68) अधिसूचना संख्या प. 5 (54) गृह-7180, दिनांक 1 नवम्बर, 1980
(69) अधिसूचना संख्या प. 5 (13) गृह-7180, दिनांक 22 अगस्त, 1980

ये अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गई थीं, परन्तु राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

(70) अधिसूचना संख्या प. 5 (24) गृह-7181, दिनांक 15 सितम्बर 1981.
(71) अधिसूचना संख्या प. 5 (2) गृह-7181, दिनांक 24 जनवरी, 1981.
(72) अधिसूचना संख्या प. 5 (11) गृह-7181, दिनांक 2 अप्रेल, 1981.
(73) अधिसूचना संख्या प. 5 (22) गृह-7181, दिनांक 10 सितम्बर, 1981.
(74) अधिसूचना संख्या प. 5 (11) गृह-7181, दिनांक 25 मार्च, 1981.
(75) अधिसूचना संख्या प. 5 (23) गृह-7181, दिनांक 15 सितम्बर, 1981.
(76) अधिसूचना संख्या प. 5 (28) गृह-7181, दिनांक 26 सितम्बर, 1981.
(77) अधिसूचना संख्या प. 5 (41) गृह-7181, दिनांक 30 सितम्बर, 1981.
(78) अधिसूचना संख्या प. 5 (36) गृह-7181, दिनांक 1 अक्टूबर, 1981.
(79) अधिसूचना संख्या प. 5 (39) गृह-7181, दिनांक 5 अक्टूबर, 1981.
(80) अधिसूचना संख्या प. 5 (32) गृह-7181, दिनांक 30 सितम्बर, 1981.
(81) अधिसूचना संख्या प. 5 (29) गृह-7181, दिनांक 3 अक्टूबर, 1981
(82) अधिसूचना संख्या प. 5 (35) गृह-7181, दिनांक 5 अक्टूबर, 1981.
(83) अधिसूचना संख्या प. 5 (38) गृह-7181, दिनांक 5 अक्टूबर, 1981
(84) अधिसूचना संख्या प. 5 (80) गृह-7181, दिनांक 1 दिसम्बर, 1981.
(85) अधिसूचना संख्या प. 5 (81) गृह-7181, दिनांक 17 दिसम्बर, 1981.
(86) अधिसूचना संख्या प. 5 (82) गृह-7181, दिनांक 16 दिसम्बर, 1981.
(87) अधिसूचना संख्या प. 5 (83) गृह-7181, दिनांक 16 दिसम्बर, 1981.
(88) अधिसूचना संख्या प. 5 (85) गृह-7181, दिनांक 16 दिसम्बर, 1981.

(61)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(89) अधिसूचना संख्या प. 5 (86) गृह-7181, दिनांक 16 दिसम्बर, 1981.
(90) अधिसूचना संख्या प. 5 (87) गृह-7181, दिनांक 21 दिसम्बर, 1981.
(91) अधिसूचना संख्या प. 5 (88) गृह-7181, दिनांक 21 दिसम्बर, 1981.
(92) अधिसूचना संख्या प. 5 (91) गृह-2181, दिनांक 5 जनवरी, 1982.
(93) अधिसूचना संख्या प. 5 (89) गृह-7181, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981.
(94) अधिसूचना संख्या प. 5 (92) गृह-7181, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981.
(95) अधिसूचना संख्या प. 5 (93) गृह-7181, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981.
(96) अधिसूचना संख्या प. 5 (90) गृह-7181, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981.
(97) अधिसूचना संख्या प. 5 (62) गृह-7181, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981.
(98) अधिसूचना संख्या प. 5 (59) गृह-7181, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981.
(99) अधिसूचना संख्या प. 5 (8) गृह-7182, दिनांक 16 जनवरी, 1982.
(100) अधिसूचना संख्या प. 5 (1) गृह-7182, दिनांक 15 जनवरी, 1982.
(101) अधिसूचना संख्या प. 5 (61) गृह-7182, दिनांक 24 अक्टूबर, 1982.
(102) अधिसूचना संख्या प. 5 (71) गृह-781, दिनांक 4 नवम्बर, 1981.
(103) अधिसूचना संख्या प. 5 (60) गृह-7181, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981.
(104) अधिसूचना संख्या प. 5 (52) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(105) अधिसूचना संख्या प. 5 (48) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(106) अधिसूचना संख्या प. 5 (50) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(107) अधिसूचना संख्या प. 5 (46) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(108) अधिसूचना संख्या प. 5 (44) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(109) अधिसूचना संख्या प. 5 (49) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(110) अधिसूचना संख्या प. 5 (3) गृह-7182, दिनांक 22 जनवरी, 1982.
(111) अधिसूचना संख्या प. 5 (4) गृह-7182, दिनांक 21 जनवरी, 1982.
(112) अधिसूचना संख्या प. 5 (64) गृह-7181, दिनांक 2 नवम्बर, 1981.
(113) अधिसूचना संख्या प. 5 (93) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(114) अधिसूचना संख्या प. 5 (65) गृह-7181, दिनांक 2 नवम्बर, 1981.
(115) अधिसूचना संख्या प. 5 (40) गृह 7181, दिनांक 12 अक्टूबर, 1981.
(116) अधिसूचना संख्या प. 5 (63) गृह 7131, दिनांक 4 नवम्बर, 1981.
(117) अधिसूचना संख्या प. 5 (47) गृह 7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(118) अधिसूचना संख्या प. 5 (47) गृह-7181, दिनांक 17 अक्टूबर, 1981.
(119) अधिसूचना संख्या प. 5 (72) गृह-7181, दिनांक 4 नवम्बर, 1981.
(120) अधिसूचना संख्या प. 5 (53) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(121) अधिसूचना संख्या प. 5 (66) गृह-7181, दिनांक 2 नवम्बर, 1981.
(122) अधिसूचना संख्या प. 5 (54) गृह-7181, दिनांक 14115 अक्टूबर, 1981.
(123) अधिसूचना संख्या प. 5 (57) गृह-7181, दिनांक 17 अक्टूबर, 1981.

(62)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(124) अधिसूचना संख्या प. 5 (79) गृह-7/81, दिनांक 28 नवम्बर, 1981.

(125) अधिसूचना संख्या प. 5 (6) गृह-7/82, दिनांक 4 फरवरी, 1982.

(126) अधिसूचना संख्या प. 5 (27) गृह-7/81, दिनांक 28 नवम्बर, 1981.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (निर्वाचन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निर्वाचन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

1. अधिसूचना संख्या एफ., (1) (5) पी/इलेक्शन/79/3859, दिनांक 12 नवम्बर 1981
2. अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (2) पी/इलेक्शन/79/4289, दिनांक 26 नवम्बर, 1981
3. अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (2) पी/इलेक्शन/79/4897, दिनांक 9 दिसम्बर, 1981
4. अधिसूचना संख्या एफ 1 (1) (3) पी/इलेक/79/4898, दिनांक 9 दिसम्बर, 1981
5. अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (4) पी/इलेक/79/4899, दिनांक 9 दिसम्बर, 1981
6. अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (5) पी/इलेक/79/4956, दिनांक 12 दिसम्बर, 1981
7. अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (1) पी/इलेक/76/3616, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास एवं पंचायत): उपाध्यक्ष महोदय मैं सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं—

1. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे. (1) पी. टी./ए. आर/80/372, दिनांक 31 दिसम्बर, 1980
2. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल जे/पी. टी/ए. आर/6/72/373, दिनांक 31 दिसम्बर, 1980
3. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (1) एल.जे./ए.आर./सी. डी. पी/81/56, दिनांक 30 जनवरी, 1981
4. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) एल. जे./ए.आर./सी. डी. पी/81/71 दिनांक, 3 फरवरी, 1981

(श्री शीशराम ओला)

ये अधिसूचनायें गत सत्र में सदन की मेज पर रखी गयी थीं परन्तु राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 79 की उप-धारा (2) एवं राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 89 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखी गई हैं।

प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग) : मैं राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत:—

(1) राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1976-77 से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1977-78 से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(3) राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1978-79 से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(4) राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1979-80 से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन।

व कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. का वर्ष 1980 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 1977-78 के लेखाओं पर संपरीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य

वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री पंचायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कारण बतायें कि किन कारणों से आप वापस लेना चाहते हैं।

श्री शीशराम ओला : यह तो बीस तारीख को ही रख दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि 20 तारीख को आपने जो रखे थे और बताये थे उनको हम भूले नहीं है।

श्री शीशराम ओला : इसमें कारण बताने की जरूरत ही नहीं है। रिडन्डेंट करके नया विधेयक आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों आवश्यकता नहीं है, सवाल सीधा-सा है कि इन्होंने बिल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
इन्ट्रोड्यूस किया और आज उसको वापस ले रहे हैं। बिल इन्ट्रोड्यूज किया तो गजट में छपा और फिर विधान सभा में आया और मैम्बर्स को मिला उस पर मैम्बर्स के भाषण हुए। यह सब हुआ उसके बाद में आप वापस ले रहे हैं तो कारण बतायें कि वापस क्यों ले रहे हैं ?

श्री शीशराम श्रोला : अब इसकी आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि दूसरा बिल आ रहा है कम्पलीट।

एक माननीय सदस्य : जब इसकी आवश्यकता ही नहीं थी तो फिर लाये ही क्यों थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके कारण से आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री यदुनाथसिंह : अगर ऐसी बात थी तो आपको फिर पूरा कानून लाने के बाद ही इसको वापस लेना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कानून, विधान तथा सदन की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझते हैं इसलिये कम से कम कारण तो बताये जाने ही चाहियें कि इसको वापस क्यों लिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : अब वह कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं रही है इसलिये इसको वापस ले रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेन्स को रखने के बाद पुनः यह जो आर्डिनेन्स बिल के द्वारा सब्स्टीट्यूट किया गया है उसको कन्सोलिडेट रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है इस सदन में। पहले वाला जो बिल प्रस्तुत किया गया था उसमें अमेण्डमेंट हो गया है इसलिये अब इसकी आवश्यकता नहीं रही है इसलिये इसको वापस लिया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात वह भी तो कह सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष : "प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय"

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री शीशराम श्रोला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को वापस लेता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पुनः स्थापित करने के प्रस्ताव पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री, राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुमति चाहता हूं कि इसको प्रस्तुत करने से पहले इस पर बहस करने का मौका दिया जाय। यह जो इस प्रकार का कानून है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : नियम कौनसा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नियम 64 है। "यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जावे तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यदि उपाध्यक्ष महोदय ठीक समझें तो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बीच में न बोलें।

"प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेत्तर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जावे कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सदन की विधायिनी क्षमता से परे हैं, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

श्री उपाध्यक्ष : नियम कौनसा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 64।

श्री उपाध्यक्ष : परन्तु यदि अध्यक्ष ठीक समझें, तो अनुज्ञा दे सकते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप कैसे कह सकते हैं कि वे इसको ठीक नहीं समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 64 बताया आपने।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री भैरूंसिह गूर्जर : अब आप पेज नम्बर भी बतायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पेज नम्बर 24। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय जो विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं उसका विरोध मैं इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर ही कर रहा हूं। एक ऐसा काला कानून....

(व्यवधान)

मैंने अनुमति मांगी, और आपने अनुमति दे दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने अनुमति नहीं दी है।

श्री भैरूंसिह गूर्जर : अभी उपाध्यक्ष महोदय ने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो पाइन्ट आफ आर्डर है ना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां। 64 के अन्तर्गत आपसे अनुमति चाही है, इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर....

श्री उपाध्यक्ष : आप अनुमति चाहते हैं ना, तो अभी हमें फैसला करने दीजिये...

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आप पहले फैसला सुनें।

श्री भैरूंसिह गूर्जर : आप विराजें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विराज जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आम तौर पर जो परम्परायें रही हैं उनके खिलाफ आप यह कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह कानून भी तो आप देश की परम्पराओं के खिलाफ में ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी आपको मैं दो मिनट का समय दे रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा काला कानून मुख्य मंत्री महोदय इस विधान सभा में ला रहे हैं, यह न केवल काला है बल्कि प्रजातन्त्र की नींव पर हमला करने वाला है। जिस प्रकार का यह कानून बनाया है इसमें स्थिति ऐसी है कि एक्जिक्यूटिव को इतनी पावर दी जाय कि एक्जीक्यूटिव सिम्पल नोटिफिकेशन के आधार पर कुछ भी करने की दृष्टि से समर्थ हो जायें। यह अखबार में छप गया कि भाषण करने गये किसी सभा में तो उसके आधार पर कोई भी पुलिस आफिसर आकर के मुझे गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में लिखा गया है any Police officer कोई एक पुलिस आफिसर नहीं, any police officer आप सोचें कि आप एक्जीक्यूटिव को कौनसा अधिकार दे रहे हैं। आप उसके हाथ में क्या अधिकार दे रहे हैं ? एक पुलिस ऑफिसर आये और आने के बाद कह दें कि आपके भाषण से सुरक्षा भंग हो रही है, कठिनाई आ रही है, आपने लोगों को उत्तेजित कर दिया है इसलिये हम आपको हथकड़ी लगा रहे हैं। इस काले कानून में ऐसा अधिकार आप एक्जीक्यूटिव को देने जा रहे हैं।

फिर बड़े भाई तो बड़े भाई छोटे भाई सुभान अल्ला। केन्द्र ने तो केवल 16 सेवाओं को ही इसके अन्तर्गत लिया है, 16 को इसके अन्तर्गत लेने पर ही इसका विरोध लोक सभा, राज्य सभा और पूरे हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान की जनता जनार्दन के द्वारा हुआ है, उससे आप परिचित हैं। उन्होंने तो केवल 16 सेवाओं को ही इसमें लिया था, पर हमारी राज्य सरकार तो कहती है कि किसी भी विषय, किसी भी सेवा के बारे में राजस्थान विधान सभा कानून बना सकती है और प्रत्येक के लिये वह अधिकृत है, सिम्पल नोटिफिकेशन के आधार पर ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो मानना ही पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट, सरकार से उम्मीद रखें कि वह इसका गलत इस्तेमाल न करें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : जैसे किया नहीं है, क्या गलत इस्तेमाल पहले कभी।

(व्यवधान)

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लेकिन पहले मैं कम्पलीट कर लूं....

श्री उपाध्यक्ष : No talk please.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्होंने केवल 16 सेवायें रखीं, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने....

श्री चन्दन मल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया, प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 64 के अन्तर्गत। नियम 64 के प्रोविजो में है कोई इन्ट्रोडक्शन की स्टेज

(67)

(श्री चम्पनमल बैद)

पर विरोध या लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो बिना सदन की अनुमति के नहीं कर सकते हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह : आसन ने अनुमति दी है ।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर, एक्सप्लेन करने के लिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसीलियें, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने तो 16 सेवायें रखीं, लेकिन यहां तो काला...

श्री उपाध्यक्ष : जब बिल सामने आ जायेगा डिस्कशन के लिये, उस वक्त आप कहें जो कुछ आपको कहना है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार की संभावना अपने मन की प्रकट की है कि राजस्थान की सरकार उसका प्रयोग नहीं करेगी, किन्तु एक्जीक्यूटिव सामान्य नोटिफिकेशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है । इस प्रकार का काला अधिकार, बड़ा अधिकार, जिस अधिकार के पीछे विशेष स्थिति नहीं है, देने जा रहे हैं । बहुत अच्छा होता यदि कोई विशिष्ट स्थिति पैदा होती, किसी सेवा की चर्चा माननीय मुख्य मंत्री करते, कारण बताते या लेजिस्लेशन में वह बात आती । 'सिंपल नोटिफिकेशन हो जायेगा' में कुछ सरकार की गुडविल का प्रश्न है । एक्जीक्यूटिव को अधिकार दे रहे हैं इस आशंका से कि कहीं शांति भंग हो रही है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह काला कानून न केवल विधान सभा सदस्यों के लिये बल्कि राजस्थान की जनता के लिये बहुत बड़ा हथियार होगा जो उनकी सब प्रकार की शक्तियों को समाप्त करने वाला होगा ।

श्री त्रिलोक सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का अधिकार है, हम उनकी पार्टी के नहीं है, हम अपनी पार्टी के हैं, हम बोलेंगे । हमारा मजदूरों से, मजदूरों की जिन्दगी से ताल्लुक है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री त्रिलोक सिंह : यह सदन किसी पार्टी की जागीर नहीं । यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है । यह काला कानून, लोकतन्त्र की हत्या करने वाला है, यह हमारे आधारभूत अधिकारों का हनन करने वाला है, हम इसको पेश नहीं करने देंगे । यह महा कलंक है ।

श्री यदुनाथ सिंह : हर स्तर पर इसका विरोध किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री यदुनाथ सिंह : ××× ●

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये । मुख्य मंत्रीजी कुछ कहेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह : मुख्य मंत्री जी बाद में कहेंगे । वह भी सदन के सदस्य हैं । उनकी भी तौहीन हुई है । आपने यह कैसे कह दिया कि अखबारों में छपवाने के लिये माननीय सदस्य बोलते हैं । अपने शब्द वापिस लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने समझने में गलती

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)
की है। मैंने तो एक ऐसी बात कही थी कि जो बात आप कहना चाहते हैं वह कह चुके हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : इस बात से क्या ताल्लुक ? यह तो हमारा अधिकार है।

श्री गोपाल पचेरवाल : इस कानून का सारे देश में विरोध हो रहा है। मजदूर और राज्य कर्मचारी की जबान पर ताला है। कोई बोल नहीं सकता है। ऐसा कानून बनाकर, पुलिस के हाथ में अधिकार देकर, लोक सभा और विधान सभा में यह पेश करके लोकतन्त्र की हत्या करना चाहते हैं। अपनी पार्टी की तरफ से ऐसे कानून की खिलाफत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस सदन के माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठते हैं, से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जो कुछ भी आपके सामने लाती है, उसका विरोध करने का संविधान में और कानून में आपको पूरा अधिकार है, आप विरोध कीजिये, लेकिन सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का, मैं समझता हूं, किसी को अधिकार नहीं है। इस माननीय सदन के नियम हैं, कानून हैं, उनके अन्तर्गत कोई भी, कहीं भी प्रश्न उठे उसका जवाब सरकार से आप मांग सकते हैं, उसके लिये आप स्वतन्त्र हैं। लेकिन बिना किसी नियम को कोट किये, मिसाल आपके सामने उपस्थित है, आप अपने अधिकार की बात कहें, यह उचित है, अनुचित है आप सोच लें। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार प्रक्रिया आप तय करें कि सदन की कार्यवाही चले। सरकार जो कुछ भी यहां लाये, उसका आप विरोध करें, उसको अपोज करें, उसका हम जवाब दें, और फिर जो फैसला हो, नियमानुसार हो। यह सदन सुप्रीम है, सर्वोच्च है। अपनी अंतिम छाप यहां के निर्णयों पर लगाता है, मैं बहुत अदब से आप से निवेदन करूंगा इस संबंध में कि बाहर बैठ जाइये और इसका तरीका निकाल लीजिये। इसकी कुछ परम्परायें हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ से कहीं पर भी आपकी बात को नहीं सुनने का कोई दुराग्रह नहीं है। हम सुनना चाहते हैं, विरोध की बात को सुनना चाहते हैं लेकिन जो सरकार में बैठते हैं उनकी भी मजबूरियां होती हैं, उनके कारण कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और उनको स्वीकृति लेने सदन के सामने आना पड़ता है।

अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल्स आफ प्रोसीजर के रूल 64 का हवाला देकर के कुछ बातें कहीं। रूल 64 का प्रोविजो बिलकुल साफ है, इस बात को वह कहता है कि जो बिल यहां इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस पर स्पीकर की अनुमति से पूर्ण डिस्कशन की डिमांड की बात आ सकती है। मैं समझता हूं यह प्रश्न आपने उठाया नहीं। माननीय सदन इस बिल को लेने के लिये या पारित करने के लिये काम्पीटेन्ट है या नहीं, इसके बारे में आपने कोई एतराज नहीं किया। अगर करें और चेयर संतुष्ट हो जाये तो उसके ऊपर डिस्कशन के लिय अलाउ कर सकते हैं। लेकिन केवल इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोधी स्टेटमेंट दें, परम्परा में ऐसा आज तक नहीं हुआ। हमेशा पहले इन्ट्रोडक्शन

(श्री शिवचरण माथुर)
हो जाता है और फिर जब बहस का मौका मिलता है उस वक्त आप विरोध कीजिये जैसा हमेशा आप करते आये हैं। मैं भी काफी अर्से से यहां बैठता हूं, इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध की परम्परा नहीं देखी। यदि इसके लेजिस्लेटिव काम्पीटेन्ट के बारे में एतराज हो और स्पीकर साहब या चेयर संतुष्ट हो जाये तो फुल डिस्कशन की बात समझ में आती है। मैं समझता हूं यह सदन इस बिल को पास करने के लिये काम्पीटेन्ट है। यह इन्ट्रोडक्शन की सिंपल स्टेज है, हमेशा इन्ट्रोडक्शन होता है, उसके बाद बहस का मौका मिलता है, बहस होती है उस समय आप खूब विरोध करियें, हम इसका उत्तर देंगे। मैं यह मानता हूं किन हालात में इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी? सरकार के सामने कैसी परिस्थितियां प्रदेश में थीं, यह उस समय हम निवेदन करेंगे। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रक्रिया तय करली जाय, कानून के अन्दर जो है वह तो है ही, बैठकर तय कर लें तो अत्युत्तम होगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो रिफ्लेक्शन किया है मैं उसका विरोध करता हूं। 64 में आपने अनुमति दी, मैंने संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

श्री परसराम मदेरणा : आपका पाइन्ट आफ आर्डर था, दो मिनट में एक्सप्लेन कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक्सप्लेन कर दया। मैं हाउस की राय ले लेता हूं। आपने काम्पीटेन्स का सवाल नहीं उठाया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर उठाया, आपने अनुमति दी, मैंने दो मिनट का संक्षिप्त वक्तव्य दिया। क्षमा करें, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि बाहर बैठकर प्रक्रिया तय कर ली जाय जिससे सदन का समय नष्ट नहीं हो। मैं भी सदन का सदस्य हूं, रूल्स जानकारी मुझे भी है, केवल मात्र 64 के अन्तर्गत आपने अनुमति दी, मैंने संक्षिप्त वक्तव्य दिया। उस विषय को लेकर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कोट कर दिया, उसके प्रति मेरा विरोध है। मैं कहना चाहता हूं, संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए, नियमों के अन्तर्गत, जो कानून बने हुए हैं उनके अन्तर्गत, 64 के अन्तर्गत आपने मुझे अनुमति दी, मैंने दो मिनट का संक्षिप्त वक्तव्य दिया। उसके आप क्वेश्चन पुट अप करते।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये?

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा पूछ लेता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 198 को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय,

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन क्लेम करते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री उपाध्यक्ष : जो इसके पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जांय।

(माननीय सदस्य खड़े हुए)

(मत विभाजन घटी)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमको खड़ा भी कर दिया, और घण्टी भी बजा दी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने काम ही ऐसा किया है, बार-बार खड़ा होना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों वे हां पक्ष में चले जांय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार और इस प्रश्न को हाउस के सामने रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण संशोधन विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ?

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष वाले, हां लाबी में जाय और ना पक्ष वाले ना लाबी में जांय।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

(मत विभाजन घण्टी)

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न के ऊपर जब डिवीजन कराया जाता है तो जिस प्रकार की व्यवस्था आपने दी है उसी के अनुरूप पहले तीन मिनट के लिए घण्टी बजाई जाती है, लाबी खाली कराने के लिए। उसके पीछे एक मकसद है कि लाबी खाली कराने के बाद कोई मेम्बर बाहर का अन्दर नहीं आ सकता, मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी भी इस परम्परा के हामी होंगे कि लाबी खाली कराने के बाद कोई सदस्य बाहर से अन्दर नहीं आ सकता। आपने तीन मिनट की घण्टी बजाई लाबी खाली कराने के लिए इसके, बाद बाहर से आकर कोई भी सदस्य अगर वोट देना चाहते। उसको अधिकार नहीं है, यदि नहीं है तो जो सदस्य सदन में आ गये वोट देने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : बाद में।

श्री भैरों सिंह शेखावत : बाद में, उनके वोट को नहीं मानना चाहिये। यह आपकी व्यवस्था के ऊपर है कि लाबी खाली कराने के बाद....

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बाद में तशरीफ लाये हैं, वे यहीं बैठे रहें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी तक आदेश नहीं दिया है कि हमें लाबी में जाना है या नहीं जाना है।

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हों, वे हां पक्ष में चलें जायें, जो विपक्ष में हों, वे ना पक्ष में चले जायें।

(71)

(श्री उपाध्यक्ष)

(मतदान पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : पक्ष में 65 मत आये और विपक्ष में 40 ।

(स्वीकृत)

राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

विभाजन परिणाम

हां पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अमराराम
2.	श्री अमीन खां
3.	श्री ईश्वरलाल सैनी
4.	श्रीमती कमला भील
5.	श्रीमती कमला बेनीवाल
6.	श्री खेतसिंह
7.	श्री गोकुलचन्द्र शर्मा
8.	श्री गोविन्द आमलिया
9.	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
10.	श्री घनश्याम जैन
11.	श्री चेतराम
12.	श्री जगतार सिंह
13.	श्री जगन सिंह
14.	श्री जनार्दनसिंह गहलोत
15.	श्री जयकृष्ण शर्मा
16.	श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया
17.	श्री जेठमल बरबड़
18.	श्री तकीउद्दीन अहमद
19.	श्री तेजपाल यादव
20.	श्री दिनेश डांगी
21.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
22.	श्री द्वारका प्रसाद बैरवा
23.	श्री नाथूराम (डूंगरपुर)
24.	श्री नारायण सिंह
25.	श्री परसराम मोरदिया
26.	श्री परसराम भदेरणा
27.	श्री पीरूराम
28.	श्री पृथ्वी सिंह
29.	श्री प्रद्युम्न सिंह
30.	श्री प्रभुलाल
31.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
32.	श्री बुलाकीदास कल्ला
33.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
34.	श्री भंवर सिंह शेखावत
35.	श्रीमती भगवती देवी
36.	श्री भगवानदास डोसी
37.	श्री भालू खां
38.	श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)
39.	श्री भैरूंलाल भारद्वाज
40.	श्री भैरूंसिंह गुर्जर
41.	श्री महेन्द्र कुमार
42.	श्री मांगीलाल आर्य
43.	श्री माणकमल मेहता
44.	श्री मालूराम लेघा
45.	श्री मोहनलाल जाट (कपासन)
46.	श्री राधेश्याम (हरदयाल)
47.	श्री रामधन
48.	श्री राम प्रसाद
49.	श्री रामरघुनाथ चौधरी
50.	श्री रामलाल (उनियारा)
51.	श्री राम सिंह विश्नोई
52.	श्री शिवचरण माथुर
53.	श्री शिवदानसिंह राठौड़
54.	श्री शिवराम शर्मा
55.	श्री शीशराम ओला

(72)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्र. सं.	सदस्य का नाम
56.	श्री सुखलाल सैंणचा
57	श्री सुजान सिंह यादव
58.	श्री सुरेन्द्र व्यास
59.	श्रीमती सूरज देवी
60.	श्री सूरजपाल सिंह
61.	श्री सूर्यकुमार
62.	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
63	श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
64.	श्री हीरालाल देवपुरा
65.	श्री हेमाराम चौधरी

विभाजन परिणाम
ना पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अनंग कुमार जैन
2.	डा. उजला अरोड़ा
3.	श्री उम्मेद सिंह
4.	श्री कमलेन्द्र सिंह
5.	श्री कैलाश मेघवाल
6.	श्री गुलाबचन्द कटारिया
7.	श्री गोपाल पचेरवाल
8.	श्री घनश्याम तिवाड़ी
9.	श्री चुन्नीलाल
10.	श्री जीतमल जैन
11.	श्री त्रिलोक सिंह
12.	श्री दाऊदयाल जोशी
13.	श्री देवी सिंह भाटी
14.	श्री नन्दलाल मीणा
15.	श्री नाथू सिंह
16.	सुश्री पुष्पा जैन
17.	श्री फतेसिंह
18.	श्री बंसीलाल पटवा
19.	श्री बहादुर सिंह
20.	श्री बलाचन्द्र आर्यवीर
21	श्री भंवर लाल शर्मा
22.	श्री भगवानदास शास्त्री
23.	श्री भरोसीराम
24.	श्री भूपाल सिंह
25.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
26.	श्री महाराम चौधरी
27.	श्री मालाराम
28.	श्री मेघराज तावड़
29.	श्री यदुनाथ सिंह
30.	श्री रघुवीरसिंह कौशल
31.	श्री राम कंवार बैरवा
32.	श्री रामकिशोर मीणा
33.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
34.	श्रीमती विद्या पाठक
35.	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
36.	श्री समर्थलाल
37.	श्री सोहनलाल बंशीवाल
38.	श्री हंसराज शर्मा
39.	श्री हरीश शर्मा
40.	श्री हीरालाल आर्य

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अत्यावश्यक सेवाए अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 1, सन् 1982) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला, प्रभारी मंत्री, राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती कमला (पशुपालन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक 1982 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्रीमती कमला : मैं राजस्थान पशु चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला ।

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री **शीशराम ओला** (राज्य मंत्री, पंचायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापति करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री **शीशराम ओला** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री शीशराम ओला, प्रभारी मंत्री ।

राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, पंचायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार), विधेयक 1982 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री **शीशराम ओला** : मैं राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री शीशराम ओला प्रभारी मंत्री ।

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, पंचायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायत (अवधि का विस्तार) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1981) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

समिति का प्रतिवेदन कार्य सलाहकार समिति के ग्याहरवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** (संसदीय कार्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव

(79)

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 11वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति का 11वां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल द्वारा आसन पर विराज कर दिया गया अभिभाषण एवं उसमें तथ्यात्मक त्रुटि

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना आपको आज प्रस्तुत की है उस संबंध में, मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की सुविधा के लिय यदि अनुमति हो तो जो मुद्दे मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न पर उठाय हैं उनका उल्लेख मैं यहां कर दूं संविधान के अनुच्छेद 176 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों के द्वारा....

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह प्रश्न अभी मेरे सामने आया है आप पहले मुझे अध्ययन करने दें ।

श्री **परसराम मदेरणा** (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले तो यह उस प्रश्न को सदन में उठा ही नहीं सकते हैं । पहले आप उनसे अनुमति लें ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : यह आप कैसे कह सकते हैं, अनुमति नहीं दी गयी ? यह आपको कैसे आभास हुआ कि अनुमति नहीं दी ।

श्री **परसराम मदेरणा** : अनुमति प्राप्त करने की यह प्रक्रिया नहीं है पहले आप चेम्बर में जाकर उनसे बात करें, और अनुमति प्राप्त करें ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : मैंने चेम्बर में बात करली है ।

श्री **परसराम मदेरणा** : जब आप आसन को कन्विन्स कर देंगे, आपको उसके बाद में अनुमति दी जायगी ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके और मेरे बीच में कोई बात हुई ।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने देखा कि आप क्या बात कहना चाहते हैं । क्या कोई नया पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं या क्या बात है ? आपने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उसको पहले मैं एग्जामिन करूंगा, फिर उस पर अपनी अनुमति दूंगा । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद विवाद आरम्भ होगा वह नेक्स्ट आइटम है, मेरा कहना यह है कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण सदन में हुआ है वह नियमित नहीं है । संविधान के अनुसार जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना चाहिये, उस प्रकार वह भाषण नहीं हुआ है । उस पर मैंने यह मोशन रखा है अगर वह हो जाता है तो फिर वह सवाल नहीं रहता ।

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं आपके पाइन्ट को देखूंगा पहले एक दो आइटम है उसके बाद में ।

श्री **भैरोंसिह शेखावत** : उपाध्यक्ष महो-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :

दया नेक्स्ट आइटम ही यही है। इसके पहले कोई नहीं है।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव – पर वाद-विवाद के लिये दलों में समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : इसके पहले एलोकेशन ग्राफ टाइम का है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मुझे सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद के लिये 18 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है इसमें सभी दलों को समय का बटवारा किया गया है वह इस प्रकार है। इसमें सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है :—

कांग्रेस दल	—साढ़े ग्यारह घन्टे
भारतीय जनता पार्टी	— तीन घन्टे
जनता पार्टी	— 45 मिनट
जनता एस.	— 40 मिनट
कांग्रेस अर्स	— 30 मिनट
प्रगतिशील विधायक दल	— 40 मिनट
भारतीय साम्यवादी दल	— 15 मिनट
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	— 15 मिनट
निर्दलीय	— 10 मिनट

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का नाम नहीं आया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता एस. पार्टी है वह कौनसी है।

श्री यदुनाथसिंह : नहीं, लोक दल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप उसे लोकदल ही समझ लीजिये।

श्री यदुनाथसिंह : समझने की बात नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 1982 को मध्याह्नोत्तर 2-35 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 23 फरवरी, 1982,

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो हो गया।

व्यवस्था का प्रश्न

महामहिम राज्यपाल द्वारा आसन पर विराज कर दिये गये अभिभाषण में तथ्यात्मक त्रुटि

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 157 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें लिखा है।

"The Speaker, if he given consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order....."

इस पर आपका निर्णय दिया हुआ है कोई भी माननीय सदस्य कोई भी प्रिविलेज मोशन किसी भी संबंध में उस वक्त तक हाउस में नहीं उठा सकता जब तक आप निर्णय नहीं दें। यह आपका निर्णय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की स्वस्थ परम्परा रही है कि किसी भी विषय पर पहले अध्यक्ष महोदय निर्णय लेते हैं उसके बाद में वह संबंधित सदस्य को उस निर्णय के बारे में सूचित करते हैं उसके बाद में वह सदस्य प्रश्न उठा सकते हैं क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाये हैं उन पर आपने अभी तक अपनी अनुमति नहीं दी है, आपने चाहे जो मोशन दिया है वह 157 के अन्तर्गत आता है पर 160 नियम के अन्तर्गत कन्डीशन दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : जो महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ आसन से दिया गया है, उसकी ओर मैं पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है, 13 नवम्बर, 1957 को श्री

(श्री उपाध्यक्ष)
मानसिंह ने अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव, जिसकी सूचना पहले दी गयी थी, सदन में लिये जाने की मांग की। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि ऐसे प्रस्तावों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा:
"It will be given priority, but at least there must be some consideration, before it is presented before the house.

तत्पश्चात श्री मानसिंह ने नियम 56 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह किया कि उनके प्रस्ताव को उसी दिन लिया जाना चाहिये और साथ ही यह जानना चाहा कि किस नियम के अन्तर्गत उनका प्रस्ताव उसी दिन नहीं लिया जा सकता। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा –

"There is no rule which binds the Speaker that it will be taken immediately,

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यह मामला नहीं है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : यह कोई जरूरी नहीं है कि इसको आज ही लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर विचार करने के बाद सूचित कर दूंगा। आप चेम्बर में बात करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, विचार तो आप तब करेंगे जब मैं कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके चेम्बर में आने में कोई आपत्ति नहीं है। आज प्रातः काल मैं आपके चेम्बर में गया और मैंने आपसे निवेदन किया था, शायद आपको याद भी होगा कि मैंने एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन उठाया है। मैंने आपसे उस समय निवेदन किया था कि उस मोशन पर फैसले के बाद ही आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस करावें। उस समय मैं कहूं तो शायद आप इन्कार नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपने पहले कैसे मान लिया कि आपने अनुमति दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : आप गलत बयानी नहीं करें, कान्फिडेंशियल बात की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भविष्य के लिये भी आपको निवेदन कर दूं कि कान्फिडेंशियल बात होती है उसको मैं हाउस में नहीं कहना चाहूंगा। मैं पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। यह धन्यवाद प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ है उसके पहले मेरा एक ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन है वह इस प्रस्ताव के संबंध में है अगर आज आप इस प्रस्ताव पर विचार कर लेते हैं और वाद विवाद उस प्रस्ताव पर शुरू हो जाता है तो मेरा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन आटोमेटिकली खतम हो जाता है और उस पर विचार करने का समय ही नहीं रहता।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अनुमति दी गई आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: उपाध्यक्ष महोदय, अभी चीफ व्हिप महोदय ने ठीक कहा है। यह आपकी न्यायप्रियता का आपने परिचय दिया है। इसका आपको धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है जो विशेषाधिकार का प्रश्न मैं उठाने जा रहा हूं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसके तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि राज्यपाल महोदय ने सदन की सर्वमान्य परम्पराओं के विपरीत सदन में बैठ कर अपना अभिभाषण दिया।

दूसरा मुद्दा यह है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह कहा कि 11000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी बढ़ाकर 15000 कर दिया गया परन्तु राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पटल पर रखने हेतु जिस अभिभाषण को प्रमाणित किया गया है उसमें लिखा है कि 1100 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1500 कर दिया गया। (पृष्ठ संख्या 13) इस प्रकार राज्यपाल ने अपने अभिभाषण का सही प्रमाणीकरण नहीं किया। यही अभिभाषण राजस्थान विधान सभा के सचिव द्वारा सदन की मेज पर रखा गया। राज्यपाल की यह कार्यवाही सदन का अपमान है।

तीसरा मुद्दा यह है, राज्यपाल ने अपना अभिभाषण व अभिभाषण का प्रमाणीकरण "राज्यपाल" के रूप में किया है जब कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 19-10-1981 'सूर्यनारायण चौधरी विरुद्ध भारत सरकार व अन्य' के अनुसार केवल राज्यपाल के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने मात्र के लिये ही नियुक्त हुये हैं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तारीख 20 को आप भी यहीं तशरीफ रख रहे थे उस समय भी अध्यक्ष महोदय के सामने यही तीनों मुद्दे विरोधी दल के माननीय नेता ने उठाये थे ....

उन्होंने यह कहा था कि इस पर मैं रूलिंग रिजर्व रखता हूं और मैं मेरी रूलिंग बाद में दूंगा। आप वापस इसी इश्यू को ला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप राजस्थान सरकार के चीफ व्हिप को ताड़ना दीजिए। ताड़ना इस बात की कि वह सदन में गलत तथ्य रख रहे हैं। आप प्रोसीडिंग मंगाकर देखें, उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि प्रिमेच्योर स्टेज है और आप यह कहते हैं कि रूलिंग रिजर्व रख दी। मैं समझता हूं कि चीफ व्हिप को पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए...

श्री खेतसिंह राठोड़ : बिलकुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं कभी गैर जिम्मेदारी से बोला ही नहीं, वह तो आप ही बोला करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सदन में गलत सूचना देना भी सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। आपने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है....

श्री खेतसिंह राठोड़ : नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय कभी नहीं कहा कि रूलिंग रिजर्व रख रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : मुझे तो यह बिलकुल याद है, उन्होंने कहा कि मैं इसको रिजर्व रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, में बोल रहा हूं उसके बीच में ही उस समय की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रोसीडिंग मंगाकर देख लें ताकि आपको भविष्य के लिए चीफ व्हिप से सावधान होने की स्थिति बन जाये, चीफ व्हिप किस किस्म की गलत बातें सदन में कह सकते हैं मैं तो जानता हूं कि वह कहां गलत बोल रहे हैं लेकिन वह चेयर को मिसलीड नहीं करें, इसलिये यह रिकॉर्ड पर आ जाये कि माननीय चीफ व्हिप कितनी गलत बातें कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह क्वेश्चन मैंने इसलिए रेज किया है कि राज्यपाल महोदय ने 20 तारीख को जो यहां अभिभाषण दिया उस अभिभाषण में...

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो यह मोशन है यह सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां खेतसिंह जी जैसे बैठे हैं। बार-बार नहीं समझाऊंगा तब तक नहीं समझेंगे। यह बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी जानते हैं और सारा सदन जानता है कि आज तक, जब जब भी राज्यपाल महोदय ने इस सदन को एड्रेस किया है, चाहे राज्यपाल स्वस्थ हों या राज्यपाल अस्वस्थ हों, चाहे राज्यपाल ने पूरा भाषण नहीं पढ़ा हो या बैठे रह कर थोड़ा सा पढ़ा हो, पूरा भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये, ऐसी सदन से अनुमति चाही है। किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों न हो, राज्यपाल ने सदन में खड़े होकर ही एड्रेस किया है। जो राज्यपाल अस्वस्थता के कारण खड़े नहीं हो सकते थे उन्होंने सदन से अनुमति मांगी, एक बार तो ऐसा वाकया आया है कि उन्होंने अनुमति ही नहीं मांगी बल्कि सत्तापक्ष की ओर से या विरोधी पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया कि आप अस्वस्थ हैं अतः आप बैठ कर ही बोलें। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय श्री गुरुमुख निहालसिंह यहां के गवर्नर थे, वह एक बार अस्वस्थ थे। सॉरी, सम्पूर्णानन्द जी थे तो सदन की कार्यवाही उन्होंने राजभवन में बुलाई। वहां बीमार होते हुए भी उन्होंने खड़े होकर अनुमति मांगी कि मैं अस्वस्थ हूं और आप चाहें तो मैं बैठ जाऊं। बैठने के बाद मैंने या किसी एक सदस्य ने कहा कि आप अस्वस्थ हैं इसलिए आपका भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाये। यह स्थिति थी। लेकिन यह राज्यपाल महोदय तो सीधे आये और कुर्सी पर विराजमान हो गए, और उन्होंने बैठे बैठे ही अपना अभिभाषण पढ़ा, मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने सदन का अपमान किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कोई नहीं है। आप चाहें तो आज तक जितने भी राज्यपाल सदन में अभिभाषण देने के लिए आये वह देख लें, प्रोसीडिंग्स देख लें, टेपरिकार्डर सुन लें, आपको अन्दाज हो जायेगा और स्थिति सामने आ जायेगी कि सदन में बैठकर किसी भी राज्यपाल ने भाषण नहीं पढ़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि इस आसन पर बैठने वाला भी जब रूलिंग देता है तो यह है कि खड़े होकर रूलिंग दें, बैठे बैठे इस आसन से बोलना भी मना है। इस संबंध में भी यदि आप रूलिंग देखना चाहें तो मैं कापी निकलवाकर लाया हूं। आप देख लें। चेयर जब भी एड्रेस करेंगी तो खड़े होकर करेंगे। तो चेयर ही खड़े होकर करेगी . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप तो ऐसी रूलिंग बताइये पार्लियामेंट की या कोई कि गवर्नर साहब को लाजिमी तौर पर खड़े होकर अभिभाषण देना है, ऐसी कोई हो तो बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने बिलकुल सही फर्माया। कई बातें ऐसी होती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो लिखित में नहीं होती है ...

श्री उपाध्यक्ष : परम्परायें बदलती रहती हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई चीजें ऐसी होती हैं जो लिखी हुई नहीं होती हैं। एक समझदार आदमी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह बैठे-बैठे एड्रेस करेगा। यह आदमी की खुद की बुद्धि पर छोड़ा गया है। बुद्धि पर छोड़ने के बाद में इस सदन की अपनी 30 वर्षों की परम्परा रही है कि आज तक किसी भी राज्यपाल जिन्होंने इस सदन में अभिभाषण दिया है ने बिना खड़े नहीं दिया और बैठे बैठे नहीं दिया। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। कई चीजें लिखी नहीं होने के कारण कन्वैंशन होती हैं। उन्होंने कन्वेंशन को भंग किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रिविलेज मोशन को स्वीकार नहीं किया गया तो उसका परिणाम यह होगा कि कोई राज्यपाल आयेगा तो बैठे-बैठे भाषण देगा और कोई राज्यपाल आयेगा तो वह समझेगा कि कुर्सी पर बैठने की क्या जरूरत है, मैं तो कुर्सी पर बैठकर नहीं मेज पर बैठकर भाषण दूंगा। फिर आप कहेंगे कि कोई नियम है क्या, कोई व्यवस्था है क्या जिसमें लिखा है कि राजयपाल कुर्सी पर नहीं, मेज पर बैठकर भाषण नहीं दे सकता ? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है हमें परम्पराओं के आधार पर चलना पड़ेगा, कोई भी इस सदन का सदस्य है चाहे, खेतसिंह के अलावा तो सब स्वीकार करेंगे, कोई सदस्य भी अपना ऐसा अपमान स्वीकार नहीं करेंगे कि राज्यपाल यहां पर बैठे बैठे भाषण दें ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस समय आपने एतराज क्यों नहीं किया, उसी समय एतराज कर देते कि आप बैठकर क्यों भाषण दे रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से कहना नहीं चाहता था कि खेतसिंह जी मेरे मित्र हैं इनकी शिकायत नहीं करना चाहता। मेरे मित्र को यह भी पता नहीं कि गवर्नर के एड्रेस में किसी तरह का इन्ट्रप्शन करता तो चीफ मिनिस्टर साहब कहते कि यह डिसकर्टसी है ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : वायकाट तो कर गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने अपने अधिकारों का प्रयोग किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चीफ व्हिप की ऐसी मंशा थी कि गवर्नर महोदय जिस समय एड्रेस कर रहे थे उस समय कुछ होना चाहिए। आपकी मंशा यह है।

श्री उपाध्यक्ष : आप नम्बर 2 पढ़िये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय अब दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा निवेदन यह है पेज 13 अभिभाषण का निकालें। पेज 13 के पैराग्राफ 2 की लास्ट टू लाइन को पढ़ें उसमें लिखा है 1100 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य भी बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिये जाने की आशा है। उस समय 11,000 बोले और बाद में 15,000 बोले। दो-दो बातें बोले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस समय बोले उस समय इस सदन के कई माननीय सदस्य और खास तौर से मुख्य मंत्री जी भी सतर्क हो गये थे कि क्या बोल रहे हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस विभाग के मंत्री को पता नहीं है कि मैंने 1100 गांव लिख दिये और यह 11,000 बोल रहे हैं वह मंत्री सतर्क नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि मंत्री तो बिलकुल अटेन्टिव नहीं हैं। उन्होंने गवर्नर के अभिभाषण को गम्भीरता से सुना नहीं, और श्री डांगी जी की तरह बैठे रहे। मुख्य मंत्री जी भी अटेन्टिव थे और विद्युत मंत्रीजी भी अटेन्टिव थे दोनों ने मार्क किया कि यह 11,000 का नहीं, 1,100 का लिखा है और 15,000 का नहीं 1,500 का लिखा है। अब मैं कहता हूं कि 11,000 बोले या 15,000 बोले इसके प्रमाण में टेप रिकार्डर को मंगवा लें। उस टेप रिकार्डर से सिद्ध हो जायेगा, वह 11,000 बोले पहले, और बाद में 15,000 बोले या नहीं। अब यह जब बोले तो आप चाहें मेरी बात को सही नहीं मानें मैं आग्रह करूंगा कि टेप रिकार्डर को हाउस में प्ले किया जाय॰ ॰॰

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई आवश्यकता नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि 1,100 की जगह 11,000 पढ़ा, और 1,500 की जगह 15,000 पढ़ा॰॰॰॰

श्री उपाध्यक्ष : अब नम्बर 3 बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, तीसरे पर बाद में बोलूंगा अभी तो मैं इसी पाइन्ट पर बोल रहा हूं। जल्दी-जल्दी बोल रहा हूं, सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब क्वेश्चन यह आता है कि राज्यपाल महोदय ने इस हाउस को एड्रेस किया। आर्टिकल 176 (1) है वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

"At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

क्लाजेज के ऊपर मैं नहीं जाता। मेरा प्रश्न यह है इस संबंध में कि आर्टिकल 176 पार्ट I की कम्पलाएन्स में इस हाउस को एड्रेस किया। उस एड्रेस का हाउस में किस तरह कान्नीजेंस लिया जाये इन्हीं रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था है जो कुछ एड्रेस दे दिया उसका प्रमाणीकरण करें, आथेंटिकेशन स्वयं करें। आथेंटिकेट करने के बाद उनका अभिभाषण उनके ए. डी. सी. स्पीकर महोदय को देंगे। स्पीकर महोदय सैक्रेटरी को देंगे और दुबारा जब सदन मीट करेगा उस समय सैक्रेटरी आथेंटिकेटेड स्पीच इस सदन की मेज पर रखेंगे और मेज पर रखने के बाद माननीय सदस्यों के अन्दर उसकी प्रतियों का वितरण होगा, यह सारी व्यवस्था है। अब क्वेश्चन आता है आथेन्टिकेशन सही हुआ या गलत हुआ ?एपरेन्टली यह लगता है कि 1,100 की जगह 11 हजार पढ़ा। 1,100 लिखा फिर भी उसका प्रमाणीकरण कर दिया तो गलत आथेन्टिकेशन हुआ या नहीं ? क्वेश्चन यह है। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार की गलती हो नहीं सकती लेकिन गलती को दुरुस्त करने का प्रावधान है। मैंने 20 तारीख को यह मसला उठाया। सरकार अगर सावधान होती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
तो गवर्नर महोदय के अभिभाषण के टेप रिकार्ड को सुन कर 11 हजार की जगह 1100 के लिये शुद्धि-पत्र जारी कर दिया जाता और शुद्धि-पत्र को प्रस्तुत कर दिया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विद्युत विभाग के संबंध में चर्चा करना चाहूं तो राज्य सरकार को इस बात के लिये बधाई दूंगा 11 हजार गांवों में विद्युतीकरण हो रहा है जबकि राज्य सरकार ने स्वयं अभिभाषण तैयार किया है उसमें 1,100 लिखा होगा या 1,500 लिखा होगा। उन्होंने गलत बात कही है। चर्चा किन बातों पर करूंगा 1,100 के लिये या 11 हजार के लिये चर्चा करूंगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इस पेटेंट एरर को किसी प्रकार शुद्धि-पत्र जारी करके करेक्ट नहीं किया गया। मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था, हाउस के प्रारम्भ होने के साथ ही इस प्रश्न को उठा सकता था, मैं तो सरकार के विवेक की परीक्षा लेना चाहता था। सरकार इस प्रश्न के ऊपर जागरूक है या नहीं। प्रिविलेज मोशन मिल गया। प्रिविलेज मोशन मिलने के बाद भी सरकार सतर्क है या नहीं, राज्यपाल महोदय से सम्पर्क करके एक शुद्धि-पत्र जारी करवा देती। वह शुद्धि-पत्र जारी नहीं किया गया। अशुद्ध ऑथेन्टिकेशन किया गया, अशुद्ध ऑथेन्टिकेशन के आधार पर चर्चा आरम्भ की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गलत ऑथेन्टिकेशन के परिणाम क्या होते हैं इसके लिये इण्डियन पीनल कोड की तरफ आपका ध्यान ले जाता हूं। इण्डियन पीनल कोड में, अध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं यह बन जायें। इसमें आपको आपत्ति क्यों है? आपका नम्बर आने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय सैक्शन 197 है।

"Whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave flase evidence."

सैक्शन 197 का इसलिये उल्लेख कर रहा हूं, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका ऑथेन्टिकेशन गलत हुआ है और जो गलत ऑथेन्टिकेशन हुआ है वह पीनल ऑफेन्स है। राज्यपाल महोदय इस सदन के प्रांगण में कोई पीनल ऑफेंस कमिट कर जायें, यह सदन का सबसे बड़ा अपमान है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर कहना चाहूंगा it is a false certificate सदन का कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि फाल्स सर्टिफिकेट नहीं है। यह फाल्स सर्टिफिकेट है इसके परिणाम क्या निकलते हैं

"Criminal liability for false certificate...."

"In order to make a person criminally liable for a false certificate, two things are essential, (i) the certificate must be such as is required by law to be given or signed or it must be by law admissible in evidence."

श्री उपाध्यक्ष : अफसोस यह है कि आपने कभी वकालत नहीं की वरना यह बात नहीं कहते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस नहीं है । वकालत करने की जरूरत नहीं है । वकालत पढ़े हुए खेतसिंहजी ने सर्टिफिकेट की और वकालत की, दोनों की बदनामी की है। मैं यह निवेदन कर रहा था····

"It must be false in any material point. A certificate of character or the like is thus excluded from the category of the crime."

"Lastly, the certificate must be false on a material point. The question what point was material must depend upon the nature and object of the certificate. For instance, a wrong date may be material in one case and wholly immaterial in another. So even the names of the parties may be immaterial having regard to the object for which the certificate is granted. A person intentionally falsifying a certificate will probably falsify it on material point."

दूसरा अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

"A person intentionally falsifying a certificate will probably falsify it on a material point."

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्लिप ऑफ टंग था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी नहीं है कि 11 हजार का विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पढ़ रहा हूं। यह कह रहे हैं स्लिप आफ टंग है।

"A person intentionally falsifying a certificate will probably falsify it on a material point. On the other hand inaccuracy on an immaterial point does not detract from its value."

यह और सुन लीजिये बृजसुन्दरजी ···

"On the other hand, inaccuracy on an immaterial point does not detract from its value and cannot be presumed to have been due otherwise than to inadvertence."

मैं इस बात पर निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार की स्थिति पैदा की, उस स्थिति के आधार पर मैं यह निवेदन करता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जान बूझकर यह जानते हुए कि 1,100 गांवों का विद्युतीकरण होगा 11 हजार गांवों का उसमें उल्लेख किया है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिये और सदन के लिये दोनों के लिये ··

श्री उपाध्यक्ष : आप सो रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब सैक्रेटेरियेट की जिम्मेदारी आती है

"Whoever corruptly uses...."

श्री उपाध्यक्ष : Is it not going too far ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : No, not as

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब ट्रयू सर्टिफिकेट किसने मान लिया? इसमें आते हैं अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय। उन्होंने ट्रयू सर्टिफिकेट मानकर सदन में पेश किया। 198 आफ दी पीनल कोड है उसमें है:—

"Whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true certificate knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as he gave false evidence."

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सावधान करने के लिये मैंने कोट किया है। आप अच्छी तरह समझ लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी कागज यदि सदन की मेज पर रखा जाय उसका आथेन्टिकेशन कैसे हो? एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर की पुस्तक के पेज 837 पर लिखा हुआ है।

"A paper or document, which is laid on the Table, is duly authenticated by the Minister or member concerned. When paper is laid on the Table by the Secretaty General, it is authenticated by him. Thus, a person who authenticates a document is presumed to take full responsibility for its genuineness..."

जिस किसी ने भी आथेन्टिकेशन किया है,

It is presumed that he has taken the full responsibility for its genuineness.

यह मानकर चलना पड़ेगा कि Governor has taken full responsibility for this authentication and for the genuineness for this authentication. यह एक प्रश्न है जिस पर यह कोई नहीं कह सकता कि आथेन्टिकेशन किया था मुझे जानकारी नहीं है, मेरी रेस्पान्सिबिलिटी नहीं है। उसकी रेस्पान्सिबिलिटी ली है गवर्नर ने तो वह भी यह कह कर किसी भी तरह से इस सदन से बचकर नहीं जा सकते कि मैंने रेस्पान्सिबिलिटी किसी तरह ले करा दी। अब, उपाध्यक्ष महोदय,

"When a paper is laid on the Table, it becomes public and a part of the permanent record of the House. The paper is placed in the Library..."

अब इसका मतलब यह है कि जो भी कागज सदन की मेज पर पेश कर दिये हैं वे सदन के एक परमोनेंट रिकार्ड हो गये। अब यह अभिभाषण सदन में रखा जाता है और इसको करेक्ट नहीं किया जाता तो यह परमानेंट रिकार्ड है जो गलत आथेन्टिकेशन के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। अब, उपाध्यक्ष महोदय, शकधर और कौल ने जो लिखा है वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

पेज 170, इसमें लिखा है।..

"The authenticated copy is handed over to the Secretariat by the Military Secreatary to the President on the day when the President delivers his Address. After certain formal business like introduction of Bills, presentation of Reports, laying of papers on Table by the Ministers etc. is completed, the House normally stands adjourned for the day.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"It is a convention that printed copies of the Address, received from the President's Secretariat, are distriubuted to member and other only after a copy thereof has been laid on the Table."

सारा प्रोसिजर जो मैंने पहले बताया था वह प्रोसीजर इस किताब में लिखा है, आथेन्टिकेटेड एड्रेस उसे ही कहेंगे जो गवर्नर साहब मिलट्री सेक्रेटरी को देंगे मिलिट्री सैक्रेटरी साहब स्पीकर को देंगे स्पीकर साहब सैक्रेटरी साहब को देंगे और सैक्रेटरी साहब सदन की मेज पर रखेंगे फिर वह मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाय, यह सारी व्यवस्था इसमें दी है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, जो क्वेश्चन आया है उसका उल्लेख है पेज 222 पर है। आप तो कह दें जल्दी में पढ़ दिया या ध्यान में नहीं रहा तो इसी किताब के पेज 225 पर लिखा है..

"It is a breach of privilege and contempt of the House to present false, forged or fabricated documents to either House to a Committee thereof with a view to deceive them. The necessity of preventing the production before the House of false or fabricated documents was emphasised by Speaker Mavalankar in the Sinha case when he stated in the Lok Sabha."

अब वह सुनने लायक है—

"....it is necessary in the first instance, to examine the genuineness or otherwise of the document laid on the Table of the House by Dr. Sinha. Such an examination is necessary to prevent the production before the House of any documents which are not genuine or are fabricated and to see that no member misleads intentionally or unintentionally....."

उसमें यह नहीं है कि इन्टेन्शनली ही मिसलीड करते हो अन-इन्टेंशनली भी यूज किया है....

"any section of the House by referring to or placing on the Table of the House documents which are not genuine and are ultimately found to be forged or fabricated,"

अब उसके बाद में स्पष्टीकरण की विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं इसी आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सरकार चाहती तो इसको करेक्ट कर सकती थी लेकिन वह सरकार ने नहीं किया। इस बारे में भी कौल और शकधर ने लिखा है—

"When a Minister finds that an incorrect information has been given to the House by him in answer to a starred/unstarred/short notice question or a supplementary question, or during a debate, he may make a statement or lay it on the Table, correcting his earlier reply or information.

The Minister has to give the to Secretary General an advance notice of his intention and to furnish a copy of the proposed statement for information of the Speaker."

तो, उपाध्यक्ष महोदय, सब जगह जो कुछ मैंने पहले निवेदन किया, उसकी [illegible] है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस देश की दो विधान सभाओं में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो गवर्नमेंट द्वारा तैयार किये गये फैक्ट्स हैं उसके विपरीत भाषण दिये हैं। बंगाल के राज्यपाल महोदय श्री धर्मवीर साहब को सरकार ने जो भाषण लिखकर दिया था उसके अतिरिक्त वे जो स्वयं लिखकर लाये उसको बंगाल विधान सभा में सुनाया उस पर आपत्ति हुई और जो आपत्ति हुई उसमें यह था कि जो अभिभाषण सदन में रखा गया लिखित और उसके अतिरिक्त जो गवर्नर साहब ने सुनाया उनमें से अभिभाषण के रूप में किस कागज का ओथेन्टिकेशन किया जो सरकार ने तैयार किया था उसका भी आथेन्टिकेशन किया और उसके अतिरिक्त जो उन्होंने अपनी तरफ से भाषण दिया उसका भी आथेन्टिकेशन किया तो जहां तक आथेन्टिकेशन का प्रश्न है उसका कोई विरोध नहीं किया। दूसरे यू. पी. की विधान सभा के गवर्नर साहब की स्थिति है जो फैक्ट्स थे उसको कम्पलीट करने के बाद सी. पी. एन. सिंह ओरली भाषण देने लग गये, क्वेश्चन खड़ा हुआ कि क्या गवर्नर साहब काम्पीटेन्ट हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनके जो भाव थे ओरली...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जिस चीज को लाना चाहता हूं, यू. पी. का रेफरेन्स मैं जान बूझकर दे रहा हूं इसलिये दे रहा हूं कि धर्मवीर साहब तो लिखकर लाये और यू. पी. के गवर्नर महोदय ने बिना लिखी हुई ओरली अपनी स्पीच दे दी, ओरल स्पीच में क्वेश्चन यह आया कि वे ओरल स्पीच देने के लिये अधिकृत हैं या नहीं हैं। कौन्सिल आफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर जो भाषण तयार किया गया उसके विपरीत वे कुछ कह सकते हैं कि नहीं। अब यह तो वहां की विधान सभा तय करेगी। मैं इसलिये कहना चाहता हूं रूल्स में यह कहीं व्यवस्था नहीं है कि गवर्नर महोदय का एड्रेस लिखित होगा या गवर्नर एड्रेस ओरल होगा। मान लीजिये उस स्थिति की ओर मैं आपको ले जाऊं...

श्री हीरालाल देवपुरा : रिटन भाषण आथेन्टिक होगा,

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही मैं कह रहा हूं। मैं जो कहना चाहता हूं वह आपने कहा है।

अब एक प्रश्न है कि अभिभाषण लिखित हो या नहीं हो? आज गवर्नर साहब ओरली भाषण दें तो आप कहते हैं आथेन्टिक नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कितावें में 1100 है और ओरली कह दिया 2100 तो उनके ओरली भाषण को मानेंगे या लिखित को मानेंगे? आथेन्टिकेटेड कौनसा मानेंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो लिखित में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, वह नहीं हो सकता है। क्वेश्चन बड़ा इम्पार्टेन्ट है। आप आथन्टिकेटेड किसको कहते हैं? जो गवर्नर साहब ने हाउस में एड्रेस दिया उसका आथेन्टिकेशन चाहते हैं। यह नहीं है कि जो आपने लिख कर दिया है। प्रश्न है गवर्नर साहब ने इस कुर्सी पर बैठकर क्या भाषण दिया सदन को क्या एड्रेस किया?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसको ओरल नहीं कह सकते है, जो लिखा है उसको पढ़ा है,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उसको ओरल नहीं कह सकते हैं लिखा हुआ कह सकते है लेकिन मैं उस एड्रेस की चर्चा कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो एड्रेस इस आसन पर बैठ कर उन्होंने दिया । एड्रेस में क्या था ? एड्रेस उन्होंने हाउस को दिया कि 11 हजार गांवों का विद्युतीकरण होगा और उधर 1500 की जगह 15 हजार का एड्रेस किया । एड्रेस यह था कि राजस्थान की सरकार 11 हजार गांवों का विद्युतीकरण करायेगी । अब एड्रेस आथेन्टिकेटेड तब होता जब इस लिखे हुए भाषण में यही तथ्य होते कि 11 हजार गांवों का विद्युतीकरण होगा और उधर 1500 की जगह 15 हजार का विद्युतीकरण होगा । तो आथेन्टिकेटेड तो हुआ नहीं आथन्टिकेशन हुआ किसका ? जो उन्होंने वास्तव में कह दिया उसका तो नहीं हुआ जो लिखा है उसका हुआ है…

(व्यवधान)

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था उसका अब मैं समझता हूं सबके सामने स्पष्टीकरण हो गया । स्पष्ट इस रूप में हो गया कि गवर्नर साहब ने जो कहा है उसका आथन्टिकेशन हो । इसमें कोई आपत्ति नहीं है । गवर्नर साहब 11 हजार का नाम लिया उसका तो आथेन्टिकेशन किया नहीं । गवर्नर साहब ने लिखा हुआ अभिभाषण था उसका आथेन्टिकेट कर दिया । तो क्वेश्चन है आथेन्टिकेशन उसका होना चाहिये जो हाउस में एड्रेस किया है। वह आथेन्टिकेट होना चाहिये that is to be authenticated. The address is to be authenticated. आप कान्स्टीट्यूशन उठा कर देख लें या कौल और शकधर की किताब है वह देख लें और कोई एड्रस एसा नहीं होगा जो आथेन्टिकेटेड न हो the address is to be authenticated. आपने कुछ भी लिखा है या नहीं लिखा है, आपने कुछ भी लिखा हो गवर्नर साहब कुछ भी लिखकर लाय हों लेकिन सदन में माननीय सदस्यों को सम्बोधित करते हुए जो कुछ उन्होंने कहा.…that is to be authenticated and nothing else. इस आधार पर मैं कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन का अपमान किया इस कारण यह प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय तीसरा लास्ट पाइन्ट यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये होती है इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट की··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पहले आ चुका है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो पाइन्ट उठाया था उसी को उठाना चाहता हूं । उस ही को पढ़कर सुनाना चाहता हूं । पहले आपने जो रूलिंग दी थी, आपने रूलिंग दी थी 15 सितम्बर, 1981 को, "श्री नाथूसिंह ने इस आशय का एक प्रश्न उठाया था कि संविधान के अनुच्छेद 107 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु नियत राज्यपाल, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, द्वारा आहूत विधान सभा का सत्र संवैधानिक रीति से आहूत नहीं किया गया क्यों कि उनके द्वारा ये आहूत नहीं किया जा सकता जिसके फलस्वरूप विधान सभा का वर्तमान अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता'

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस औचित्य के प्रश्न पर शासन ने व्यवस्था दी "विधिक सिद्धान्त के अनुसार विधि किसी भी शून्य की कल्पना नहीं कर सकती अत: संविधान के अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति को आकस्मिक रिक्ति के समय राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक करने हेतु राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्रावधान खोजा गया। अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था में राज्यपाल के समस्त कृत्यों का निर्वहन किया जा सकता है और यदि ऐसा है तो उसके व्यवस्था के अन्तर्गत विधान सभा के सत्र को भी आहूत किया जा सकता है ये निर्धारित करना निर्धारित कृत्य विधिक दृष्टि से उचित नहीं होगा कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था में सत्र आहूत करने की शक्तियों को परे रखा होता। अन्यथा ऐसी व्यवस्था का कोई लाभ नहीं होगा। यही कि वर्तमान सत्र राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त श्री कल्याण दत्त शर्मा द्वारा विधिवत रूप से आहूत किया गया एवम् सत्र के आहूत करने में संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। यहां ये बात स्पष्ट है। मैं खण्डपीठ का निर्णय आपको बता रहा हूं जिसमें इसी बात की पुष्टि की है और पुष्टि करने के साथ में लिखा है :

"It will be seen that the Constitution draws a clear distinction between Governor and apppintment of Governor on one side, and the person discharging the functions of the Governor and the making of provision by the President in any contingency for the discharge of the functions of the Governor, on the other.

Shri Raghukul Tilak, who had been appointed as Governor by the President, held office during the pleasure of the President. The President issued an order, dated August 8, 1981, directing that Shri Raghukul Tilak shall cease to hold office as Governor with immediate effect."

मैं थोड़ा, उपाध्यक्ष महोदय, दो लाइन पढ़ दूं, समय तो लगेगा लेकिन बता दूं-

"The President issued another order of even date, making provision for the discharging the functions of the Governor of Rajasthan and appointing Shri Justice Kalyan Dutta Sharma, Chief Justice of Rajasthan High Court, to discharge the function of the Governor of Rajasthan with effect from August 8, 1981. It is, therefore, clear that Shri Justice Sharma has not been appointed as Governor of Rajasthan. He has been aopointed by the President merely to discharge the functions of the Governor of Rajasthan in the contingency created by Shri Raghukul Tilak ceasing to hold office as the Governor of Rajasthan with effect from August 8, 1981, without any other person having been appointed as Governor to succeed him. It is, therefore, not correct to describe the present assignment of Shri Justice Sharma as his appointment as the Governor of Rajasthan."

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस को कोट करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सदन की रूलिंग हो चुकी है। जिसमें कहा गया है, discharge the functions जो भी रेलेवेंन्ट हो वह बात कहें। सदन का समय इस प्रकार से वेस्ट करें इससे क्या फायदा होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं विधि मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सिंगल जज के जजमेंट को पढ़ा है और मैं खण्डपीठ के जजमेंट का उल्लेख कर चुका हूं। आप बता दीजिए कि यह बात सही है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं ? आपने किसका जजमेंट पढ़ा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : खण्डपीठ का भी पढ़ा हुआ है और सदन की रूलिंग भी देखी हुई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूं कि जिस राज्य में ऐसे विधि मंत्री हो जायें उसको भगवान ही बचायेगा। मैं तो यही निवेदन करता हूं

"Shri Justice Sharma has been appointed in the contingency afore mentioned not as Governor, but as a person for the discharge of the functions of the Governor of Rajasthan with effect from August 8, 1981. The argument that Shri Justice Sharma is holding another office of profit as Chief Justice of the Rajasthan High Court and, as such, cannot be the Governor of Rajasthan is, on the face of it, wholly fallacious for the simple reason that Shri Justice Sharma has not been appointed as the Governor of Rajasthan."

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, क्यों कह रहा हूं ? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वे गवर्नर की ड्यूटीज डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वे गवर्नर के फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते या उनके अधिकार में है या नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि उनको गवर्नर के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है वे इस एड्रेस के अन्दर यह नहीं लिख सकते कि राज्यपाल ने एड्रेस किया उनको लिखना चाहिए था, श्री कल्याण दत्त शर्मा, जो राज्यपाल के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त हैं।

(व्यवधान)

मैं यही तो कह रहा हूं, वह दो चीज नहीं हैं, चीफ जस्टिस और गवर्नर नहीं हो सकते। यह नहीं हो सकता कि वे चीफ जस्टिस भी हों और गवर्नर भी हों। उनको गवर्नर के फंक्शन डिस्चार्ज करने का अधिकार है by virtue of his appoitnment by the President of India.

उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वे हाउस को एड्रेस कर सकते हैं, इसमें आपत्ति नहीं। वे गवर्नर के नाम से जितने भी अधिकार हैं, उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात की है कि इस सदन को एड्रेस करने के बाद एड्रेस का जो आथेन्टिकेशन किया है, वे उस पर गवर्नर नहीं लिख सकते उस पर उनको लिखना चाहिए था कि गवर्नर के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो तीन चार बातें कहीं, उन बातों के ऊपर जब तक फैसला नहीं होता, जब तक इस स्पीच के सम्बन्ध में निर्णय नहीं होती कि इस स्पीच का गलत आथेन्टिकेशन हुआ है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जब तक या तो यह करेक्ट हो या इसका सही आथेन्टिकेशन है तब तक मेरा निवेदन है, इस सदन का उन्होंने अपमान किया है। ज्यादा अच्छा होगा कि एक बार यह सदन अपनी शक्ति का परिचय दे। यह सदन पावरफुल है, गवर्नर इसको एड्रेस कर सकते हैं, गवर्नर जब आयें हम उनका सम्मान कर सकते हैं, गवर्नर को हम धन्यवाद भी दे सकते हैं लेकिन गवर्नर गलती करें तो he can also be held up, ये अधिकार भी इस सदन को है। सदन सुप्रीम है, अपने इस अधिकार को जताने का भाग्य से मौका मिला है। मैं समझता हूं कि उन्होंने सदन का अपमान किया है इसलिये मेरे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed him, not you.

श्री नाथूसिंह : नहीं, नहीं। Allow me.

श्री उपाध्यक्ष : You cannot say better than what he has said.

श्री नाथूसिंह : अलग पाइन्ट्स रखूंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि आर्टिकल 176 की रिक्वायरमेन्ट्स क्या हैं, आर्टिकल 176 में कहता है

"At the commencement of first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons.

किस चीज के लिये इस अधिवेशन को उन्होंने सम्मन किया है। उसने काजेज ऑफ सम्मन लिखा है। एड्रेस एक चीज होती है लेकिन काजेज ऑफ सम्मन यह है कि इतने बिल इस सदन में आने वाले हैं इस सदन में आपको वह पारित करने हैं। मैं आपको उनके भाषण में से पढ़ कर सुनाता हूं यह सत्र मुख्यत: आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर विचार विमर्श के लिए आमन्त्रित किया गया है परन्तु माननीय सदस्यों को अन्य आवश्यक विधायी कार्य भी करने हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सत्र में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, आदि आदि विधेयकों के नाम हैं, विगत वर्ष की मुख्य उपलब्धियों का जिक्र इसमें किया है। तो ये जो 176 की रिक्वायरमेंटस है उस रिक्वायरमेन्ट को बताना बहुत आवश्यक होता है। बाकी जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस में तो केवल क्या करना है या क्या हुआ है इसी के बारे में जिक्र होता है। इसलिए अगर और चीज में कोई, मान लीजिये, स्लिप ऑफ टंग हो गयी तो 176 के अन्तर्गत चीज होती है। आपने जिक्र किया 176 का ब्रीच हो गया इसलिये पहले निवेदन करना चाहूंगा कि कान्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेन्ट का ब्रीच नहीं हुआ और कान्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेन्ट की पूरी पालना हुई है।

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आपने आथेन्टिकेशन के बारे में बहुत बड़ा भाषण दे डाला। आपने बताया इण्डियन

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
पीनल कोड में ऐसा लिखा है। सब कुछ लिखा है। मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून के वेत्ता है, कानून जानते हैं, कानून को समझते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : इसके कहने की क्या जरूरत है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वे जानते हैं कि आथेन्टिकेशन किसी रिटिन का होता है जो किसी ने लिखा। उसके बाद कुछ कहा तो किसी बोलने वाली चीज का आथन्टिकेशन नहीं होता है। जो कुछ भी भाषण गवर्नर ने यहां पर प्रस्तुत किया, उसको पढ़ा उसके पढ़ने के बाद में जो कापी उन्होंने आथेंन्टिकेशन करके अपने सैकेटरी के जरिये, अपने ए. डी. सी. के जरिये विधान सभा के सैक्रेटरी को दी अपने दस्तखत करके दी। वह आथेंटिकेटेड कापी है, न कि जो भाषण पढ़ा गया है वह। आथेंटिकेटड है, उसका आथेंटिकेशन करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाषण में कुछ भी बोला जावे···

श्री यदुनाथसिंह : किसी को फांसी की सजा दे दी और कह दो कि वह तो जबान थी।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : किसी को सजा देते हैं तो जब तक दस्तखत नहीं होते तब तक फांसी की सजा नहीं होती है। जजमेंट लिख दिया जाता है जजमेंट पर दस्तखत जब तक नहीं हो जाते तब तक लागू नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बाद मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम एक चीज यहां से ले लें, एक चीज वहां से लेलें, इस तरह से कोई प्रिविलेज की बात नहीं बनती है, प्रिविलेज का ग्राउण्ड बनता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो मेन मुद्दे की बात पर आइये। आथेंटिकेशन सही है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा "....a copy each of the Hindi and English version of the Address...." मतलब यह है कि पहले से जो लिखकर आई कापी यहां पर आती है "....duly authenticated by the President is laid on the Table by the Secretary General."

तो आथेंटिकेटेड कापी जो है वह है जिस पर आथेंटिकेशन है। आथेंटिकेटेड वही है जिसकी कापी सदन की मेज पर रखी जावेगी··

श्री यदुनाथसिंह : कापी आफ दी एड्रेस कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Copy of the Address is to be authenticated.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके ऊपर जो आथेंटिकेशन जो गवर्नर का हो रहा है···

श्री यदुनाथ सिंह : Whatever has been addressed in the House.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Copy of the Address means whatever has been addressed in the House.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : "In order that the Address delivered by the President forms part of, and is incorporated in, the proceedings of the House, a separate sitting of the House is held half-an-hour after the conclusion of the President's Address when a copy each of the Hindi and English version of the Address duly authenticated by the President is laid on the Table.."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Version of the address

श्री यदुनाथसिंह : What is the address.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : The booklet will contain the address.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : No, no, that is not the address.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एड्रेस वही है। हर एक शब्द जो कुछ एड्रेस में लिखा हुआ है वही गवर्नर ने पढ़ा है। स्लिप आफ टंग की वजह से अगर पन्द्रह हजार हो जाता है पन्द्रह सौ की बजाय तो यह स्लिप आफ टंग की वजह से है। एड्रेस ओरल नहीं दिया है·····

श्री यदुनाथसिंह : यही फांसी के बारे में कह दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस की स्लिप आफ टंग हो जावे और किसी को दो वर्ष की जगह 22 वर्ष की सजा ठोक दे·················

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप किस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा क्वेश्चन यह है·········

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उन्होंने 15 हजार के ऊपर दस्तखत नहीं किये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको कहने दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा है कि आथेंटिकेशन एड्रेस का होना चाहिए। यही है ? तो जो कहा है उसका आथेंटिकेशन नहीं हुआ·······

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो चीज राइटिंग में है उसी की ओथेंटिकेशन होता है। ओरली का आथेंटिकेशन नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : No, no.

श्री उपाध्यक्ष : You have interpreted in your own way, and let him interpret in his own way.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय कोई यहां पर रामायण की चौपाइयां पढ़ जायं और यहां पर गवर्नर का भाषण आथेंटिकेशन करके चले जायं तो यह कैसे होगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं गवाही पर आता हूं। गवाह के बयान लिए जाते हैं। गवाह के बयान जब बाद में जा करके सही करते हैं, तो पहले उसको पढ़ कर सुनाते हैं। जो गलती होती है उसको सुधार करके अपने दस्तखत करके वे दे देते हैं·········

श्री यदुनाथसिंह : वह सुधार ही तो नहीं करवाया गया।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, स्लिप आफ टंग में ही तो इनका नटराज के सामने पकड़ लिया था। स्लिप आफ टंग का मतलब क्या है? नटराज के सामने पकड़ लिया था इनको। अगर मंत्री होते तो बांध देते इनको। स्लिप आफ टंग का मतलब क्या है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वे पीनल कोड का जिक्र करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेड ओवर एण्ड फाउण्ड करेक्ट के बाद में जा कर के वह दस्तखत होते हैं। तो गवर्नर महोदय ने दस्तख करके जो कापी दी है वह कापी सही है न कि जो बोला था वह सही है। इसलिए वह कापी जो आथेंटिकेटेड यहां मौजूद है जिसके ऊपर गवर्नर ने दस्तखत करके दिये हैं वह कापी हाउस की टेबल पर ले की गई। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह आथेंटिकेटेड नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब समझ में आ गया।

● (व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरी बात यह है कि इस आथेंटिकेशन के बाद में भी कोई एरर रह जाती है, कोई गलती रह जाती है और कोई डिपार्टमेंट यह समझता है कि गवर्नर एड्रेस में गलती रह गई तो वह जा करके गवर्नर को, अपने मिनिस्टर कन्सर्न से जा करके कह सकता है, कोई बाद में जा कर करेक्शन करता है। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। यहां पर तो वह सारी की सारी चीज सही है जो कि मिनिस्टर कन्सर्न ने रखी है या गवर्नमेंट ने रखी है और गवर्नर ने यहां पर पढ़ी है और जो छपी हुई आपके सामने आई है। उसमें पन्द्रह सौ है और पन्द्रह हजार अगर बोल दिया गया है तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई गलती नहीं हुई है और उसको मार्क नहीं किया जा सकता।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि आथेंटिकेशन गलत करते हैं तो विदाउट नालेज के भी ये कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप ही प्रिज्यूम कर लिया, नोइंगली आथेंटिकेशन किया गवर्नर ने नोइंगली कर लिया, यह प्रिज्यूम कर लिया। जान बूझकर कर दिया और इसीलिय यहां पर पढ़ा। यह प्रिज्यूम करना मैं समझता हूं कि शायद आप जानते हुए, जानते बूझते हुए भी यह कहते हैं कि गवर्नर ने नोइंगली किया। यह उनकी मर्जी पर है कि वे गवर्नर साहब के लिए यह कहें कि यह नोइंगली किया लेकिन यह उचित नहीं है, यह मेरा निवेदन करना है। चौथी चीज आपने बतायी, वह यह है कि साहब जजमेंट में यह है कि discharge the functions of the Governor तो जब उन्होंने आहूत किया सत्र को उस वक्त जो अथोरिटी आपने कोट की, यहां पर निर्णय दिया गया स्पीकर महोदय द्वारा, उस समय राज्यपाल ने आहूत किया है। राज्यपाल की ड्यूटी डिस्चार्ज करने का मतलब केवल राज्यपाल की हैसियत में ही काम करना है, डिस्चार्ज आफ ड्यूटी करना है। इस निर्णय को आप चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर हाउस में दिया गया है। इसलिय हाउस का निर्णय पहले हो चुका है, स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी है फिर भी आप कहें कि उनको राज्यपाल के लिये लिखना चाहिये, साहब उनको कृते राज्यपाल लिखना चाहिये...

श्री भैरोंसिह शेखावत : कार्यवाहक राज्यपाल।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर कार्यवाहक राज्यपाल हों तो कहीं भी जा करके देखिये किसी भी अथोरिटी, हाई कोर्ट की, चाहे डबल बेंच कह दीजिय, चाहे सिंगल बेंच उसकी रूलिंग को देखिये, डबल बेंच ने इस चीज को माना है he is entitled to discharge the functions of the Governor.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिय वताता हूं कि सदन को आहूत किया गया है वह कार्यवाहक राज्यपाल के नाम से किया गया है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें यह लिखा हुआ है कि कल्याणदत्त शर्मा आहूत कर रहे हैं, यह नहीं लिखा है कि राज्यपाल कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह राज्यपाल ही हैं । इसलिये मेरा निवेदन करना है कि आर्टिकल 176 आफ कांस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं हो तभी आप कह सकेंगे । लेकिन आर्टिकल 176 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाने के बाद में आपको इस मुद्दे के ऊपर कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का न तो अधिकार है, न यहां उठाया जा सकता है और न रखा जा सकता है । आपने भी इस पर अभी तक विचार नहीं किया है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राठौड़ : chair is on its legs.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो कुछ उपाध्यक्ष महोदय को चुनौती दी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको चुनौती दी है । आपको, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा......

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं । स्थिति बहुत स्पष्ट है । जो आपने अभी कहा, हमारी ओर से विधि मंत्रीजी ने कानूनी दृष्टिकोण रख दिया । मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बाद में इस बहस को लम्बा चलाने से कोई लाभ नहीं रहता है । अब आसन को रूलिंग देने वाली बात आनी चाहिए । आप कहेंगे तो इधर से भी बात आएगी । मैं समझता हूं कि आज का मुख्य विषय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना है, उसको अधिक टाला नहीं जाना चाहिए । मेरा निवेदन करना है कि दोनों तरफ से अपनी बात कह दी गई । इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया गया है और पर्पज डिबेट का इस प्रकार से सर्व हो गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में अंतिम निर्णय दे दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट करने के पर्पज से कोई बात नहीं कही है । मैंने एक प्रश्न उठाया.....

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत सीरियसली उठाया है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी रूलिंग सारे हिन्दुस्तान में कोट की जायगी, आप सोच समझ कर रूलिंग दें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं, चाहे आप और अकेले में किताबें देख लें। माननीय विधि मंत्री जी ने आपको एक बात कही, कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन का उन्होंने पूरा कम्पलायंस किया मैं, विधि मंत्री जी, आपको दोनों को एक जानकारी देना चाहूंगा। यदि कांस्टीट्यूशन का वायोलेशन होता है और आप रूलिंग नहीं दे सकते हैं, वह तो प्रश्न नहीं था। उन्होंने जितनी डिबेट की, वह तो कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन हमने पूरा कर दिया, इस आधार पर की है। आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है, ट्रेजरी बैन्चेज से नहीं कहा किसी ने भी, राज्यपाल महोदय ने 11 सौ की जगह 11 हजार सुनाये और 15 सौ की जगह 15 हजार सुनाये, इससे किसी ने मना नहीं किया।

श्री शिवचरण माथुर : वह शिष्टाचार के खिलाफ होता बीच में कहना। लेकिन जब आपने सवाल उठाया तब हमने वह वाली बात कही।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ट्रेजरी बैन्चेज ने मंजूर कर लिया 11 सौ की जगह 11 हजार सुनाये और 15 सौ की जगह 15 हजार सुनायें। एक तथ्य मन्जूर हो गया। एक तथ्य मन्जूर हो जाने के बाद में एड्रेस को आथेन्टिकेट करने का प्रश्न आता है। मैं आपसे भविष्य के लिये निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह की व्यवस्था सदन में या सदन के बाहर चल रही है, गवर्नर किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सारा जिस प्रकार का ढांचा चल रहा है, उसमें गवर्नर को यह अनुमति दे दी कि जो चाहे वह बोल सकते हैं, सरकार के लिखे हुए का आथेन्टिकेशन होगा तो इसके परिणाम घातक होंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप उचित समझें, और मैं समझता हूं, आप उचित समझेंगे, इसमें एडवोकेट जनरल की भी राय ले लें ताकि आपके हाथ स्ट्रेन्थन होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रश्न पर एडवोकेट जनरल की ओपिनियन ली.........

(व्यवधान)

कोई दबाव नहीं, कोई सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विस्तार पूर्वक आपने बहुत साफ कहा है।

श्री दुलाराम : आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप चिन्ता मत करिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपमें सुप्रीम कोर्ट की हैसियत होती तो आप या तो इनको अध्यक्ष बनाते या मंत्री बनाते।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष का आसन कम है क्या? आप उपाध्यक्ष के आसन की गरिमा को कम कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके वास्तविक गुणों का बखान कर रहा हूं और यह सब ××× कर रहे हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है, आपको रूलिंग में कोई दिक्कत आये

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। मुझे कुछ दिक्कत नहीं है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जितनी रूलिंग दें, सोच समझकर दें। इसलिये मैंने कुछ कहा या नहीं कहा...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सब नोट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो नोट किये हुए के आधार पर जो उचित समझें, दें। कई ऐसे उद्धरण हैं, कई ऐसे निर्णय हैं, वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना, ना। कृपया बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो पाइन्ट रह गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइन्ट नहीं रहे हैं तीनों पाइन्ट जो दिये हैं,वह सब साफ हो गये।

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय आप देखिये 168। आप सुनिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सहायता के लिये कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय बहुत कीमती है, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय आर्टिकल 168 आप सुनिये तो सही, 168 का बाज फर्स्ट, इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट ओनली।

श्री नाथूसिंह : सुन लीजिय। For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor...." उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय इस सदन के अभिन्न अंग हैं। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसके पहले पाइन्ट में आपने कहा है राज्यपाल महोदय ने बैठे बैठे जो भाषण दिया। इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा।

श्री बुलाराम : यह रिपीट कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं रिपीटिशन नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी चीज हो तो कहिये। जो इन्होंने कहा है वह रिपीट मत करिये।

श्री माणकमल मेहता : पहले पाइन्ट सुनिये किस पाइन्ट पर कहना चाहते हैं?

श्री नाथूसिंह : सदन के अभिन्न अंग हैं राज्यपाल महोदय और जो इस सदन के अभिन्न अंग हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह आप जानते हैं, सदन के माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय जब भी कोई बोलते हैं. हाउस की परमिशन लेकर बैठ कर बोल सकते हैं, लेकिन उसके पहले बैठे-बैठे बोलना उचित नहीं है। इसलिये 168

श्री उपाध्यक्ष : 168 में कुछ भी नहीं है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल भी इस सदन के अभिन्न अंग हैं। जब एडवोकेट जनरल यहां आकर अपनी राय देते हैं, तो कभी बैठे-बैठे नहीं देते हैं। आपने देखा होगा। इसलिये इस आर्टिकल के तहत राज्यपाल महोदय सदन के अभिन्न

(श्री नाथू सिंह)
अंग हैं और उनको चाहिये कि वे खड़े होकर भाषण दें ।

तीसरा पाइन्ट है राज्यपाल महोदय ने गवर्नर एड्रेस में लिखा है, इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय ने पिछले सैशन में रूलिंग दी है, उसकी एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्यों कि उस समय मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट ने जजमेन्ट दिया है जो उन्होंने इसमें कहा है

श्री उपाध्यक्ष : जो रूलिंग है उसकी दो लाइन पढ़ दें ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पेज 28 इसमें जो रूलिंग दी है, जो जजमेंट है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । इन्होंने लिखा है "A person asked to discharge the functions of the Governor of a State under Article 160 need not possess the qualifications mentioned in Article 155 of the Constitution, because he is not termed as Governor." मैं इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो वर्तमान राज्यपाल कल्याण दत्त जी शर्मा हैं, उनको आर्टिकल 160 के अन्तर्गत यहां मनोनीत किया गया है। जिस व्यक्ति को 160 के अन्तर्गत नियुक्त किया जायगा for discharging the duties of Governor वह गवर्नर नहीं होगा । अदर वाइज गवर्नर होता तो उनको 155 के अन्तर्गत अपाइन्ट किया जाता । इनका आर्टिकल 155 के अन्तर्गत अपाइन्टमेन्ट नहीं है, आप अपाइन्टमेन्ट लैटर देख सकते हैं । इनका अपाइन्टमेंट आर्टिकल 160 के अन्तर्गत है।

दूसरा पाइन्ट, इसमें उन्होंने आगे लिखा है "Thus, the functionary discharging the functions provided under Article 160 cannot be termed as Governor within the meaning of Article 155 of the Constitution." इसलिय, उपाध्यक्ष महोदय, 160 के अन्तर्गत अपाइन्टमेंट है न कि 155 के अन्तर्गत, इसलिय वह राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। अगर वह राज्यपाल होते फिर 174 आर्टिकल है उसमें लिखा है, गवर्नर । यह गवर्नर नहीं हैं He is discharging the duty of Governor.

श्री उपाध्यक्ष : आपने दो बातें कही हैं, दोनों बातें सुनलीं ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सुन ली । वह मुझे मालूम हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है, आप अध्यक्ष महोदय की रूलिंग पढ़ें, तो उन्होंने स्वीकार किया है, वह गवर्नर नहीं हैं । वह गवर्नर की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । उन्होंने राज्यपाल लिखा है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मर्यादा का भी ध्यान है आपको । आसन पैरों पर है और आप बोले जा रहे हैं । आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

आपने कोई नई बात नहीं की है। आप तशरीफ रखिये। आसन पैरों पर है। मैंने बहुत गौर से बात सुनी है आपकी। बहुत गौर से विधि मंत्री जी को भी सुना...

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : Please excuse me. I will not allow.

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट। Only one minute. आपका ध्यान रूल 271 की ओर दिलाना चाहता हूं –

"A member desiring to make any observations on any matter before the House shall speak from his place, shall rise when he speaks and shall address the Speaker."

तो यह अभी आपने कहा कि गवर्नर साहब इस हाउस के मेंबर हैं। कोई मेंबर सदन को एड्रेस करेगा तो उसके लिये रूल 270 एप्लीकेबल है। आप जो निर्णय दें इस नियम को भी ध्यान में रखें।

श्री मानकमल मेहता : He is not a member of the House.

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला उठाया जा सकता था उस समय जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होती लेकिन फिर भी मैंने आपको अलाउ किया और पूरे गौर से सुना, नोट किया, विधि मंत्री जी ने आपत्तियां उठाई वह भी नोट की हैं।

जहां तक पहले पाइन्ट का ताल्लुक है उसमें राज्यपाल के बैठे बैठे अभिभाषण पढ़ने के प्रश्न पर आपत्ति की गई। यह मैं नहीं कहता कि यहां परम्परा ऐसी नहीं थी परम्परा थी। राज्यपाल खड़े होकर अभिभाषण पढ़ते हैं और अगर कोई बीमार होता है तो वह अनुमति ली है उन्होंने। लेकिन सवाल यह है मुद्दे का कि क्या राज्यपाल बैठे-बैठे पढ़ सकते हैं? क्या यह परम्परा जो यहां पड़ी हुई है, सही है? इन बातों पर विचार करना चाहिए। परम्परा बदलती रहती है। परम्परा अगर हेल्दी हो और अपनाई नहीं गई हो तो अपनानी चाहिये। मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह है किताब –

Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher.

इसके पेज 169 पर है –

"Thereafter, as the President sits down, the Presiding Officers occupy, and members and visitors in the galleries resume, their seats. The President then reads the printed address. After the conclusion of the Address. . . ."

यानि पढ़ने के बाद –

". . . .the President rises in his seat. . . ."

तो इसके मायने यह है कि बैठ कर रीड करेगा–

". . . .followed by the members and visitors in the galleries when the National Anthem is played again."

कन्कलूजन आफ दी एड्रेस के बाद में नेशनल एन्थम होगा तो खड़ा होगा इसके सामने

(श्री उपाध्यक्ष)
यह है कि बैठे बैठे स्पीच पढ़ सकता है। यह प्रिजम्प्शन है उनको राइट है बैठे-बैठे स्पीच पढ़ने का। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। सदन की मानहानि का सवाल इसमें नहीं उठता। इसलिये अगर आइन्दा भी कोई गवर्नर साहब एड्रेस करना चाहते हैं बैठे-बैठे तो मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरा पाइन्ट यह है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह कहा है, 11 हजार। यह बात सही है। उन्होंने अपने ओरल एड्रेस में 11 हजार, 11 सौ की बजाय, 15 सौ की बजाय 15 हजार कह दिया है। लेकिन क्या यह बदनीयति थी? यह नोइंगली था? मैं भी यहां बैठा था। उनसे 11 हजार अननोइंगली निकल गया ऐसा लगता है मुझे। यह स्लिप आफ टंग कहा जा सकता है। मैं जानता हूं, वह चीफ जस्टिस आफ राजस्थान भी रहे हैं। मैंने भी उनके सामने बहुत वर्षों प्रेक्टिस की है। अपोजिशन के लीडर ने जो रेफरेंस दिया आई.पी.सी. का यह उस वक्त लागू होता है जब नोइंगली फाल्स बात कहें, यानि मेलाफाइडी हो या गलतबयानी करें तो सवाल पैदा होता है वरना अगर कोई बोनाफाइडी अननोइंगली निकल जाय 11 हजार निकल जाय 11 सौ के बजाय तो जो आथेंटिकेशन, किया प्रिंटेड पर दस्तखत किये हैं वह आथेंटिक कापी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रिंटेड पर दस्तखत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रिंटेड पर नहीं है लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसमें 11 सौ लिखा हुआ है और 15 सौ भी लिखा हुआ है वह मैंने पढ़ लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि प्रिंटेड पर दस्तखत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन कापी पर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Copy is copy। इसलिये ज्यादा गंभीरता से इसे मामले को न लिया जाय, कोई अननोइंगली मुंह से निकल गया हो तो आफेन्स की तारीफ में आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आई. पी. सी. का कोई प्रोविजन इस पर लागू नहीं होता।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकेण्ड।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने निश्चित रूप से इन्टेंशनली ही कहा क्यों कि बिना इन्टेंशन एक बार मुंह से निकल सकता है दो बार निकल सकता है बार-बार नहीं मगर उन्होंने इन्टेंशनली इसलिये कहा कि वह गवर्नमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं कि उनके वर्ड की कोई कीमत भी है क्या? अब यह गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वह उनके वर्ड्स का आनर करना चाहती है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट तो उसी बात का आनर करेगी जिस पर उन्होंने दस्तखत किये हैं वह आथेंटिकेटेड है इसलिये कोई महत्व नहीं है उनके बोलने का।

अब पाइन्ट तीन पर स्पीकर साहब ने पहले ही रूलिंग दे रखी है वह कायम रहेगी यानि-for all practical purposes he is Governor. गवर्नर की ही हैसियत से उनका फंक्शन है यह एड्रेस पढ़ना। इसलिये यह तीनों आपत्तियां मैं नामन्जूर करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री हीरालाल देवपुरा।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित सामग्री का विधान सदस्यों को वितरण

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह आपने यह फर्माया था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद प्रारंभ होने के पहले-पहले जो डाकूमेन्ट चाहिए रावी-व्यास, चम्बल यह सारे कागजात हमारे पास पहुंच जायेंगे ताकि हम इस पर ठीक से बहस कर सकें। परन्तु ये कागजात अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कारण हम इस पर ठीक से बहस नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी वारी आये तब कहियेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी देना चाहिए जो वर्णन किया गया है उस पर कैसे बोलेंगे? बारी आयेगी उसके बाद क्या बोलेंगे? सुबह आपने कहा था कि मंगायेंगे। भाषण के पहले आने चाहिये। मेरी बारी आज ही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया। सेक्रेटरी साहब को लैटर इश्यू हो गया। मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री ने कहा रावी-व्यास, चम्बल का जिक्र है....

श्री उपाध्यक्ष : ....अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(4.52 म. पे.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदया, मैं राज्यपाल महोदय को, निम्नांकित शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय ने इस सदन में आकर इस सत्र के प्रारंभ में अपने अभिभाषण में इस वर्ष अर्थात् 1981-82 के अन्दर राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका विवरण अपने अभिभाषण में पेश किया है। साथ ही साथ यह भी बताया है कि इस सत्र में, इस सदन के माननीय सदस्यों को किन-किन विषयों पर, किन किन मुद्दों पर विचार करके निर्णय लेने हैं।

सभापति महोदया, राजस्थान का यह वर्ष अगर मैं यह कहूं प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से दुर्भाग्यशाली वर्ष रहा है तो गलत नहीं होगा। प्राकृतिक आपदाओं को राजस्थान हमेशा से फेस करता आ रहा है, लेकिन इस वर्ष प्रारम्भ में फ्लड आया और उसके बाद अकाल की स्थिति आई और अकाल की भी पहले के मुकाबले में अधिक भयंकर स्थिति रही है, इस दृष्टि से कि कहीं-कहीं अकाल का यह तीसरा वर्ष है और कहीं-कहीं पर कुछ जिलों में अकाल का यह चौथा वर्ष है। इस स्थिति में राजस्थान राज्य ने जो उपलब्धियां प्राप्त की

(श्री हीरालाल देवपुरा)
हैं, जो फैक्टस हमारे सामने आये हैं, उससे हम राजस्थान सरकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते । राज्यपाल महोदय ने जो कुछ अभिभाषण में बताया है, किन कठिनाइयों में, किन परिस्थितियों में राज्य सरकार को यह उपलब्धियां प्राप्त करनी पड़ी हैं, उस स्थिति को अगर हम देखते हैं तो निःसन्देह यह प्रशंसनीय कार्य राज्य सरकार का रहा है । ज्यों ही वर्तमान सरकार या यह सरकार पदारूढ़ हुई, दुर्भाग्यवश इतनी भयंकर...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वर्तमान सरकार से आपका क्या मतलब है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वर्तमान सरकार यानि जो सरकार चल रही है, पदारूढ़ है । इस सरकार को एकदम फ्लड का सामना करना पड़ा और फ्लड भी ऐसा-वैसा नहीं, भयंकर फ्लड था जिसकी कि कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जयपुर में इस तरह का नजारा पैदा होगा । आस-पास के इलाकों की यह स्थिति हो जाएगी । यहां पर जो पहले फैक्ट्रीज थी, मकान थे, पैट्रोल पम्प थे, वह बह जाएंगे । उनका नामोनिशान नहीं रहेगा । खाइयां पड़ जाएंगी । यह स्थिति, जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई, यहां पर पैदा हो गई और राज्य सरकार को एकदम उस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सामने आना पड़ा । मैं, सभापति महोदया, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस हिम्मत और जिस साहस, हौसले के साथ उस स्थिति का मुकाबला किया गया उसकी न केवल राजनीतिक नेता बल्कि आम लोग प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते । उस वक्त सरकार ने मुस्तैदी से मुकाबला किया ? यह सही है कि उस वक्त लोगों ने भी सरकार को सहयोग दिया और उस स्थिति में चाहे खेती बरबाद होने का सवाल हो, चाहे खाइयों का सवाल हो, चाहे कहीं पर खाई पड़ी हो, लोगों के घर बरबाद हो गये, उनकी झुग्गी-झोंपड़ियां बरबाद हो गई, उन लोगों को भी सब तरह से रिलीफ दिया गया है खाने की दृष्टि से, दवाई की दृष्टि से, उनको बसाने की दृष्टि से, तो इस बात की सराहना किए बिना नहीं रहा जाता । राज्य सरकार की कभी भी कल्पना नहीं हो सकती थी, यह अनजाना एक्सपेन्डीचर, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, राज्य सरकार पर आ जायेगा । इस वक्त तक राज्य सरकार का जो खर्चा हुआ है वह लगभग 10 करोड़ रुपये है, जो फ्लड के कामकाज को पूरा करने की दृष्टि से, ठीक करने की दृष्टि से अब तक खर्च किया जा चुका है । अन्ततोगत्वा जितना काम पूरा होगा, मैं समझता हूं कि कम से कम 45/50 करोड़ रुपया इन पुलों के बनाने के अन्दर, दूसरी चीजों को रेस्टोर करने के अन्दर व्यय करना पड़ेगा । यह स्थिति है । सरकार अपनी योजना बनावे, कुछ काम काज प्रारंभ करे इसके पहले एकदम जुलाई के महीने में यह स्थिति रहे, अगस्त के महीने में यह स्थिति रहे और अगस्त के महीने में ही एकदम ड्राट कन्डीशन प्रारंभ हो जाये, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी । ऐसी स्थिति में पहले तो एक तरफ तो फ्लड आया और दूसरी तरफ राजस्थान के कई भागों में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति हो गई । ये दोनों स्थितियां ऐसी हो गई, ऐसी परिस्थिति में साधारण व्यक्ति भी चक्कर में पड़ जाता है कि कैसे समय निकालना पड़ेगा । फिर जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हों तो आप स्वयं सोचिये कैसी स्थिति उसकी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हो जाती है—फ्लड से निपटना और फिर अकाल की स्थिति से निपटना। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राजस्थान में हमेशा आते रहे हैं लेकिन गांवों के अन्दर जब भी अकाल घोषित किया जाता, है अभावग्रस्त गांवों की घोषणा की जाती है, वह फसल के तैयार होने के बाद, जिन्सवार हो जाती थी तब गांवों के अभावग्रस्त होने की घोषणा की जाती थी। सभापति महोदया, काम भी उसके बाद शुरू किये जाते थे लेकिन उस वक्त की स्थिति क र थी, फ्लड और अकाल की स्थिति थी, इसलिये राज्य सरकार को मजबूरन जो काम गत वर्ष चले थे उनको चालू रखना पड़ा और जहां पर खुले नहीं थे, सितम्बर महीने में अकाल राहत के लिये प्रति पंचायत चार टैस्ट वर्क शुरू करने पड़े। यह अनजाने में एक्स-पेन्डीचर राज्य सरकार पर आ गया, तो निश्चित बात है कि राज्य सरकार की जो अपनी योजना है, उन योजनाओं पर इसका प्रति-कूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। इस दृष्टि से कुछ लोग कहें कि जो उपलब्धियां हुई हैं, वह कम हैं तो मैं माननीय सदस्यों को चाहे वे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों, निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष राज्य सरकार की उपलब्धियों को इस परि-प्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। अगर इस परिप्रेक्ष में नहीं देखते हैं तो राज्य सरकार के प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे। इसलिये मेरा कहना है कि जो कुछ भी हमारी उपलब्धि रही है, उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो निश्चित रूप से मानना होगा कि अपने प्रयत्न पूरे किये उस स्थिति में जो सरकार करना चाहती थी वह करने की कोशिश की है। सरकार ने परिणामों पर पहुंचने का प्रयास किया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हूं और माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि इन स्थितियों में एक निश्चय किया, हम जो कुछ भी काम इस वर्ष में करना चाहते हैं, उसको समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार करें, उसके अनुरूप प्लान करके करें और उसको निपटाते हुए चलें। इस दृष्टि से उन्होंने बीस संकल्प लिये, संकल्प से मेरा मतलब कुछ बिन्दु उन्होंने लिये हैं। यह मिनिमम काम तो हमें समयबद्ध करने ही हैं।

यह काम हमको इन तारीखों के अन्दर पूरे करने हैं। पूरी शक्ति के साथ डिसीजन लेकर काम किया जिसकी कि यह उपलब्धि मिली। राज्य सरकार ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया जिसका परिणाम है कि आज कुछ कर पाये हैं।

पहला संकल्प लिया उन्होंने डीसेंट्रेला-इजेशन आफ पावर। डीसेंट्रेलाइजेशन आफ पावर की दृष्टि से चुनाव कराने का संकल्प किया। हमारे यहां पर जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं और जिला परिषदें हैं, म्युनिसिपैलिटी हैं और कोआपरेटिव सोसायटी हैं उनके कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे उनके चुनाव करायेंगे उनके चुनाव कराने का फैसला लिया। राजनैतिक दृष्टि से कई लोग सोचते थे कि क्या यह चुनाव कराने का फैसला सही होगा? काफी लम्बे अर्से से इन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए थे। 1978 में पंचायतों के चुनाव यह सही है कि जनता पार्टी के वक्त पर जरूर कराये गये थे, लेकिन पंचायतों के चुनाव के बाद पंचायत समितियों के चुनाव और पंचायत समितियों के चुनाव के बाद जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये गये। यह भी स्पष्ट है कि पंचायतों के चुनाव के बाद जब तत्कालीन सरकार को यह मालूम हुआ कि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होंगे और पंचायत समितियों और सम्भवतः जिला परिषदों के परिणाम हमारे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

फेवर में नहीं जायेंगे तो उन्होंने उनके चुनावों को रोक दिया। लेकिन तारीफ करता चाहूंगा वर्तमान सरकार की कि इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए कि परिणाम क्या होंगे और क्या नहीं होंगे सारा प्रोग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद पंचायत समितियों के चुनाव के हिसाब से नहीं और जिला परिषदों के चुनाव पंचायत समितियों के चुनाव के हिसाब से नहीं बल्कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव का प्रोग्राम साइमलटेनशियली साथ के साथ निकला और साथ के साथ निकाल कर चुनाव कराने की तैयारी की बिना यह देखे कि चुनाव परिणाम अनुकूल होंगे या नहीं होंगे। बहुत से लोग यह कहते थे सरकार के बारे में कि लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ गया है और लोग इस सरकार को नहीं चाहते हैं. धीरे-धीरे विश्वास खत्म करती जा रही है यह सरकार। मैं कहना चाहूंगा कि एक मौका दिया सरकार ने उनको जिससे यह साबित हो गया कि राजस्थान में कांग्रेस (आई) को जो 1980 में विश्वास इन्दिराजी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ था साबित हुआ था सन् 1980 में पार्लियामेंट के चुनाव हुए और उसके बाद विधान सभा के चुनाव हुए थे और ऐसा लगता था कि उस समय चूंकि जनता पार्टी का शासन था इसलिये सारे हिन्दुस्तान में इन्दिरा कांग्रेस का शासन नहीं आयेगा, पर हिन्दुस्तान के नागरिकों ने और राजस्थान के नागरिकों ने कहा कि केवल मात्र इन्दिरा ही है जो देश को नेतृत्व दे सकती हैं, देश को ठीक रास्ते पर ले आ सकती हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में और विधान सभा में इन्दिरा कांग्रेस को पुनः बहुमत देकर सरकार पुनः कायम करवायी। लोग इसके बाद से बराबर कहते जा रहे हैं कि आम तौर पर धीरे-धीरे श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति विश्वास में कमी आ रही है उनका नेतृत्व ढीला पड़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा है लेकिन इन पंचायतों के जो चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव भी किसी तरह से विधान सभा के चुनावों से कम नहीं होते हैं और इनमें कई दूसरे तरह के झगड़े भी होते हैं, लोकल झगड़े भी होते हैं लेकिन इन चुनावों के परिणाम देखें, चाहे पंचायतों के चुनाव परिणाम देखें, चाहे पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम देखें, चाहे जिला परिषदों के चुनाव परिणाम देखें इन चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान के अन्दर आम लोगों का विश्वास इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में है और इन्दिरा गांधी की कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनमें पूरा विश्वास है। कुल 236 पंचायत समितियों में से 179 पंचायत समितियां कांग्रेस की बनीं और जिला परिषदें जो कि हमारे 26 जिलों में 26 हैं उनमें 26 के 26 में आज कांग्रेस की जिला परिषदें कायम हैं।

पंचायतों के जब चुनाव हुए थे और परिणाम आये थे तो राजनैतिक दलों ने अपना-अपना बहुमत साबित करने की कोशिश की और बराबर अखबारों में पब्लिसिटी हुई कि पंचायत समितियां हमारी बनेंगी तब भी हमने एक ही बात कही कि इन पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव होने दो, जब इनके प्रधान बनेंगे और जिला परिषदों के चुनाव होंगे और जिला प्रमुख बनेंगे तब पता लग जायगा कि दरअसल में किसका बहुमत है ?

हम पंचायतों के स्तर पर दलगत राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं इसलिये राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम दलगत

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आधार पर चुनाव नहीं करायेंगे । पर उनमें अधिकतर कांग्रेस की विचारधारा के सरपंच बने। यही कारण बना कि आज 236 पंचायत समितियों में से 179 पंचायत समितियां कांग्रेस की बनीं और यही कारण बना कि पंच और सरपंच तथा प्रधान इतने कांग्रेस के आयें कि 26 की 26 जिला परिषदें कांग्रेस की बनीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संकल्प इस सरकार ने लिया था उस संकल्प को, दृढ़ता के साथ और मजबूती के साथ पूरा किया। सरकार ने जो बहुत दिनों से चली आ रही निर्जीव पंचायत समितियां, जिला परिषदें और पंचायतें थीं उनको एक्टिव किया। साथ-साथ यह घोषणा कर दी कि हम पंचायतों को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं, काम करने के लिये ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। जिसकी घोषणा 30 जनवरी को बीकानेर में हुयी। अब ऐसा लगता है कि हमने जो पंचायती राज की कल्पना, पंचायतों के एक स्वरूप की जो कल्पना की थी, सन् 1959 में जो शुरु हुयी थी, सत्ता के डीसेंट्रेलाइजेशन की जब कल्पना की गयी थी कि इनके माध्यम से जन-शक्ति का उपयोग करके हम राजस्थान के अन्दर और अधिक विकास का काम कर सकेंगे मैं समझता हूं कि उस समय हमने जो स्वप्न देखा था, जो कल्पना की थी अब इस पंचायती राज के आने के बाद में एक तरह से कहना चाहिए कि जो पंचायती राज चल रहा था निर्जीव अवस्था में उसको पुनर्जीवित किया है इस पुनर्जीवन के कारण ऐसी आशा बंधी है।

हमारा मूल मकसद जो पंचायती राज की स्थापना का है वह जन-शक्ति के उपयोग का है। हमारे पास साधन नहीं हैं, साधनों की कमी है, आर्थिक दृष्टि से मैं समझता हूं कि हम जो योजनाएं बनाते हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हैं लेकिन राजस्थान में हमारे जो नीचे के स्तर के नेता डवलप हो रहे हैं, पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख उनके माध्यम से अगर हम जन शक्ति को प्राप्त कर लें और उनके माध्यम से और उनसे काम करायें तो निश्चित बात है कि कम समय में ज्यादा काम कर पायेंगे और आसानी से कर सकेंगे। तो जो एक संकल्प इस दृष्टि से लिया था वह सामने आया और उसको सफलतापूर्वक पूरा किया और यह सरकार आगे निकली।

इसके साथ-साथ नगरपालिकाओं के चुनाव सामने आये। नगरपालिकाओं के चुनाव के बारे में यह कहा जाता था कि गांवों के अन्दर सम्भवत: लोग चूंकि कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, लोग दबाव में आ गये और गांवों की जनता पर जल्दी दबाव पड़ सकता है इसलिये वहां पर कांग्रेस की सत्ता हो गयी लेकिन अरबन एरिया में म्युनिसिपल एरिया में चुनाव होंगे तब असली बात का पता चलेगा। नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। जिन 143 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए। इन 143 नगरपालिकाओं में से आज की तारीख तक 100 से ऊपर नगर पालिकायें कांग्रेस के पक्ष में हुई और लगभग 25 नगरपालिकायें बी. जे. पी के पक्ष में गयीं, बीस हैं या बाइस हैं पूरा नम्बर याद नहीं है। इससे भी यह साफ दिखायी देता है कि दरअसल में अरबन एरिया में भी इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त किया गया। इन्दिरा कांग्रेस में आस्था और विश्वास है। आप वोट करा कर देख लें और चाहे किसी तरह से देख लें। कई जगह इन्डिपेंडेंट केन्डीडेट्स आये उनके बारे में बराबर यह कहा जाता रहा है ये हमारे हैं और अपना

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बहुमत पार्टियां बताती रहीं लेकिन जब अध्यक्षों के चुनाव हुए तब पता चला कि वे इन्डिपेंडेंट किस विचारधारा के लोग हैं और उनको जनता ने किस विचारधारा का मानकर चुना है। इससे निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं कि दरअसल में आज भी आम लोग चाहे अरबन एरिया के हों या रूरल एरिया के हों ये परिणाम आज स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि किसको चाहते हैं। बाकी नगर पालिकाओं के चुनाव भी जैसा कि राज्य सरकार की ओर से कहा जाता है कि विधान सभा के सत्र समाप्ति के बाद करायेंगे उनके परिणाम भी ठीक इसी प्रकार से हमारे सामने होंगे।

श्रीमन्, मेरा कहने का मतलब यह है कि पहला संकल्प जो इन बीस संकल्पों में से सरकार ने लिया पूर्ण चुनाव करने के बारे में था उसको सफलतापूर्वक पूरा किया। कोआपरेटिव के चुनाव भी ठीक इसी प्रकार से आज बराबर चल रहे हैं और कई जगह हो चुके हैं। और जिन कोआपरेटिव के बाकी हैं उनकी तारीखें निश्चित की गयी हैं। मैं समझता हूं कि जो तारीख निश्चित की गयी है इस वर्ष की अन्तिम तारीख, इस आर्थिक वर्ष की अन्तिम तारीख 31 मार्च तक पूरे हो जायेंगे। इस दृष्टि से पहला संकल्प जो लिया था चुनाव का जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक डीसेंट्रेलाइजेशन का बड़े उत्साह से संकल्प पूरा किया। डेमोक्रेसी सही, निश्चित अवस्था में आ गई है।

शिक्षा की दृष्टि से बढ़िया शिक्षा की बात की गई। शिक्षा का प्रसार तो काफी हुआ किन्तु शिक्षा के साथ जब तक उसका गुणात्मक विकास नहीं हो तब तक उसका पूरा लाभ मिल नहीं पाता। विस्तार की दृष्टि से हमने फैलाव किया उसके साथ हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि हम स्कूलों को छांट लें उनको डवलप करके आगे बढ़े धीरे-धीरे इस भावना के साथ राजस्थान के सब स्कूलों को किताब मिल सकें भवन तैयार हो सकें आज हमने शिक्षा का बहुत प्रसार किया। उसमें भी राजस्थान के अन्दर हर पंचायत समिति के अन्दर चाहे प्राइमरी, चाहे अपर प्राइमरी, सैकन्डरी या हायर सैकण्डरी स्कूल हों उनके जितने लक्ष्य रखे गयें हैं वहां पर पुस्तकें वितरण भवन निर्माण की व्यवस्था की गयी और उस ओर सरकार आगे बढ़ती जा रही है। इसमें मैं एक निवेदन सरकार से करना चाहूंगा कि आपने प्रसार तो किया, भवन निर्माण और सुधार की दृष्टि से आपने कुछ अमाउन्ट भी निर्धारित किया सैकण्डरी स्कूल के लिए 30 हजार, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए दूसरा अमाउन्ट खर्च करने के लिए चूंकि जब आपने 20 संकल्प अपनाने का निर्णय लिया था और उस संकल्प को तय किया उस वक्त तक चूंकि पंचायती राज संस्थायें ठीक तरह से कार्य करने की स्थिति में नहीं थीं, चुनाव होने के बाद में, मैं यह कहूंगा आज आपने स्कूल की पूरी जिम्मेदारी डिपार्टमेन्ट को सौंपी और डिपार्टमेन्ट के माध्यम से सामग्री पहुंचा रहे हैं। डिपार्टमेन्ट और हैड मास्टर के माध्यम से ही सारे कन्स्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपने उसमें जन सहयोग की शर्त भी रखी है। डिपार्टमेण्ट या हैडमास्टर से जन सहयोग की अपेक्षा करके चलेंगे सो वह नहीं मिल पायेगा। उसके लिए अब जो पंचायत राज संस्थायें तैयार हो गयी हैं उसके माध्यम से उसके द्वारा अगर आप काम करेंगे तो जन सहयोग की कल्पना पूरी हो सकती है। प्रधानाध्यापक को ड्यूटी दे दें कि वह ही

(श्री हीरालाल देवपुरा)
सारी स्कूल की विल्डिंग को ठीक करवा देगा, इक्विपमेण्ट का जहां तक प्रश्न है वह तो ठीक से भेजे हैं। भेजे गये इक्विपमेण्ट में भी आपने जन सहयोग की कल्पना की और कुछ भी खरीद कर वहां भेज दिया कि वे आधा पैसा वसूल कर लेंगे लेकिन हैडमास्टर सक्षम नहीं हो पायेंगे चाहे इक्विपमण्ट की वात हो, चाहे भवन निर्माण की वात हो, उसमें जन सहयोग की वात होगी, काम को आप पंचायत समिति के माध्यम से, उनके सहयोग से और उनके स्तर पर उनको जिम्मेदारी देकर करायेंगे तो निश्चित रूप से जन सहयोग मिलेगा और इस काम के अन्दर आप सफल हो सकेंगे ।

आपका एक संकल्प है गरीबों को छप्पर देना। यह कार्यक्रम, सभापति महोदय, हमारे पहले 20 पाइन्ट प्रोग्राम में भी था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले भी पंचायत समितियों के क्षेत्र में आवासीय भूखंड जिनके पास नहीं थे, रहने के मकान वनाने के लिए जिनके पास जगह नहीं थी उन गरीब भूमिहीन लोगों को भूमि के पट्टे दिये गये, मकान भी बनाये गये थे। वह काम बीच में शिथिल पड़ गया और ठीक तरह से चल नहीं पाया कुछ लोगों के मकान वन सके, कुछ के नहीं। बीच में सरकार दूसरी आ गयी थी लेकिन ज्यों ही पुनः कांग्रेस की सरकार आयी यह संकल्प लिया कि इस कार्यक्रम को फिर से हाथ में लिया जाय। यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पंचायत समिति में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनके आधार पर आज पंचायत समिति के अन्दर लोगों को आवासीय भूखंड आवंटित किये गये हैं, आवासीय भूखंड आवंटित ही नहीं किये गये बल्कि कुछ और लक्ष्य निर्धारित किये गये कि निश्चित नम्बर के मकान रहने के काबिल बनाये जायें, हम भूखंड ज्यादा दे रहे हैं लेकिन चूंकि विशेष लेवल के नीचे के लोग, गरीबी की रेखा के नीचे लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं उनको कुछ आर्थिक मदद देकर भी उनके मकान पूरे करवा रहे हैं । 750 रुपये उसके लिए सब्सिडी तय की गयी। उसके आधार पर मकान वनवाने का फैसला किया । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस दृष्टि से हमने इस प्रोग्राम में काफी काम किया है ।

(सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक द्वारा अवमानना)

भूखंड आवंटन का लक्ष्य हमारा एक लाख का था और उसमें से लगभग 92 हजार आवंटित किये जा चुके हैं । इसी प्रकार भवन निर्माण का लक्ष्य हमारा 30 हजार का था उसमें से 8,555 भवन बनाये जा चुके हैं और साढ़े ग्यारह हजार निर्माणाधीन हैं। मतलब यह कि लगभग 20 हजार भवनों के लिए सब्सिडी दी जा चुकी है, इस तरह से इसमें भी हम काफी आगे बढ़े हैं । आज एक समस्या जो गरीबों के मकान की समस्या है वह समस्या सुलझाने में हमने काफी प्रगति की है। यह सब जैसा मैंने कहा टाइम वाउंड प्रोग्राम रखा । एक निश्चित तारीख तय करके इस संकल्प का मतलब यह है कि कोई निश्चित तारीख तक इस कार्यक्रम को पूरा करना है। उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिली है ।

इसी तरह से हमारे संकल्प में फैमिली प्लानिंग की वात है, हमने ऊर्जा के दूसरे स्त्रोतों की वात की है । आज सभापति महोदया, बिजली की बहुत कमी है लेकिन आज देहातों के अन्दर बहुत काम ऐसे हैं जिनको वहां की स्थानीय दृष्टि से ऊर्जा पैदा करके गोबर गैस प्लांट के माध्यम से, इसका काफी उपयोग करके

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करा सकते हैं। लेकिन मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इस ओर जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी नहीं हो पायी है। इसके लिए इसके कारणों के ऊपर जाना पड़ेगा। जहां तक मैं महसूस कर पाया, मैंने कुछ जगह सम्पर्क किया, इसमें ज्यादा कठिनाई आ रही है कि जो बैंक से लोन मिलता है गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए, उसके लिए आपने सीमा तय कर रखी है। आपने जितनी सीमा तय कर रखी है उस वक्त उसकी कीमत कम थी लेकिन आज भी प्लांट लग रहे हैं उसके साइज के हिसाब से जो लोन आप दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं उसमें वह नहीं लगा पाते और आज का गरीब किसान इस स्थिति में नहीं है कि अपने आप गोबर गैस प्लांट लगा कर खड़ा कर सके। इसलिए इस प्रोग्राम में जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है। लोग चाहते हैं कि गोबर गैस प्लांट लगे। यह पापूलर होता जा रहा है इसका कोई विरोध नहीं है लेकिन साधनों की दृष्टि से उसको पूरे साधन नहीं मिलेंगे तो इसमें सफलता भी नहीं मिल सकती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं ऐसा समझता हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव में मूवर के लिये समय की पाबन्दी नहीं होगी।

सभापति महोदय, इसी तरह से फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम है। यह बात तो सही है कि हमारी सब योजनायें एक तरफ रह जायेंगी अगर इस प्रोग्राम को गंभीरता से नहीं लेंगे। जनसंख्या बढ़ती जायेगी, हमारी दूसरी योजनायें बनती चली जायेंगी पर अगर जनसंख्या का नियन्त्रण नहीं किया तो कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, न आय बढ़ने वाली है। उत्पादन बढ़ाना है तो उसका कोई लाभ दिखने वाला नहीं होगा। आज हम 30 वर्षों में काफी प्रोग्रेस कर पाये उत्पादन की दृष्टि से भी और आय बढ़ने की दृष्टि से भी लेकिन प्रति व्यक्ति आय जब हम निकालना चाहते हैं जितनी बड़े रूप में दिखाई देती है उसका लाभ दिखाई नहीं देता। उसका मूल कारण यह है, सभापति महोदय, आज जनसंख्या उस गति से अधिक बढ़ती चली जा रही है जिस गति से उत्पादन बढ़ा रहे है, आय हमारी बढ रही है। इसलिये प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उस रूप में हमारी प्रोग्रेस हो नहीं पायेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है हिन्दुस्तान जैसे मुल्क के लिए और राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है कि हम जनसंख्या के ऊपर नियन्त्रण करें और उस दृष्टि से गम्भीरता से इस प्रोग्राम को लें, इस प्रोग्राम को लेने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। इस प्रोग्राम के आधार पर 74 75 और 76 में, जब इस प्रोग्राम को लिया गया था और इस प्रोग्राम के ऊपर काम करने की दृष्टि से आगे बढ़े थे, ठीक उसके तरीकों के अन्दर या उसकी अप्रोच के अन्दर थोड़ी बहुत गलतियां रही हों लेकिन जिस तरह से उस वक्त विरोधी पार्टीज ने इसका गलत प्रचार किया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस सत्ता में थी, जो भी दूसरी सामने वाली पार्टी थी उन्होंने उसका फायदा उठाया और उसको गलत तरह से प्रचारित किया और इस प्रोग्राम को ठेस पहुंचाई। कांग्रेस तो हारी राजनतिक पार्टी है, कभी जीतेगी कभी हारेगी। हम क्लेम नहीं करते कि रोजाना कांग्रेस जीतती ही चली जायगी दूसरी कभी आयगी ही नहीं। यह तो राजनीतिक क्रम है, यह तो हमारा चुनाव का क्रम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है,कभी हार भी जायेंगी तो कभी जीतेंगे भी। उसका कोई गम नहीं है लेकिन जो एक इम्पार्टेन्ट प्रोग्राम था, एक मुख्य प्रोग्राम था जिसके ऊपर सारे देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, उस प्रोग्राम पर ठेस पहुंची, चोट पहुंची। उसकी वजह से वह प्रोग्राम जिस गति से आगे बढ़ना चाहिये उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। एक बार अपने फायदे के लिये उस प्रोग्राम को डीफेम करके लोगों को हमने भड़का तो दिया लेकिन अब जिम्मेदारी आई हमारे ऊपर तो जिनको भड़काया, उन लोगों को संभालने में मुश्किल होती है। हमारे यहां पर एजूकेशन इतनी प्रचलित नहीं है,शिक्षा की कमी है इसको तो मानना पड़ेगा। एक बार जब हम लोगों को किसी प्रोग्राम के लिए भड़का देंगे तो वापस उसी प्रोग्राम को लेकर जायेंगे तो एकाएक उनकी समझ में नहीं आने वाला है, वह चमके हुए मिलेंगे और वह चमक आज भी बैठी हुई है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों से, सबसे, इस प्रोग्राम को हम सबको गम्भीरता से लेना चाहिये और अपने क्षेत्र में इस प्रोग्राम को पूरा कर पायेंगे तो मैं समझता हूं हमारी जो योजनायें हैं हमें उन योजनाओं का लाभ मिलता हुआ नजर आयेगा। बाकी हम योजनायें बनायेंगे, हमारा इरिगेशन भी बढ जायगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जायगा, लेकिन जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं हुआ तो लाभ नजर नहीं आने वाला है। इसलिए यह जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की ओर माननीय सदस्यों का जोर बहुत आवश्यक है, सभी राजनैतिक दलों का ज़ोर बहुत आवश्यक है। इसमें जो सफलता मिली उससे भी सन्तोष जरूर होता है लेकिन इसमें अधिक काम करने की आवश्यकता है।

ठीक इसी तरह से दूसरे संकल्प भी हमने लिये हैं। सभापति महोदय, संकल्प में हमारे कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको जनरल वे में ही कहना चाहूंगा। हमने कोटा थर्मल की बात हमारे संकल्प में की है, हमने राजस्थान नहर की बात बीस संकल्प में की है ठीक है, इस वर्ष के लिए टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के हिसाब से आपने कुछ लक्ष्य तय किये हैं, इतने किलोमीटर राजस्थान नहर बनेगी और हिसाब से प्रोग्राम लेकर चलेंगे तो निर्धारित समय में हमारे काम को पूरा कर सकेंगे। लेकिन हमारी मान्यता है, सभापति महोदय, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए प्रान्त और देश के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है तो बिजली और पानी की आवश्यकता है। बिजली पर्याप्त हो तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा, हमारे प्रान्त का विकास होगा। ऐसे ही हमारे पास पानी पर्याप्त है तो हमारे प्रान्त का विकास होगा। राजस्थान नहर की बात, कोटा थर्मल की बात को लेकर चल रहे हैं इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि बिजली और पानी पूरे राजस्थान को मिलता है तो जमीन राजस्थान के पास बहुत है, सोर्सेज हैं डवलपमें पाइन्ट आफ व्यू से, आर्थि दृष्टि से मैं बात करता हूं लेकिन हमारे यहां पर उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से काफी गुंजाइश है उसको केटर कर सकते हैं, अगर बिजली और पानी है। राजस्थान नहर आज काफी लम्बे अर्से से, बहुत लम्बे अर्से से चली आ रही है। अब मूल्य, राजस्थान नहर के प्राइस एस्कालेशन की वजह से जो निर्धारित लक्ष्य थे वह पूरे नहीं हो पाये, आज भी भार बढ़ते जा रहे है इसलिये राजस्थान नहर पूरी नहीं होती और दूसरी योजनायें भी पूरी नहीं हो पातीं इसलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि राजस्थान नहर के काम को प्राथमिकता के आधार पर लें। एक वर्ष के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिए या दो वर्ष के लिए हमारी दूसरी ऐसी योजनायें, जो तात्कालिक लाभ देने वाली नहीं है, भी बन्द करनी पड़ें तो करें लेकिन इस चीज में देरी नहीं हो। बन्द करने की बात मैं इसलिए कहता हूं कि आर्थिक स्थिति जो राजस्थान की है, रिसोर्सेज की स्थिति जो हमारी है उसे हम भुला नहीं सकते। उस स्थिति के अन्दर इस चीज को भुलाकर भी नहीं चल सकते। एम्बिशस क्यों? यह मुख्य मुद्दा है जिसकी वजह से एकदम लाभ मिलने वाला हो सकता है। मुझे प्रसन्नता है इस बात को कहते हुए कि पानी की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से हमारे मुख्य मन्त्री जी जागरूक हैं। अभी कहा गया कुछ डाकूमेन्ट्स विरोधी पक्ष के नेता ने सदन में मांगे जानकारी के लिए कि क्या फैसले किये, मुझे जैसी जानकारी मिली, रावी व्यास का पानी जो 8 मिलियन एकड़ फीट, 80 लाख एकड़ फीट, हमें मिलने वाला था, अभी जो बात हुई प्रधान मन्त्रीजी के इण्टरवेन्शन से, प्रधान मन्त्री जी की मध्यस्थता से, राजस्थान पंजाब, हरियाणा के बीच में हुई उसमें 86 लाख एकड़ फीट पानी मिलने की बात हुई तो मुझे खुशी है कि 6 लाख एकड़ फीट-पानी हमें रावी-व्यास के पानी से ज्यादा मिलेगा यह एक तरह से ठीक है लेकिन 6 लाख एकड़ फीट पानी का टाइम पर उपयोग नहीं कर सकेंगे तो यह पानी निश्चित रूप से पंजाब को जायेगा और धीरे-धीरे पंजाब अपने राइट्स एस्टेब्लिश कर लेगा और जिस दिन हम इस पानी को लेने की क्षमता में आयेंगे उस दिन दुविधा खड़ी हो जायेगी। चूंकि अब इस पानी पर राइट एस्टेब्लिश हो गये पंजाब के अन्दर फसल को देना शुरू हो गया और बाद में यह पानी मिलना मुश्किल होगा तो हमारे यहां पर प्राब्लम हो जायेगी। जितने पानी की जरूरत है उतना पानी नहीं मिल पाया इसलिए जल्दी करके जितना पानी हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उस पानी को यूटिलाइज करना है। आज भी हमारे सामने समस्या है कि हम पूरा पानी यूटिलाइज नहीं कर सकते इसलिए पंजाब ले जायेगा यह कहकर कि जब आपको जरूरत होगी जब यूटिलाइज कर सकेंगे तब दे देंगे। लेकिन यह कहने मात्र की बात रह जायेगी अगर राइट्स एस्टेब्लिश हो जायेंगे तो भारत सरकार का इन्टरवेन्शन भी दुविधाजनक हो जायेगा। उस वक्त यह नहीं सोचा जायेगा कि पंजाब को दें या राजस्थान को। एक प्रदेश काम कर रहा है, उत्पादन बढ़ा रहा है उससे पहले लाभ मिलने वाला है उसको पानी देंगे। इसलिए कितना ही जोर लगाना पड़े, कितनी ही ताकत लगानी पड़े, लगायें, ज्यादा लगायें, केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा साधन जुटायें और ज्यादा साधन लें, योजना को जल्दी पूरा करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं लिफ्ट स्कीम, जो राजस्थान कैनाल के ऊपर बनाई गई थी, तत्कालीन कांग्रेस सरकार राजस्थान केनाल चूरू जिले में, नागौर जिले में और जोधपुर के फलौदी एरिया में पानी ले जाने के लिये लिफ्ट योजना तैयार करके दूर तक ले जाना चाहती थी उससे राजस्थान कैनाल का प्रोग्राम नहीं बदला था। राजस्थान कैनाल का प्रारम्भिक प्रोग्राम बना हुआ था केवल पानी की इन्टेन्सिटी कम थी। 110 इन्टेन्सिटी की बात कही गई, हमने कहा 90 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी के ऊपर पानी देंगे और 90 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी के ऊपर पानी देने के बाद नागौर, चूरू, फलौदी तक लिफ्ट स्कीम से पानी पहुंचाया जा सकता है, इस पानी का उपयोग हो सकता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं अगर वह लिफ्ट स्कीम उस वक्त, जैसा कि सरकार ने मन्जर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की थी, ले ली जाती तो ग्राज हमारे सामने यह दुविधा नहीं होती ग्राज जो पंजाब हमारा पानी ले रहा है वह पानी पंजाब ले नहीं पाता हम उस पानी का उपयोग करने में सक्षम होते लेकिन दुर्भाग्य की बात है फिर मैं कहूंगा बीच में जो सरकार ग्राई उसने लिफ्ट स्कीम नहीं मानी ग्रौर नहीं मानने से क्या हुग्रा...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या जनता सरकार ने व्यवधान डाला था इसमें?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं यही कह रहा हूं, लिफ्ट योजना नही मानी, नहीं मानने से उसको डेफर कर दिया। नतीजा यह हुग्रा लिफ्ट योजना नहीं बन सकी ग्रौर लिफ्ट योजना नहीं बनने की वजह से पानी का उपयोग नहीं हो पाया ग्रगर उस वक्त लिफ्ट स्कीम बन जाती तो राजस्थान केनाल के पानी की उपयोग की जो रुकावट बनी हुई है वह नहीं ग्राती। योजना का पैसा है उसी से हमको लिफ्ट बनवानी पड़ती। लेकिन जो केनाल हमने बनाई ग्रौर कैनाल को हम ग्रागे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उससे इतना पानी उपयोग नहीं होता जितना इस लिफ्ट की वजह से होता। यह इसलिये नहीं होता क्योंकि जिस एरिया में यह पानी जाने वाला है उस एरिया में रिक्लेमेशन की इतनी प्रौब्लम नहीं है। राजस्थान कैनाल के बीकानेर के ग्रागे बढ़ने से जब वह जैसलमेर के हिस्से में जायेगी, जहां रिक्लेमेशन की प्राब्लम है उसमें ग्रापको समय लगेगा। लेकिन ग्रगर यह लिफ्ट बनती है जहां नागौर के एरिया में, चुरू के एरिया में जहां रिक्लेमेशन की इतनी मुसीबत नहीं है ग्रौर पानी चला जाता है, वहां हम उसका उपयोग करें।

श्री देवीसिंह भाटी : यह लिफ्ट कैसे चलेगी। उसमें बिजली नहीं है, बिजली की कमी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रापको जब समय मिले तब बोलें। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस राजस्थान कैनाल की अपेक्षा उस लिफ्ट स्कीम को जल्दी से पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि कैनाल की ग्रपेक्षा यह लिफ्ट का काम जल्दी हो जायेगा। उससे इरिगेशन के लिये पानी मिलेगा पीने को पानी मिलेगा।

(व्यवधान)

नो, नो ग्राप गलत ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बीस पर्सेन्ट इन्टेन्सिक्टी राजस्थान कैनाल की कम करनी है। मैं कह रहा हूं कि 20 पर्सेंट इन्टेन्सिटी राजस्थान कैनाल के ऊपर चलाई जा रही है ग्रौर इसके हिसाब से जो योजना बनी थी, हमने कहा कि भाखड़ा एरिया के ग्रन्दर 64-65 पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी से किसान पैदावार कर रहा है तो सौ पर्सेन्ट इन्टेन्सिटी क्यों दी जाये? तो, राजस्थान कैनाल का जो पानी है वह न केवल इरिगेशन के लिये, बल्कि जहां पर पीने के पानी की कमी है वहां पर उस पानी का उपयोग हो सकेगा इसलिये यह योजना बनाई थी, लेकिन यह योजना लागू नहीं हो पाई। तो मैं राजस्थान सरकार से चाहूंगा कि इस स्कीम को बड़ी गम्भीरता से लें, इसको देखें ग्रौर इसे तत्काल हाथ में ले जिससे जो पानी हमें रावी ग्रौर व्यास से मिलने वाला है उसका हम उपयोग कर सकें नहीं तो मुझे खतरा है कि जब तक हम इस योजना को पूरा नहीं कर पायेंगे तब तक हमें पानी नहीं मिल पायेगा। इसलिये यह बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से बिजली के बारे में भी, सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा। ग्राज राजस्थान के ग्रन्दर कहने के लिये हमारी कैपेसिटी 1100 मेगावाट है, हम इतना जैनरेट कर सकते हैं लेकिन उसमें पूरी कैपेसिटी देखेंगे तो 800

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मेगावाट है। 800 मेगावाट हम मानते हैं लेकिन वह भी पूरी नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे दो प्रोजेक्ट्स हैं एटामिक पावर प्रोजेक्ट नं. 1 और 2। दुर्भाग्य से वे इस तरह से चल रहे हैं कि उस कैपेसिटी से हमको मानकर भी नहीं चलना चाहिये। सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना कहना चाहूंगा कि राजस्थान के दोनों एटामिक प्रोजेक्ट्स में अधिक बिजली देने के लिये तैयारी करें 400 मेगावाट बिजली जो कभी नहीं मिली इन तीन वर्षों में, यह वर्ष भी शुरु हुआ लेकिन युनिट नं. 1 किस तरह से व्यवहार कर रहा है? यह हम भलीभांति देख रहे हैं। तो उस 400 मेगावाट के लिये हमें भारत सरकार को कह देना चाहिये कि यह 400 मेगावाट राजस्थान के खाते में डालकर के जो उसकी कैपेसिटी 1100 की है उसको माने नहीं। फिर राजस्थान के बारे में सोचे। तो फिर सोचा जा सकेगा कि राजस्थान में जो बिजली की कमी है वह कहां से दी जायेगी? यह हमें बहुत ही बड़ा घाटा हुआ है दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बिजली की दृष्टि से बहुत ही जागरूक होकर हमारे रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे। इन्हें बढ़ाने के लिए थर्मल कोटा स्टेशन को जल्दी तैयार करना होगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मार्च तक उसकी एक इकाई शुरु हो जायेगी। वह मार्च तक हो जाये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यह चाहूंगा कि कोटा थर्मल प्लांट पूरा-का-पूरा जल्दी से जल्दी हम पूरा करा सकें। जो आपकी कल्पना है 400 मेगावाट की, कुल मिलाकर उसमें से 200 मेगावाट जल्दी ले लें। यह थर्मल स्टेशन हमारा पक्का सोर्स है इसलिये वह जल्दी तैयार हो सके। जो बाकी सोर्सेज हैं वे हाइडल हैं और हाइडल सोर्स निर्भर करते हैं मानसून पर। अगर मानसून अच्छा न हो तो इसका असर इस पर पड़ता है, अकाल की दृष्टि से भी पड़ा और दूसरी तरफ बिजली की कमी से भी पड़ा। एग्रीकल्चर में भी इसका असर पड़ा है और इंडस्ट्रीज पर इसका असर आया तो दोनों ही तरफ से हानि हुई। इसलिये हाइडल सोर्सेज को हम पक्का सोर्सेज नहीं कह सकते। इसलिये बिजली की दृष्टि से मैं यही कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पानी के लिये जागरूक रहें हैं, बिजली के लिये भी कुछ तत्परता दिखायें। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि पार्वती और व्यास, आपने हिमाचल प्रदेश के साथ ये जो दो योजनाएं बनाने का फैसला किया जिससे 1250 मेगावाट बिजली आपको मिलेगी। वह एक लम्बा प्लान्ट है, लेकिन बिजली और पानी का प्लान्ट ऐसा है जिसको लम्बे अर्से तक रोका नहीं जा सकता और सोचें कि उसका परिणाम निकल नहीं सकता है। तो हमें दूसरी दृष्टि से भी अपने प्रोग्राम बना कर चलना होगा राजस्थान का विकास आज के लिए ही नहीं है, आने वाले समय के लिये भी है। इसलिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं वह हमें तैयार करके रखना ही होगा। तो जो 1250 मेगावाट की बात है वह अच्छी बात है, जिसे हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं, लेकिन इन बातों को कहने तक ही न रखा जायें, बल्कि इन बातों को कार्य रूप में परिणत किया जाये तो विश्वास बंध जाये। आज बिजली की कमी होने से जो आज इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एक गति पकड़ रहा था उसके अन्दर रुकावट पैदा हो गई तो। लोगों को यह महसूस होने लगा कि राजस्थान के अन्दर बिजली की कमी है और हम इंडस्टीज़ लगा कर क्या करें, क्योंकि पहले वाले इंडस्ट्रियलि-

(श्री हीरालाल देवपुरा)

स्ट कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस काम में हम तत्परता दिखायें और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें और इस काम की शुरुआत कर दें तो उनको विश्वास हो जायेगा कि प्रोजेक्ट शुरु हो रहे हैं इस लिए हमको बिजली मिलने लग जायेगी। दूसरी बात, मैं यह कहूंगा कि कुछ छोटे-छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, राजस्थान कैनाल पर भी हैं, हमारे चम्बल-राजस्थान कैनाल पर भी हैं, आबू में भी है कुछ दूसरी जगहों पर भी हैं। इसलिए यह जो छोटी योजनाएं हैं इनको हम पूरा कर दें तो कुछ जिलों में बिजली की पूर्ति कर पायेंगे और वहीं लाभ हमको मिलेगा। कोटा के अन्दर जोहमारी कैनाल जाती है मैं समझता हूं कि 10-12 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट वहां बन सकता है जिसकी बिजली से हम कम से कम वहां पर आस-पास के एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड को बचा पायेंगे। ठीक इसी तरह से आबू में है। इन छोटे प्लान्ट की तरफ भी हमें जल्दी ध्यान देना चाहिये। ये प्लान्ट ऐसे हैं जिनको हम जल्दी तैयार कर सकते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे रुके हुए हैं? इनको देखना चाहिये और इनको जल्दी से जल्दी शुरु करवायें। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब हमारे सामने बिजली के प्लान्ट्स हैं, बिजली हमारे पास कम है तो जो हमारे पास बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं हमको उन के लिये प्राइवेट सेक्टर के अन्दर जेनरेशन तैयार करना चाहिये। इससे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा और उनका सीधा सुधार होगा यदि इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम दूसरे प्रांतों के मुकाबले पीछे रह जायेंगे। इस दृष्टि से भी आपको सोचना चाहिये और वहां डीजल पम्प लेकर प्राइवेट इन्डस्ट्रियल एरिया के लिए रखना चाहिये। उस प्लान्ट से मैं मानता हूं कि जिससे कुछ बिजली का संकट दूर हो सकेगा इन सब बातों का संकल्प लेकर हम चलते है, प्रोग्राम पूरा करने की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, पूरा कर रहे है। आज कोटा थर्मल प्लांट को लिया और टार्गेट बना लिया कि हमको मार्च में बनाना है तो मार्च में पूरा हो जायगा। एकआध महीने का फर्क पड़ सकता है लेकिन अगर संकल्प में नहीं लिया तो क्या होगा? शायद लंबा चौड़ा हो जायेगा। यह अच्छी बात है कि कुछ कार्यक्रम संकल्प में लेकर उनकी डेट्स देकर पूरा करने का निर्णय लिया, उससे हमें लाभ मिला है। तो यह मैं पानी और बिजली के लिये कहना चाहता था। पानी के लिये मैंने राजस्थान कैनाल की बात की। इसी तरह से बड़े प्रोजेक्टस की बात आज चलती है, राजस्थान में जो भी हमारा पानी अवेलेबल है उस पानी को, जहां तक बड़े प्रोजेक्ट्स का सवाल है लिमिटेड जगह रह गई है जहां बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं चाहे सतलज या चंबल और दूसरी नदियां हैं उन सबको हारनेस कर लिया केवल के बेस के पानी को हारनेस नहीं किया। उसके लिये बनास वाली योजना, देवास वाली योजना को सैकन्ड, थर्ड, फोर्थ स्टेज पर हमें हाथ में लेना है उन योजनाओं को पूरा करके उस क्षेत्र के पीने के पानी की प्राब्लम को साल्व करेंगे और आदिवासी क्षेत्र में हम इरिगेशन की समस्या को साल्व करेंगे। इस क्षेत्र में हम इंडस्ट्रियल डवलपमेंट में जहां पानी की कमी आ रही है उसकी वजह से रुकावट आई है, उसको साल्व करेंगे। उन योजनाओं को हमें हाथ में लेना है तो बड़े प्रोजेक्ट्स की दृष्टि से एक एरिया बचा है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि जितनी छोटी-छोटी स्कीम्स हैं, छोटे-छोटे तालाब बने हैं छोटे छोटे एनीकट्स

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बने हैं, गरीब किसानों के लिये, आदिवासियों के लिये आज हमारा माइनर इरिगेशन की तरफ ध्यान कम जा रहा है, आम तौर पर बड़ी योजनाओं पर रुपया खर्च करने जा रहे हैं और बड़ी योजनाओं पर प्रति वर्ष खर्च करते चले जाते हैं लेकिन छोटी योजनाओं, माइनर इरिगेशन में पूछा जाता है कि कितना अलाटमेंट है ? 5 करोड़, कोशिश कर ली तो 6 करोड़। अब मैंने पूछा तो कहा कोशिश कर रहे हैं, अगले वर्ष 8 करोड़ की योजना बन जाय। तो 6-8 करोड़ से माइनर इरिगेशन की योजना पूरी होने वाली नहीं है। जितना ज्यादा माइनर इरिगशन, एनीकट्स की तरफ ध्यान दिया जायेगा, उतना ही ज्यादा बेनीफिट छोटे-छोटे किसानों को मिलेगा। गरीब को पहले, पिछड़े को पहले, यह हमने नारा दिया है। गरीब के स्तर को ऊंचा उठाना है। आपकी बड़ी योजनाओं से, निश्चित बात है, छोटे लोगों को फायदा नहीं मिला, बड़े लोगों को जरूर फायदा मिला। राजस्थान कैनाल में बड़े-बड़े काश्तकार आयेंगे, माही और दूसरी जगह लोग आयेंगे लेकिन छोटे किसानों को एक दो बीघा जमीन दी इससे उनको फायदा नहीं मिला उनके लिये एनीकट्स जो पहाड़ी इलाके में बनेगा वही फायदेमंद होगा। छोटा तालाब पहाड़ी इलाके में फायदेमंद होगा इसलिये इन माइनर इरिगेशन योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये। इन पर जो आपने कुछ ऐसे बना रखे हैं, बेनीफिट-कास्ट रेश्यो निकाला जाता है उसकी वजह से यह योजना पूरी नहीं होती। आप पहाड़ी इलाके में एनीकट्स बनायेंगे, मिट्टी पर नहीं बन सकते, उनको पक्का बनाना पड़ेगा तब पानी रुकेगा, उस पर एक्सपेंडीचर ज्यादा आयेगा, पानी का फैलाव ज्यादा होगा लेकिन बेनीफिट्स बहुत होंगे। जो फ्लो होगा उससे इरिगेशन तो होगा ही उस एरिया में। उस एरिया में जो जमीन के नीचे पानी है, उससे पीने के पानी की फैसिलिटीज बढ़ेंगी, पशुओं के लिये पानी की व्यवस्था, पानी मिलेगा तो उन सब बातों में बेनीफिट कास्ट रेश्यो निकालने के लिये आप केवल एक बात लेते हैं कि कितना फ्लो इरिगेशन को हो जायगा और कितने एकड़ जमीन पर पानी आयेगा, उसमें कितने एकड़ प्रोडक्शन बढ़ेगा, वही निकालते हैं। उससे आदिवासी इलाकों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और आपके बेनीफिट कास्ट रेश्यो निकालने के तरीके में जायेंगे तो माइनर इरिगेशन की स्कीम नहीं बनने वाली है।

(4.42 म. प.)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसका बेनीफिट डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली उस क्षेत्र में छोटे एनीकट्स से छोटे टैंक्स से होगा। ड्रिंकिंग वाटर के लिये कितनों को लाभ मिलेगा, अंडर ग्राउंड वाटर के लिये, कुओं के लिये, इरिगेशन बढ़ेगा, कितने ही कैटल को लाभ मिलेगा। अगर सारी बातों को लेकर बेनीफिट कास्ट रेश्यो निकालेंगे तो वह बैठ जायगा।

आज राजस्थान में, खास तौर से राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जरूरत है तो माइनर इरिगेशन की है। तो मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि जैसे टाइम बाउंड प्रोग्राम के आधार पर बड़ी बड़ी बातें लेकर चलना चाहते हैं इन छोटी बातों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन चीजों को देखें जिससे आप कह सकें कि छोटे-छोटे लोगों के लिये, जिनको ऊपर उठाना चाहते हैं, हमने योजना बनाई है। उनके लिये न बिजली लाभदायक हो पाएगी। उनके

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिये छोटे एनीकट्स और छोटे टैंक जो माइनर इर्रिगेशन के माध्यम से बनने शुरु हो जायेंगे, लाभदायक हो सकेंगे और उस पानी को लेकर हम किसानों के खेतों में पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। इस तरह से बिजली और पानी की योजनाओं को हम हाथ में लेकर यदि इन कामों को करेंगे तो हम जिन छोटे किसानों को लाभ देना चाहते हैं उनको लाभ मिल सकेगा। सभापति महोदय,....

श्री **उपाध्यक्ष** : अभी मैं मैसक्यूलिन हूं।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : मैंने सोचा शायद सभानेत्री जी बैठी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने 20 संकल्प कार्यक्रम बनाया उसके आधार पर भिन्न-भिन्न कार्यक्रम लिये हैं। राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम की ओर ध्यान आकर्षित किया है, एक नया 20 सूत्री कार्यक्रम प्रधान मंत्री ने देश को दिया है और उस कार्यक्रम के पीछे मूल भावना उत्पादन बढ़ाने की है, एग्रीकल्चर का, पशु उत्पादन और साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन.....

अनेक माननीय सदस्य : बिना बिजली के?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : हमने बिजली की बात की है। यह आर्थिक वर्ष 1981-82 31 मार्च को पूरा हो जायेगा। वर्ष 1982 83 जिसको उत्पादन वर्ष के रूप में हमने माना है तो हमारा एग्रीकल्चर और औद्योगिक प्रोडक्शन दोनों बढ़ें, उस दृष्टि से 20 सूत्री कार्यक्रम और 20 संकल्प कार्यक्रम दोनों को साथ जोड़कर इसका मानीटरिंग भी कर वायें। जो 20 संकल्प का करवा रहे हैं, जिला लेवल पर कमेटी आपने बनाई, पंचायत समिति लेवल पर कमेटी बन भी गई है, ठीक उसी तरह से वे कमेटियां केवल 20 संकल्प के लिये नहीं, बल्कि 20 सूत्री कार्यक्रम जिसके अंदर उत्पादन की दृष्टि से बात कही गई है उस कार्यक्रम को अगर आप लेंगे तो उसको भी टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से जैसे प्रधान मंत्री ने कहा है, राजस्थान में लागू करेंगे तो यह, पानी की योजना के लिये मैंने कहा और बिजली के लिये मैंने कहा, निश्चित रूप से उसके साथ आ जायगी। क्योंकि उसके बिना टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं बना सकेंगे। इसलिये आपको उस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मानकर इस कार्यक्रम के साथ उसको भी टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से अगले वित्तीय वर्ष में फुल सिन्सीरिटी के साथ शुरु कर देना चाहिये। जैसे संकल्प इस प्रोग्राम में लिये हैं उसी तरह से करेंगे, उस प्रोग्राम को भी शुरु करें तो, उत्पादन वर्ष हमने कहा है, वैसे उत्पादन की दृष्टि से हम प्रोग्रेस करते आये हैं और करेंगे, जो उत्पादन की दृष्टि से प्रोग्रेस होनी चाहिये उसको भी कर सकेंगे और हमारा लेवल दूसरे राज्यों के समकक्ष लाने में सफल हो सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष में हमारे कुछ आई. आर. डी. और एस. एफ. डी. प्रोग्राम चल रहे है उस ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने इन प्रोग्राम के अन्तर्गत छोटे किसानों को और कुछ ऐसे लोग, जो खेती नहीं करने वाले है, खेतीहर मजदूर टाइप हैं या गांव में मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं, उनके लिये कुछ योजनायें बनाई आई. आर. डी के तहत, उनको गाय, भैंस, बकरी, बैल देकर ठीक उसी तरह से एस. एफ. डी. में छोटे-छोटे एनीकट्स बनावाकर, हमने कुछ योजनायें बनाई हैं लेकिन इन योजनाओं के अन्तर्गत जितना लाभ उनको दिलाना चाहिये और

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बैंक से जितना लोनिंग करवाना चाहिये आज वह पूरा नहीं हो पा रहा है, क्यों कि हमारे बैंक की डिफरेंट-डिफरेंट एजेन्सिज डिफरेंट-डिफरेंट जगह काम कर रही हैं। आज जगह जगह पर हमारे कोआपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और उनकी स्थिति को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जिन कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से लोन दिया गया है उनकी हालत इतनी खराब है कि उनमें बहुत भारी डेफिसिट हो रहा है। आज उनकी डैफिसिट के कारण रिजर्व बैंक उनको पैसे एडवान्स करने में हिचकिचा रहे हैं। वह कोआपरेटिव बैंक को भी उन एडवान्सों को पूरा नहीं दे पाने के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिये उनकी हालत को सुधारने की बड़ी जरूरत है। अगर यही स्थिति चलती रही तो कोआपरेटिव बैंक्स पर एडवर्स प्रभाव पड़ेगा। इसलिये हमें उनको राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। हमें उन कोआपरेटिव बैंक्स को सक्षम करना पड़ेगा। अभी कोआपरेटिव के चुनाव हो रहे हैं, और मैं मानता हूं कि जिस तरह से पंचायतों और पंचायत समितियों के पंचायत राज को सक्षम बनाने के लिये चुनाव कराये गये हैं उससे उन पंचायतों में वापस जान आयी है। इसी प्रकार हमें इन कोआपरेटिव संस्थाओं को सतर्क करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इन कोआपरेटिव संस्थाओं की हालत खराब हुई है उसमें खास कारण यह हुआ कि हमारी तरफ से इसमें ढिलाई बरती गयी और उस ढिलाई का कारण यह है कि इन कोआपरेटिव इन्स्टीटयूशन्स द्वारा फाइनेन्सेज को डील किया जाता था। इसमें एक बात यह भी थी फाइनेन्सेज डील करने में गड़बड़ी हो जाती थी। कारण कि उनका व्यवस्थापक तो एक होता और उसके नीचे कई इन्स्टीटयूशन्स काम करती हैं जिससे काफी गड़बड़ी हुई। होता क्या था कि काम तो व्यवस्थापक एकाउन्ट्स का करते, पर उसकी सारी लाइबिलिटी उन इन्स्टीटयूशन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और उनके सैक्रेट्रीज पर आती थी। वह लोग प्रस्ताव पास करके लोन बांट कर चले जाते और उन सब की लाइबिलिटी उन पर आती। इस प्रकार वह लोग इसमें उलझ जाते। इसका फल यह हुआ कि लोग इन संस्थाओं से दूर रहने की कोशिश करने लगे हैं। इस तरह से इन संस्थाओं का काम ठीक तरह से नहीं हो पाता था। मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि अब इन संस्थाओं क काम इस प्रकार से चले कि फाइनेन्स सैंक्शन करने की अथोरिटी तो हो नोन आफिशियल मैम्बर और जो बोर्ड हो। वह और वह सैंक्शन करके जो सरकारी अधिकारी उसमें होते हैं उन मुलाजिमों पर सारी जिम्मेदारी छोड़ी जानी चाहिये। जैसे कि आज पंचायत समितियों में सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने विकास अधिकारी पर छोड़ रखी है। आज नगरपालिका में काम और आदेश चेयरमैन के होते हैं पर सारी जिम्मेदारी वहां के म्यूनिसपल कमिश्नर और वहां के सैक्रेट्रीज की होती है। इसी तरह इन इन्स्टीट्यूशन्स में जो नोन आफिशियल अधिकारी होते हैं उनके सैंक्शन करने चाहिये और बाकी सारी जिम्मेदारी वहां के जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डाईरेक्टर्स की होनी चाहिये। अगर इस तरह से काम किया जायेगा तो इसमें काफी इम्प्रूवमेंट होगा आज काम काज जो भी फानेन्शियल डीलिंग का हो उसकी जिम्मेदारी वहां के मुलाजिमों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पर डाली जानी चाहिये। अगर इस प्रकार की कार्यवाही होगी तो लोगों में काम करने का उत्साह बढ़ेगा, और लोग काम करने के लिये आगे भी आयेंगे। मैं समझता हूं कि इससे लोगों से जो वसूलियां होनी है वह भी ठीक तरह से हो सकेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जितनी तरह की गड़बड़ियां इन इन्स्टीट्यूशन्स में हैं, वह सब इस प्रकार काम करने से निकल सकेंगी। आज जो व्यवस्थापक वगैरह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं इसका कारण यह है कि एक-एक व्यवस्थापक तीन तीन, चार-चार इन्स्टीट्यूशन्स को डील करता है और वह अपनी इन मामलों में कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिये। डी सैन्ट्रलाइजेशन करने की जो योजना थी उसमें तीन महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पहला पंचायतों को सुदृढ़ करना, कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशनस को सुदृढ करना और तीसरे स्कूलों की व्यवस्था ठीक करना। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर राज्य सरकार गम्भीरता से सोचे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज पंचायतों में काम करने वाले ग्राम सेवक जो कि तीन-तीन, चार-चार पंचायतों को डील करते हैं आज कोआपरेटिव में काम करने वाले कर्मचारी जो कि तीन-तीन, चार-चार कोआपरेटिव सोसाइटीज को डील करते है आज एग्रीकल्चर में काम करने वाले कर्मचारी सीड्स फर्टिलाईजर्स वगैरह को डील करते हैं और इस प्रकार ग्राम सेवक लोग अलग-अलग कामों में बंटे हुए हैं। मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि इन सभी का कोर्डिनेशन क्यों नहीं कर दिया जाता? आप एक ही आदमी पर यह जिम्मेदारी क्यों नहीं डालते हैं? दूसरे जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी खाद वगैरह और बीज देने का काम है वह आप ग्राम सेवक को दीजिये, चाहे आप उनका नाम बदल कर दूसरा कुछ भी रखें, नहीं तो हो यह रहा है कि आज कई कई जगहों पर यह लोग अलग-अलग काम कर रहे हैं। आज एग्रीकल्चर में काम अलग से करते हैं जहां वर्ल्ड बैंक से पैसा आया हुआ है वहां सी. ए. डी. में काम अलग से करते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि जब एक ही काम करने वाले हैं और क्वालिफिकेशन जब उनकी एक ही है तो आप उन्हीं को एक ही को यह काम क्यों नहीं सौंप देते हैं? इससे काफी काम में उन्नति होगी, और मैं समझता हूं कि हमारे यहां इससे काफी विकास होगा। इसी प्रकार सिंचाई से संबंधित निवेदन करना चाहूंगा कि उनका उपयोग भी ठीक प्रकार से किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, वह है चिकित्सा के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा व्यवस्था और दूसरे हमारे आयुर्वेद व्यवस्था के बारे में हालांकि हमने काफी विस्तार इस ओर किया है फिर भी हमें इसमें और विस्तार करने की जरूरत है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घन्टे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री खेत सिंह राठौड़ : मैंने आपके नेता महोदय से बात करली है।

श्री महाराम चौधरी : हमारे कौन से नेता महोदय से आपने बात कर ली है?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घन्टे तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

(सदन का समय एक घन्टे तक के लिये बढ़ाया गया।)

(4.59 म.प.)

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री हीरालाल देवपरा : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, सॉरी, सभापति महोदया।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप चकमा खा गये।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदया, मैंने पंचायतों, पंचायत समितियों और कोआपरेटिव की दृष्टि से कुछ सुझाव दिये हैं पर एक बात मैं कहना भूल गया वह बात मेरे ध्यान से उस वक्त रह गयी। सभापति महोदया मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों के बीच अभी कुछ बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई यह तो मुझे पता नहीं। फैसला क्या हुआ यह तो मालूम नहीं लेकिन हमारे लिये चिन्ता का विषय मूलतः यह है कि गान्धी सागर डेम के कैचमेन्ट ऐरिया से मध्य प्रदेश के लोगों ने पानी के बारे में कुछ इन्ट्रप्शन किये हैं। इसको हमें गम्भीरता से लेना चाहिये क्यों कि अगर गान्धी सागर डेम में कुछ पानी की कमी होती है तो उसका असर न केवल हमारी बिजली और सिंचाई पर पड़ता है और भी उसके प्रभाव पड़ते हैं। सभापति महोदया, सन् 1975 में यह तय हुआ था कि गान्धी सागर डेम और चम्बल के बेसिस पर अगर कोई भी प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार बनाती है या मध्य प्रदेश सरकार तैयार करती है तो इसके लिये जोइन्ट कमेटी और एक बोर्ड बना हुआ है उसके अन्दर फैसला होता है। उसमें फैसला होने के बाद वहां पर कोई निर्माण कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किया जाता है मेरे पास अभी ऐसी सूचना है कि मध्यप्रदेश में गान्धी सागर डेम के कैचमेन्ट, एरिया के अन्दर कुछ निर्माण कार्य हुए हैं, और उनका एडवर्स इफेक्ट हमारे यहां राजस्थान पर पड़ सकता है; हमारे राजस्थान के कई गांवों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरफ गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये और वहां पर केचमेन्ट एरिया में जो कुछ हुआ है उसके लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। चाहे उनके माइनर वर्क भी क्यों न हो। आज तो इस बात का पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन बाद में इसका पता चलेगा कि गान्धी सागर एरिया के पानी का कैचमेन्ट एरिया में इन्ट्रप्शन से कितना प्रभाव हमारे यहां पड़ेगा, मैं तो यह कहना चाहूंगा। गांधीसागर का जितना कैचमेन्ट एरिया का पानी बिना राजस्थान से बात किये हुए रोका गया है उतना पानी हमें चम्बल काम्पलेक्स के अन्दर ज्यादा इरिगेशन के लिये मिलना चाहिये। उतना पानी हमारे इरिगेशन में बढ़ाया जाये, क्योंकि कोटा से हमारा इरिगेशन शुरू होता है, कोटा बैराज से शुरू होता है वहां पर जो हमें पानी मिलता है। जितना पानी उन्होंने रोक लिया है गांधीसागर का वह हमें पानी पूरा मिलने लग जाये ताकि हमारे इरिगेशन का घाटा किया गया है उस घाटे की पूर्ति कर सकें। इसके ऊपर जोर देंगे तो आइन्दा वह पानी को रोकने से रुकेंगे, अन्यथा कोई रुकावट नहीं होगी। वे छोटे मोटे तालाब पंचायत इन्स्टीट्यूशन के माध्यम से बनवा लेंगे। सरकार कहेगी कि हमारे पास तक बात नहीं आई और नीचे बन गये। हमने रोक लगा दी कि जितना

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पानी कैचमेंट में रोक लिया उस पानी को कोटा बैराज से जो हमारे इरिगेशन के लिए मिलता है वह बढ़ा दिया जाये। यह पानी तो बढ़ेगा ही और आगे के लिए हम रोक लगाने में भी सक्षम हो सकेंगे।

सभापति महोदया, मुझे और कोई विशेष बात नहीं कहनी, मैं इतना ही कह कर पुन: सदन से यह निवेदन करूंगा कि जिन एडवर्स सरकमस्टान्सेज में हमारा यह वर्ष चला है और उन सरकमस्टान्सेज में, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से रहे हों, अकाल और फ्लड की दृष्टि से रहे हों, उन सब सरकमस्टान्सेज को हम देखते हैं तो राजस्थान सरकार का जो विवरण राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिया है उससे हमें मानना होगा कि सरकार ने इस वर्ष में प्रशंसनीय कार्य किये हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैंने जो धन्यवाद का प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के उनके अभिभाषण देने पर आभार प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत किया है, उसे सर्व सम्मति से पारित किया जाये।

श्री **सभापति** : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति आभार प्रकट करने हेतु जो धन्यवाद का प्रस्ताव उनको इस सदन में अभिभाषण देने के लिए माननीय श्री हीरालाल जी देवपुरा ने रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं, उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है हमारी सरकार की उपलब्धियों की, चर्चा की है हमारी सरकार की रीति और नीतियों की, हर क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई है चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सिंचाई का हो, बिजली का हो या अन्य क्षेत्र हों, उन सब की महामहिम राज्यपाल महोदय ने विस्तार से चर्चा की है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह भी चर्चा की है कि इस सत्र में क्या विधायी कार्य इस सदन में होंगे। यह समय है कि हम सिंहावलोकन कर सकते हैं, हम मूल्यांकन कर सकते हैं उन सब गतिविधियों का, उन सब कार्यकलापों का, उन सब उपलब्धियों का जो हमारी सरकार की इस समय में रही हैं।

बड़े हर्ष की बात है कि इस सदन में इस प्रस्ताव के आने से कुछ दिन पूर्व ही राजस्थान की समूची जनता को, राजस्थान की 90 प्रतिशत जनता को ऐसा अवसर मिला था कि वह सरकार की गतिविधियों का मूल्यांकन करे और वह अवसर मिला राजस्थान की पंचायतों के चुनाव के अवसर पर। और राजस्थान में हुए नगरपालिकाओं के चुनाव के अवसर पर मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि राजस्थान की जनता ने बड़े प्रबल बहुमत से इस सरकार की गतिविधियों की, इस सरकार की उपलब्धियों की सराहना की है। यही तो कारण रहा है कि राजस्थान के मतदाताओं ने, राजस्थान के प्रबुद्ध मतदाताओं ने 235 पंचायत समीतियों में से 189 प्रधान कांग्रेस आई के जिताये, भारतीय जनता पार्टी के 18 जिताये, जनता पार्टी के 8 और लोकदल के 8 प्रधान ही जीत पाये। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि 26 में से 26 जिला प्रमुख कांग्रेस (आई) के जीत कर आये हैं, यह इस बात का द्योतक है कि विपक्षी पार्टी के लिए राजस्थान में 1/26 वां हिस्सा भी समर्थन का प्राप्त नहीं है।

सभापति महोदया, नगरपालिका चुनावों

(श्री हरिसिंह)

पर भी यदि आप दृष्टि डालें तो वहां भी नतीजा करीब करीब ऐसा ही है जैसा कि पंचायत समितियों के नतीजे रहे हैं। नगर पालिका के 142 अध्यक्षों में से करीब 100 अध्यक्ष कांग्रेस (आई) के जीतकर आये हैं, भारतीय जनता पार्टी के 20, जनता पार्टी के 3 और प्रजा परिषद का एक। यह सब चुनावों के नतीजे आपके सामने हैं। यह नतीजे इस बात द्योतक हैं कि राजस्थान की जनता इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास करती है...

एक माननीय सदस्य : भरतपुर में ?

श्री हरिसिंह : भरतपुर में सब के सब कांग्रेस (आई) से जीतकर आये हैं, प्रमुख प्रधान और नगरपालिका के अध्यक्ष, भरतपुर शहर का तो चुनाव ही नहीं हुआ भरतपुर के आसपास के नतीजे आपके सामने हैं। आपको मुबहा क्यों हो रहा है ? आपके पास सिवाय इस बात के कहने के कुछ नहीं है। जब आप हार जाते हैं तो यही कहते हैं कि कोई न कोई सत्ता का दुरुपयोग किया होगा। लेकिन अब के चुनावों में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने यह ऐसा कार्य किया है कि बहुत ही कम समय में यह चुनाव कराये गये हैं। अध्यक्ष के चुनाव के पहले केवल एक दिन समय दिया गया था इसलिए अध्यक्ष के चुनावों में पैसा देने का या सत्ता के दुरुपयोग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह सुझाव अक्सर विरोधी पक्ष का होता है और इलेक्शन कमीशन के सामने दिया जाता है कि ऐसी रीति-नीतियां निकाली जायें कि चुनावों में कम समय लगे। यह बात हमारी सरकार ने कर बताई। चुनावों में कम समय लगा है, और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप नहीं चाहते हैं। बौखला रहे हैं सुनकर के।

माननीय सभापति महोदया, इन बातों के अलावा एक बात और आपके सामने नजर आई, इन चुनावों के नतीजे से कि वह सब गतिविधियों राजस्थान के मतदाताओं को समझ में आई, जो गतिविधियां जनता पार्टी की रही थीं। उनके मानस पटल पर सब बात आई होंगी कि किस प्रकार से उन्होंने 13 टन सोना 13 व्यक्तियों को बेच दिया, किस प्रकार उन्होंने गल्ले का दुरुपयोग किया। यह सब बाते राजस्थान की जनता के सामने आई, और राजस्थान की जनता ने इनकी साम्प्रदायिकता को ठुकराया, इनकी जो गतिविधियां थीं उनको ठुकराया और करारा जवाब इस बात का दिया कि यदि कोई पार्टी उन्नति कर सकती है तो वह पार्टी कांग्रेस (आई) है और उसकी नेता है इन्दिरा गांधी। मैं आपसे निवेदन करना करना चाहता हूं, सभापति महोदया, जहां तक हमारी सरकार की गतिविधियां के सिंहावलोकन का प्रश्न है, राजस्थान के जन-जन ने उसका समर्थन किया है और जो प्रस्ताव श्री देवपुरा जी ने रखा है वह बिल्कुल समर्थन योग्य है।

अक्सर विपक्ष का यह कहना होता है कि महंगाई बढ़ रही है, अर्थ व्यवस्था खराब हो रही है, आर्थिक ढांचा बिगड़ रहा है। यद्यपि महंगाई बढ़ने का, कीमतें बढने का किसी प्रांतीय सरकार से बहुत ज्यादा सीधा सवाल नहीं है। यह एक राष्ट्र का सवाल है और उसको उसी परिपेक्ष में देखना होगा। मैं यहां, सभापति महोदया, आपको यह भी निवेदन करूंगा कि जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी, 1979 के अन्दर और जब

(श्री हरिसिंह)

इनसे सरकार गयी, उस समय अर्थ व्यवस्था इस प्रकार की थी। कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन गिर रहा था। 4.7 पर्सेन्ट सकल राष्ट्रीय उत्पादन गिर गया था, इन्फ्लेशन की गति 22 पर्सेन्ट थी, और होलसेल प्राइस इन्डेक्स 14 पर्सेन्ट की गति से बढ़ रहा था। उसके बाद हमारी सरकार ने इस बात का प्रयास किया कि किस प्रकार से अर्थ व्यवस्था सुधरे कीमतों पर काबू पाया जाये और राष्ट्रीय उत्पादन बढे। धीरे-धीरे आपके सामने नतीजे आये, वे इस बात के द्योतक हैं। जो अर्थ व्यवस्था है उसमें भी सरकार का नियन्त्रण हुआ है। जो रेट्स का इन्फ्लेशन 79 में 22 पर्सेन्ट था, 80 में 14 पर्सेन्ट और 81 में 10 पर्सेन्ट रह गया और अभी 82 के दो-तीन महीने हैं उनमें भी महत्वपूर्ण स्थिति है केवल 6 प्रतिशत है। होलसेल प्राइस इन्डेक्स 14 पर्सेन्ट से घटकर इस वर्ष में 2.8 पर्सेन्ट रह गया है।

हर क्षेत्र में, सभापति महोदया, इस बात का प्रयास हुआ कि कीमतें किसी प्रकार से न बढें, रुकी रहें और उसके लिये हमारी सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने जो स्टेप्स लिये चाहे वह चीनी के आयात करने का हो, चाहे गल्ले का आयात करने का या गेहूं मंगाने का, वह सब इस बात के हैं, किसी न किसी तरह जो कीमतें हैं उनके बढ़ने पर रोक लगे। आज जो भी पैदावार है देश की, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। जहां तक गल्ले की पैदावार का संबंध है, इस वर्ष 132 मिलियन टन गल्ला होने का अनुमान है। शूगर केन 79-80 में 129 मिलियन टन रह गया, 80-81 में 150 और 81-82 में 180 मिलियन टन हुआ। आपसे निवेदन कर रहा था कि अर्थ व्यवस्था, आज मजबूती की तरफ बढ़ती जा रही है और प्राइस इन्डेक्स पर कन्ट्रोल है। राजस्थान में भी पिछले तीन वर्षों से, कहीं कहीं चार वर्षों से गंभीर अकाल रहा है, वर्षा का अभाव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा सघन कृषि उत्पादन का काम है उसके कारण इस वर्ष रबी की फसल गत वर्ष की फसल से अच्छे होने का अनुमान है। 80-81 में, रबी की फसल का अनुमान 37.84 लाख टन और 81-82 में, इस वर्ष 42.20 लाख टन का अनुमान है। यह सब इस बात का द्योतक है कि सरकार का जो जो सघन कृषि कार्यक्रम है उसमें पूर्ण सफलता मिली है।

माननीय सभापति महोदया, जहां तक बिजली का प्रश्न है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता बतला रहे थे, बिजली कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका उत्पादन एक दिन में बढ़ाया जाये। बिजली की कमी राजस्थान के अन्दर है। प्रश्न केवल इस बात का होता है कि जो भी मात्रा में बिजली उपलब्ध है किस प्रायोरिटी में किसको दी जाती है? सरकार ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि बिजली उन लोगों को मिले, उन गरीब किसानों को मिले, उन किसानों के खेतों पर मिले, जिनसे देश की पैदावार बढ़ती है। सरकार के पास 180 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता रहती है, सरकार के पास 1 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध है, उसमें से सरकार ने किसानों के लिये 6 घंटे रोज के हिसाब से बिजली देने का, जैसा आज अखबार में पढ़ा है, निर्णय लिया है और उद्योगों को भी उनके आकार के हिसाब से, छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग हों, के 20 पर्सेन्ट से 30 पर्सेन्ट बिजली देने का निर्णय लिया है। बिजली के संबंध में हमारे

(श्री हरिसिंह)

बिजली मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के जो भी प्रयास हुए हैं उनकी सराहना किये बगैर मैं नहीं रह सकता। विजली के संबंध में हमारे मुख्य मंत्री जी और बिजली मंत्रीजी दोनों ने इस बात का प्रयास किया, मध्य प्रदेश में जहां से विजली मिलती है, चाहे 40 प्रतिशत सतपुड़ा से, 50 प्रतिशत चम्बल से मिलती हो, इस बात की उन्होंने पूरी कोशिश की जितनी विजली मिलनी चाहिये। मिले। मध्य प्रदेश गये, जा कर बात हुई और यह भी निर्णय हुआ, हमारे यहां के इंजीनियर्स का ग्रुप वहां जाये, और जाकर देखें कि कैचमेंट एरिया में, जो गांधी सागर का है उसके अन्दर जितने भी बांध बन जाते हैं, गांधी सागर के अन्दर पानी कम हो जायेगा, विजली कम होगी। उनको देखने के लिये यहां से इंजीनियर्स जायें, मौके पर देखें। माननीय सभापति महोदया, यही नहीं, बल्कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश से जैसा मेरे पूर्व वक्ता बतला रहे थे, एक समझौता किया है कि वहां की कोल परियोजना है जिसमें 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, पार्वती परियोजना है जिसमें 2 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी, इन दोनों परियोजनाओं में राजस्थान का हिस्सा रहेगा। राजस्थान जितना पैसा लगायेगा उसके हिसाब से राजस्थान का हिस्सा उसमें रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अलावा, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, बिजली एक दिन में पैदा करने वाली चीज नहीं है, दीर्घकालीन योजना में राजस्थान सरकार पीछे नहीं रही है। राजस्थान नहर के अन्दर जहां कहीं भी बिजली की योजना बन सकती है वहां पर योजनायें बनाई जा रही हैं। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दोनों जगह की बिजली की परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास पहुंच चुकी हैं। केन्द्र सरकार के पास पहुंच ही नहीं चुकी, बल्कि मन्जूर होकर योजना आयोग के पास पहुंच चुकी है और योजना आयोग के साठ लाख रुपये इन योजनाओं के लियेस्वीकार हो चुका है। माही में पुन विजली योजना है। एक समय में माही परियोजना में 140 मेगावाट विजली बनाने की क्षमता है। माही परियोजना के अतिरिक्त माननीय सभापति महोदया, बीकानेर के अन्दर भी योजना स्थापित होने पर 120 मेघावाट बिजली के संयन्त्र वहां पर लग रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पहले मुख्य मंत्रीजी ने अलवर में घोषणा की थी कि 60 मेघावाट का वहां पर बिजली घर होगा। हमारी सरकार के लिये आवश्यकता करीब 2 हजार मेघावाट की होगी। जैसा कि मैंने निवेदन किया इन योजनाओं के पूरा होने के बाद कोई संशय नहीं रह जाता, जितनी आवश्यकता होगी, सरकार योजनाओं के हिसाब से बना पायेगी।

सभापति महोदया, इस सरकार ने ऊर्जा मण्डल का गठन किया है वह सराहनीय है। आज चारों तरफ दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि पानी के ऊपर और कोयले के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ऊर्जा के लिये और भी साधन तलाश करने पड़ेंगे। पवन ऊर्जा का साधन, गोबर गैस प्लांट के साधन है उन पर भी सरकार को ध्यान देना होगा और मुझे इस बात का हर्ष है कि सरकार इस बात में भी पीछे नहीं रही, और उसने ऊर्जा मण्डल का गठन कर यह कार्य किया है। इस समय तक 15,115 गांवों में बिजली दे चुके हैं करीब 2 लाख 20 हजार कुओं पर बिजली के कनेक्शन दियें जा चुके हैं।

माननीय सभापति महोदया, सिंचाई राजस्थान के लिये प्रमुख महत्व की चीज है।

(श्री हरिसिंह)

बगैर सिंचाई के, राजस्थान के 80 प्रतिशत किसान हैं उनकी जीविका सुधर नहीं सकती। इसके लिये भी सरकार पूर्ण रूप से सचेत है। इस समय राजस्थान में कुल जितनी सिंचाई होती है, कुल 20 प्रतिशत के करीब है। राजस्थान में ऐसी कोई नदियां नहीं जिनसे नहरें निकाली जा सकें। गंगा-जमुना के पानी का प्रश्न नहीं। राजस्थान नहर पर जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, राजस्थान का पूरा ध्यान है, केन्द्र सरकार का राजस्थान सरकार के लिये आश्वासन है कि राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे। राजस्थान में, सभापति महोदया, कुल 69 लाख घनफीट पानी सतह पर मिलता है और जो उपयोग किया जाता है वह 40 लाख घनफीट। इस समय उपयोग में लाया जा रहा है, 17 लाख घनफुट जिसका उपयोग सिंचाई में किया जा रहा है। अब इस एक साल की अवधि में जो सरकार ने काम किया है, जो समझौते किये हैं उसकी चर्चा मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने की है। नर्मदा से भी पानी लेने का समझौता हुआ है। वह समझौता हमारे केन्द्र सरकार के सिंचाई मंत्री जी के सामने हुआ है। उनके मुताबिक 5 लाख एकड़ घनफीट पानी मिलेगा, रावी-व्यास का जो समझौता किया है उससे भी गंगानगर जिले में सिद्धमुख नहर को भी पर्याप्त पानी मिलेगा।

मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार कृषि के संबंध में, चाहे छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, पूर्ण रूप से सचेष्ट है। अभी कुछ दिन पहले चित्तौड़गढ़ में संवाददाताओं से वार्ता करते हुए केन्द्र के इरिगेशन सैक्रेटरी ने जो यह जानकारी दी थी कि राजस्थान को गुजरात से जो समझौता हुआ है उसमें 6 लाख घनफीट पानी दिया जाना मन्जूर कर लिया गया है। माही और जाखम परियोजनाओं पर भी, चम्बल और राजस्थान नहर के कमान्ड एरिया का डवलपमेंट करने की योजना लागू की जायेगी। उन्होंने यह बात भी बताई कि राजस्थान में 117 करोड़ रुपये की योजना अग्रिम वित्त वर्ष के लिये भेजी है। वह केन्द्र सरकार ने जैसी की तैसी स्वीकार करके, योजना आयोग के सामने पेश की है।

सिंचाई के क्षेत्र में जो उपलब्धियों का सवाल है श्रीमन्, वह भी संतोषप्रद है। मध्य प्रदेश से जो वार्ता हुई हमारे मुख्य मंत्री जी से और मंत्रीजी से उसके मुताबिक भी कोटा बैराज की जो हाइट है उसको दो फीट ऊंचा करने की बात तय हुई है। जो मौजूदा हाइट है वह 852.5 फीट है उसको बढ़ाकर 854.5 फुट की बात हुई है। कोटा बैराज की इससे जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वह 3480 एकड़ फुट पानी की बढ़ पायेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में जो उपलब्धियां राजस्थान सरकार की हैं उससे संतोष किया जा सकता है।

किसी भी सरकार का उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिये एक मापदण्ड हुआ करता है कि आय में क्या बढ़ोतरी हुई है? आय बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं? माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करूं जो सेल्स टैक्स की आमदनी है वह इन पिछले 10 महीनों के अन्दर 150 करोड़ की हुई है और पिछले साल 113 करोड़ की हुई थी—32 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी सेल्स टैक्स की आमदनी में हुई है। इससे यह बात जाहिर होती है कि सरकार

(श्री हरिसिंह)
आय को बढ़ाने के सिलसिले में पूर्ण रूप से जागरूक है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : योजना में कटौती पिछले साल इसलिये हुई थी ।

श्री हरिसिंह : योजना में कटौती नहीं हुई थी । लेकिन जहां तक इन्कम का सवाल है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार को जो इस वर्ष इन्कम हुई है वह पिछले सालों में कभी भी नहीं हुई है । 150 करोड़ की आमदनी किसी भी साल सैल्स टैक्स से नहीं हुई है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिये दिवालिया सरकार कहलाती है ।

श्री हरिसिंह : अच्छी सरकार वही हुआ करती है जो पैसा खर्च करे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो खर्च न करे, और दिवालिया हो जाय उसको दिवालिया सरकार कहते हैं ।

श्री हरिसिंह : आपकी सरकार तो बहुत अच्छी सरकार थी ।

श्री दाऊदयाल जोशी : खूब पीओ, और पिलाओ ।

श्री चन्दन मल बैद : आप भी खूब पीओ, और पिलाओ—दारू के लिये नहीं कहता हूं—भांग के लिये कहता हूं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ये पंडित जी ही पीते हैं, और पिलाते हैं ।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं जो राज्य में कानून और व्यवस्था की रही है—ला एण्ड आर्डर जो रहा है उसके संबंध में भी चर्चा करना चाहता हूं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिती बहुत ही सुन्दर रही है । कहीं भी कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 5 लाख का डाका पड़ा है सांगानेर में, आपको पता भी है ?

श्री हरिसिंह :...कोई भूले भटके रह गया हो तो बात अलग है । इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, हरिजनों के अत्याचार के बारे में जो विपक्ष बात उठाता है, सरकार सचेष्ट है और जैसा मैंने अभी अखबारों में पढ़ा है उनके लिये विशेष अदालतें कायम करने की बात सरकार सोच रही है । यह ऐसी बात है जो और किसी प्रान्त में अभी तक हुई नहीं है ।

शिक्षा के क्षेत्र में....तरक्की हुई है निश्चित रूप से तरक्की हुई है, और न केवल आकार में तरक्की हुई है, बल्कि यहां तक तरक्की हुई है, और यह पहली बार है जबकि राजस्थान सरकार ने 5 777 स्कूलों के लिये एक आदर्श स्कूल बनाने की योजना बनाई है । हर जिले की प्राइमरी स्कूल को, एक मिडिल स्कूल को और एक हाई स्कूल को आदर्श बनाया जायेगा ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कागजों में हुई होगी ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आपके यहां पर तरक्की नहीं हो पाई हो तो आप स्वयं इसके द्योतक हैं । आप अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : जागरूक क्या ?

श्री हरिसिंह : हर जिले में पैसा अलाट हो गया है, और उसमें 20 संकल्पों की जो किताब है उसमें दे रखा है। इसके अलावा, श्रीमन्, सरकार इस वर्ष राजस्व अभियान चलाकर, जनता के दरवाजे पर प्रशासन को ले गई। जो कई सालों से भू-राजस्व के मामले पेंडिंग पड़े हुए थे, और जो वहां पर मौकों पर तय किये जा सकते थे उन मामलों को निपटाने के लिये तहसीलदार ने और एस. डी. एम. ने कैम्प लगाये हैं, और मामलों का निपटारा किया है। इस तरह पांच लाख 40 हजार मामलों का निपटारा किया है—मौकों पर ही उनका निपटारा किया है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो जनता राज में था।

श्री हरिसिंह : भू-राजस्व में आपकी कोई देन नहीं है। आपकी देन तो केवल गल्ले को हजम करने की थी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके राज्य में खातेदारी राइट्स कितने मिले हैं ? माननीय सदस्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी कान्स्टीट्एन्सी में खातेदारी राइट्स कितने लोगों को मिले हैं, यह बता दें ? आप अपने क्षेत्र की ही बता दीजिये।

श्री हरिसिंह : मैं तो मौके पर गया हूं। जितने लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं उन सबको खातेदारी राइट्स दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण दें—कोई जवाब सवाल न करें।

श्री हरिसिंह : बीच में टोका-टाकी कर लेते हैं। माननीय सभापति महोदया, एक लाख आवसीय भूखंडों का वितरण सरकार ने किया है। जिनके पास रहने को जगह नहीं थी—मकान तो क्या कोई छत सिर छिपाने को नहीं थी, उनको इस सरकार ने थोड़े समय में ही भू-आवंटन किये हैं। बहुत बड़ी समस्या चली आ रही थी। जिन लोगों ने खेती की भूमि पर मकान बना लिये थे, और कन्वर्शन के चक्कर में पड़े हुए थे, उसका भी इस सरकार ने सरलीकरण किया है। कृषि भूमि को प्रकृषि भूमि में, आवसीय बनाने के लिये एक नीति बनाई है, और उनको राहत देने की कोशिश की है, और उनकी येन केन प्रकारेण बनाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जैसा जोधपुर में अलाट किये हैं।

श्री हरिसिंह : जोधपुर में तो खतम किये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या खतम किये हैं ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : चुनाव जीत जाते। चुनावों में तो बहुत बुरी तरह हारते हो और फिर शर्म नहीं आती है ×××।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : जनता आपकी सुनती नहीं है। चुनावों में आप हार जाते हैं।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

जनता ने आपको ठुकराया है, जनता आप पर विश्वास नहीं करती है।

श्री चन्दनमल बैद : पंचायतों में और ठुकरा दिये गये।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदया, हमारी सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि जो गरीब से गरीब है उसकी आंख के आंसू पोंछे जायें, जिसकी आमदनी कम है, उसकी आमदनी बढ़ाई जाय, और उसके लिये राष्ट्रीय विकास योजना और रोजगार योजना जो चालू की है हर पंचायत समिति के अन्दर उसमें 6 सौ परिवार छांटे गये हैं, कुछ ऐसे परिवार छांटे गये हैं जिनकी आमदनी गरीबी के स्तर से नीचे हैं। उनके लिये इस बात का प्रयास किया गया है कि उन्हें कोई रोजगार देकर, चाहे कर्जा देना पड़े या कोई दूसरी चीज देनी पड़े, किसी बात के लिये रोजगार कायम करने के लिये सक्षम किया जाये। उसके लिये प्रत्येक पंचायत समितियों से 6 सौ परिवारों का चयन किया जाय, और इस प्रकार से एक लाख 41 हजार परिवारों को इसमें लाभान्वित किया गया है। यह बड़े संतोष की बात है।

माननीय सभापति महोदया, इस सरकार ने 2 लाख 95 हजार परिवारों की सूची इस प्रकार से बनायी है।

(5 30 म प)

(श्री अहमद बक्स सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी पीछे नहीं रही है। अलवर से आये हुए माननीय सदस्य इस बात की ताईद करेंगे कि उनके यहां अशोक लीलैण्ड फैक्टरी ने काम करना शुरू कर दिया है।

श्री जीतमल जैन : इसमें आपका कोई एहसान नहीं है।

श्री हरिसिंह : और राज्य सरकार के प्रयत्नों से भारत सरकार ने अपने राजस्थान में 25 आशय-पत्र दिये हैं। 22 औद्योगिक और 3 टैक्सटाइल मिल लगाने हेतु परमिट जारी किये गये हैं और इनमें 5 आशय-पत्र सीमेण्ट फैक्टरी लगाने के लिए हैं। कृषि के क्षेत्र में भी काफी प्रयास किये गये हैं। जहां तक प्रश्न है किसानों के लिए अपनी फसल का पूरा पैसा मिले, किसानों की जो खून पसीने की कमाई है, उसकी पूरी कीमत मिले इस बात का प्रयास सरकार ने किया है, और जितनी कृषि उपज मण्डियां हैं, उनमें इस पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने इस वर्ष में 3 कृषि उपज मण्डियां खोली हैं। किशनगढ़, गोविन्दगढ़ और रतनगढ़ में और एक और जो दिक्कत थी वहां पर गोडाउन की, उन गोडाउन बनाने के लिए भी सरकार ने इस साल प्रयास किया है बाहर से ऋण लेकर गोदाम बनाने की योजना को स्वीकार किया है। कमी अगर किसी क्षेत्र में है तो इस बात की है कि सरकार की फसल को इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है। किसान फसल लाता है और फसल लाकर जो बोली बोली जाती है तो वहां के जो व्यापारी लोग हैं, अपने मन के साथ बोली बोलते हैं। किसानों को ये पता नहीं कि हमारी फसल 'ए' श्रेणी की है, 'बी' श्रेणी की है या सी श्रेणी की है, उसकी बोली सही है या नहीं। जरूरत इस बात की है कि शहरी कृषि उपज मण्डी के अन्दर ग्रेडेशन किया जाय। इसके लिए वहां स्टाफ रखा जाय, लेबोरेट्री होनी चाहिए ये जब हम कर लेंगे तो किसान के लिए एक बहुत बड़ा लाभ का काम पैदा कर सकेंगे।

(श्री हरिसिंह)

श्रीमन, दुग्ध संकलन के काम में भी जैसा अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने चर्चा की है, इस वर्ष में दुग्ध संकलन का जो औसत है, वह बढ़कर 2.41 लाख लीटर से 3 लाख 55 हजार लीटर हो गया है। इसके बढ़ने का कारण यह है कि उसके दुग्ध की कीमत बढ़ायी है। किसान के जो मवेशी रखे हैं, उनको बढ़ाकर दुग्ध का संकलन बढ़ाया है तो ये पहली बार सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

एक माननीय सदस्य : ये तो रामसिंह जी ने किया है।

श्री हरीसिंह : रामसिंह जी तो कांग्रेस आई के सदस्य हैं आपके नहीं हैं। वन के क्षेत्र में भी सरकार ने काफी प्रगति की है। इस वर्ष के अन्दर 3 करोड़ 5 हजार वृक्ष लगाये गये हैं। इसके अलावा एक और योजना शुरू की है। गांवों के अन्दर ईंधन की बहुत कमी रहती है। उपाध्यक्ष जी, गांवों में ईंधन की कमी रहती है, उसे दूर करने के लिए सरकार ने गांवों में बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगाये हैं और इस योजना के साथ लगाये हैं कि वहां पर चरागाह होगा, बबूल के पेड़ हों, लकड़ी के भी पेड़ होंगे, वे गांवों के लिए वहां के लोगों को मिलेंगे

मैं, श्रीमन् 1-2 बातें और आपको निवेदन करना चाहता हूं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह इस बात के लिए कि राजस्थान में सरकार को बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देना चाहिए। यह तो सही है कि जितने अनुसूचित जाति के ग्रेजुएट हैं, उन्हें सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बेरोजगार नौजवान हैं जो भूमिहीन किसानों के लड़के हैं जो इन्कम टैक्स नहीं देते हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं ऐसे अनेकों ग्रेजुएट्स हैं। अनेक पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार का भत्ता पाने के हकदार हैं तो सरकार एक्सपेरीमेंट के तौर पर पहल करे और उन सभी लोगों के लिए जिनके पास में खेती की जमीन है या जो भूमिहीन किसानों के लड़के हैं या जो मार्जिनल फार्मर्स या लघु कृषक हैं उन सभी नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, उसमें सरकार चाहे तो ये शुरू कर सकती है कि बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने को सरकार कोई जगह मुकर्रर कर ले, वहां उनको बुलाकर उनसे जैसा काम सरकार उचित समझे, चाहे सर्वे का काम हो या स्कूल का काम हो या स्कूल में पढ़ाने का काम है वह ले या और कोई काम हो जिसमें उनकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको यूटिलाईज करना चाहिए। इस पर मेरा सरकार से यह आग्रह है कि बेरोजगारी भत्ता सभी नौजवान बेरोजगारों को मिलना चाहिए, जो गरीबी की रेखा के नीचे के हैं। दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन सेवाओं पर यहां डिस्पेन्सरी या हॉस्पिटल्स मे डाक्टर साहबान ठहरते नहीं। उसका कारण है वहां उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिलतीं जो शहरों में मिलती हैं। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी डाक्टर साहबान या कम्पाउण्डर साहब नौकरी पर जायें, उनके लिए एक विशेष रूप से रूरल अलाउन्स मिलना चाहिए। शहरों के डाक्टर से अधिक गांवों के लोगों की जो सेवा कर रहे हैं। उनके लिए स्पेशल अलाउन्स होना चाहिए जिससे वे

(श्री हरिसिंह)
ठहर सकें, गांवों के अन्दर ।

तीसरे, मैं, श्रीमन्, यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ग्रामीण शिक्षा का स्तर है उसमें और शहरी शिक्षा के स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रामीण के लड़के पढ़कर उन लड़कों से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, जो शहरों में अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम गांवों की शिक्षा के अन्दर गुणात्मक सुधार लायें। इस प्रकार की शिक्षा दें कि वहां के लड़कों में कान्फिडेन्स पैदा हो सके, उनमें विश्वास पैदा हो सके कि वे भी उन लड़कों का मुकाबला कर सकें जो शहरों में अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, श्रीमन्, जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

सदन की अवमानना

श्री चन्द्र मोहन व्यास एवं श्री कन्हैयालाल व्यास द्वारा सदन की अवमानना।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज दिनांक 23 फरवरी, सन् 1982 को सांयकाल चार बजकर 15 मिनट पर दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों, जो अपना नाम चन्द्र मोहन व्यास और कन्हैया लाल व्यास बताते हैं, ने दर्शक दीर्घाओं में खड़े होकर नारे लगाये जिससे सदन की गरिमा को धक्का लगा। इस प्रकार नारे लगाने से उक्त व्यक्तियों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर, सदन का अपमान किया है। उन दोनों व्यक्तियों को सुरक्षा प्रहरियों द्वारा सदन की हिरासत में ले लिया गया। मैंने इन व्यक्तियों को अपने चेम्बर में बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त की। दोनों ही व्यक्तियों द्वारा नारे लगाया जाना स्वीकार किया गया और वह अपने कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इन दोनों व्यक्तियों की क्षमा याचना के सम्बन्ध में, मैं सदन के समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करता हूं कि श्री चन्द्र मोहन व्यास और श्री कन्हैया लाल व्यास के सम्बन्ध में सदन उचित निर्णय करे। अगर सदन उचित समझे तो माफ कर दिया जाय उनको और जो--

एक माननीय सदस्य : वे क्या चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने माना है कि हमने ऐसा किया है, वे आयुर्वेदिक डिपार्टमेन्ट के हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनको क्षमा कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से क्षमा किया गया।

अब सदन की कार्यवाही दिनांक 24 फरवरी, 82 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 5 बजकर 41 मिनट पर बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 1982 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची 'अ'

(आर. एम. एन पी.) स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना प. स. इटावा में सम्मिलित ग्रामों की सूची वर्षवार ।

क्र. स.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
प्रथम वर्ष :		26.	चक खेड़ला उर्फ हिम्मतपुरा
		27.	नयागांव
1.	देवपुरा	28.	केमलिया
2.	धाकड़खेड़ी	29.	रामपुरिया
3.	कंवरपुरा	30.	रामनगर
4.	रखमपुरा	31.	कैलाशपुरा
5.	हरदेव गंज	32.	पापड़ा
6.	महापुरा	33.	नान्ता
7.	सुनारी	34.	केशोपुरा
8.	दौलतपुरा	35.	अभयपुरा
9.	वलवंत	36.	नवलपुरा
10.	अमरपुरा	द्वितीय वर्ष :	
11.	अरनिया		
12.	शोदानपुरा	37.	गोन्दी
13.	जैनावास	38.	डोली
14.	जयनगर	39.	झाडोली
15.	रमझपुर	40.	श्योपुरा-मानपुरा
16.	बालापुरा	41.	गणेशगंज
17.	बाबई	42.	युगेना
18.	शेरगंज	43.	मुन्डली
19.	गुड्डा	44.	रनोडिया
20.	बोरीया गांव	45.	नारायणपुरा
21.	सुमेरपुरा	46.	किशनवास
22.	चन्द्रगंज	47.	फतेहपुर
23.	बेलनगंज	48.	रजोपा
24.	रूपपुरा	49.	केशोपुरा
25.	टोकसपुरा	50.	किशनपुरा उर्फ अल्लापुरा

1	2
51.	खेड़ली बोरदा
52.	ब्यावदा
53.	खेरड़ा
54.	करवाड
55.	शोभागपुरा
56.	भवानीपुरा
57.	देवपुरा
58.	खेडवी बेरीसाल
59.	कड़ीला
60.	फूसोद
61.	डूंगरली
62.	रोन
63.	शहनावदा
64.	घ्यावदा
65.	हडवाडा
66.	नोनेरा
67.	रामपुरा
68.	बम्बूल्या कलां
69.	गेंता
70.	आमलदा
71.	खारवन
72.	बम्बूल्या खुर्द
73.	नीमसरा
74.	राजपुरा

तृतीय वर्ष :

1	2
75.	डोरली
76.	विनायका
77.	नलवता
78.	बूस्सी
79.	खेडलीअमीरी
80.	दौलखं
81.	ढीपरा
82.	आनया
83.	प्रेमपुरा
84.	कांकरा
85.	श्रीपुरा
86.	अयानी
87.	जलोदा खातियान
88.	विजयपुरा
89.	लक्ष्मीपुरा
90.	हरीपुरा
91.	कबलदा
92.	निमोदा
93.	बाडोली
94.	दुर्जनपुरा
95.	छतरपुरा उर्फ कुम्हारिया
96.	पीपल्दा खुर्द
97.	लुहावद
98.	गणेशपुरा
99.	कजलीया
100.	खेड़ली पीपल्दा
101.	गणेशखेड़ा
102.	खेड़लीदेव
103.	करजोदा
104.	गन्डावद

चतुर्थ वर्ष :

1	2
105.	ढीपनी
106.	सुमेरपुरा
107.	तालाव
108.	जोरावरपुरा
109.	देवनीमंडी
110.	खतोली
111.	लाखनी
112.	जटवाड़ा
113.	गणेशखेड़ा

1	2	1	2
114.	बोरदा	146.	लक्ष्मीपुरा
115.	सनमानपुरा	147.	शोगंज
116.	हथोली	148.	किशनगंज
117.	शेरपुर	149.	मर्जादपुरा
118.	ककरावदा	150.	दोवरसो
119.	सीनोता	151.	खेड़ली खुर्द
120.	हरीपुरा	152.	किशनपुरा
121.	नरनाहाली उर्फ सुमेरपुरा	153.	खेड़ली कलां
122.	नीमोली	154.	कालावड़ा
123.	गोठरा कलां	155.	रामगंज
124.	मियाना	156.	पाडा
125.	बैजपुर	157.	भैरुपुरा
126.	चाणदा कलां	158.	खेडली पेमा
127.	चाणदा खुर्द	159.	तोडी
128.	उदयपुरा	160.	चकटोडी
129.	जटवाड़ी	161.	चक खेडली पेमा
130.	गुवाडी	162.	शेरगढ़
131.	बगली	163.	घटोद
132.	रामपुरिया	164.	गोठरा खुर्द
133.	बालूमा	165.	शोदानपुरा
134.	ठिकरदा	166.	नया गांव
135.	छापोल	167.	गुहला
136.	थनवां	168.	बगावदा
137.	केथोदा	169.	आसीदा
	नोन पोटेंशियल	170.	संग्रामपुरा
138.	कैलाशपुरी	171.	गोपालपुरा
139.	समामगंज	172.	चक गुवाडी
140.	लालपुरा उर्फ फतेहपुर	173.	किशनपुरा उर्फ ख्वासपुरा
141.	तीरापुर	174.	रामखेड़ा
142.	पीथूपुरा	175.	श्रीपुरा
143.	गेन्दापुरा	176.	बगरोद
144.	कानपुरा	177.	शेरगंज
145.	आमलीखेड़ा	178.	डेलोद

1	2
179.	चक ककावता
180.	किरपुरा
181.	रघुनाथपुरा
182.	हुवाखेड़ा
183.	उम्मेदपुरा
184.	शेरोपुरा
185.	सज्जनपुरा
186.	बनजारी
187.	फतेहपुर
188.	किरपुरा
189.	गोरधनपुरा
190.	छत्रपुरा
191.	फरेरा
192.	त्रिरोय
193.	भैरूपुरा
194.	गोपालगंज
195.	खेड़ली नोनेरा
196.	पाडली
197.	मोरखूदना
198.	गिरधरपुरा
199.	रोहली
200.	बड़ोदिया
201.	कोडावदा
202.	बीजावता
203.	चाणदा
204.	चक खेड़ली
205.	मरज्ञाना
206.	कंवरपुरा
207.	बिसलाई
208.	खेड़ली किशनपुरा
209.	बम्बूलिया घाटा
210.	रघुनाथपुरा
211.	मीठोद

1	2
212.	बम्बूलिया खरडा
213.	इन्दोरा
214.	भाटोली
215.	अरन्या
216.	खेड़ा

आर. एम. एन. पी. स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना, पंचायत समिति लाडपुरा में सम्मिलित ग्रामों की सूची वर्षवार—

क.स.	ग्राम का नाम
प्रथम वर्ष:—	
1.	गंगराचा
2.	गांवडी
3.	रायपुर
4.	देवल मछियान
5.	नोडन
6.	रामराजपुरा
7.	मानसगांव
8.	घणटाना
9.	मनपुरा ग्रामीण
10.	खेड़ली पांडे
11.	रामखेड़ली
12.	पीपल्दा शेरवान
13.	बृजेशपुरा
14.	झालीपुरा
15.	तावेड
16.	थोरखंडी
17.	नया नोहरा
18.	हनुमत खेड़ा

क्र. सं.	ग्राम का नाम
19.	हाथीखेड़ा
20.	मन्डानिया
21.	लखावा
22.	रंगवाडी
23.	शंभूपुरा
24.	बोरावास

द्वितीय वर्ष :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम
25.	केथोडी
26.	मोरया
27.	दाहड़ा
28.	कंवरपुरा
29	पहांन्दा
30.	नगपुरा
31.	गोदल्याहेड़ी
32.	किशनपुरा केयून
33.	कादीहेरा
34.	राजपुरा
35.	अभयपुरा
36.	रानीपुरा
37.	पीपलहेडी
38.	झानी
39.	शंकरपुरा
40.	सीमल हेडी
41.	कामोडी चारनहेडी
42.	परल्या
43.	फाटाखेड़ा
44.	भीलोत
45.	नीमखेड़ी
46.	उम्मेदपुरा
47.	भीलखेडी
48.	सिहपुरा
49.	काल्याखेडी

क्र. सं.	ग्राम का नाम
50.	गोपालपुरा
51.	डडवाड़ा
52.	नयागांव
53.	कोथला
54.	पदमपुरा
55.	थोलपुरा
56.	डोवडा

तृतीय वर्ष :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम
57.	रेंकराखेड़ी
58.	सारंगपुर
59.	मुकुन्दपुर
60.	जेथपुरा
61.	दौलतपुरा
62.	बख्शपुरा
63.	सोहनपुरा
64.	गांवडा
65.	हनीपुरा
66.	कंवरपुरा
67.	भंवरिया
68.	श्यामपुरा
69.	पचपहाड़
70.	बोरलं। खेड़ा
71.	रामपुर
72.	धर्मपुरा
73.	कलां उर्फ लक्ष्मीपुरा
74.	दल्या
75.	चांद बावड़ी
	नोन पोटेंशियल
76.	देवनगर
77.	नान्ता ग्रामीण
78.	राम नगर ग्रामीण
79.	नया खेड़ा ग्रामीण
80.	सुखपुरा

क. सं.	ग्राम का नाम
81	छत्रपुरा
82.	बारेल
83.	विजयपुरा
84.	भीमपुरा
85.	उम्मेदपुरा
86.	जामनिया
87.	पाचन कुई
88.	लाल तलाई
89.	रूपपुरा
90.	नेचलपुरा
91.	पोरडा
92.	चन्द्रेपुल
93.	छीपनहडी
94.	खानपुरिया
95.	अखावा
96.	थोलनपुर
97.	कोटबावड़ी
98.	घोडों का गांव
99.	कोलीपुरा
100.	रातड़िया
101.	देवपुरा
102.	नीमखेड़ा
103.	शोदानपुरा
104.	रूपपुरी
105.	बोरकुई
106.	बछड़िया
107.	बुगचाच कलां
108.	बुगचाच खुर्द
109.	उम्मेदपुरा
110.	हरीपुरा
111.	किशनपुरा
112.	मोतीपुरा
113	भगवानपुरा

क. सं.	ग्राम का नाम
114.	उदयपुरा
115.	पृथ्वीपुरा
116.	अमरपुरा
117.	खंगारपुरा
118.	दोहनिया
119.	इन्द्रपुरा
120.	नारायणपुरा
121.	सबलपुरा
122.	जसपुरा
123.	भापुरा
124.	मन्दिरगढ़
125.	रोझाला
126.	केशोपुरा
127.	खारी बावड़ी
128.	गणेशपुरा
129.	आमा का पानी
130.	जामूनिया
131.	दामोदरपुरा
132.	मोहनपुरा
133.	लक्ष्मीपुरा
134.	झानरा
135.	फूटा तालाब आनन्दपुर
136.	रेल

(एम.एन.) स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना प. स. सांगोद में सम्मिलित ग्रामों की सूची वर्षवार.

प्रथम वर्ष:—

क. सं.	ग्राम का नाम
1.	कुन्डया
2.	नांगलहेड़ी

क. सं.	ग्राम का नाम
3.	लालाहेड़ा
4.	ईदलपुरा
5.	देगन्या
6.	मर्कंडावद
7.	कोलाना
8.	कोतानी
9.	लोठाहेड़ा
10.	टोस्या
11.	कँसोली
12.	टोल्या
13.	बाछीहेड़ा
14.	सलोन्या
15.	भामोर
16.	काल्या खेड़ी
17.	चरचाडिया काशीपुरा
18.	गाडरवाड़ा
19.	अकोदिया
20.	बांगडस्या
21.	नागरा खेड़ी
22.	हरीपुरा

(आर. एम. एम. पी.) स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना प. स., सांगोद में सम्मिलित ग्रामों की सूची वर्षवार

क. सं.	ग्राम का नाम
	प्रथम वर्ष :
1.	ठीमली
2.	बमूल्या खालसा
3.	कन्नान्या
4.	सहीपुर
5.	बमूल्या कलां
6.	दीरामी

क. सं.	ग्राम का नाम
	द्वितीय वर्ष :—
7.	सीमाल्या
8.	बरखेड़ा
9.	दाता
10.	गरडा
11.	नालोदी
12.	किशोरपुरा
13.	पीतामपुरा
14.	जुगलपुरा
15.	खोदया खेड़ी
16.	जागत्याहेड़ी
17.	कोट बावड़ी
18.	खेडली कन्दाफल
	तृतीय वर्ष :—
19.	कन्दाफल
20.	काठोभ
21.	चडावद जागीर
22.	आमली
23.	घटान
	चतुर्थ वर्ष :—
24.	करीरियां
25.	गुडला
26.	खेड़ली गुडला
	नोन-पोटेंशियल
27.	मोरयाहेड़ी
28.	रामगढ़
29.	सलोन्या
30.	वायड़ा
31.	सुंडक्या
32.	कील्याहेड़ी
33.	मोहनपुरा
34.	गिमाना

क. सं.	ग्राम का नाम
35.	मेल खेड़ी
36.	खेड़ली खोदा
37.	ग्रालोटी
38.	रामोटी
39.	टौंक
40.	सूंडा
41.	लाला हेड़ी
42.	प्रतापपुरा
43.	हरीपुरा
44.	मानक्या खेड़ी
45.	चक जगदीश पुरा
46.	किशोर सागर
47.	सामरिया
48.	लक्ष्मीपुरा
49.	किशनपुरा
50.	गोलयाव
51.	चक धूनेट
52.	कानपुरा
53.	किशनपुरा
54.	मशालपुरा
55.	नारायणपुरा
56.	हरीपुरा
57.	मोरटुका
58.	गांवड़ी
59.	प्रेमपुरा
60.	राजपुरा
61.	मन्दारिया
62.	लाडपुरा
63.	मंगलपुरा
64.	तहरोली
65.	खोवदा
66.	गुवावदा

(ग्रार. एम. एन. पी.) स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना, पं. स. सुल्तानपुर में सम्मिलित ग्रामों की सूची वर्षवार

पोटेंशियल

क. सं.	ग्राम का नाम
प्रथम वर्ष :	
1.	सदेड़ी
2.	रामड़ी
3.	गिरधरपुरा
4.	सुहाना
5.	वबूली
6.	खूने
7.	पाचड़ा
8.	छींसा
9.	ककरावदा
10.	वगतरी
11.	गोकुलपुरा
12.	ग्रटान
13.	जखड़ोद
द्वितीय वर्ष :	
14.	घोली
15.	भीमपुरा
16.	मूण्डला
17.	कोटसुवां
18.	बुढ़ादीत
19.	पाली
20.	मण्डावरा
21.	खेड़ली तवरां
22.	जहांगीरपुरा
23.	नीमली
24.	खोटेली

क्र. सं.	ग्राम का नाम
25.	उम्मेदपुरा
26.	बनेठिया
27.	सनीजा बावडी
28.	धनवा
तृतीय वर्ष :	
29.	खेरला
30.	बिसलाई
31.	किशोरपुरा
32.	बाल्दा
33.	किशनगंज
34.	टाकरवाडा
35.	पीपल्दा बोरम
36.	हरीपुरा
37.	कोटडा दोरसिंह
38.	मदनपुरा
39.	पीपल्दा सांख
40.	झाड़गांव
41.	मोराना
42.	झाडोल
43.	सांख सनीजा
चतुर्थ वर्ष :-	
44.	कोटडापुरा
45.	निनेदा
46.	फतेहपुर
नोन-पोटेंशियल	
47.	खेडली खुश्क
48.	मोहम्मदपुरा
49.	मांगाहेडी
50.	दिवानिया
51.	रलायता
52.	बर्रसिंहपुरा
53.	खेड़ली शहरान
54.	दुर्जनपुरा
55.	कुनेठिया
56.	कुमला
57.	चोपड़खेड़ी
58.	खेड़ा भोपाल
59.	देदियाहेड़ी
60.	गांवडी
61.	ख्यावदा
62.	ईदलगढ़
63.	डूनोतिया
64.	डोबरली
65.	जिपाहेडी
66.	शोपुरा उर्फ बलदेवपुरा
67.	खेड़ली परसराम
68.	कूवलीया रावतान
69.	चम्पा का खेड़ा
70.	ओंकारपुरा
71.	बालापुरा
72.	अनरालिया
73.	भगवानपुरा
74.	मन्डावरी
75.	नयागांव अहिरान
76.	कासमपुरा
77.	नोहती
78.	कुराडी
79.	टहला
80.	जतीपुरा
81.	डंगावद
82.	भटखेड़ी
83.	बगावदा
84.	भूनेन
85.	बोरखेड़ा

क्र. स.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
86.	धनसूरी	92.	पीपल्दा समेल
87.	बराना	93.	मन्दारिया
88.	महूराना	94.	नरपत खेड़ी
89.	एवरा	95.	रामनगर
90.	बमूल्या रतमल	96.	रामपुरिया
91.	सागाहेड़ी		

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 4 की सूची

पंचायत समिति, प्रतापगढ़

क्र. संख्या	नाम कृषक मय जाति	निवासी	श्रेणी	प्रयोजन	ऋण (स्वीकृत)	अनुदान (स्वीकृत)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	श्री लालू/किरा भील	मझाणा	सी.	पंपसेट	6000/	3000/-	
2.	श्री रूपा/निजा मीणा	प्रतापगढ	ल.	पंपसेट	5000/	2500/-	
3.	श्री अंबालाल/नन्दा चमार	रेठाजना	श्रमिक	कशीदा म.	1000/-	500/-	
4.	श्री भंवर/रामा बलाई	,,	,,	बैलगाड़ी	1500/-	750/-	
5.	श्री रुकमणी/वाला बलाई	,,	,,	बकरी यू.	3000/-	1500/-	
6.	श्री जेनी/गोविन्दराम धा.	अचलेश्वर	,,	भैंस-2	5000/-	1330/-	
7.	श्री रमेश/फतह सिंह राव	,,	,,	,,	5000/-	1330/-	
8.	श्री हरलाल/पूराजी कुमावत	,,	,,	साइकिल यू.	2700/-	900/-	
9.	श्री बालू/केला मीणा	,,	,,	बकरी यू.	3000/-	1500/-	
10.	श्री चुन्नी लाल भुवान अहीर	प्रतापगढ	सी.	बैलजोड़ी	3000/-	1000/	31-12-81
11.	श्री हीर/उदा बावरी	पिलू	ल.	बैलजोड़ी	3500/-	1750/-	
12.	श्री मांगीलाल/नानूराम भील	,,	,,	बकरी	2800/-	1400/-	
13.	श्री भैरूलाल/हिमा बंजारा	,,	सी.	भैंस यू.	5000/-	2500/-	
14.	श्री पेमा/देवा चमार	पिपलिया	श्रमिक	गाय	3000/	1500/-	
15.	श्री कान्ता/मूलचन्द कुम्हार	बोरी	,,	गाय	3000/	1000/-	
16.	श्री गोपी/रोड़ा भील	मिढ़पुरा	,,	बकरी	2800/-	1400/-	
17.	श्री शोभाग कंवर/उम्मेद सिंह	मोखमपुरा	,,	भैंस	5000/-	1666/-	

1	2	3	4	5	6	7
18.	श्री राम निवास/अर्जुन दर्जी	कल्याणपुरा	श्रमिक	जींगजांग मशी	1750/-	583/-
19.	श्री मांगी/पन्ना नायक	,,	,,	बकरी	2800/-	1400/-
20.	श्री मांगीलाल/रतना नायक	,,	,,	बैलगाड़ी	5000/-	2500/-
21.	श्री हरचन्द/गुरु दरोगा	रिठावरा	,,	भैंस-2	5000/-	1666/-
22.	श्री भैरु/दल्ला मीणा	प्रतापपुरा	ल.	बैलजोड़ी	3500/-	1750/-
23.	श्री मांगू/वगदीराम काकड़	कचनारा	श्रमिक	,,	3500/-	1666/-
24.	श्री देवा/चोखा मीणा	सिढपुरा	ल.	पंपसेट	5000/-	2500/-
25.	श्री हीर/हरीराम भांबी	बसाई	ल.	नवकूप	6000/-	3000/-
26.	श्री ताजू/अलाबक्ष मुस.	,,	श्रमिक	साइकिल दु.	3000/-	1000/-
27.	श्री मन्ना/केसु दर्जी	गनेर	ग. रे.	सिलाई	1400/-	466/-
28.	श्री चांदमल/नाथू शर्मा	,,	,,	,,	1400/-	466/-
29.	श्री शेरअली/रंगीन खां	मूचलाना	,,	साइकिल	3000/-	1000/-
30.	श्री भैरु/चुनीलाल लुहार	मुनेर	,,	,,	3000/-	1000/-
31.	श्री मांगू/नंदा मीणा	बामोदर	ल.	पंपसेट	4500/-	2250/-
32.	श्री मांडी राम/भैरु गारी	कुण्डी	अन्त्यो.	तांगागाड़ी	5000/-	1666/-
33.	श्री नारायण/उदा मीणा	ठिकरिया	ल.	बकरी	3000/-	1500/-
34.	श्री रामाकिशन/बिरमा चमार	असावता	,,	जींगजांग	1250/-	625/-
35.	श्री बरदीचन्द्र/भैरा जटिया	,,	,,	बकरी	3000/-	1500/-
36.	श्री देवा/भैरा जटिया	,,	,,	,,	3000/-	1500/-
37.	श्री बालू/भैरा जटिया	,,	,,	,,	3000/-	1500/-
38.	श्री रूपा/टिका चमार	,,	,,	,,	3000/-	1500/-
39.	श्री लामुसिंह/रतन सिंह	अरनिया	श्रमिक	,,	3000/-	1000/-
40.	श्री नारायण/कस्तुर चमार	,,	सी.	,,	3000/-	1500/-
41.	श्री रमेश/देवा दरोगा	,,	श्रमिक	साइकल	2700/-	900/-
42.	श्री प्रकाश/शंकर नाई	,,	,,	नाई दु.	600/-	200/-

43. श्री भीमा/बगदी राम मीणा	बानपुरा	श्रमिक	बकरी यू.	3000/-	1500/-
44. श्री मोहन/होमा मीणा	,,	,,	बैल	1500/-	750/-
45. श्री भुवान/दिवा खटीक	कुलथाना	,,	भेड़ यू.	5200/-	2600/-
46. श्री मांग/वरना नानका	,,	सी.	बैलगाड़ी	4800/-	2400/-
47. श्री लाल चन्द/ओंकार जैन	,,	श्रमिक	परचूनी	1000/-	333/-
48. श्री गमेरा/सवा चमार	,,	,,	बैलगाड़ी	4800/-	2400/-
49. श्री जगीया/राम चन्द्र पूर्विया	,,	ल.	बकरी	3000/-	750/-
50. श्री नानूराम/सवा चमार	,,	,,	भैंस यू.	3000/-	1500/-
51. श्री शंकर/बैजूराम ढोली	,,	सी.	,,	6000/-	2500/-
52. श्री बंशी/ननु पूर्विया	,,	ल.	पु. कुआ	4500/-	1125/-
53. श्री नानूराम/रामा पूर्विया	,,	सी.	,,	4500/-	1500/-
54. श्री मदन सिंह/मानसिंह	,,	,,	,,	4500/-	1500/-
55. श्री मोहनदास/गणेशदास	भरनिया	,,	भैंस--2	5000/-	1666/-
56. श्री रघुवीर सिंह/शैतान सिंह	कुलथाना	श्रमिक	साइकल	2700/-	900/-
57. श्री शंकर/वक्ु पूर्विया	,,	सी.	गाय यू.	3000/-	1000/-
58. श्री नंदा/मोती कुमावत	,,	ग्रा.द.	सिलाइ मशीन	1000/-	333/-
59. श्री भैरु/पून चमार	,,	सी.	बकरी यू.	3000/-	1500/-
60. श्री कमल शंकर/मांगी लाल	अचलपुर	ग्रा. द.	लाईट डेको	3000/-	1000/-
61. श्री काना/केरिंग मीणा	पंडावा	ल.	पु. कुआ	5000/-	1250/-
62. श्री पन्ना लाल/झमकिया धोबी	प्रतापगढ	,,	नल कूप	2500/-	1250/-
63. श्री मोहन/भेरा ढोली	कुलथाना	,,	,,	2500/-	1250/-
64. श्री भाणा/केशुराम चमार	छरोट	,,	पंपसेट	4800/-	2400/-
65. श्री मोहन/नन्ना ढोली	रजोरा	,,	,,	4300/-	2150/-
66. श्री वालिया/भीमरा मीणा	दौतड़	,,	,,	5800/-	2900/-
67. श्री देवा/चोखा पुरा मीणा	बलारी	,,	,,	5800/-	2900/-
68. श्री नागजी/उदा मीणा	घांडी	,,	,,	5800/-	2900/-
69. श्री जेतीया/नंगा मीणा	पारलिया	,,	,,	6000/-	3000/-
70. श्री खाजू/नाथू मुसलमान	भादोला	,,	,,	4500/-	1125/-

1	2	3	4	5	6	7
71.	श्री फलीया/दीपा मीणा	बांडी	ल.	पंपसेट	5800/-	2900/-
72.	श्री म. णियां/उदा मीणा	करोली	,,	,,	5800/-	2900/-
73.	श्री ओंकार/सुखा मीणा	सनोटी	,,	,,	4500/-	2250/-
74.	श्री द्वारगो/देवजी मीणा	गामदा	,,	नल कूप	2500/-	1250/-
75.	श्री भारज/कुशाला मीणा	भणेज	,,	,,	2500/-	1250/-
76.	श्री सोनी बाई/रामा मीणा	पंडावा	,,	,,	2500/-	1250/-
77.	श्री मानजी/कालू मीणा	,,	,,	,,	2500/-	1250/-
78.	श्री भीमजी/गंगजी मीणा	,,	,,	,,	2500/-	1250/-
79.	श्री लालजी/लखमा मीणा	रतनपुरिया	,,	,,	2500/-	1250/-
80.	श्री नाथू/मोडा मीणा	बंबरोली	,,	,,	2500/-	1250/-
81.	श्री रामा/प्रतापिया मीणा	मारनी	,,	,,	2506/-	1250/-
82.	श्री पूना/कमला मीणा	मेंहदी खेड़ा	,,	,,	2500/-	1250/-
83.	श्री केनोलाल/शिवलाल दमामी	कल्याणपुरा	,,	,,	2500/-	1250/-
84.	श्री कमजी/दल्ला मीणा	,,	,,	,,	2500/-	1250/-
85.	श्री अमरिया/जीवला मीणा	रतनपुरिया	,,	,,	2500/-	1250/-
86.	श्री माना/भुवन चमार	बिरावली	,,	,,	5000/-	2500/-
87.	श्री केसा/नगजी मीणा	महुडी खेड़ा	,,	पंपसेट	5500/-	2750/-
88.	श्री भागीरथ/गोतम मीणा	कनाड	,,	नवकूप	5000/-	2500/-
89.	श्री रकमा मंगला मीणा	उठेल	,,	,,	5500/-	2750/-
90.	श्री खुमला नारजी मीणा	लापरिया बस्ती	,,	,,	5500/-	2750/-
91	श्री खातिया हवजी मीणा	नमारा	,,	,,	5500/-	2750/-
92	श्री चंपा मानिग मीणा	खोरा	,,	पु. कुआ	3500/-	750/-
93	श्री कांह/मनजी मीणा	लुहाररवासी	,,	नवकूप	12500/-	1250/-
94.	श्री नगजी/केशा मीणा	केसपुरा	,,	कु गहरा	1500/-	750/-
95.	श्री नाकूडा/भीमजी मीणा	बानपुरा	,,	पंपसेट	5500/-	2700/-

96.	श्री बगदिया नाथू मीणा	जाबू खेड़ा	ल	पु. कुआ	2500/-	1250/-
97.	श्री बरदाचन्द समेरा बलाई	जाजली	"	नल कूप	2500/-	1250/-
98.	श्री हरीराम शंभू गाडरी	"	"	"	2500/-	625/-
99.	श्री नन्दा उंकार डांगी	चूपना	"	"	5000/-	1250/-
100.	श्री केसवलाल ग्रासालाल चोखारी	ग्ररनोद	सा. कृ.	"	5300/-	1060/- 2से 4 हैक्टेयर
101.	श्री मोरान किशन डांगी	पडनी	"	पंपसेट	4300/-	860/- भूमि वाले
102.	श्री कांकरिया नन्दा लुहार	दलोट	"	कु. गहरा	4000/-	800/-
103.	श्री देवीलाल रूपा मीणा	महुडी खेडा	ल	"	3000/-	750/-
104.	श्री जगदीश रतन सुथार	मांवाई	"	पंपसेट	4800/-	1200/-

2 से 4 हेक्टेयर (20) प्रतिशत
सामान्य कृषक योजना

1.	श्री सवा चुनीया चमार	सेगलीपुर	सा.कृ.	कु. गहरा	2500/-	500/-
2.	श्री गुलाम इलाही बक्ष	वसाड	"	नवकूप	8)00/-	1600/-
3.	श्री जीवला जोखिया भील	पोतड	"	पंपसेट	5500/-	1100/-
4.	श्री जानीबाई भंवर लाल ग्रोजना	वसाड	"	नलकूप	5000/-	1000/-
5.	श्री शंभू ग्रमरा मीणा	सेवरा	"	कु. कुआ	4000/-	800/-
6.	श्री भागीरथ नानू हरिजन	गोटारसी	"	नलकूप	2500/-	500/-
7.	श्री वाना मूला मीणा	कलदी खेड़ा	"	"	5000/-	1000/-
8.	श्री फतेसिह ऊंकारसिंह	रठाजना	"	"	4300/-	860/-
9.	श्री भूवान खेता मीणा	ग्रचलपुरिया	"	पु. कुआ	2000/-	400/-
10.	श्री रामलाल रतन कुलमी	पिपलिया	"	नव कूप	2500/-	500/-
11.	श्री सज्जन सिंह भैरु सिंह	खाडिया खेडी	"	"	2500/-	500/-
12.	श्री थावरिया उमा मीणा	फूलदा	"	"	2500/-	500/-
13.	श्री डालू राम धोबी	प्रतापगढ़	"	पु. कुआ	4000/	400/
14.	श्री थावरिया भोपजी मीणा	साजमगढ़	"	"	2500/	500/-

1	2	3	4	5	6	7
15.	श्री गेवाशंकर/नारायण ब्रा.	अचलेश्वर	सा. कृ.	नव कूप	5000/-	1000/-
16.	श्री पांचिया/कालिया मीणा	मेंहदी खेड़ा	,,	कु. कुआ	2500/-	500/-
17.	श्री भोला/रतनामीणा	चतरिया खेड़ी	,,	नलकूप	5000/-	1000/-
18.	श्री शंकर/रुपा चमार	खेरोट	,,	पु. कुआ	2500/-	500/
19.	श्री सुखा मन्ना चमार	,,	,,	नवकूप	2500/-	500/-
20.	श्री मांगू/मवाना नायक	थरी	,,	,,	4000/-	400/-
21.	श्री राम सिंह/	कोटडी	,,	पंपसेट	4500/-	900/-
22.	श्री भंवर/उंकार डांगी	चाना	,,	नवकूप	5000/-	1000/-
23.	श्री बालमुकुन्द/गोबर लाल ब्रा.	सोली	,,	,,	5000/-	1000/-
24.	श्री पन्ना/वजिया डांगी	साखयली खुर्द	,,	कु. गहरा	5000/-	1000/-
25.	श्री जीवराज/उंकार डांगी	चूपना	,,	नवकूप	5000/-	1000/-
26.	श्री नाथू/लाला दर्जी	कोटडी	सा. कृ.	पंपसेट	4200/-	840/-
27.	श्री उदिया/हकरा मीणा	कानड	,,	,,	5500/-	1100/-
28.	श्री रूगा/रामचन्द चमार	मोहडा	,,	नवकूप	2500/-	500/-
29.	श्री पन्ना/मानाखारोल	लपडी	,,	,,	2500/-	500/-
30.	श्री परमानन्द/नाथू ब्रा.	नोगांवा	,,	,,	2500/-	500/-
31.	श्री कचरिया जोखा मीणा	भैसा की नाल	,,	,,	2500/-	500/-
32.	श्री रतन/वगदीराम मीणा	सिलिया खेडी	,,	पु. कुआ	4000/-	400/-
33.	श्री भैरु/रूपा मीणा	राणा का खेडा	,,	,,	3000/-	300/-
		पंचायत समिति, अरनोद				
1.	श्री रमेश/भैरुलाल खटीक	अरनोद	पम्पसेट	लघु	6000/-	3000/-
2.	श्री रमेश/बाल मुकुन्द मीणा	चाचाखेडी	सिलाई मशीन	ग्रा. उ.	1075/-	537/-
3.	श्री देवा/गोवा मीणा	मच्छवरा	पंपसेट	सी.	6000/-	3000/-

1.	2	3	4	5	6	7
4.	श्री रमेशकुमार/शान्तिलाल महाजन	नोगांवा	साइकिल दु.	श्रमिक	2700/-	900/-
5.	श्री धनराज/मोतीलाल मीणा	खजूरी	पम्पसेट	ल.	6000/-	3000/-
			(कु. गहरा)		2600/-	1300/-
6.	श्री तोलिया, कालिया/थावरा मीणा	मोरूण्डी	कु. गहरा	सी.	6000/-	3000/-
7.	श्री भागीरथ/रामा कुमावत	दलोट	,,	,,	6000/-	2000/-
8.	श्री आनन्दीलाल गिरधारी नाई	सालमगढ	,,	ल.	2500/	625/-
9.	श्री राम चन्द्र कालू दरोगा	जाजली	,,	सी.	3000/-	1000/-
10.	श्री मोती माना मीणा	,,	,,	ल.	3000/-	1500/-
11.	श्री गजेन्द्र सिंह करणसिंह	कोटडी	परचूनी दु.	म. रे.	2000/-	666/-
12.	श्री रामेश्वर भेरु मीणा	चूपना	,,	,,	2000/-	666/-
13.	श्री बिसमिला खां सोरदा खां	कोटडी	साइकिल दु.	,,	3000/-	1000/-
14.	श्री कन्हैयालाल सालगराम दर्जी	,,	,,	,,	3000/-	1000/-
15.	श्री रकमा हीरा मीणा	सेवना	पम्पसेट	,,	6000/-	3300/-
16.	श्री दौला कालू मीणा	गतकड	,,	ल.	6600/-	3300/-
17.	श्री रजा खां मुल्ला खां	सालमगढ	,,	,,	6060/-	1500/-
18.	श्री कन्हैयालाल रणछोड	रायपुर	परचूनी दु.	म. रे. ग्रा. द.	2000/-	660/-
19.	श्री अर्जुन मल्ला मीणा	सेवना	पम्पसेट	ल.	6000/-	3000/-
20.	श्री मोहन लालू मीणा	सालमगढ	सिलाई म.	ग्रा. द.	835/-	447/-
21.	श्री लालू प्यारा मीणा	फतेहगढ	नवकूप	ल.	6000/-	3000/-
22.	श्री मुकुन्ददास/देवीदास	सालमगढ	चाय होटल	म्र. सी.	1000/-	333/-
23.	श्री देवी माधु मीणा	खेडी	नवकूप	सी.	6030/-	3000/-
24.	श्री जीपली भालु मीणा	मोहेडा	पम्पसेट	ल.	5510/-	2750/-
25.	श्री मन्ना माती गायरी	मोहेडा	,,	सी.	6000/-	2000/-
26.	श्री पालजी पुज्या मीणा	बूजाखेडी	,,	,,	6000/-	3000/-
27.	श्री नन्दी मांगीलाल बलाई	बलोट	,,	ल.	5000/-	1250/-
28.	श्री धूरा उंकार कुलमी	,,	,,	सी.	6000/-	2000/-
29.	श्री गौतम तेजा चमार	बरडिया	,,	ल.	6000/-	3000/-
30.	श्री बजेराम/कालू मीणा	बन्देरा	नवकूप	सी.	6000/-	3000/-

1	2	3	4	5	6	7
31.	श्री बगदाराम/नन्दा मीणा	जिरावता	पम्प सेट	बी.	6000/-	3000/-
32.	श्री शंकर/कजोड नाई	बलोट	,,	,,	6600/-	2200/-
33.	श्री देवाराम/आशाराम मीणा	चन्देरा	,,	ख.	6600/-	3300/-
34.	श्री रामचन्द्र/मंगला मीणा	मिरावता	,,	,,	6300/-	3150/-
35.	श्री कालू नाथू मीणा	मोहेडा	,,	,,	4800/-	2400/-
36.	श्री गोतम भवानी मीणा	चन्देरा	,,	,,	5000/-	2500/-
37.	श्री नानूडा केरींग मीणा	उंठेल	,,	सी.	6600/-	3300/-
38.	श्री चुनीलाल/मोतीलाल चमार	नागदि	,,	ल.	6600/-	3000/-
39.	श्री वशीराम हरिराम कुमा.	दलोट	,,	,,	6600/-	1650/-
40.	श्री मांगीलाल मानिगा मीणा	बंसवाई	,,	सी.	6600/-	3300/-
41.	श्री बरदा पूजा मीणा	चन्देरा	पम्पसेट	सी.	6600/-	3300/-
42.	श्री मोहन/लालू मीणा	,,	,,	ल.	5000/-	2500/-
43.	श्री सालगराम/भेरा कुमावत	बलोट	,,	,,	6600/-	1650/-
44.	श्री रामलाल/हुवजी मीणा	चन्देरा	,,	,,	5500/-	2750/-
			पु. कुआ		1500/-	750/-
45.	श्री राधेश्याम/रामा कुलमी	बलोट	पम्पसेट	ल.	6600/-	1650/-
46.	श्री कानिया खातिया मीणा	चन्देरा	,,	सी.	6000/-	3000/
47.	श्री खातिया/हीरा नंदा/पूजिय मीणा	निनोर	,,	ल.	6600/-	3300/-
48.	श्री नाथू पूरा मीणा	चन्देरा	बैलगाड़ी	स. ग. रे.	1500/-	750/-
49.	श्री नारू कालू मीणा	,,	परचूनी दुकान	कृ. श्र.	1000/-	500/-
50.	श्री गोपाल/भ्रमरा नट	,,	बैण्ड	,,	1500/-	750/-
51.	श्री राजू हीरा नट	,,	,,	,,	1500/-	750/-
52.	श्री मांगू मेगा नट	,,	,,	,,	1500/-	750/-
53.	श्री देवा/भमरा नट	,,	,,	,,	1500/-	750/-

1	2	3	4	5	6	7
54.	श्री अमरा मगा नट	चन्दरा	बैण्ड	कृ. श्र.	1500/-	750/-
55.	श्री रतन नंदा चमार	अचनेरा	जूते की दुकान	सी. रे.	1600/-	800/-
56.	श्री मोहन छगन कलाल	भचुण्डला	परचूनी दुकान	कृ. म. रे.	2000/-	330/-
57.	श्री मदन नानू कलाल	,,	,,	सी. ग. रे.	2000/-	330/-
58.	श्री भैरू कनीराम तेली	अचनेरा	,,	,,	2000/-	330/-
59.	श्री नारायण गोपी दरोगा	नागदि	,,	,,	2000/-	330/-
60.	श्री पप्पू अब्दुलगनी अब्दुल रहमान	निनोर	रेडिमेड दुकान	कृ. श्र.	2000/-	330/-
61.	श्री कमरू हरीराम मीणा	कनाड	सिलाई	ल.	1075/-	537/-
62.	श्री सलगराम लाला चमार	मोवाई	पम्पसेट	,,	6000/-	3000/-
63.	श्री बसंतलाल भैरूलाल ब्राह्मण	कोटडी	परचूनी दुकान	ग. रे. सी.	1200/-	397/-
64.	श्री कनिया धूलिया मीणा	सालगढ	पम्पसेट	ल.	3000/-	1458/-
65.	श्री हीरा नाथू मीणा	खजुरी	कु. गहरा	,,	2250/-	457/-
66.	श्री भगवानदास किशनदास	मोवाई	पम्पसेट	,,	5000/-	1250/-
67.	श्री रामा भैरा भील	कोटडी	,,	,,	6500/-	3300/-
68.	श्री मोहन भुवाना मीणा	अकर	सिलाई मशीन	म. सी.	1000/-	517/-
69.	श्री हीरालाल लक्ष्मण मीणा	धड़मासकला	पम्पसेट	अ. ज. जा.	6600/-	3300/-
70.	श्री कुशाला भैरा मीणा	सेवना	,,	,,	6500/-	3250/-
71.	श्री हंसराज तुलसीराम	अरनोद	बैलगाडी	ग. रे. स.	4800/-	1600/-
72.	श्री लालजी नानूराम नाथ	,,	परचूनी दुकान	,,	2000/-	665/-
73.	श्री नंदा काना साधु	,,	होटल	,,	1000/-	300/-
74.	श्री नाथू कंधुराम मीणा	मोगांव	बैलगाडी	,,	4800/-	2400/-
75.	श्री हरिकिशन गोबरा मीणा	पटपटिया	पम्पसेट	,,	6000/-	3000/-
				,,	6030/-	3000/-
76.	श्री रतना जीवा मीणा	छापण	,,	,,	6030/-	3000/-
77.	श्री परिया कालिया मीणा	छप्परखेडी	,,	,,	6000/-	3000/-
78.	श्री पंच्या सवजी मीणा	छापरी	,,	,,	6030/-	3000/-
79.	श्री उंकारसिंह गोवर्धनसिंह	पूपना	बैलगाडी	नि. प.	4800/-	1600/-
80.	श्री भंवरसिंह फूलसिंह	,,	साइकिल दुकान	,,	3000/-	1000/-

1	2	3	4	5	6	7
81.	श्री अर्जुन राजिया मीणा	महूखेड़ा	नवकूप	अ. ज. जा.	6000/-	3000/-
82.	श्री रामा धन्ना मीणा	बडयामकलां	परचूनी दुकान	,,	2000/-	1000/-
83.	श्री मालाल हीरा मीणा	सेवना मअरा	,,	,,	2000/-	1000/-
84.	श्री रामा कान मीणा	,,	,,	,,	2000/-	1000/-
85.	श्री देवा सवा बलाई	सालनगढ	पु. कूप	सी.	4000/-	2000/-
86.	श्री शिवगिरी नारायण गुसाई	निनोर	रेडीमेड दुकान	नि. प.	2000/-	666/-
87.	श्री रामलाल मुकनलाल कलाल	,,	कटलेरी दुकान	,,	2000/-	666/-
88.	श्री बाबू हीरा मीणा	मोहेड़ा	परचूनी दुकान	,,	2000/-	1000/-
89.	श्री भगसिंह कालूसिंह	,,	,,	,,	2000/-	666/-
90.	श्री चांदमल/हीरालाल हां.	,,	,,	,,	2000/-	666/-
91.	श्री रामा/बाग्या मीणा	चन्द्रेरा	पम्पसेट	अ. ज. जा.	5000/-	2750/-
			कु. गहरा		5000/-	2250/-
92.	श्री हीरालाल भग्गा मीणा	दिवाला	पम्पसेट	,,	6400/-	3200/-
93.	श्री जीवन नाथा मीणा	छतरपुर	,,	,,	6400/-	3200/-
94.	श्री वरदा कालू मीणा	चन्देरा	,,	,,	6400/-	3200/-
95.	श्री रामलाल हीरा मीणा	अचारा	,,	,,	5000/-	2500/-
96.	श्री रामा भैरू बलाई	विरावली	बैलगाड़ी	कृ. श्र. ग. रे.	4800/-	2400/-
97.	श्री रामा रतन कलाल	कोटड़ी	परचूनी दुकान	,,	2000/-	665/-
98.	श्री रगान पलकल्यां	,,	,,	,,	2000/-	666/-
99.	श्री मवा नाथू भील	शोली	पम्पसेट	ल.	6000/-	3000/-
100.	श्री मिर्जा लाल मीणा	निलोद	,,	,,	6000/-	3000/-

सा. कृ.-सामान्य कृषक — ग्रा. द. ग्रामीण दस्तकार

अन्तो.-अन्त्योदयी

ल. कृ.-लघु कृषक — भू. ही. ग्रा. श्र. -भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक

कृ. श्र.-कृषि श्रमिक

सी.-सीमान्त कृषक — अ. ज. जा.-अनुसूचित जन-जाति — अनु. जा.-अनुसूचित जाति

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

Annexure—I

YEARWISE EXPENDITURE ON TRYES

S. No.	Year	No. of tyres purchased	Value
1.	1979	19439	2,75,16,500—00
2.	1980	19466	3,30,92.200—00
3.	1981	22520	4,29,78,000—00

DETAILS OF SCRAP TYRES SOLD DURING LAST 3 YEARS

S. No.	Month of auction	Qty. of tyres sold	Rate of each tyre	Total Amount
1	2	3	4	5
I.	**1979 JAIPUR**			
1.	February	2500	Rs. 38.00	95,000.00
2.	March	2500	Rs. 38.00	95,000.00
3.	April	1000	Rs. 38.00	38,000.00
4.	November	8000	Rs. 35.39	2,30,120 00
5.	December	2000	Rs. 25.51	51,020.00
	Total ..	16000		5,09,140.00
6.	April	85 (Small tyres for Jeep, Cars etc.)		2,975.00
II.	**1980 JAIPUR**			
1.	February	4000	Rs. 25.51	1,20,040.00
2.	March	2000	Rs. 25.51	51,020.00
3.	April	2000	Rs. 25.51	51.020.00
4.	July	2000	Rs. 25.51	51,020.00
5.	September	1000	Rs. 29.00	29,000.00
	"	1000	Rs. 30.00	30,000.00
	"	1000	Rs. 29.25	29,250.00
	"	1000	Rs. 28.00	28,000.00
	"	1000	Rs. 29.50	29,500.00
	"	1000	Rs. 29.25	29,250.00
	"	1000	Rs. 28.00	28,000.00
	Total	17000		4.58,100.00

1	2	3		4	5
1980 AJMER					
1.	January	500	Rs.	40.00	2.000.00
2.	September	4000	Rs.	29.50	1,18,000.00
	TOTAL ..	4500			1,20,000.00
	GRAND TOTAL :	21500			5,78,100.00
3.	January	131 (Small tyres for Jeep, Cars etc.)			12,500.00
III. 1981 JAIPUR					
1.	January	4700	Rs.	33.00	1,55,100.00
2.	May	1000	Rs.	36.75	36,750.00
	"	1000	Rs.	36.50	36,500.00
	"	1000	Rs.	38.25	38,250.00
	"	2500	Rs.	38.00	95,000.00
3.	July	2100	Rs.	40.00	84,000.00
4.	November	5000	Rs.	40.00	2,00,000.00
	TOTAL ..	17300			6,45,600.00
1981 AJMER					
1.	January	3000	Rs.	30.00	90,000.00
2.	May	2000	Rs.	36.75	73,500.00
3.	November	2000	Rs.	40.00	80,000.00
	TOTAL ..	7000			2,43,500.00
	GRAND TOTAL ..	24300			8,89,100.00
1981 Small Tyres: Jeep, Car & Trekker :					
1.	January	64	Rs.	65.00	4,160.00
2.	July	22	Rs.	93.00	2,046.00
3.	July	23	Rs.	45.00	1,035.00
4.	July	5	Rs.	111.00	555.00
		109			7,796.00

149

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची

परिशिष्ट "क"

केन्द्रीय सरकार को जुलाई, 80 से मार्च, 81 की अवधि के लिये सीमेंट आवंटन हेतु प्रस्तुत मांग का विवरण:—

(1) जुलाई, 80 से सितम्बर, 80	3,50,000	मै. टन	(स्थाई मांग)
	30,000	मै. टन	(अतिरिक्त मांग)
(2) अक्टूबर, 80 से दिसम्बर, 80	3,50,000	मै. टन	(स्थाई मांग)
	1,00,000	मै. टन	(अकाल राहत कार्य हेतु अतिरिक्त मांग)
(3) जनवरी, 81 से मार्च 81	3,50,000	मै. टन	(स्थाई मांग)
	50,000	मै. टन	(अकाल राहत कार्य हेतु अतिरिक्त मांग)

नोट:—सीमेंट की मांग व आवंटन त्रैमासिक आधार पर किये जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार से जुलाई, 80 से जनवरी, 81 की अवधि के लिये केरोसीन के आवंटन हेतु प्रस्तुत मांग का विवरण:—

(केरोसीन मात्रा किलो लीटर में)

क्र. सं. नाम माह	मात्रा	
(1) सितम्बर, 80	33000	(स्थाई मांग)
(2) अक्टूबर, 80	33000	(स्थाई मांग)
	5000	(अतिरिक्त मांग)
(3) नवम्बर, 80	33000	(स्थाई मांग)
(4) दिसम्बर, 80	33000	(स्थाई मांग)
	2000	(अतिरिक्त मांग)
(5) जनवरी, 81	33000	(स्थाई मांग)
	2000	(अतिरिक्त मांग)

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं. नाम माह	केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त आवंटन
	(सीमेंट)
(1) जुलाई, 80 से सितम्बर, 80	1,30,200 मै. टन
(2) अक्टूबर, 80 से दिसम्बर, 80	1,30,200 मै. टन 25,000 मै. टन (अतिरिक्त)
(3) जनवरी, 81 से मार्च, 81	1,30,200 मै. टन 35,000 मै. टन (अतिरिक्त)

नोट:—सीमेंट का आवंटन त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

	(कैरोसीन)
(1) सितम्बर, 80	13,493 किलो लीटर
(2) अक्टूबर, 80	12,272 किलो लीटर
(3) नवम्बर, 80	14,251 किलो लीटर
(4) दिसम्बर, 80	15,420 किलो लीटर
(5) जनवरी, 81	14,520 किलो लीटर

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

धमाणा ग्राम (जालौर) की सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

7. श्री सुनील कुमार बिश्नोई (सूरतगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि श्री सदाराम चौधरी, व्यवस्थापक, धमाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति, जिला जालौर के विरूद्ध सहकारी समिति के सदस्यों एवं अन्य लोगों द्वारा भ्रष्टाचार की कई शिकायतें की गई। अगर हां, तो कब-कब ? एवं उनके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त व्यवस्थापक की शिकायतों के आधार पर सांचोर से आहोर तहसील में भाद्राजून ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक के पद पर तबादला भी किया गया था अगर हां, तो कब ? क्या उन्होंने उक्त आदेश की पालना की ? अगर हां, तो कब, अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त व्यवस्थापक का स्थानान्तरण आदेश रद्द करके फिर उनको उसी सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर लगा दिया गया है ? यदि हां तो क्यों ? क्या सरकार जनहित एवं प्रशासन की दृष्टि से उक्त व्यवस्थापक को फिर तबादला करके आहोर तहसील में लगाने का विचार रखती है तथा कब तक एवं उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही कब तक की जा रही सकेगी ।

उत्तर

(1) जी हां । सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर ने दिनांक 4-7-80 को बैंक को अवगत कराया था कि धमाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में ऋण वितरण प्रति सदस्य 21- रुपये प्रति सैंकड़ा कटौती किया जा रहा है । शिकायत की जांच कराये जाने पर शिकायत निराधार पाई गई ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास, सरदारपुरा, उदयपुर ।

8. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माणिक्यलाल वर्मा कन्या छात्रावास, सरदारपुरा, उदयपुर कब से प्रारम्भ किया गया एवं उसकी जमीन किस से कितने रुपयों में कब खरीदी गई ?

(2) उक्त भवन पर भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार ने कितना अनुदान दिया एवं कितना धन जन सहयोग से एकत्रित कर खर्च किया गया है ?

(3) उक्त कन्या छात्रावास किस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संस्था द्वारा संचालित किया जाता है तथा उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं ? कृपया, संस्था के विधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कन्या छात्रावास, जुलाई, 1981 में बन्द कर दिया गया एवं उसकी सम्पत्ति बेची जा रही है ? क्या इस सम्पत्ति को बेचने के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को प्रदत्त किये हैं ? यदि हां, तो किसको एवं यह अधिकार किस स्तर से प्रदान किये गये हैं ?

उत्तर

(1) माणिक्य लाल वर्मा कन्या छात्रावास, सरदारपुरा, उदयपुर, जुलाई, 1955 से प्रारम्भ किया गया था। इस छात्रावास का भवन एवं जमीन महिला आश्रम, भीलवाड़ा ने राज्य सरकार से उसके आदेश सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. वी. (42) जीए।56 दिनांक 6 अगस्त, 1956 के द्वारा भवन राज्य सरकार से रुपये 13,500.00 में तथा 4 बीघा 15 विस्वा 6 विस्वासी जमीन वाके ग्राम अलीपुरा में नगर विकास समिति, उदयपुर से 250.00 प्रति बीघा की दर से रुपये 1203.75 पैसे में दिनांक 15-4-1956 को खरीदी।

(2) छात्रावास भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार ने 1959-60 में 81,000 रुपये का अनुदान दिया तथा संस्था ने 31,935 रुपये जन सहयोग से एकत्रित कर कुल 1,12,935 रुपये व्यय किये।

(3) यह कन्या छात्रावास महिला आश्रम, भीलवाड़ा द्वारा संचालित किया जाता था, जिसके प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची एवं महिला आश्रम के विधान की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) माणिक्य लाल वर्मा कन्या छात्रावास, सरदारपुरा, उदयपुर, जुलाई, 1981 में बन्द कर दिया गया था। छात्रावास सम्पत्ति नहीं बेची गई है।

महिला आश्रम, भीलवाड़ा

संस्था की प्रबन्ध समिति के सदस्यों की नामावली

क्रम संख्या	नाम	पद	वर्गीकरण
1.	श्रीमती सुशिला माथुर, 43, गांधीनगर, भीलवाड़ा हाल-8, सिविल लाईन्स, जयपुर	अध्यक्ष	संस्थापक सदस्य
2.	श्रीमती सुमित्रा पंडित, सी-स्कीम, जयपुर	मंत्री	संस्थापक सदस्य
3.	श्री शिवचरण माथुर, 43, गांधीनगर, भीलवाड़ा हाल-8, सिविल लाईन्स, जयपुर	सदस्य	संस्थापक सदस्य

क्र. सं.	नाम	पद	वर्गीकरण
4.	श्री गणपतिलालजी वर्मा, भूपालगंज, भीलवाड़ा	सदस्य	संस्थापक सदस्य
5.	श्री दीनबंधु वर्मा, 99, भूपालपुरा, उदयपुर	सदस्य	संस्थापक सदस्य
6.	श्री लक्ष्मीनारायण झुन्झुनू वाला, राज. स्पी. एण्ड विविंग मिल्स लि., भीलवाड़ा। दिल्ली	सदस्य	दानदाता
7.	श्री सत्यनारायण नाथानी, दूदू वाला एण्ड कं., भीलवाड़ा।	सदस्य	दानदाता
8.	श्री ज्ञानमल कोठारी, भूपालगंज, भीलवाड़ा।	सस्देय	दानदाता
9.	श्रीमती संतोष कुमारी, श्री मा. ला. वर्मा महिला आश्रम, उ. मा. विद्यालय, भीलवाड़ा (मुख्य प्रवृत्ति)।	सदस्य	विद्यालय प्रधान
10.	डा. रजनी रामपाल, महात्मा गांधी आरोग्य सदन, भीलवाड़ा	सदस्य	भूतपूर्व छात्रा
11.	श्री बसन्ती लाल सुराना, महिला आश्रम, भीलवाड़ा।	सदस्य	स्टाफ प्रतिनिधि
12.	जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा	सदस्य	विभागीय प्रतिनिधि
13.	श्री प्यारचन्द विश्नोई, भूपालपुरा उदयपुर।	सदस्य	मानद सदस्य

ह.
व्यवस्था सचिव
महिला आश्रम, भीलवाड़ा।

महिला आश्रम भीलवाड़ा का विधान

1. इस संस्था का नाम - महिला आश्रम होगा।

2. इस का कार्यालय - भीलवाड़ा में होगा।

3. इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय नागरिक दृष्टि से महिलाओं का जीवन निर्माण करना होगा।

4. इसके निम्नलिखित साधन होंगे :–

1. महिला छात्रालय।
2. महिला विद्यालय।
3. महिला चल पुस्तकालय व पुस्तकालय।
4. महिला सेवा दल।
5. महिला उद्योग शाला।
6. महिला पाठशाला प्रौढ़ नारी शिक्षण केन्द्र।
7. महिला प्रसूति गृह।
8. खादी व ग्रामोद्योग चलाना: प्रबन्ध समिति की दिनांक 20-10-69 की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार।

उपरोक्त साधनों की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता लेना, देना व मकान बनाना, बेचना, पत्र चलाना, प्रकाशन करना, रिपोर्ट हिसाब प्रकाशित करना, साहित्य तैयार करना, वैतनिक कार्यकर्त्ता या कार्यकर्त्ता रखना, अलग करना, रसीदें देना, वाऊचर लेना, छात्रवृत्तियां लेना, दिलाना, साधारण सदस्य, संरक्षक, सहायक संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य आदि बनाना, जमीन लेना, देना, अचल संपत्ति बनाना, बेचना, बढ़ाना।

5. इसका कार्यालय भीलवाड़ा के आस-पास, मुख्यत: भीलवाड़ा ही होगा।

6. इसका निम्नलिखित संगठन होगा :–

1. साधारण सदस्य 16 वर्ष से अधिक उम्र की कोई भी विवाहिता या अविवाहित बहिन नीचे लिखी मर्यादाओं का पालन करती हुई सदस्य हो सकेंगी।

(अ) जो इस आश्रम को साल भर में तीन रुपये देती हों।
(ब) जो महिने में तीन दिन महिला आश्रम के काम में अपनी सेवाएं दे।
(स) जो महिने में आधा पाव आठ नम्बर का सूत दे।

2. संस्थापक सदस्य :–

(1) जिन सदस्याओं ने इसका जन्म दिया हो और जो जन्म के शेष समय में कार्यकारिणी की सदस्या रही हों तथा जिसने सात वर्ष से आश्रम की सेवा की हो।

(2) आजीवन सदस्य जिन्होंने सात वर्ष तक आश्रम की सेवाओं के लिए अपना जीवन देने का निश्चय किया हो।

(3) संरक्षक सदस्य जो एक हजार रुपये संस्था को दे। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।

(4) सहायक संरक्षक जो एक मुश्त एक सौ रुपये दे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।

7. कार्यकारिणी समिति :—

(क) पदाधिकारी :— 1. अध्यक्षा : संचालिका 2. मंत्रिणी: सात अन्य सदस्या उपरोक्त सातों विभागों की एक-एक संचालिका व आश्रम की संचालिका मंत्रिणी कुल मिलाकर 9 सदस्याओं की कार्यकारिणी होगी।

(ख) कार्यकारिणी समिति को आश्रम के सारे संचालन का अधिकार होगा।

(ग) कार्यकारिणी निर्णय बहुमत से हुआ करेंगे।

(घ) कार्यकारिणी की सदस्या केवल वही महिला हो सकेगी जो नियम 6 की धारा 2-1-3 की योग्यता रखती हो।

(ड़) संप्रति कार्यकारिणी का पूरा संगठन न होने तक संस्थापिका सदस्या ही कार्यकारिणी के अधिकार का उपयोग करती रहेगी।

8. सदस्याओं के अधिकार :—

(1) कार्यकारिणी के सदस्यों के हाथ में सारी संस्था का संचालन। संयोजन और प्रबन्ध होगा।

(2) संस्थापक तथा आजीवन सदस्यों की पांच वर्ष के बाद नई कार्यकारिणी बनावे व पुरानी को हटाने का अधिकार होगा।

(3) सहायक सदस्य तथा संरक्षक सदस्य हिसाब की जांच करने के अधिकारी होंगे। किन्तु वह नियम पहले 5 वर्ष के लिये ही लागू होंगे, बाद में प्रति तीसरे वर्ष चुनाव हुआ करेगा।

तहसील रामगंज मंडी एवं लाडपुरा के वन क्षेत्र का ठेट गांवों तक प्रसार

9. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार की जानकारी है कि कोटा जिले की रामगंज मण्डी एवं लाड़पुरा तहसीलों में वन विभाग ठेट गांवों तक बगैर किसानों की राय के वन क्षेत्र घोषित करता जा रहा है ?

(2) क्या इससे पशुओं के चरने की भारी समस्या हो गई है तथा ग्रामीणों एवं वन विभाग के मध्य विवाद बढ़ रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ठेट गांव तक वन क्षेत्र होने पर भी ग्रामीणों को न तो लकड़ी मिलती है ना पशुओं को घास ? यदि हां तो, ऐसी स्थिति में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(4) क्या इस क्षेत्र के बाहर से आने वाले पशुओं की चराई दर 50 पैसे प्रति पशु ली जाती है और स्थानीय पशुओं को नहीं चरने दिया जाता ? यदि हां, तो इस स्थिति को समाप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(वन मंत्री)

(2) वन खण्ड के समीप स्थित ग्रामीणों को वन बन्दोबस्त के समय से ही पशुओं को वन खण्डों में चराने हेतु इजाजत दी जाती हैं। जिसके अनुसार वे निषेध क्षेत्र के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चरा सकते हैं।

(3) जी नहीं। वन खण्डों के समीप स्थित ग्रामवासियों को निजी उपयोग हेतु सूखी जलाऊ लकड़ी सर बोझों से निशुल्क लाने दी जाती हैं तथा पशुओं को भी निषेध क्षेत्रों के अलावा वन खण्डों में चराने दिया जाता हैं। इसके अलावा लकड़ी व घास निर्धारित दरों पर उपलब्धता के अनुसार दिया जाता हैं।

(4) इन तहसीलों के अन्तर्गत स्थित वन खण्डों में राजस्थान के अन्य क्षेत्रों तथा गुजरात राज्य से आने वाली भेड़-बकरियों से 50 पैसा प्रति भेड़ बकरी की दर से चराई वसूली की जाती हैं जबकि स्थानीय ग्रामवासियों से 25 पैसे प्रति भेड़ बकरी ली जाती हैं। स्थानीय पशुओं को निषेध क्षेत्र के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में चराने पर कोई रोक नहीं हैं। चराई में संशोधन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

वोडी सेण्डा व रेल नदी पर बांध बनाने संबंधी प्रकरण

10. श्री **रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, जसवंतपुरा के ग्राम थूर के पास बाण्डी सेन्दरा नदी पर बांध बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रेल नदी पर बांध बनाने का सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है ? अगर हां, तो बांध बनाने का कार्य कब तक चालू किया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह बांध बंध जाने से काफी क्षेत्र में सिचाई हो सकेगी ?

(4) इन बांधों को बनाने के लिये कितनी धन राशि की जरूरत होगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं।

(3) जी हां।

(4) वर्तमान अनुमानों के अनुसार वाण्डी सेन्दरा सिंचाई योजना के निर्माण की लागत रु. 272.66 लाख है। रेल नदी के बांध की लागत सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् ही आंकी जावेगी।

भण्डारी बांध के अन्तर्गत ऊफरा का पुनःनिर्माण

11. श्री **राम किशोर मीणा** (सिकराय): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिचाई खण्ड जयपुर का भण्डारी बांध गत वर्षा में टूटते 2 बचा है तथा लगातार 15 दिनों तक इसके टूटने की संभावना बनी रही थी ?

(2) बांध की ऊफरा "वेस्ट वेयर" टूटने से कितना नुकसान हुआ ?

(3) क्या विभाग पूर्व में जो ऊफरा थी उसी स्थान पर अब ऊफरा बनाने का इरादा रखता हैं ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कर्य किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि बांध का ऊफरा 'वेस्ट वेयर' नहीं टूटा है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

वनवासी छात्रावास, उदयपुर एवं प्रताप नगर की जमीन का व्यवस्थापक द्वारा बेचान

13. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वनवासी छात्रावास, उदयपुर एवं प्रताप नगर के पास कितनी निजी जमीन है?

(2) क्या यह सही है कि वनवासी छात्रावास, उदयपुर के अधीन जमीन को व्यवस्थापक द्वारा प्लाट काट कर अन्य लोगों को बेच दिया गया है? यदि हां, तो वसूली की गई रकम किस के पास है एवं सरकार इसके प्रति क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) वर्तमान में वनवासी छात्रवास, उदयपुर के पास, जो वनवासी सेवा समिति, उदयपुर द्वारा चलाया जा रहा है, 14 बीघा जमीन है।

(2) जी नहीं, व्यवस्थापक एक वैतनिक कर्मचारी है उसे भूमि बेचने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

जयपुर को बाढ़ से हुई क्षति एवं गलता के पुनःनिर्माण की योजना

14. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : क्या बाढ़ राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में गत बाढ़ से कितना नुकसान हुआ व किस-किस रुप में? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकार द्वारा जयपुर नगर में बाढ़ से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की जा रही है तथा कहां कहां? कृपया, कार्य व स्वीकृति धनराशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने गलता के पुनः-निर्माण के लिए क्या योजना बनाई है?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में गत बाढ़ से कुल 2,823.30 लाख रुपये की हानि होना आंका गया है। बाढ़ से निजी भवनों व पशुधन की हानि के अतिरिक्त राजकीय सड़कों, भवनों जलप्रदाय साधनों, अस्पताल भवन व साज-सामानों, सड़कों की पुलियाओं, विद्युत लाइनों, ट्रान्सफारमरों आदि व नगर परिषद व नगर विकास न्यास की सड़कों, नालियों व सीवीरेज लाईनों आदि को नुकसान हुआ। नुकसान के बारे में सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) बाढ़ से हुए नुकसान के पुनरोद्धार व मरम्मत हेतु विभिन्न अभिकरणों को उनसे संबंधित कार्यों के लिए कुल रुपयें 2242.47 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(बाढ़ राहत मंत्री)

(3) राज्य सरकार ने गलता क्षेत्र में जुलाई, 81 में आई बाढ़ से हुए नुकसान के पुन: निर्माण के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। राज्य के नगर आयोजना संगठन ने क्षेत्र का सर्वे कर योजना का प्रारुप प्रस्तुत कर दिया है और उसके अनुरुप पुन: निर्माण के कार्य हाथ में लिए जा चुके हैं जिनमें क्यारो का पुन: निर्माण,सड़कों की मरम्मत एवं सुधार, सातों कुण्डो एवं समुचे क्षेत्र से मलवा आदि हटाने का कार्य, पर्यावरण का सुधार एवं प्रमुख कुण्डो की मूलभूत सुन्दरता को बनाये रखते हुए पर्यटकों एवं यात्रियों की सुख-सुविधा के लिये आवश्यक कार्य किये जाना सम्मिलित है। जिनके तकनीकि अनुमान प्राप्त किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रारम्भिक रुप में 2 लाख (दो लाख) रुपया राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को इन कार्यों को प्रारम्भ करने हेतु उपलब्ध कराये है। इसके अतिरिक्त गलता क्षेत्र की सड़कों से मिट्टी हटाने हेतु 9.15 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

जयपुर नगर में बाढ़ से हुए नुकसान का विवरण

क्र. सं. 1	नाम अभिकरण 2	क्षति का विवरण 3	क्षति (लाखों में) 4
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सड़कों व पुलों का नुकशान, राजकीय भवनों व ओ. टी. एस. भवन की क्षति	1877.30
2.	सिंचाई विभाग	बांध	0.14
3.	स्थानीय निकाय विभाग	(1) नगर परिषद, जयपुर-जयपुर शहर नगर-पालिका की सड़कों, फुटपाथों, नाले, नालियां आदि का नुकसान (205.20) (2) नगर विकास न्यास-नगर की सड़कों नालियों, पुलियाओं आदि का नुकशान (95.04)	300.24
4.	चिकित्सा एवं स्वा. विभाग	सवाईमानसिंह अस्पताल, सिरह ड्योडी डिस्पेन्सरी, जनाना अस्पताल के साज सामान का नुकसान	37.18
5.	जन-स्वास्थ्य अभि. विभाग	नलकूपों, कुओं, पम्पिंग मशीनरी, पाईप लाइनों, भवनों, जलाशयों को नुकसान तथा जल निस्सारण व्यवस्था (सीवरेज) लाइन की क्षति।	106.00

क्र.सं.	नाम अभिकरण	क्षति का विवरण	क्षति (लाखों में)
6.	औद्योगिक इकाइयों की क्षति	विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की इमारतों, कच्चा व तैयार माल, साज सज्जा आदि का नुकसान	46.94
7.	राज. राज्य विद्युत मण्डल	विद्युत लाईनों, ट्रान्सफारमर आदि की क्षति	99.32
8.	अन्य विभागों की सम्मिलित क्षति	विभिन्न विभागों व संस्थाओं के भवनों, फर्नीचर, स्टेशनरी व अन्य सम्पत्ति का नुकसान	141.00
9.	निजी क्षेत्र	विभिन्न कच्ची बस्तियों, उपनगरों आदि में मकानों (कच्चे व पक्के) का नुकसान	214.24
10.	निजी क्षेत्र	नगर में पशु धन की हानि	2.34
		योग ..	2823.70

परिशिष्ट "ख"

जयपुर नगर में बाढ़ से हुए नुकसान को ठीक करने हेतु विभिन्न अभिकरणों को स्वीकृत राशि का विवरण

			स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) राजस्थान जयपुर नगर की सड़कों, पुलियाओं की मरम्मत हेतु		1563.38
2.	हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत व पुनर्निर्माण हेतु।		100.00
3.	स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर—		
	(1) जयपुर नगर की सड़कों की मरम्मत व जीर्णोद्धारा हेतु नगर परिषद को	125.00	
	(2) जयपुर नगर परिषद की संपत्ति हेतु (नगर परिषद, जयपुर को)	3.00	
	(3) जयपुर शहर के बड़े नाले, पुल एवं बचाव व नालियों, दीवारों की मरम्मत हेतु (जयपुर नगर विकास न्यास को)	60.00	240.00

		स्वीकृत राशि (लाखों में)
(4) सिविर लाईन की मरम्मत एवं पुनरूद्धार हेतु	47.00	
(5) नगर की सड़कों पर से मिट्टी/कचरा आदि की सफाई हेतु	5.00	
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग—		
सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज का भवन की मरम्मत, पुनरूद्धार व जीर्णोद्वार तथा बिजली संयत्र, मशीनरी, स्टोर आदि की व्यवस्था।		43.00
5. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग—		
जयपुर शहर की जल प्रदाय योजनाओं की मरम्मत व पुनरूद्धार	1	150.00
6. विशिष्ट आयुक्त, जयपुर पुननिर्माण		
(1) बाढ़ से प्रभावित कच्ची बस्तियों के पुर्नवास के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति हेतु सीड मनी	20.00	
(2) नाले पर स्थित नर्सरी के पुनरूद्धार हेतु	5.00	35.00
(3) सड़कों पर मिट्टी, कचरा उठाने आदि का कार्य	10.00	
7. राजस्थान पर्यटन विभाग—		
गलता क्षेत्र की सड़कों से मिट्टी हटाने हेतु		9.15
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर—		
नगर नियोजन विभाग की संपत्ति का पुनरूद्धार हेतु		3.00
9. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनरूद्धार हेतु।		99.32
योग ..		2242.47

मारवाड़ जंक्शन में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना हेतु मांग

15. श्री भैरूंसिंह गूजर (खारची) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सोजत स्थित मुन्सिफ एवं अपर व्यवहार न्यायाधीश के न्यायाललों में वर्ष 1981 में तहसील मारवाड़ जंक्शन के कितने कितने मुकदमें प्रस्तुत किये गये ?

(2) क्या सरकार मारवाड़ जंक्शन में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि मारवाड़ जंक्शन में मुन्सिफ कोर्ट खोलने हेतु जनता ने मांग की है ?

उत्तर

(1) सोजत स्थित मुन्सिफ एवं अपर व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वर्ष 1981 में तहसील मारवाड़ जंक्शन के मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

न्यायालय का नाम	मुकदमों की संख्या
(1) मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत	228
(2) अपर सिविल न्यायाधीश, सोजत	575

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

कोटा क्षेत्र के पशुओं के माता रोग फैलने एवं उपचार संबंधी प्रकरण

16. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बांरा), श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा जिले में वर्ष 1981 में पशुओं में माता के रोगों की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 1981 में कोटा जिले में पशुओं के माता के कितने टीके लगाये गये ?

(2) बारां, जिला कोटा में पशुओं में रोग की रोकथाम के लिये कितनी मात्रा में वैक्सीन भेजे गये तथा कितने दिनों में कितने पशुओं को लगाये गये ?

(3) माता के वैक्सीन फ्रीज से बाहर निकालने में कितने घंटे पश्चात् काम में लेने योग्य नहीं रहते हैं ?

(4) क्या बारां पशु चिकित्सालय में फ्रीज की व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) क्षेत्र में पशु माता के प्रकोप की जानकारी मिलने पर पशु माता रोग के निवारण के लिये 1 अप्रेल, 81 से जनवरी, 82 तक जिला कोटा में कुल 1,80,720 टीकाकरण किया गया।

(2) बारां, जिला कोटा क्षेत्र के लिये 10,2000 मात्रा में वैक्सीन भेजे गये और माह अप्रेल, 1981 से जनवरी, 1982 तक टीकाकरण किया गया।

(3) माता के वैक्सीन फ्रीज से बाहर निकालने के दो घन्टे पश्चात् काम में लेने योग्य नहीं रहती है।

(4) जी नहीं। किन्तु यह व्यवस्था थर्मस के द्वारा की जाती है।

आवासन बोर्ड द्वारा अनुभाग, अलवर द्वारा भवन निर्माण की योजना को रद्द किया जाना

19. श्री **जीतमल जैन** (अलवर) : **क्या** आवासन मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे:—**

(1) अलवर में मनुमार्ग पर आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित कालोनी में कितने भू-खण्ड रिक्त हैं ?

(2) क्या इन रिक्त भू-खण्डों पर उच्च आय वर्ग के लिये भवन निर्माण करने की योजना मंडल द्वारा तैयार की गई थी ?

(3) क्या उक्त योजना को रद्द किया जाकर आवासन मंडल ने उक्त रिक्त भू-खण्डों को निलामी द्वारा बेचने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ?

(4) अगर हां, तो क्या यह कार्य आवासन मंडल के मूल उद्देश्य के विरुद्ध नहीं है एवं क्या इससे पंजीकृत प्राथियों के हितों पर कुठाराघात नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) 23 भूखण्ड मनुमार्ग की सेन्ट्रल इस्ट ब्लाक योजना में रिक्त रहे ।

(2) इसके लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है ।

(3) योजना रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता । बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भूखण्डों की नीलामी शुरु की गई है ।

(4) यह कार्यवाही आवासन मंडल के मूल उद्देश्य के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि उच्च आय वर्ग के सभी पंजीकृत प्राथियों के लिए जिन्होंने विकल्प दिया था, मनुमार्ग की दूसरी योजना लाउथ वेस्ट ब्लाक योजना में इसी वर्ष मकानों का आरक्षण कर दिया गया है ।

सहकारी क्षेत्र में सूती धागे की मिल लगाने संबंधी कार्यवाही

20. श्री **केसरी चन्द चौधरी** (किशनगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगढ़ में पावरलूम उद्योग में सूती धागे की कितनी खपत है ?

(2) सहकारी क्षेत्र में सूती धागे की कोई मिल लगाने की कार्यवाही की जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) किशनगढ़ में पावरलूम उद्योग में 36,25,200 किलोग्राम प्रतिवर्ष सूती धागे की खपत है ।

(2) सहकारी क्षेत्र में सूती धागे की मिल लगाने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है ।

केशवरायपाटन में ग्रामीण छात्रावास

21. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला बून्दी के निर्वाचन क्षेत्र केशवराय पाटन के ग्रामीण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

(श्री गोपाल पचेरवाल)
की अधिक आवादी होने के कारण ग्रामीण छात्रावास खोलने की स्वीकृति वर्ष 1980 से 1981 में दी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितने छात्रावास की ? स्वीकृत छात्रावास कहां-कहां खोले गये ? यदि नहीं खोले गये, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । सीमित साधनों के कारण अधिक छात्रावास बून्दी में नहीं खोले गये ।

झालावाड़ से भवानी मण्डी वाया पिड़ावा सड़क का निर्माण

22. श्री वालचन्द आर्य (डग), श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला झालावाड़ में पिड़ावा से भवानी मण्डी तक सड़क बिल्कुल टूटी हुई व खराब पड़ी है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ? इसके लिये कितनी राशि का आवंटन हुआ है?

उत्तर

जिला झालावाड़ में पिड़ावा से भवानी मण्डी तक सड़क कुछ खराब है । मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । इस वर्ष विशेष मरम्मत हेतु 4.10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

जिला भीलवाड़ा में घास के डिपो

23. श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में भीलवाड़ा जिले की किन-किन तहसीलों में कहां-कहां घास के डिपो खोले गये ?

(2) वर्तमान में कहां कहां के डिपोज चल रहे हैं ।

(3) उपरोक्त अवधि में खोले गये डिपोज से कितना-कितना घास कितने-कितने लोगों को दिया गया ?

(4) घास वितरण का आधार क्या रहा है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में भीलवाड़ा जिले में किसी भी तहसील में कोई चारा विक्रय डिपो नहीं खोला गया है ।

(2) कोई भी चारा विक्रय डिपो वर्तमान में जिला भीलवाड़ा में नहीं चल रहा है ।

(3) चूंकि जिले में उक्त अवधि में कोई चारा वितरण डिपो नहीं खोला गया था । अत: उन डिपो के द्वारा घास वितरण का प्रश्न नहीं उठता ।

(4) चारा विक्रय डिपो नहीं खोले गये, अत: आधार तय करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला बाड़मेर को नये विद्यालय खोलने में प्राथमिकता देने संबंधी प्रकरण

24. श्री हेमाराम चौधरी(गुडामालानी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में बाड़मेर जिला सन् 1981 की जनगणना

(श्री हेमाराम चौधरी)

के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले में साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु 1982-83 में प्राथमिक विद्यालय खोलते समय विशेष ध्यान रखेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक विद्यालयों में 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक के पद स्वीकृत होने से अनेकों स्कूल अध्यापकों के अभाव में बन्द रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर जिला सीमान्त व रेगिस्तानी जिला होने से उसके लिये उक्त अनुपात में परिवर्तन करने का विचार रखती है तथा अध्यापकों के अभाव में बन्द विद्यालयों के लिये अध्यापक लगाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार बाड़मेर जिले के लिए विशेष प्रयास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां । नये प्राथमिक विद्यालय खोलते समय राज्य सरकार उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न जिलों की आवश्यकता को ध्यान में रखती है ।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिये कम से कम एक अध्यापक का पद स्वीकृत करती है तथा नामांकन में वृद्धि होने पर अध्यापक के अतिरिक्त पद स्वीकृत करती है । अतः इस कारण से विद्यालय बन्द होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(3) राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय साधनों को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न जिलों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है ।

जहाजपुर में सहायक जिलाधीश कार्यालय की स्थापना संबंधी विचाराधीन प्रकरण

25. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर तहसील के राजस्व के मामलों के मुकदमें हजारों की संख्या में उपखंड अधिकारी शाहपुरा के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में कितने 2 मुकदमें (नये) दायर हुये तथा कितने मुकदमें निर्णित हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जनता की मांग एवं सुविधा को एवं मुकदमों की संख्या को देखते हुए जहाजपुर में सहायक जिलाधीश का कार्यालय स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार राजस्व के मुकदमों को शीघ्र निर्णय करने के लिये सहायक जिलाधीश का कार्यालय जहाजपुर में स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । तहसील जहाजपुर के राजस्व के मामले हजारों की संख्या में उपखंड अधिकारी, शाहपुरा के यहां विचाराधीन नहीं है । तहसील जहाजपुर से संबंधित राजस्व मामले पिछले 3 वर्षों के निम्न प्रकार है:—

वर्ष	दायर मामले
1979	122

(राजस्व मन्त्री)

वर्ष	दायर मामले
1980	151
1981	126
कुल ...	399

उक्त दायर मामलों में से 164 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है ।

(2) जी नहीं । जहाजपुर में सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक के कार्यालय की स्थापना का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नीमाज, तहसील जैतारण के बिहारी जी के मन्दिर को देवस्थान विभाग के अधीन लेना

26. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण); श्री सूरजपाल सिंह (भीलमाल): व श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सिरे बिहारी जी का मंदिर, ग्राम नीमाज, तहसील जैतारण (पाली) को देवस्थान विभाग द्वारा अपने नियन्त्रण में लेने की कोई कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस मंदिर को कब तक देवस्थान विभाग के तहत ले लिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां । मंदिर के वर्तमान पुजारीगण को अपना उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिए गए हैं । सुनवाई के पश्चात् उचित निर्णय लिया जावेगा ।

बहरोड़-शाहजहांपुर वाया घीलोट, जोनायचा कलां मार्ग का सर्वे

27. श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार बहरोड़-शाहजहांपुर वाया घीलोट, जोनायचा कलां के मध्य यात्रियों के लिये परिवहन की कोई व्यवस्था प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी । यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा इस मार्ग का सर्वेक्षण करवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सर्वेक्षण करवा कर, उक्त सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी नहीं । कोई प्रस्ताव न होने के कारण सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । अब यथाशीघ्र सर्वेक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

जिला सवाई माधोपुर में काम के बदले अनाज योजना के तहत बनाई गई लिंक रोड्स

28. श्री कुन्जी लाल (वामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर में "काम

(कुन्जीलाल)

के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत बनाई गई लिंक रोड्स किस किस पंचायत में कितनी-कितनी हैं तथा इनमें कितनी अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार अपूर्ण लिंक रोड्स को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत किसी भी पंचायत में लिंक रोड़ का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया। अतः अपूर्ण सड़कों के बारे में बताना संभव नहीं है तथा सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) इन लिंक रोड्स को पूरा कराने का कार्य विभाग के विचाराधीन नहीं है।

बीकानेर जिले में समस्याग्रस्त ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

29. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले में कुल कितनी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें चल रही है ?

(2) ऐसी कौन-कौनसी जल प्रदाय योजनायें हैं जिनमें सुचारु रूप से योजना के आखरी गांवों तक जल वितरण नहीं हो पाता है, और क्या कभी इसके कारणों की जांच की गई है ? यदि हां, तो इसके मख्यतया क्या कारण सामने आये हैं ?

(3) समस्याग्रस्त ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है व निराकरण कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में 31-1-82 तक 138 ग्रामीण जल योजनाएं संधारण में है। इनके तहत 337 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जिले की निम्नलिखित जल प्रदाय योजनाओं पर अत्यधिक मांग के समय पर अंकित कारणों से पानी आखिरी गांव तक नहीं पहुंचता है :—

क्र. सं.	जल योजना का नाम	समस्या का प्रमुख कारण
1.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, कूदसू-खारा	स्त्रोत के गांव में आवश्यक मात्रा में विद्युत शक्ति का उपलब्ध न होना।
2.	पाइप जल योजना, पांचू	कुओं का निष्करण कम हो गया है व पशुओं की संख्या अत्यधिक है।
3.	क्षेत्रीय जल योजना तादासर	गांव में पशुओं के लिये पानी की मांग अत्यधिक है।

1	2	3
4.	क्षेत्रीय जल योजना, हर्दा	लम्बी लाइन में बीच के गांव वाले आगे गांव में पानी नहीं पहुंचने देते ।
5.	क्षेत्रीय जल योजना, खिन्दासर	विद्युत की उपलब्धि में कमी व नलकूप का निसरण कम होना ।
6.	क्षेत्रीय जल योजना, रानेरी	नलकूपों का निसरण कम हो गया है ।
7.	क्षेत्रीय जल योजना, गुडा	नलकूपों का निसरण कम हो गया है ।
8.	पी. एण्ड टी., दियातरा	नलकूपों का निसरण कम हो गया है ।
9.	क्षेत्रीय जल योजना, गारबदेसर	मध्य के ग्राम वाले अधिक पानी उपभोग कर आगे आने में बाधा डालते हैं ।
10.	क्षेत्रीय जल योजना, लालेरा	लिफ्ट नहर में पानी की उपलब्धि का अनियमित होना ।
11.	क्षेत्रीय जल योजना, जालवाली लाखूसर	लिफ्ट नहर में पानी की उपलब्धि में अनियमितता।
12.	क्षेत्रीय जल योजना, केसरदेसर	पशुओं के लिये पानी की मांग अत्यधिक होना व कुए की निसारण में कमी आ जाना ।
13.	विस्तार जल योजना, कोडमदेसर, नोखा दैया	जल योजना में अत्यधिक लम्बी लाईन, जिनमें पशुओं की मांग सम्मिलित नहीं है, पाईप लाईन काफी छोटी पड़ती है, पूर्ण मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है ।
14.	पाइप्ड जल योजना, नापासर	जल उत्पादन में कमी होना ।

(3) गांवों की समस्या के सुधार हेतु विभाग द्वारा गांवों में उपलब्ध पीने योग्य गांवाई कुओं को चालू करने के लिये तथा राजस्थान नहर क्षेत्र में नहर में पानी की अनियमितता की वजह से वहां पर अतिरिक्त जल भण्डार का कार्य करने के लिये प्रस्ताव अकाल राहत कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित है । प्रति वर्ष धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जाता है ।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

सूची 'अ'

बंध मोरेल मुख्य नहर व माइनर में अवाप्त शुदा भूमि की सूची जिनका मुआवजा तहसीलदार को भेजा जा चुका है :—

क्र. सं.	नाम खातेदार का	राशि
1	2	3
	शाहपुरा :	
1.	कल्याण पुत्र हटीला मीणा, टोड	70.00
2.	मु. जन्सी वेवा मूलत मीणा, टोड	60.00
3.	फोदया।जेल्या मीणा, टोड	80.00
4.	मांग्या।भोरया मीणा, टोड	100.00
5.	राम कंवर/धन्ना मीणा, टोड	30.00
6.	श्योराम।कन्हैया मीणा, टोड	100.00
7.	श्री चन्दा।अमरया मीणा, टोड	160.00
8.	श्रीया।रामगाल मीणा, टोड	130.00
9.	सिवाय चक	50.00
10.	सिवाय चक	10.00
11.	सिवाय चक	70.00
12.	सिवाय चक	5.00
	चैनपुरा :	
1.	सिवाय चक	40.00
2.	सिवाय चक	40.00
3.	सिवाय चक	20.00
4.	किस्तूरी वेवा सखन मीणा	150.00
5.	किस्तूरी वेवा सखन मीणा	100.00
6.	किशन लाल।बल्या मीणा	100.00
7.	बद्री।भोरया मीणा	630.00
8.	भोरया।सुख देव मीणा	530.00
9.	मु. भाडती वेवा रामगाल मीणा	250.00
10.	मु. भाडती वेवा रामगाल मीणा	30.00
11.	मु. भाडती वेवा रामगाल मीणा	60.00
12.	भवन।मूल्या मीणा	90.00
13.	मांड्या लालजी मीणा	70.00
14.	मिश्रा।लोहड़या।अर्जन	320.00

1	2		3
15.	मूल चन्द।गुलाब चन्द श्रीमाल	नं. 15 व 16 का योग	—
16.	किशनलाल।काल्या मीणा		430.00
17.	लालजी।भीवड्या		180.00
18.	हजारी।काल्या मीणा		—
19.	हरनाथ खाती		40.00
20.	चरागाह		50.00
21.	चरागाह		155.00
ग्राम बरियारा :			
1.	सिवाय चक		355.00
2.	देवपाल।करण गूजर		80.00
3.	मांग्या।हरदेवा गूजर		140.00
4.	चरागाह पंचायत		255.00
5.	—		45.00
6.	—		65.00
1.	बजरंग।बल्ला मीणा, मलारना चौड		110.00
			380.00
2.	बंशी।मगंला मीणा ,,		140.00
3.	बंशी/रतना मीणा ,,		410.00
4.	भागोता।दुर्गा मीणा ,,		250.00
5.	भंवर सिंह।सुगनसिंह राजपूत		160.00
6.	भूरया गोरया।अरजन मीणा		85.00
7.	भोरया।मोती राम प्रसाद राम गोपाल।करना ब्राह्मण, चैनपुरा		270.00
8.	मांग्या।सुख्या मीणा, मलारना चौड		280.00
9.	मूलचन्द।गुलाब चन्द श्रीमाल, चेनपुरा		150.00
10.	नानजी।ओंकार मीणा, मलारना चौड		100.00
11.	रामनिवास।रामचन्द्र काना गंगाधर रतना।मान्या मीणा, मलारना चौड		90.00
12.	रामनिवास।श्योजी मीणा ,,		10.00
13.	रामचन्द।ओंकार मीणा ,,		120.00
14.	श्रीनारायण।रामचन्द्र ब्राह्मण ,,		70.00
			210.00
			10.00
15.	हरना।गोरया मीणा ,,		180.00
16.	अरजन रामकंवर/नोनधा मीणा, मलारना चौड		430.00
17.	कल्याण/बजंरगा ब्राह्मण ,,		40.00
18.	काल्या।गोडया मीणा		180.00
19.	कल्याण रतन रामफुल अम्बालाल, मीणा,,		190.00
20.	भोरया हरबक्स मीणा ,,		150.00
21.	किशना देवी राम मीणा		160.00

1	2	3
22.	कनीराम बलदेव मीणा	170.00
		60.00
		40.00
23.	छगन कवंर गंगा सिह राजपूत, सा. देह	110.00
24.	उपांकित	160.00
25.	उपांकित	20.00
26.	सिवाय चक विकावरानी	95.00
27.	सिवाय चक ,,	10.00
28.	मंगल्या पन्ना मीनासा करेक	50.00
29.	सुखदेवा चिमना मीणा	70.00
30.	राम चन्द्र/सुखदेवा, पिडवानी मीणा, सा. करेक	10 00
31.	सिवाय चक	90.00
32.	गैं. मु. त.	120.00
33.	बकतावस लामोड्या मीणा, सा. करेक	5.00
34.	पांच्या भूरया हरिजन, करेक	140.00
35.	श्रीराम सोल्या मीणा सा. करेक	170.00
36.	बीरबल पुखराज पिता रामचन्द मीणा सा. करेक	20.00
37.	सोम्या व हीरा पांचु मीणा, सा. करेक	70.00
38.	कंवर पाल बजरंग गोरया मीणा, सा. करेक	110.0
39.	शम्भू, राधा किशन, सा. करेक	200.00
40.	उपांकित	40.00
41.	मोल्या जगन्नाथ पिता कालू मीणा, सा. देह	70.00
42.	भगवालाल जनती व मोल्या जगन्नाथ पिता कालू मोरया पुत्र नानगा रामजी लाल पुत्र नाजीया	15.00
43.	रामचन्द्र/नानगा मीणा, सा. करेक	50.00
44.	गोपी कल्याण सिह हिस्सा बराबर	160.00
4.9	गोपी/बालू कल्याण	70.00
46.	उपांकित	10.00
47.	,, ,,	100.00
48.	गोपी/बालू कल्याण	20.00
49.	परलाद दिवरातर	
49.	फैली।गणेश मीणा	130.00
50.	प्रभुलाल।मोहनलाल, अर्जुन।हरिनारायण मीणा, वी बरातर	40.00
51.	प्रहलाद।सोन्या मीणा, सा. देह	30.00
52.	प्रभलाल।मोहनलाल, अर्जुन।हरनारायण मीणा, सा. देह	25.00
53.	रंगलाल।हरदेव मीणा, सा. देह	80.00
54.	गोपी।मारया मीणा, सा. देह	30.00
55.	रंगलाल।हरदेव मीणा, सा. देह	50.00
56.	गोरधन।पांचा, मु. तुलसा बेवा बीरबल मीणा	50.00
57.	रघुनाथ।चन्दरया, जगन्नाथ, किस्तूर चन्द पि. मन्नालाल महाजन	90.00
58.	गोपी।बहादुर पाल मीणा, सा. देह सहित रामनिवास।कन्हैया, मथुरा।धाम्या मीणा, सा. देह	70.00

1	2	3
59.	हजारी।विरदा मीणा	70.00
60.	जगन्नाथ।मन्नालाल महाजन श्रीमाल, सा. देह	140.00
61.	जगनालाल।किस्तूर, मन्नालाल महाजन	70.00
62.	गोरधन।पांच्या, तुलसी बेवा बीरबल मीणा	70.00
63.	गंगाराम।विरदा मीणा	10.00
64.	चरागाह	50.00
65.	सिवाय चक विनालामी	10.00
66.	बीरबल, गिरराज, पुखराज, बी रामचन्द मीणा, सा. देह	45.00
67.	सिवाय चक, विना लगमी	65.00
68.	भोरया।मेवा मीणा	15.00
69.	मल्या रामफल।जनसी मीणा	40.00
70.	मल्या कालू।पांच्या, गोकुल।छोटू विसादेह	40.00
71.	जैन्या।ओंकार मीणा, मा. देह	40 00
72.	मांग्या।नारायण मीणा	25.00
73.	जोन्या।ओंकार मीणा, सा. देह	30.00
74.	उपरांकित	40 00
75.	बरतलाल।चेन्या मीणा	100.00
76.	लल्लू।मन्याला गूजर	10.00
77.	गोपी।भैरोंसिह, जीता।फैमी गूजर, बी बराबर	35.00
78.	सहुण।बाल्या गूजर	70.00
79.	रघुनाथ।चन्दर गूजर, सा. देह	80.00

ग्राम नीमोद :

1.	गुलाब बाद खां विवलाश्र खां मुसलमान	55.00
2.	सिवाय चक बिलकमानी	30.00
3.	रामपाल पुत्र अमस्या, गोरया हरिनारायण सोमा, अर्जुन वि. गीला मीणा	115.00
4.	रामपाल।अमस्या गोरया हरिनारायण सोमा अर्जुन वि. गीला मीणा	80.00
5.	उपरोक्तानुसार	90.00
6.	कल्याण।रामपाल मीणा	10.00
7.	रामपाल।आशा, गोरया हरिनारायण सोना, अर्जुन जैला मीणा	55.00
8.	देव्या।रेवड़ा ब्राह्मण, सा. देह	45.00
9.	किशना।गणेश मीणा, सा. देह	145.00
10.	किसना।गणेश 1।4 कन्हैया लाल व किसना पुत्र नारायण 1।2, सा. देह	10.00
11.	सरवण।किशना मीणा, सा. देह	60.00
12.	टीकाराम।मांगीलाल मीणा	130.00
13.	हरिया।चन्दा 1।2 कन्हैया पुत्र गणेश, रामरतन मोजीराम इत्यादि	50.00
14.	उपरोक्तानुसार	115.00
15.	हरिनारायण मल्या, बद्री पि. गोपी मीणा, सा. देह	110 00
16.	जन्सी।हरदेवा मीणा	60.00
17.	सिवाय चक गै. मु. मात्र	25 00

1	2	3
18.	देव्या।खेड़्या ब्राह्मण	20.00
19.	नानगा।मोरया मीणा	125.00
20.	मूल्या।हरदेवा मीणा	180.00
21.	मूल्या।सोना व करता पुत्र मोती रामानदास सूरजा पिता हरदेवा मीणा, सा.देह	10.00
22.	नानगा।गोरया	90.00
23.	चूना।सोना व खाना पुत्र मोती राम निवास, सूरज, हरदेवा मीणा, सा.देह	110.00
24.	भोरया।जैराम मीणा, सा.देह	140.00
25.	जैथा जन्सी मून्या, बजरगा।हरदेवा मीणा सा.देह	150.00
26.	रामनिवास।काल्या मीणा	25.00

ग्राम ड.इदाना मा.नर:

1.	हरीनारायण मून्या, बद्री।गोपी मीणा, सा.देह	60.00
2.	जन्सी।हरदेवा मीणा, सा.देह	140.00
3.	लखा, पांच्या।रंगा मीणा, सा. देह वी बगवार	30.00
4.	कैलाश।भौरया मीणा	110.00
5.	पूना, सोना, कोना।गोपी रामनिवास, सूरज।हरदेवा, सा.देह	50.00
6.	उपरोक्तानुसार	20.00
7.	उपरोक्तानुसार	70.00
8.	उपरोक्तानुसार	05.00
9.	बन्सी।बद्रीचन्द ब्राह्मण	270.00
10.	भोरया।तेजराम मीणा, सा.देह	30.00
11.	रामपाल।ग्रासा, गोरया हरिनारायण	90.00
12.	सोन्या।तेजा मीणा, सा देह	25.00
13.	सोन्या।नैथ्या मीणा	90.00
14.	हरीनारायण।जैथ्या मीणा, सा.देह	120.00
15.	मोहरा।तेजा मीणा, सा.देह	60.00
16.	अर्जुन।लामीन, सा.देह	40.00
17.	नानगा।मोल्या	180.00
18.	पूना व सोना काना।मोल्या, राम निवास, सूरज, हरदेवा, सा.देह	150.00
19.	नानगा पुत्र भौल्या मीणा, सा.देह	100.00
20.	जैना।हरदेवा मीणा	90.00

ग्राम किरसपुरा :

1.	रामलाल बजरंगा।कानू मीणा	330.00
2.	उपरोक्तानुसार	50.00
3.	सरवण।प्रतापा मीणा	100.00
4.	मूल्या नरसिंह 1/2 फैमी पुत्र किरोड़ी मीणा	50.00
		80.00

(173)

1	2	3
ग्राम/पाक भावटा :		
1.	घाटया।किशन, सूरजान।देव्या मीणा, चौकीदार	160.00
2.	छोट्या।श्रीकिशन कल्याण।रामनारायण मीणा चौकीदार	151.00
3.	मीश्रा।चन्दा मीणा	150.00
4.	फैली कन्हैया।सुखदेवा–2।चन्दा।बलदेवा मीणा, करैक	15.00
5.	फैली कन्हैया।सुखदेवा मीणा	180.00
6.	महताब।साधु	10.00
7.	बाड्या।चान्दखां, मोहम्मद।चानखां, मुईवाला	10.00
8.	मोहम्मद बारखा मज्जीद।इनाई	60.00
		150.00
9.	रहमत।जुम्मा	60.00
10.	हुसैन सगीर।सुलेमान ग्रासीन	60.00
		50.00
11.	ईदया नमीन कयरण।रमजान	40.00
12.	बादुला।ईमदाद	60.00
		60.00
13.	सादुल्ला नजीरा।रसूना 1/4 इमदाद पि. रोशन 1/8 मोहम्मदार खां मस्जिद पि. ईकाई	10.00
14.	ग्रहमद बादमासस्या बादुल्ला पि. कजोड़	10.00
15.	मुन्शा।बजीरा	60.00
16.	मुन्शा।जीरा	
17.	ग्रहमद बादया सल्ला, वाहुल्या पि. कजोड़या 1।2 मुन्शा।बजेरी	10.00
18.	ग्रहमद बाद्या वाहुल्या	120.00
19.	कजोड़	120.00
20.	ग्रहख।चांदरण्या वनीराम धानी	15.00
21.	महताब खां,बादुका खां, ग्रहमद खां, पीपारग्रली, इब्राहीम खां, रहमउद्दीन खां	190.00
22.	याकूब मजीद।वजीरा, मोहम्मद।चांद खां	10.00
23.	याकूब, समीर पि. जीरखां	120.00
		140.00
24.	सुकमान।बयारसी	100.00
25.	महबूब।घासी	180.00
26.	मन्शा।मजीरा	60.00
27.	ग्रहमद ग्रमीर।महबूब, उमराव।रहमत गुन्ना, महताब।सादु।ग्रासीन	5.00
		15.00
28.	सिवाय चक	10.00
29.	महताब।साधु	30.00
		100.00
30.	महताब।साधु महबूब।खुशहान	10.00
31.	ग्रब्दुल्ला।बुद्धा	230.00

1	2	3
32.	बादमा।महबूब	40.00
33.	उजीरा।घासी	90.00
34.	जुम्मा।नूरखां	70.00
35.	रहमत।जुम्मा, जुम्मा।नूरखां	5.00
36.	रहमद।जुम्मा	120.00
37.	ग्रासीना।रहीमा, रहमत।जुम्मा	5.00
38.	हुसेन।सुलेमान समीर।ग्रासीम	90.00
		10.00
39.	हुसेन ग्रमीन अर्जीनविस	70.00
		120.00
40.	रहमत।घासी	120.00
41.	महताबखां, बाबूखां, ग्रहमद तासमखां, दीवार ग्रली, इब्राहीम, रहमदीन।मोहम्मद	160.00
ग्राम बरीपारा :		
1.	सोमता रामनिवास, रंगलाल पिता टूंडा, रामजीलाल पिता रघुनाथ गूजर	140.00
2.	उपरोक्तानुसार	10.00
3.	उपरोक्तानुसार	90.00
4.	उपरोक्तानुसार	30.00
5.	धनपाल।गंगाधर गूजर, सावरिवारा 1।6 चिरंजी।शंकर, 1।6 श्योनाथ।टूंडा गूजर	25.00
ग्राम मलारणा चौड :		
1.	कन्हैया, मूल्या।मगन्या पूर्विया	180.00
		140.00
		130.00
		20.00
		160.00
2.	रामरतन।एवीराम मीणा	50.00
		450.00
		120.00
3.	नाथ्या।जयनारायण मीणा	60.00
4.	प्रहलाद।चतरू मीणा	40.00
5.	मूल्यां घनश्याम।रतनलाल मीणा	100.00
6.	गिर्राज।जनसी रघुनाथ।रामदेव भीम, श्योभाग।बजरंगा	80.00
		180.00
7.	राम कुंवर।जैला मीणा	190.00
		60.00

1	2	3
8.	रामकंवार।जै लाल, हरलाल।भौरी लाल	25.00
9.	हरलाल।भौरीलाल, गंगाराम,जनसी, रघुनाथ।रामदेव श्योराम बजरंगा	25.00
10.	मांग्या।भुवाल मीणा	170.00
11.	कल्याण।मम्बा लाल	45.00
12.	गोरधन रामनारायण।श्योपाल	50.00
		25.00
13.	बुद्धा नानगा श्योना।भैरू	55.00
14.	बजरंगा।सोना, वुद्ध पन्ना लाल	75.00
15.	रामसहाय।लक्ष्मण, मोजा जनसी	60.00
16.	बूच्या कोरया श्रीलाल।हरिबक्स	100.00
17.	वती लाल, रामलाल।मम्बा लाल	90.00
		100.00
18.	घीसा।श्योबक्स मीणा	100.00
19.	सूरजा।नानगा	340.00
20.	सुगनी।कजोड़ माली	80.00
		130.00
21.	कन्हैया।गोपाल माली	210.00
		170.00
22.	लक्ष्मण।भोरया माली	190.00
		80.00
23.	भोरया।रामनारायण मीणा	320.00
24.	मूल्या, दुर्गा, जग्गा माली	170.00
		130.00
25.	खेड्या।भोरया माली	300.00
26.	रामविलास।सेडू महाजन	140.00
27.	सरवण सिंह।सुजान सिंह	170.00
28.	सुन्दर लाल, कल्याण।बोहिया धोबी	10.00
		230.00
29.	हरिया।चूना बाई	180.00
30.	रामदयाल।बद्री लाल	260.00
		15.00
31.	भैरू।हाउडा गूजर	250.00
		10.00
		10.00
		20.00
32.	रामराम।रघुनाथ	260.00
33.	मदनलाल।गोपीलाल	200.00
		10.00
34.	कैशर।गोविन्दा, पुर्विया	45.00
35.	रतन।रंगा पूर्विया	90.00
		120.00

1	2	3
36.	श्रवन नानगा, रामकिशन, मेहदिया पूर्विया	40.00
37.	बजरंगा, चिरंजी।भूरा	120.00
38.	अर्जुन।नानगा मीणा	30.00
39.	गोपी।कजोड़ मीणा	100.00
40.	कल्याण।रामचन्द्र मीणा	200.00
		10.00
41.	रामजी लाल।बद्री मीणा, गोपी।काना	25.00
42.	दुर्गालाल।मिश्री बैरवा	60.00
43.	बफात।नब्बू फकीर	20.00
44.	मूल्या।गैन्दा बैरवा	200.00
45.	सूरजा।भोरया मीणा	190.00
46.	रामचन्द्र।दुर्गा बैरवा	160.00
47.	काना, छीतरमल रामदेवा।मूल्या बरवा	130.00
		160.00
48.	गोपी, रामदेवा	160.00
49.	श्रवण।नारायण मीणा	15.00
		200.00
50.	हजारी, मांग्या, गणेश मीणा	80.00
51.	गंगाधर।रामलाल, जसराम।कुल	80.00
52.	खेड़्या, भोरया माली, दुर्गा।वान्त मामलीरा	10.00
53.	मदनलाल मोतीलाल, ओम प्रकाश, नारायण	35.00
54.	कन्हैया।सुखा पूर्विया	160.00
55.	राम किशोर।गेंदा पूर्विया	240.00
56.	राम किशन, गैंदा, लल्ला पूर्विया	15.00
		140.00
57.	हीरा।राम कंवर, बद्री।मिश्री पूर्विया	50.00
58.	काना।भूवानी बैरवा	30.00
59.	श्री नारायण।रामचन्द्र	150.00
60.	गंगाजी।किस्तूरा पिलोड्या	25.00
61.	जीवन।भागीरथ मीणा	20.00
62.	लाल्या।मांग्या बैरवा	100.00
63.	मूल्या।गैंदा मीणा	5.00
64.	पन्ना।मांग्या बैरवा	65.00
65.	गिर्राज।जनसी, रघनाथ, रामदेवा, कन्हैया, बद्री। सोम मीणा	15.00
66.	कन्हैया, बद्री।सोहन, कैलाश गंगाधर	10.00
67.	कैलाश, गंगाधर, पिचोमा	110.00
68.	राम कंवार।जय लाल, रुघनाथ।श्योजी मीणा	5.00
69.	नाथ्या।रामपाल मीणा	240.00
70.	हरफूल।मनफूल वि. मन्नू मीणा	110.00
71.	गोपी।भोरया मीणा	60.00
		60.00

1	2	3
72.	मोहम्मद।नाल्यालीन	60.00
73.	मोहम्मद।रोशन, गडी	10.00
74.	हुसेन।अलीखां	20.00
75.	मैया की बेवा, नाथ्या मूल्या नजीरा, ग्योकत, हुसेन	20.00
76.	बल्ला अब्बी अली खां	20.00
		40.00
77.	सोबत मजीद खां, गडी	20.00
78.	मट्टू।लाला मीणा	80.00
79.	महताबी।नारायण बजीरा अहमद	40.00
80.	मोहम्मद।नाकत	10.00
81.	राम किशन मेन्दू पूर्विया	80.00
82.	अर्जुन गैंदा	50.00
83.	बरकत।नब्बा	15.00
84.	बल्लभ।हब्बी	20.00
	ग्राम पोषल्टा :	
1.	अम्बालाल । घनश्याम मीणा	320.00
2.	कल्याण । सोना माली	60.00
3.	कन्हैया मीणा, रामपाल, शंकर, बिरदा, सुवालाल, बजरंगा	670.00
	पुत्रान नारायणा, सुखराम, ऊंकार पुत्रान सोन्या	380.00
4.	गोवर्धन, कल्लु लोड्ढया, मूल्या पुत्रान सोन्या	40.00
5.	गुलाब बेवा श्योजी खटीक	650.00
6.	गोवर्धन, जैलाल पुत्रान श्योनारायण मीणा	220.00
7.	गंगाधर, ग्यारस्या पुत्रान श्योनारायण मीणा	100.00
8.	गंगाधर, जयलाल पुत्रान श्योनारायण, जयनारायण, पि. बरदा	55.00
9.	जयनारायण, पूना पुत्रान बिरदा मीणा	160.00
		120.00
10.	जीना, बजरंगा, काना पुत्रान धन्ना बरजीवा । लक्ष्मण बलाई	15.00
		140.00
11.	चोगान, जैल्या दीन । अहमद तेली	200.00
		170.00
12.	प्रभु । कल्याण पूर्वीया	320.00
13.	प्रभु, कल्याण । रामसहाय, किशन । श्रीया	320.00
		400.00
14.	प्रभु । गणेश मीणा	120.00
		80.00
15.	नारायण, सुखदेवा, राणा । बाल्या रेगर	60.00
16.	गंगाविशन, रतीराम, पाच्या पुत्र हरदेवा मीणा	180.00
		80.00

1	2	3
17.	भवरपुरी । नानगा गुसाई	20.00
		100.00
		70.00
		150.00
		15.00
		100.00
		640.00
18.	मिश्रा पुत्र गोपाल माली	85.00
		40.00
		160.00
19.	गुलजी पुत्र धुलजी ब्राह्मण	40.00
20.	मांग्या पुत्र नानगा कोट	80.00
21.	रतनलाल, भरतलाल मीणा	460.00
		10.00
22.	रामकुमार सुवा, लक्ष्मण भदेया पि. मौजी	620.00
23.	लक्ष्मण, मदन्या पि. भौरया	110.00
24.	हरीया पुत्र नानग्या फकीर	130.00
		50.00
		360.00
25.	सुवा, बंशी, जन्सी पि. पून्या	210.00
26.	हीरा पुत्र धन्ना पूर्विया	70.00
		80.00
27.	सिवाय चक	10.00
		195.00
		1005.00
		180.00
		180.00
		40.00
		400.00
		155.00
		125.00
		10.00
		20.00
		175.00
		55.00
		165.00
	ग्राम अस्तना :	
1.	अम्बालाल, किशनलाल पि. श्रीनारायण	170.00
		110.00

1	2	3
2.	केदार/नृसिह लाल महाजन	420.00
3.	कल्याण।छगन लाल	10.00
4.	कल्याण पुत्र ऊंकार	210.00
5.	केसर सिंह।मूलदास	340.00
		140.00
		270.00
		140.00
		180.00
		140.00
		240.00
		190.00
6.	कालू पुत्र शंकर मीना	180.00
7.	गंगाधर।जुल्या मीना	110.00
8.	मंगल्या।नारायण मीणा	130.00
9.	गोपीलाल।दया लाल	420.00
		40.00
10.	गोपीलाल।सेवा मीना	120.00
11.	गोरधन लाल।सुखदेवा मीना	1240.00
12.	धीक्या पुत्र मांग्या मीना	130.00
		390.00
13.	घासी।काना मीना	270.00
		60.00
14.	छीतर पुत्र हरदेवा मीना	100.00
15.	जयनारायण भैरू मीना	50.00
16.	जयनारायण।मांग्या मीना	210.00
17.	जन्सी बेवा मल्या मीना	120.00
18.	दीनबन्धु उर्फ दयादास।जगन्नाथ दास	140.00
		40.00
		310.00
		20.00
19.	दाखा बेवा भैरू मीना	290.00
		40.00
		80.00
20.	धन्ना पुत्र श्योपाल मीना	200.00
21.	नानगा मिश्रा पुत्र कोरया	150.00
22.	बीरबल, अभयचन्द पि. कन्हैया मीना	20.00
		115.00
23.	बाल्या पुत्र गणेश सुनार	140.00
24.	मोल्या काना पि. नारायण	110.00
25.	भैरू पुत्र रतना मीना	40.00
		90.00

1	2	3
26.	भगवाना पुत्र गजाननाथ	20.00
27.	मंगल्या पुत्र सुखा मीना	140.00
		100.00
28.	मनफूल पुत्र जीवन मीणा	180.00
		150.00
29.	पून्या पुत्र अर्जुन मीना	20.00
30.	मोहन लाल तेजा मीणा	40.00
		200.00
		140.00
31.	सोहन लाल जय नारायण गौड़	10.00
32.	मन्ना पुत्र दौला मीना	160.00
33.	मोतीलाल, कन्हैया लाल ब्राह्मण	110.00
		110.00
34.	मूल्या, रामधन, कंवरपाल मीना	120.00
		80.00
35.	राजल्या पुत्र हरल्या मीणा	150.00
		90.00
36.	रुघनाथ्या पुत्र ओंकार मीना	140.00
		100.00
37.	राना पुत्र भूरा मीणा	130.00
38.	रामेश्वर पुत्र रामनिवास महाजन	110.00
39.	रामकरण पुत्र हाला मीना	60.00
40.	रामकंवार पुत्र धन्ना मीणा	180.00
41.	मन्दिर श्री लक्ष्मण जी	410.00
42.	सदमा, सुखराम पुत्र गंगाजी मीना	180.00
43.	सुखराम पुत्र सदमा मीना	80.00
44.	सुन्दरा पुत्र चिमन्या नाथ	10.00
45.	सोस्पया पुत्र फूल्या मीना	190.00
		10.00
46.	श्रीचन्द पुत्र नन्दानाथ	20.00
		70.00
47.	हीरा मोती पुत्र जोहरिया मीना	
48.	हीरा पुत्र जयनारायण मीना	240.00
		310.00
49.	बाबू पुत्र करीमा तेली	180.00
50.	सिवाय चक	510.00
		40.00
		155.00
		50.00
		40.00
		80.00

1	2	3
		90.00
		20.00

ग्राम लाडौता :

1.	सिवाय चक चारागार	135.00
2.	मनफूल, छीतर गुजर	350.00
3.	जमनालाल।जन्सीमीना	180.00
4.	अर्जुन बद्री, मूल्या, चिरंजी, पिता मांग्या मीना	230.00
5.	बीरबल, गंगाधन पुत्र भैरू मीना	260.00
6.	रामलाल।जन्सी लाल मीना	100.00
7.	अर्जुन, बद्री, मूल्या, चिरंजी पिता मांग्या मीना	330.00
8.	उपरोक्तानुसार	200.00
9.	सिवाय चक	180.00
10.	गोपी पुत्र श्योनारायण, रामनिवास	50.00
11.	जन्सी पुत्र रतना मीना	120.00
12.	जगुराम पुत्र रंगलाल मीना	180.00
13.	अर्जुन बद्री मूल्या चिरंजी पिता मांग्या	380.00
14.	कोरया, बदरी पुत्र मांग्या मीना	260.00
15.	कजोड़या पुत्र नान्या कुम्हार	70.00
16.	सिवाय चक	100.00
17.	जन्सी पुत्र रतना मीना	260.00
18.	रतनसिंह, धर्म सिंह पुत्र कल्याण	290.00
19.	सिवाय चक	80.00
20.	गोपी पुत्र रतना मीना	280.00
21.	गंगाधर पुत्र रामा मीना	270.00
22.	सिवाय चक	20.00
23.	सूरजमल, दुर्गामल, किशन जगड़ा	520.00

ग्राम सुन्दरपुर :

1.	काल्या पुत्र मांग्या अहीर	140.00
2.	रंगलाल पिता सुखजी, बद्री पांच्या	15.00
3.	भोरया, रंगलाल पुत्र सुखजी कोली	210.00
4.	भोरया सुवा पिता रामलाल अहीर	50.00
5.	गणेश पुत्र नानगा मीना	33.00
6.	रामस्वरूप पुत्र रामसुख, विशना, बुद्धा	200.00
7.	आनन्दा पिता मांग्या	200.00
8.	बिशन्या, राजूराम, रामचन्द्र पिता भोरया मीणा	260.00
9.	बिशन्या राजाराम, रामचन्द्र पिता भोरया मीणा	100.00
10.	मीठया पुत्र कान्या, बिशन्या, राजाराम, रामचन्द्र	35.00

1	2	3
11.	रामलाल पुत्र राणा मीणा	330.00
12.	गेन्दा पुत्र भोरया, मथुरा हीरया मीना	15.00
13.	सोन्या।नन्दा बैरवा	30.00
14.	सोन्या।नन्दा बैरवा	120.00
15.	अर्जुन, परसा, गंगाराम पुत्रान भूरया	15.00
16.	अर्जुन पुत्र जसा मीणा	160.00
17.	रतना, जुगना पि. आनन्दा मीणा	80.00
18.	उपरोक्तानुसार	15.00
19.	काल्या, साम्या, अहीर	10.00
20.	काल्या साम्या अहीर	120.00
21.	सिवाय चक	25.00
22.	गोपी पुत्र काना मीणा	260.00
23.	सिवाय चक	60.00
24.	राधाकिशन।सोन्या	20.00
25.	उपरोक्तानुसार	70.00
26.	जैल्या पुत्र हरचन्द्रा मीणा	70.00
27.	देवबक्श पुत्र लाखा अहीर	15.00
28.	सिवाय चक	115.00
29.	जयनारायण पुत्र ग्यारसा मीणा	20.00
30.	मिश्रा पुत्र ग्यारस्या मीणा	70 00
		260.00
	रसूलपुरा :	
1.	छीतर, बजीरा, भारजागही	20.00
2.	वजीरा, नजीर पिता इमाम अली	30.00
		40.00
		90.00
3.	अमीर, समीर काल्या पिता नजीर अली	20.00
		130.00
4.	समीरा पुत्र इमाम अली	20.00
5.	अमीन पुत्र इद्या अली	30.00
6.	सिवाय चक	5.00
		20.00
		10.00
	रसूलपुरा :	
1.	सरताज।अबीब अली	20.00
2.	अब्दुल्ला पुत्र मोहम्मद अली	110.00

क्र. सं.	नाम खातेदार	राशि
3.	अहसान पुत्र अब्दुल्ला अली	90.00
4.	रहमत पुत्र अलीबक्श	30.00
5.	गफूर पुत्र इमाम	50.00
6.	मंशी पुत्र याकूब	40.00
7.	समीर पुत्र इस्माईल	70.00
8.	इब्राहीम पिता महताब	30.00
9.	इद्या पुत्र मोहम्मद	40.00
		20.00
10.	रहमत पुत्र यासीन अली	110.00
11.	हुसैन पुत्र असरफ अली	10.00
12.	वजीरा, नजीरा पिता इमाम	40.00
		90.00
13.	हटीला पुत्र यासीन अली	80.00
14.	अमर कमरू पिता माजू अमीर अली	10.00
15.	रेदा, मजीदा पिता मोहम्मद अली	20.00
16.	नूर दीन, पसरुद्दीन पिता अब्दुल्ला	10.00
17.	बादुल्ला पुत्र राज्या	40.00
18.	महताव पुत्र सुल्तान अली	25.00
		10.00
		15.00
19.	मोहम्मद पुत्र इमदादअली	50.00
20.	सिवाय चक	10.00
		40.00
		5.00
	ग्राम किशनपुरा :	
1.	बद्री श्रीनारायण मथुरा रामनारायण पिता रामचन्द्र	70.00
2.	भैरू पुत्र मंगल्या चौकीदार	80.00
		80.00
3.	अमीर पुत्र रोशन अली	10.00
4.	समीर पुत्र वजीरा	10.00
5.	सिवाय चक	80.00
		15.00
		5.00
6.	आशा याकूब पिता भोरया	60.00
7.	अमीर पुत्र खाजू	120.00
8.	बजरंगलाल चिरंजीलाल	300.00
9.	आनन्दीलाल रामनिवास	200.00
1).	मोहम्मद यासीन अली	50.00

(184)

1	2	3
11.	काजीखां इमदादखां	37 0.00
12.	सलावत पुत्र रहीमा	50.00
13.	रसूल पुत्र काशम	50.00
14.	सल्लू पुत्र काल्या	70.00
15.	अब्दुल्ला पुत्र कासम	60.00
16.	ईद्या शोकत पुत्र नजीरा	110.00
17.	नाथ्या पुत्र फूल खां	100.00
18.	चिरंजीलाल सोनीलाल	150.00
19.	उम्मेदा मजीद पुत्र अहमद अली	140.00
20.	मैनाजोज पुत्र दराब सिंह	80.00
	ग्रामचक भाड़ौती :	
1.	अर्जुन पुत्र मोहनलाल मीणा	30.00
2.	जगराम पुत्र श्योफूल मीणा	80.00
3.	बलदेवा पुत्र श्रवण मीणा	15.00
4.	बजरंगा पुत्र रामरतन पिता हरबक्श	220.00
		220.00
5.	भोल्या पुत्र मोहन मीणा	110.00
6.	कन्हैया, मूल्या, लड्डू पून्या पिता रामबक्श	140.00
7.	हरनारायण पुत्र श्योराम मीणा	140.00
8.	हजारी पुत्र बलदेवा	60.00
		190.00
9.	सिवाय चक	30.00
		25.00
	ग्राम बड़ा गांव :	
1.	बजरंगदास चेला/बद्रीदास	70.00
		145.00
2.	लड्डू।जेल्या मीणा	40.00
		50.00
3.	रामकुंवार पुत्र रामपाल मीणा	60.00
		10.00
		40.00
		40.00
		50.00
4.	जगन्या पुत्र दयाचन्द मीणा	40.00
5.	सुकल्या पुत्र ऊंकार मीणा	40.00
6.	किशन पुत्र गोपाल	70.00
7.	नोनन्दा पुत्र दोला मीणा	70.00

1	2	3
8.	अर्जुन, मोहरपाल, बन्सी, जन्सी पिता चतरू	10.00
9.	कल्याण, गोपी मीणा	10.00
10.	मुन्या, रंगलाल पिता श्योगाल	10.00
		50.00
11.	सूरजमल पुत्र छीतर मीणा	10.00
		70.00
12.	हरगोविन्द पुत्र रामसुख मीणा	10.00
13.	राजाराम पुत्र सुखलाल मीणा	10.00
14.	मोहरपाल पुत्र श्योचन्द	10.00
15.	बजरंग लाल पुत्र गंगाधर	5 00
		20.00
		5.00
16.	रामकुमार पुत्र लोहड्या	30.00
		140.00
17.	हजारी पुत्र रामदेवा, वाल्या, भोरया	30.00
		50.00
18.	बजरंगा पुत्र लोड्या	15.00
		50.00
19.	मोहरपाल पुत्र भोला मीणा	20 00
		60.00
20.	काना पुत्र वालू मीणा	30.00
		40.00
21.	रामचन्द्र पुत्र मांग्या मीणा	100.00
22.	रामधन।काना।रामफूल।उगला 1।2	90.00
23.	रामफूल।अमला	40.00
		120.00
24.	देवपाल।अर्जुन पुत्र हरदेवा	90.00
25.	काल्या पुत्र श्योपाल	60.00
26.	गिरराज पुत्र काल्या मीणा	100.00
27.	गीता पुत्र रामसिंह मीणा	140.00
28.	हजारी।रामदेवा मीणा	10.00
29.	अर्जुन पुत्र हरदेवा, नानग पिता गोपी	220.00
30.	देवपाल पुत्र हरदेवा	140.00

ग्राम कहाड़ उर्फ बड़ा गांव :

1.	रंगलाल पुत्र गोरया मीणा	150.00
2.	काल्या रतन पुत्र हरया।	130.00
3.	मल्या, मंगल्या पिता बज्जू मीणा	10.00
4.	हरपाल पुत्र नारायण	20.00
5.	पन्ना, कन्या, मोरपाल पिता मांग्या	110.00

1	2	3
6.	बाल्या पुत्र श्योपाल मीणा	3 00
7.	कजोड़ पुत्र लल्ला मीणा	36 00
8.	भोरया, बिरदा, जुम्मा पुत्र यासीन	10 00
9.	रामचन्द्री, भौरया मीणा	9·00
10.	कजोड़ा।लल्ला, मैनफूल।हरजी	2·00
11.	सुखपाल।मंगल्या मीणा	2·00
12.	नानग्या, छतरीया, जेल्या, दयाचन्द्र	20.00
13.	लोहड्या, चतर, रामनारायण पिता सुकल्या	130.00
14.	नाश्या, भागीरथ पिता छीतर	100.00
15.	सिवाय चक	10.00
		10.00
		80.00
		100.00
	ग्राम चान्दनोली :	
1.	श्योनारायण किशनलाल पुत्र काल्या	50.00
		90 00
		10.00
2.	गोपाल, बद्री, जन्सी पुत्र भैरू मीणा	10.00
3.	सिवाय चक	5.00
	ग्राम खड़कोली :	
1.	गिरराज।अम्बालाल मीणा	130 00
2.	श्योराम।हरया मीणा	60.00
3.	काना पुत्र काल्या मीणा	10.00
4.	भागोती पुत्र चम्पला मीणा	210.00
5.	रतनलाल पुत्र गंगाधर, राजजीलाल।भोरया	100.00
6.	नोन्दाराम, भवानीराम पुत्र भोला मीना	20.00
7.	सिवाय चक	10.00
		15.00
		5 00
		40.00
		15.00
	ग्राम गालव खुर्द :	
1.	भोरपाल, हरचन्दा मीणा	200.00
2.	सिवाय चक	40.00
3.	शभनालाल।पन्ना मीणा	50.00

1	2	3
		40.00
4.	सावल्या पुत्र मोरपाल	50.00
5.	रामसहाय पुत्र गोती मीणा	100.00
6.	बीरबल पन्ना मीणा	50.00
7.	,, ,,	50.00
8.	मोरपाल पुत्र हरचन्दा मीणा	165.00
9.	चरागाह	70.00
		230.00
		125.00
		195.00
		390.00
10.	सन्ता पुत्र भौरया मीणा	100.00
11.	वरदा पुत्र हरला मीणा	50.00
12.	सावल्या मोरपाल मीणा	50.00
13.	पुनिया पुत्र श्योपाल मीणा	
	भारजागड्डी:	
		40.00
1.	समीर पुत्र इस्माईल, याकूब पुत्र वहीद खां	60.00
	रहमद पुत्र अनवर खां	120.00
2.	अमीर पुत्र अब्दुल्ला	80.00
3.	रहमद पुत्र यासीन	15.00
4.	सिवाय चक	40.00
		15.00
		25.00
		40.00
5.	ईदया, सुलेमान अली, सोवत अली पिता रोशन मोहम्मद	90.00
6.	मोहम्मद नाथ्या पिता दाम खां	80.00
		30.00
7.	गफूर अब्दुला पिता इदया	50.00
8.	हजारी पुत्र महमूद	30.00
		10.00
9.	सादुल्ला पुत्र याकूब	180.00
10.	साबुद्दीन पुत्र इस्माइल	80.00
		60.00
11.	इब्राहीम, तडवा पिता महबूब	20.00
12.	रहमद पुत्र अलीयार खां	20.00
		30.00
		60.00
13.	नरूद्दीन, छीतरया	40.00
		10.00
14.	समीर, इस्माइल, याकूब पुत्र वहीद खां	

1	2	3
15.	आनन्द भोजमल, रहमद, पुत्र यासीन खां	
16.	मुनश्या पुत्र अलीयार खां	10.00
		80.00
		10.00
17.	हुसैन पुत्र असरफ	90.00
18.	समीर पुत्र इस्माइल	20.00
19.	याकूब पुत्र वाद खां	30.00
		30.00
20.	कमरूद्दीन पुत्र छीतरया	20.00
21.	अलावर पुत्र अब्दुल्ला	20.00
22.	समीर पुत्र इस्माइल, रहमत यासीन	40.00
23.	मूल्या, चैन्ना पुत्र मनफूल	20.00
		20.00
24.	गफूरा पुत्र अतुला पिता इमना	10.00
		160.00
		120.00
25.	रहमद पुत्र अलीयार खां	110.00
26.	कमरू पुत्र मुन्शी	130.00
27.	सिवाय चक	70.00
		10.00
		10.00
		15.00
28.	सब्बीर इस्माइल उद्दीन	35.00
		10.00
29.	महतावी एदल मुंशी अलीयार	40.00
		80.00
30.	ईदया, सुलेमान, हिदायत अली पिता रोशन	40.00
31.	,, ,,	50.00
32.	गफूर, इमाम, ईदया वगैरहा	110.00
33.	समीर पुत्र इस्माइल	50.00
34.	याकब पुत्र वाद खां	10.00
35.	इब्राहम सखा पुत्र महताब खां	30.00
36.	हजारी पुत्र महमूदा	40.00
		90.00
		260.00
37.	समीर पुत्र पीर खां	110.00
		110.00
		40.00
		40.00
		10.00
		90.00
38.	मुमताज पुत्र मोहम्मद महताब मुन्शी, कमरू	60.00

1	2	3
	ग्राम शेंखा	
1.	समसु, सावुदीन पि. कमवाद सावुदीन मोहम्मद	110.00
		90.00
2.	अल्लाउद्दीन, सुरुद्दीन पिता इस्माईल	110.00
3.	सरदार पुत्र मोहम्मद	60.00
4.	नाथ्या वादुस्ता, मजीदा सहीदा पिता वजीर	60.00
5.	आवादया मुंशी पिता समीर	40.00
6.	आवाद्या, एदसा	50.00
7.	दीना, सोब्त लतीफ पिता वजकी	10.00
8.	समसु, सराऊदीन पिता उमवाद	60.00
9.	सिवाय चक	120.00
10.	श्रीचन्द पुत्र गोरया मीना	180.00
11.	गोपाल पुत्र ऊंकार	50.00
12.	अमरचन्द पुत्र सुखजी पिता हरपाल	40.00
13.	श्रीचन्द गोरया	190.00
14.	गोपाल पुत्र ऊंकार	110.00
15.	भोरया विरदा, जिन्सी । सदी	140.00
16.	भोरया हीरया	120.00
17.	मांग्या सुखजी, मूल्या मोडी	60.00
		5.00
18.	कमरुद्दीन । सलावन, दाऊ । वजीर	20.00
19.	बजरंगा पुत्र मनफूल मीना	120.00
20.	भोरया पुत्र ऊंकार मीना	30.00
21.	शहजाद पुत्र इमदाद	60.00
22.	अली खां पुत्र याकूब खां	20.00
1.	रहमत अली । अहमद अली	260.00
2.	यासीन हबीब अजीज । जहूर	200.00
3.	रामचन्द्र । लक्ष्मण खटीक	180.00
4.	मदन । बाल्या	160.00
	सूजाना । गंगा	180.00
5.	शिवचन्द । मूलचन्द	10.00
6.	हजारी । नानगा मदन । पांचा	120.00
7.	फकीर चन्द । लालचन्द	60.00
8.	तयेब खां । नवई खां	20.00
		190.00
		10.00
9.	अहमद बक्सी खां । नजीर खां	240.00

(190)

1	2	3
10.	जसोदीराम । भागचन्द	180.00
11.	फूलचन्द । श्योनारायण	240.00
12.	नूर मोहम्मद । नामदार	170.00
13.	नन्द लाल । बद्री लाल	180.00
14.	कल्याण रंगलाल । उत्तार	20.00
15.	बनवारी लाल । जुगल किशोर	170.00
16.	बिरधा । गफूर रसीद । गुलाब	40.00
17.	कदू । इद खां	15.00
18.	भगवान । मूलचन्द	55.00
19.	कोरया गोपी । भोरया	120.00
20.	कोरया । भोरया गटली	40.00
21.	काना । रामचन्द्र गुजर	60.00
22.	सुखपाल । मांग्या माली	60.00
23.	इदरीस । अहमद	40.00
		230.00
		120.00
24.	इब्राहीम । कालू खां	260.00
25.	समीर खां । अली खां	290.00
26.	नूरी बेवा मुन्सफ खां	150.00
27.	अहसान । नामदार खां	80.00
28.	मजीद अहमद । समीर खां	80.00
29.	बद्रीनाथ । भजन	130.00
30.	अब्दुल हवीम मुखतार । हाफीज जहूर खां	130 00
31.	भोरया । मोल्या माली	100.00
32.	जहूर खां । महबूब खां	110.00
33.	सूलेमान । सतार खां	330.00
		110.00
34.	नामदार । समीर खां	110.00
35.	मुन्सफ खां । सनावत खां	120 00
36.	हमीद खां । मजीद खां	40.00
37.	वहीद खां । अनीद खां । अब्दुला	50.00
38.	हबीब । रमजान इमदाद	390.00
39.	अ[illegible]ुल शकूर । मामूर । हाजी अब्दुल । गफूरखां	60.00
40.	अयूब । सत्तार खां	300.00
41.	नसार खां । चान्द खां	560.00
42.	सरीफ खां । अब्दुल खां	140.00
		360.00
43.	नामदार खां। रहमान खां करीम खां मुनीर खां	90.00
44.	शकूर खां उम्मेद खां शकूरी बेवा यूसन खां	70.00
45.	मोजीराम । सुखदेवा मीणा	240.00
46.	मजीद खां । सलावत खां	110.00
47.	सरदार खां । इकमाम खां	140.00
		130.00

1	2	3
48.	गोपी लाल । राम नाथ महाजन	280.00
49.	इमदाद खां, बहादुर खां, जहूर खां । जाटप खां	50.00
50.	जमाल खां । इमदाद खां	190.00
51.	सिवाय चक	140.00
		20.00
		25.00
		40.00
		20.00
		5.00
		25.00
		230.00
		135.00
		90.00
		10.00
		5.00
		10.00
		150.00
		30.00
		95.00
		25.00
		40.00
		180.00
		15.00
गांव श्री पुरा :		
1.	सुवा, रेवा देवत नहवा, लक्की पूर्वीया	230.00
		520.00
		80.00
		25.00
2.	सुन्या गोविन्दा रामजी लाल भार्य	20.00
3.	मिश्रा, भोला, जीवन्दा सादेव	530.00
		260.00
4.	केशरा, जमना लाल, हीरा गोरधन	240.00
5.	हीरालाल, मूलचन्द, हजारी लाल राउ	30.00
		100.00
		250.00
6.	हीरालाल, मलचन्द, हजारी लाल पूर्वीया दुर्गालाल देवा, सा. देव	80.00
7.	गंगाराम चन्दा	220.00

1	2	3
8.	सिवाय चक	40.00
		105.00
		20.00
9.	गंगाराम बन्दा 1/2 सुखदेवा, देवा नेतना 1/4 मूल्या/गोविन्दा/रामजीलाल	40.00
10.	बजरंग/किशन बिरदा/नाथूमा	20.00
11.	बजरंगा पुत्र विशना, सुका, ऊंकार	5.00
12.	सुख पाल/ऊंकार	380.00
13.	मूला राम करण/रामदेवा रावत	35.00
		20.00
14.	दुर्गा/देवा पूर्वीया	450.00
		290.00
15.	राम निवास/गेन्दा पूर्वीया	20.00
16.	कातूना/धन्ना देवा/दुर्गा	250.00
17.	सुवा मिश्रा/रामचन्द्र पूर्वीया	130.00
18.	चिरंजी/गेन्दा पूर्वीया	120.00
19.	दुर्गा/देवा पूर्वीया	270.00
20.	काल्या/धन्ना राम दुर्गा/देवा	90.00
21.	दुर्गा पुत्र देव्या पूर्वीया	35.00
22.	रघुनाथ/जय नारायण खाती 1/2 दुर्गा/देवा	5.00
23.	रघुनाथ/जय नारायण खाती 1/2 दुर्गा/देवा	140.00
24.	दुर्गा/देवा पूर्वीया, साहिब दुर्गालाल, बद्री, बली गणेश	80.00
25.	मूलिया/गोविन्दा, रामजी लाल, दुर्गा लाल, बजरंगा, तेजा 1/4 रूघ नाथ/जय नारायण 1/4	25.00
26.	कल्याण कन्हैया मूल्या/मुन्ना पूर्वीया	40.00
27.	दुर्गा लाल, बद्री लाल, गणेश खाती	50.00
28.	जगन्नाथ/देवा खाती	300.00
29.	सिवाय चक	25.00
		50.00
ग्राम तारनपुर :		
1.	राम फूल/ऊंकार मीणा	130.00
2.	मोर पाल/खेतराम मीणा	150.00
3.	मूल्या/विजय राम	200.00
4.	हीरा लाल, मूल्या बगीर, निवास/ओंकार	160.00
		80.00
5.	भोरया/बिशन मीणा शामेह	230.00
		130.00
		50.00
		90.00

1	2	3
6.	प्रेम राज।जेल्या मीणा, सा. देह	110.00
		10.00
		150.00
		60.00
		150.00
7.	मोरिया।किशन।प्रेम राज नैत्या।गंगाराम हरगोविन्द मिश्रा	151.00
		20.00
8.	प्रेम राज. जेत्या, श्रीचन्द, गोपाल राम रतन रंगा फेलों। सोन्या	20.00
9.	गोरया/जीवन, राम नारायण।रंगा वाल	140.00
10.	राम करण, रामफूल, हर गोविन्द, जभान, काल्या कजोड़, हीरालाल। मोरया	40.00
11.	सजराम/रामसुख कजोड हीरालाल, मोजा रामनारायण।कोया, मोरया। जीवन, रामकरण, राम फूल, हरगोविन्द , जगना , काल्या।बरावर	15.00
12.	श्रीचन्द।गोपाल मीना सा. देह	200.00
13.	धीसा।गन्दा, हीरा।सराया, बन्सी, अर्जुन	60.00
		10.00
		70.00
		50.00
14.	रतीराम/पन्ना मीणा	100.00
		180.00
15.	बजरंगा।घन्ना मीणा	130.00
		20.00
16.	दयाराम।नारायण मीणा	50.00
		30.00
17.	सुखजी जगदीश।गोपी	40.00
18.	रुगराम/कल्याण मीणा	50.00
		130.00
19.	गोरया, गोरधन।हुवशा	80.00
		150.00
20.	टेकराम।किरया मीना	70.00
21.	बिरधा हरला पैना।सरवन्या	60.00
22.	पूज्या गंगाराम/रंगा मीना	50.00
		230.00
23.	हरनारायण । गोविन्दा मीना	10.00
		25.00
		50.00
		60.00
		19.00

1	2	3
24.	गंगाराम।मांग्या	40.00
25.	जयराम, गोपीराम।मनफुल	150.00
26.	हरगोविन्दा।मिश्रा	80.00
27.	गिरराज गोपाल।हरका 1।2, हरनारायण।गोविन्दा	15.00
28.	मनफुल, रामफूल, ज्ञयाना।भोरया	70.00
29.	भैरु।गंगल्या	130.00
		150.00
30.	रामपाल, सुखदेव।श्योचन्द	20.00
31.	रतन।ज्ञयाना बेरवर	70.00
		100.00
32.	श्रीचन्द।केशरा मीणा	10.00
		50.00
33.	मोजा।सुन्द्रया	100.00
		120.00
34.	कजोड़।हीरालाल, मोजा	130.00
35.	देवपाल मीणा।मृतबनजाहरजी	80.00
36.	गंगाधर, रामप्रसाद।मंगल्या, श्योराम। मेवा, कंवर पाल।भोला	80.00
		90.00
		20.00
		20.00
37.	भोरया।हरवंस	30.00
		370.00
		80.00
38.	किशना पुत्र केशरा	50.00
39.	किशना पुत्र केशरा, हर नारायण, गोविन्दा	5.00
40.	कजोड़, हीरालाल।मोजा, हीरालाल।भुलन, बंशी।ओंकार	
41.	हरीराम, मुतल्या।किशना	60.00
42.	अर्जुन चून्या।जानगा बैरवा	200.00
43.	राजकीय भूमि	25.00
		15.00
		10.00
		30.00
		65.00
		25.00
		10.00
		15.00
		10.00
		125.00

1	2	3
ग्राम बिवाड़ा :		
1.	मूरया। शोकत अली पि. समीर खां	40.00
2.	नजीर । नवाव खां	170.00
3.	दीनदार साबू। सल्लू, शोकत अली खां/ अवाद खां	30.00
4.	नाथा खां, मजीद, यातुल्ला। वजीरा	70.00
5.	शोकत अली । समर खां	60.00
6.	महताव, अलीनूर सहजाद। लाल खां	50.00
7.	चांद बीवी सुलेमान, गडी	30.00
8.	दीन खां यादव, शोकत खां हमीरखां। पिदराव	20.00
		20.00
		30.00
9.	तेज राम, भरत लाल, अर्जुन, रामफुल। सेवा जैतया	10.00
		10.00
		20.00
10.	चतरा। नानगा गंगाधर। श्रवण, रामफूल, सुखपाल मथुरा। गंगाकिशन	100.00
11.	राधाकिशन। मेरा सुखदेवा। भैरू भील	10.00
		5.00
		5.00
		10.00
		10.00
		40.00
		20.00
		30.00
		10.00
		5.00
12.	राधा किशन। भैरू, सुखदेवा। भैरू हिवरावर, नानगा, हरनारायण भील	
13.	मनसखां । महमुद खां	100.00
14.	नानगा, हरनारायण पि. मनला भील	20.00
		10.00
		5.00
		100.00
		140.00
		20.00
		20.00
15.	काना । गंगया	210.00
16.	हीरालाल। श्योलाल, गोधन चतरा। छीतर	20.00
		5.00
17.	अगरूप पिल्लू। दयाचन्द	110.00

1	2	3
18.	तेजराम। भरत, अर्जुन सिंह, सेवा. रामफूल। जैतिया, काना, गंगल्या	10.00
19.	सुखदेवा। भैरू नानगा। नारायण पुत्र जीता	20.00
20.	राधा किशन। भैरू	30.00
		5.00
21.	चतरू। नानगा भील	90.00
22.	माधो। रूपा जोगी	180.00
23.	धना। गणेश, मोतीलाल, [illegible], पन्ना	130.00
24.	राधा किशन, रामपाल, गिरराज। मोरया	10.00
		5.00
		100.00
25.	हीरा लाल। ओंकार लाल	190.00
		5.00
26.	फैलू रामनारायण। किशन, भैरू भील, अनोन, बाबू, मांगया	60.00
		30.00
27.	सुखदेव। हरप्या भील	20.00
28.	राधा। रामचन्द्र, रिजवारया भील	50.00
29.	कल्या। हरबक्स भील	40.00
		40.00
30.	हीरालाल हरनारायण। श्रीमती फूली	40.00
		20.00
31.	अनोरा सुखदेवा कोरया, पांच्या, मांगीलाल। तुलस्या बैरवा	60.00
32.	गोपी पुत्र ग्यारसा	50.00
33.	राम देव, सुखपाल, कल्याण, गंगाविशन। मूल्या	130.00
34.	श्रीनारायण, नारायण विलास। मोल्या नाई	40.00
35.	किशन। दल्ला। गंगाराम। भैरू भील	40.00
36.	बद्री। मोरया भील	90.00
37.	सिवाय चक	5.00
		50.00
		20.00
		10.00
		15.00
		5.00
		15.00
		615.00
		515.00
		5.00
1.	सिवाय चक	95.000
		25.00
		40.00
		180.00
		15.00

1	2	3
	ग्राम. डूंगर देरोली:-	
1.	कल्याण सिंह/गणपत सिंह राजपूत	60.00
		100.00
		150.00
		390.00
		100.00
2.	बुद्री/अहमद खां, रसीद खां/हमदाद शहादद खां/सुभलातखान, सत्तार जब्बाद जब्बार/गुलाब खां, सा. देह	160.00
3.	उमराव पाल/हजारी पाल	220.00
4.	गफूर खां/बादल खां	230.00
5.	छोटू सिंह/देवीसिंह राजपूत	160.00
		40.00
6.	वहीद खां/हमीद खां	120.00
	अब्दुल खां मुसलमान	
7.	भंवर सिंह/हीरासिंह	
		80.00
8.	रफीक, रसीद, लतीफ/मदारी खां	130.00
9.	मकरी बेवा कलिखां	40.00
10.	सिकन्दर खां/तिजबखां	90.00
11.	सिकन्दर खां/तिजब खां, रसीद खां/हस्दाद खां	50.00
12.	हबीब/इमदाद खां, इकाम अहमद खां मुसलमान	30.00
13.	सिवाय चक	80.00
		160.00
	मोहम्मद पुर:-	
1.	अब्दुल हमीद व अब्दुल वशीर व अब्दुला वहाब, रशमी, मोहम्मद गफूर	100.00
		80.00
		120.00
2.	मजीद खां, वहीद खां/रहीम खां मुसलमान	70.00
		80.00
		180.00
	बहुतेरः-	
1.	सदीक खां/हियायत खां	140.00
2.	सहीदा इबावत	320.00
		180.00
3.	श्री नारायण/गोपाल	100.00
4.	फरयाद/काजी खां	60.00

1	2	3
5.	अ. वहीद/अमीर खां	10.00
6.	अमीर खां/इमाम बेग	10.00
7.	सिवाय चक	15.00
8.	रशीद खां/इमदाद खां	40.00
9.	मोरया/कालू, रुपा। हरबक्स	60.00
10.	नजीरबेग/इमीम बेग	90.00
11.	छाना। गोपाल माली	90.00
12.	कान्या मांग्या । गोपाल माली	90.00
13.	अकूल । दाले खां	90.00
14.	अ.वहीद खां अमीर खां	30.00
15.	सतार बेग गफूर बेग जमीर बेग	90.00
		20.00
		40.00
		70.00
		60.00
16.	सबीर खां । कासिम खां	20.00
17.	हदू बेग । मसरु बेग । नूर बेग, समीर बेग । अहमद बेग	180.00
18.	इसमाईल खां जरदार खां	50.00
		100.00
19.	जहूर बेग । जज हमीद बेग	60.00
20.	जमीर खां । वजीर खां	140.00
21.	नावदार खां/अहम्मद खां/जमीर खां/वजीर खां	90.00
22.	आजद खां । ताज खां	120.00
23.	मुहब्बती बेगम/कासम खां	90.00
24.	वापवदार खां/महबूब खां/सुलतान खां । वहीद खां	80.00
		90.00
25.	रहमत खां/रहीम पि. बसीर	60.00
26.	जहूर खां/हिमायत खां	90.00
27.	सिवाय चक	10.00
		25.00
28.	देवी लाल । मिश्री लाल	140.00
29.	अ. वहीद/अमीर खां	120.0
		20.00
		40.00

जातोली:-

1.	मोड्या, छोटया । रामया	40.00
2.	मदन । मांग्या बैरवा	170.00
3.	ग्योचन्डा । भील केल्या । जैलाल	120.00
		80.00
		30.00

1	2	3
4.	सिवाय चक	20.00
		210.00
		40.00
5.	भोरया । भयोन्या भील काना, गोविन्दा	400.00
6.	चन्द्रा । कालू भील	160.00
		80.00
7.	तेजराम भरत लाल । अर्जुन	20.00
8.	गोपी । भयोवक्स	70.00
9.	नानगा, हरनारायण । झीता भील	30.00
10.	सुखदेवा । मेदू भील	50.00
		20.00
11.	हरचन्दा । सुखदेवा भील	50.00
12.	सुखदेवा । गट्टू रामराम जयनारायण	150.00
13.	चतरू / नानगा भील	100.00
14.	गंगाधर / श्रवण, रामफूल, सुखपाल, मथुरा / गंगा-किशन	40.00

बाड़मसा :—

1.	सिवाय चक	15.00
		15.00
		5.00
2.	हुकार रामकवार / भगवान भील	20.00
		30.00
		110.00
3.	लडू / रामपाल भील	140.00
4.	राम निवास / भोरया	60.00
5.	गंगाधर / भोरया भील	10.00
		10.00
6.	अर्जुन, राजाराम / सुख जी भील	180.00
7.	भक्षा / भोरया	70.00
8.	भकार / गुजरया / कजोड़ भील	80.00
9.	चतरू / श्रवा भील	190.00
10.	डून्डा / भोरया	140.00
11.	अर्जुन सूरजन / काना	80.00
		60.00
12.	केसरा / कल्या भील	120.00
13.	चतरू / श्रवण	20.00
14.	नानगा / कालू	110.00
15.	भैरू / पांच्या, बद्री, राम करण / गेन्दा, प्रहलाद / गोपी	40.00
16.	गोर्धन / रामपाल भील	220.00
17.	रामचन्द्र / लक्ष्मण भील	40.00

1	2	3
खोहरी:-		
1.	महताव अमीर मुन्शी / सलावत, इमदाद, गडी	100.00
2.	याकूब / जुम्मा इकरामदीन समीद, गडी	240.00
		80 00
		20.00
3.	रहमद समसु / मूरफ, गडी	105.00
		20.00
		10.00
		100.00
		120.00
		10.00
		120.00
		50.00
4	वाडला मुन्शी / वजीर सुलेमान बरकत / मजीद अल्लानूर हबीब, गडी	80.00
		20.00
5.	चान्दवी बिवी अमीर, गडी	60.00
6.	अजमेरी खां, भागा खां फकीर	100.00
7.	याकूब / जुम्मा, गडी	280.00
8.	याकूब / जुम्मा महताब अमीर मुन्शी / सलावत मजीद / इमदाद	320.00
9.	फूलचन्द / किस्तूर चन्द श्रीमाल	200.00
10.	इकरामुदीन / महताब अमी बस्सो / सलावत याकूब जुम्मा गडी	90.00
		100.00
		100.00
		200 00
11.	कपूर चन्द कालू राम, कैलाश चन्द धूली लाल मु. सावली शेखर चन्द	210.00
		120 00
12.	गफूर / हबीब, अल्लानूर, सलाम / वजीरा; हिबरावदा, इदरन, अब्दुला	120.00
		120.00
		60.00
		160.00
		20.00
		100.00
		100.00
13.	बादुला / अमीर, गडी	80.00
14.	प्रभू दयाल, कन्हैया लाल श्रीमाल	60.00
15.	गफूर, हबीब, अलानूर, सलालाम / वजीर ईदया / अब्दुला, बाहुला मुन्शी / मजीरा / रहमत, समसु / नूर खां	160.00
16.	राजकीय भूमि	10.00
		60 00
		40.00
		25.00
		15 00
		10.00

1	2	3
	माछोली:-	
1.	बद्री / किशन, रतन लाल, गोपी, प्रहलाद, रामचन्द्र	470.00
		240.00
2.	प्रहलाद / गोविन्दा खाती	5.00
3.	चिरंजी / मूल्या भील	100.00
4.	बद्री / जयराम भील	10.00
5.	कल्या / भंमो मीना	60.00
		120.00
6.	किशन / कोरफ भील	20.00
7.	हजारी / चन्दा भील	5.00
8.	कल्या फली, हजारी / चन्दा किशन पुत्र कोरया	80.00
9.	घासी, मोतीलाल / राजाराम भील	80.00
		30.00
10.	कल्याण, मडाराम, चन्दा / हरवास, किशना / भोरया	10.00
11.	राम प्रसाद, राम दयाल / गोकुल फली, हजारी, मीठया/कन्हैया	10.00

1	2	3
30.	मु. दुखती बेवा कमाल खां	
31.	रसीद खां इमदाद खां	20.00
32.	जाहगीर खां / उमदाद खां	200.00
33.	कातल खां कायब खां	20.00
34.	रशीद बेग पुत्र ताज खां, अमीर बेग / साल बेग, सहीद बेग / रहमद बेग	40.00
		10.00
35.	आसमद / वसीर खां	
		60.00
36.	अ. हफीज / नजीर खां	60.00
		80.00
37.	जायदार खां महबूब खां सुलतान खां / बाहुल	160.00
		120.00
38.	माफी जैन मन्दिर	120.00
39.	जहूर खां इदु खां	80.00
		100.00
40.	साही खां / गलजी खां	30.00
41.	मांग्या हत्या रेगर	50.00
42.	नाज्या खां/गुनसब खां	60.00
		80.00
		180.00
43.	नानगा / शोनारायण खत्री	40.00
44.	गोरवा / भागीरथ रेगर	120.00
45.	नईदार खां बेवा तयाब खां	40.00
46.	सकूर खां अली खां	120.00
47.	मु. गुलाबबेवा महाजन	80.00
48.	इसाव बेग अमीर बेग	60.00
		80.00
49.	गफूर बेग, रमीद बेग	70.00
50.	ईद बेग मुसफ बेग नूर समीर अहमद बेग	90.00
		110.00
		10.00
51.	मूल चन्द हरबक्स महाजन	50.00
		60.00
52.	जहूर खां ताई खां	70.00
		110.00
53.	ईद बेग नूर बेग	110.00
54.	नन्द किशोर घासी लाल महाजन	40.00
55.	ईद बेग नूर बेग, सबीर बेग रहमद बेग	30.00
		40.00
56.	ईद बेग नूर बेग।	40.00
		30.00

1	2	3
57.	सिषाय चक	10.00
		25.00
		15.00
		15.00
		80.00
		10.00
		80.00
		260.00

अन्य मरील पूर्वी नहर की जिनका भुगतान नहीं हुआ

तहसील बामनवास

क्र. सं.	नम्बर बन्दोबस्त	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा
1	2	3	4
ग्राम माधोपुरा :			
1.	3	2	4
2.	43	..	6
3.	36/1 36/2 36/3 36/4 36/5	1	14
4.	67	..	7
5.	96	1	8
6.	95	3	..
7.	94	..	4
8.	93	..	7
9.	92	1	2
ग्राम सुखानपुरा :			
1.	141	1	..
2.	140	..	16
3.	142	..	1
4.	143	..	17
5.	144	..	4
6.	137	..	1
7.	132	..	1
8.	131	1	16
9.	154	..	12
10.	136	..	3
11.	138	..	8
12.	100	2	8
13.	155	10	1
14.	172	..	16

क्र. सं.	नम्बर बन्दोबस्त	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा
1	2	3	4
ग्राम हिगरिया :			
1.	20	..	1
2.	21	1	8
3.	30	..	14
4.	33	..	12
5.	34	..	04
6.	35	..	16
7.	48	07	17
8.	49	..	4
9.	50	..	16
10.	51	..	8
ग्राम लाखनपुर :			
1.	48	..	5
2.	49	..	18
3.	50	..	2
4.	51	..	15
5.	52	..	16
6.	53	..	15
7.	54	..	12
8.	56	..	16
9.	62	..	12
10.	65	..	8
11.	66	1	8
12.	67	..	8
13.	29	..	1
14.	30	..	12
15.	31	..	7
16.	25	..	15
17.	18	1	4
18.	13	..	11

1	2	3	4
19.	12	..	14
20.	7	..	3

ग्राम बाढ़ लक्षमपुर :

1	2	3	4
1.	112	..	16
2.	106	..	5
3.	105	..	16
4.	104	..	16
5.	102	1	12
6.	67	..	8
7.	49	..	1
8.	45	..	16
9.	47	..	12
10.	48	..	4
11.	37	..	4
12.	39	..	7
13.	32	..	16

ग्राम बाढ़ सुन्दरी :

1	2	3	4
1.	74	..	10
2.	75	..	10
3.	72	19	19
4.	1	1	4
5.	22	..	6
6.	23	..	6
7.	25	..	2
8.	27	..	2
9.	28	..	2
10.	54	..	7
11.	55	..	1
12.	52	..	7
13.	51	..	8
14.	46	..	2
15.	45	..	2
16.	44	..	3
17.	43	..	15
18.	60	.	4

ग्राम सुन्दरी :

1	2	3	4
1.	44	..	2
2.	51	..	7
3.	55	..	16
4.	42	..	8
5.	41	..	4
6.	39	..	5
7.	40	..	8
8.	29	..	13
9.	21	..	2
10.	13	..	6
11.	12	..	4
12.	11	..	1
13.	4	..	3
14.	3	..	16
15.	2	..	7
16.	282	..	16
17.	283	..	8
18.	285	1	2
19.	281	..	10
20.	280	..	4
21.	279	..	4
22.	278	..	12
23.	277	..	2
24.	271	..	8
25.	472	..	15
26.	273	..	1
27.	458	..	8
28.	483	..	12
29.	457	..	6
30.	486	..	10
31.	456	..	5
32.	455	..	12
33.	447	..	8
34.	443	..	16
35.	442	..	12
36.	437	..	2
37.	436	..	3
38.	435	..	2
39.	414	..	16
40.	409	..	16
41.	410	..	3
42.	411	..	2
43.	412	1	

1	2	3	4
ग्राम मीना टिगरी :			
1.	132	2	11
2.	131	2	4
3.	130	..	17
4.	128	..	1
5.	127	..	17
6.	126	..	4
7.	216	3	14
8.	271	..	15
9.	274	..	4
10.	77	..	2
11.	280	1	17
12.	289	..	1
13.	290	1	..
ग्राम बरनाला :			
1.	135	1	..
2.	136	1	..
3.	140	..	16
4.	220	1	6
5.	297	..	1
6.	324	..	5
7.	315	..	2
8.	316	..	2
9.	317	..	10
10.	319	..	10
11.	320	..	3
12.	321	..	12
13.	309	2	8
14.	328	..	2
15.	306	..	5
16.	359	..	1
17.	358	1	8
18.	402	3	4
19.	401	..	2
20.	403	..	12
21.	416	..	12
22.	418/1	..	12
23.	417/1	1	..
ग्राम बरनाला 6 नम्बर माईनर :			
1.	521	..	14
2.	527	..	11
3.	529	..	14
4.	588	..	4
5.	592	..	6
6.	593/1	..	5
7.	601	..	1
8.	630	..	1
9.	642	..	10
10.	634	..	9
11.	641	..	1
12.	638	..	2
13.	639	..	3
14.	640	..	6
15.	646	..	12
16.	648	..	2
17.	618	..	1
18.	668	..	16
19.	664	..	12
20.	655	..	16
21.	663	.	1
22.	659	..	14
23.	658		14

परिशिष्ट संख्या 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूची

राज्य में डेयरी विकास की भावी योजनायें

(1) डयरी सयन्त्र:—

(क) राज्य के दुग्ध उत्पादकों के एकत्रित दूध की उचित विपणन व्यवस्था के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न भागों में डेयरी संयन्त्र एवं अवशीतन केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान में कार्यशील परियोजनाओं का ब्योरा निम्न प्रकार है:—

(क) डेयरी संयत्र :

		क्षमता (प्रति दिन 000 ली.)	लागत (लाख रुपये)
1.	जयपुर	150	500
2.	जोधपुर	100	250
3.	बीकानेर	100	250
4.	अलवर	100	300
5.	अजमेर	30	50

(ख) इनके अतिरिक्त निम्नांकित चार नये डेयरी संयत्र निर्माणाधीन हैं एवं तीन कार्यशील डेयरी संयत्रों का विस्तार कार्य प्रगति पर है जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	डेयरी संयत्र	क्षमता (प्रति दिन लाख लीटर)	लागत (लाख रुपये)	क्रियाशील होने का वर्ष
1.	बीकानेर (विस्तार)	1से 1.50	90	1982–83
2.	जोधपुर (विस्तार)	1से 1.50	90	1982–83
3.	अजमेर (विस्तार)	0.30से 1	300	1982–83
4.	उदयपुर	0.25	80	1983–84
5.	कोटा	0.25	80	1983–84
6.	भीलवाडा	1.00	300	1983–84
7.	हनुमानगढ़	1.00	300	1984–85

उपरोक्त सभी डेयरी संयत्रों द्वारा अतिरिक्त दूध से विभिन्न दुग्ध पदार्थ जैसे घी, बटर, पनीर, पाउडर, बेबी फूड पाउडर आदि का निर्माण किया जावेगा तथा इन समस्त की विक्रय की व्यवस्था राज्य के बड़े शहरों एवं कस्बों में की जावेगी। शेष बचे पदार्थों की विक्रय व्यवस्था राज्य के बाहर की जावेगी।

(2) अवशीतन केन्द्र :

राज्य के दूर स्थानों से दूध इकट्ठा कर डेयरी संयत्रों पर लाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न भागों में अवशीनलन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य दूध को ठंडा करना होगा जिससे कि दूध अच्छी हालत में डेयरी संयत्रों तक पहुंच सके।

(क) कार्यशील अवशीतलन केन्द्र :

	अवशीतलन केन्द्र	क्षमता (हजार लीटर)
1.	पोकरण	20
2.	पाली	30
3.	बालोतरा	20
4.	मेडता सीटी	20
5.	लूणकरणसर	30
6.	सरदार शहर	30
7.	मालपुरा	20
8.	तिजारा	30
9.	भीलवाडा	30
10.	कोठपूतली	20
11.	दौसा	20
12.	झुन्झुनू	20
13.	ब्यावर	10
14.	गंगापुर सीटी	20
15.	बाड़मेर	10

(ख) भावी अवशीतलन केन्द्र:—

	अवशीतलन केन्द्र	क्षमता	क्रीयाशील होने का वर्ष
1.	बिजयनगर	20	1981-82
2.	नागौर	20	1981-82
3.	फलोदी	10	1982-83
4.	बांसवाडा	10	1981-82
5.	डूंगरपुर	10	1982-83
6.	फालना	10	1982-83
7.	सवाईमाधोपुर	10	1982-83
8.	सूरतगढ़	20	1983-84
9.	गंगानगर	20	1983-84
10.	नोहर	20	1983-84
11.	छत्तरगढ़	20	1983-84
12.	बज्जू	20	1983-84
13.	भरतपुर	20	1984-85
14.	टोंक	20	1984-85

दूध के लिए उचित विपणन व्यवस्था के अतिरिक्त दूध उत्पादन वर्द्धन हेतु तकनिकी आदान जैसे कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु, प्रजनन, संतुलित पशु आहार वितरण, पशु, स्वास्थ्य, उन्नत चारा बीच वितरण एवं डेयरी प्रसार कार्यक्रम का भी डेयरी विकास कार्यक्रम में प्रावधान है।

कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन हेतु जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाडा, अलवर, पाली, सरदार शहर (चूरू) पोकरण (जैसलमेर), बालोतरा (बाडमेर) में वीर्य संकलन केन्द्र स्थापितकिए गये हैं प्रजनन सीमनसेकृत्रिम गर्भाधान हेतु बस्सी (जयपुर) में एक फ्रोजन सीमन बैंक भी स्थापित किया गया है, उक्त केन्द्रों के लिए अच्छे सांड उपलब्ध हो सकें, इसके लिए बस्सी (जयपुर) में एक विदेशी नस्ल जर्सी गायों का फार्म भी स्थापित किया गया है समिति स्तर पर दुग्ध उत्पादकों के पशुओं की चल एवं आपात चिकित्सा इकाई द्वारा चिकित्सा की भी व्यवस्था है, संतुलित पशु आहार उचित दर पर दुग्ध उत्पादकों को वितरण हेतु जयपुर में 40 नदबई (भरतपुर), तबीजी (अजमेर) व बीकानेर एवं जोधपुर में 100-100 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता की पशु आहार फैक्ट्री स्थापित की गई हैं।

ग्रामस्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से दूध क्रय एवं तकनिकी आदान की सुविधा दी जाती है।

210

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 14 की सूची

क्र. संख्या	नाम माह	गेहूं (मात्रा टनों में)	केरोसीन (मात्रा कि.ली.)	प्राप्त आवंटन चीनी जनसाधारण	बी.एस.एफ। सी.आर.पी.	योग	आयातित तेल (मात्रा टनों में) पामआयल	रेपसीड	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जनवरी, 81	6,000	14520	12757	24.7	12781.7	—	—	—
2.	फरवरी, 81	10,000	13741	12757	24.7	12781.7	200	—	200
3.	मार्च, 81	20,000	14777	12757	24.7	12781.7	500	—	500
4.	अप्रेल, 81	20,000	13507	12757	25.7	12782.7	—	50	50
5.	मई, 81	20,000	13235	12757	25.8	12782.8	200	—	200
6.	जून, 81	15,000	12850	12757	24.9	12781.9	400	100	500
	—	—	—	71	—	71.0	—	—	450
7.	जुलाई, 81	15,000	14699	12757	25.8	12782.8	400	50	—
8.	अगस्त, 81	18,000	15698	12757	25.8	12782.8	500	—	500
9.	सितम्बर, 81	20,000	13364	12757	25.8	12782.8	500	500	1000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	—	—	—	5.8	—	5.8	—	—	माह सितम्बर एवं अक्टूबर की इकजाई आवंटन प्राप्त हुआ ।
10.	अक्टूबर, 81	20,000	14713	12757	25.8	12782.8	—	—	
11.	नवम्बर, 81	20.000	16705	12757	25.8	12782.8	100	60	160
12.	दिसम्बर, 81	22,000	16704	12757	25.5	12782.5	100	20	120
13.	जनवरी, 82	22,000	17990	12757	26.1	12783.1	206	—	206
14.	फरवरी, 82	22,000	16705	12757	26.6	12783.6	206	—	206

(212)

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची

(क) मिट्टी के तेल की दुकानों की सूची:—

क्र. सं.	नाम चौकी	दुकानों की संख्या
1	2	3
1.	पुरानी बस्ती	15
2.	तोपखाना देश	10
3.	मोदी खाना	4
4.	विश्वेश्वर जी	2
5.	सरहद	7
6.	घाटगेट	10
7.	रामचन्द्र जी	3
8.	तोपखाना हुजूरी	9
9.	गंगापोल	10
10.	हसनपुरा	4
11.	लक्ष्मी नगर	2
12.	अजमेर रोड़	22
13.	सोडाला	2
14.	22 गोदाम	2
15.	ज्योति नगर	1
16.	हवा सड़क	1
17.	सी स्कीम	1
18.	धूलेश्वर बाग	1
19.	लाल कोठी	1
20.	विवेकानन्द मार्ग	1
21.	टौंक फाटक	3
22.	बापू नगर	1
23.	गांधी नगर	1
24.	विश्वविद्यालय	1
25.	मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज	1
26.	दुर्गापुरा	1
27.	हवाई अड्डा	1
28.	मोती डूंगरी रोड	2
29.	आदर्श नगर	2
30.	तिलक नगर	1
31.	राजा पार्क	1

1	2	3
32.	अशोक चौक	1
33.	जनता कॉलोनी	2
34.	आगरा रोड़	1
35.	सेठी कॉलोनी	1
36.	आमागढ़	1
37.	घाट की गूनी	1
38.	जामरोली	1
39.	सिंधी कॉलोनी	2
40.	जवाहर नगर	3
41.	संसार चन्द्र रोड़	2
42.	हाथी बाब का बाग	1
43.	जोवनेर बाग	1
44.	स्टेशन रोड़	1
45.	गोपाल बाड़ी	2
46.	रेल्वे स्टेशन	1
47.	कबीर मार्ग	2
48.	संन कॉलोनी	1
49.	शास्त्रीनगर	5
50.	चौमू बस स्टैण्ड	1
51.	दांता हाऊस	1
52.	नाहरी का नाका	2
53.	सुभाष नगर	1
54.	पीतल फैक्ट्री	1
55.	शोपिंग सेन्टर	1
56.	नेहरू नगर	2
57.	लेबर कॉलोनी	1
58.	अम्बा बाड़ी	1
59.	ढेर का बालाजी	2
60.	विश्वकर्मा रोड़ नं. 1	1
61.	झोटवाड़ा	4

(ख) चीनी व अनाज की दुकान

1.	पुरानी बस्ती, ब्रह्मपुरी एवं सरहद	30
2.	रामचन्द्र जी	12
3.	गंगापोल	16
4.	तोपखाना देश	21
5.	मोदी खाना	5
6.	विश्वेश्वर जी	9
7.	घाटगेट	12

1	2	3
8.	तोपखाना हजूरी	12
9.	हवाली शहर गर्बी	82
10.	हवाली शहर जूनूबी	90

(ग) सीमेंट की दुकानें:—

1.	हवाली शहर गर्बी	28
2.	रामचन्द्र जी	1
3.	हवाली शहर जूनूबी	18
4.	तोपखाना हजूरी	1
5.	तोपखाना देश	4
6.	ब्रह्मपुरी	4
7.	विश्वेश्वर	4

(घ) कपड़े की दुकानें :—

1.	जयपुर-क्रय-विक्रय सहकारी समिति	43 से 67
2.	मैं. सचिवालय सहकारी उप. भण्डार	239 से 261
3.	राज. यूनिवर्सिटी. उप. भण्डार	297 से 321
4.	आडिट आफिस सह. उप. भण्डार	322 से 346
5.	आडिट आफिस सह. उप. भ.; बजाजनगर	349 से 351 एवं 162 से 183
6.	गांधी नगर सह. उप.भण्डार	273 से 294
7.	बस्सी सीताराम पुरा जनता दुकान उपभोक्ता संघ ।	347 से 348, 26 से 42, 81 से 82–ए; 83 से 87
8.	मोहन नगर उपभोक्ता संघ	184 से 199
9.	नोर्मल स्कूल उपभोक्ता संघ	1 से 25
10.	तोपखाना उपभोक्ता संघ	88 से 120
11.	लक्ष्मी नारायण पुरी उपभोक्ता संघ	68 से 82, 126 से 135
12.	जमना डेयरी सोडाला उपभोक्ता संघ	262 से 272
13.	हसनपुरा उपभोक्ता संघ	216 से 238, 121 से 125
14.	धन्नादास की बगीची उपभोक्ता संघ, (घाटगेट) ।	136 से 161
15.	वैस्टर्न रेल्वे एम्पलाईज कोप. सोसायटी	200 से 215

(ङ) लकड़ी के कोयले के डिपो की सूची:—

1. विभागीय विक्रय केन्द्र, झोटवाड़ा रोड़।
2. राज. वन श्रमिक सह. संघ, जयपुर चांदपोल बाजार।

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची

राष्ट्रीय ग्रामीण ईंधन वनारोपण योजना

मूल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जिले	चयनित जिले
1. जयपुर	1. जयपुर
2. उदयपुर	2. उदयपुर
3. अलवर	3. अलवर
4. भरतपुर	4. भरतपुर
5. भीलवाड़ा	5. भीलवाड़ा
6. अजमेर	6. अजमेर
7. बांसवाड़ा	7. बांसवाड़ा
8. सिरोही	8. झुन्झुनू (वर्ष 1981-82 में चयनित)।
9. टौंक	
10. झालावाड़	

216

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न सं. 19 की सूची

आबकारी आय माह अप्रेल, 1980 से नवम्बर, 1980 एवं 1981 तक का।

क्र. सं.	नाम जिला	अप्रेल, 1981 से नवम्बर, 1981 तक	अप्रेल, 1980 से नवम्बर, 1980 तक	अन्तर
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	17174066	5737700	11436366
2.	भीलवाड़ा	2927738	303305	2624433
3.	टोंक	1494804	447304	1047500
4.	भरतपुर	5765699	504 270	5261429
5.	अलवर	3127181	161121	2966060
6.	सवाई माधोपुर	1555389	358203	1197186
7.	धौलपुर	392222	78568	313654
8.	बीकानेर	5848695	1678764	4169931
9.	चूरू	1554280	234548	1319732
10.	नागौर	1479838	391880	1087958
11.	जयपुर व सचिवालय	61346732	34168969	27177763
12.	झुन्झुनू	2112072	196770	1913302
13.	सीकर	1533162	230807	1302355
14.	जोधपुर	12927502	4625989	8301513
15.	पाली	4157079	816209	3340870
16.	बाडमेर	2368757	1220735	1148022
17.	जैसलमेर	130429	66337	64092
18.	कोटा	12492286	3581348	8910938
19.	बून्दी	1122064	138218	983846
20.	झालावाड़	1013580	136786	876794
21.	श्रीगंगानगर	29901013	16129912	13771101
22.	उदयपुर	20452294 468524	5280838	15634984
23.	चित्तौड़	2065911	392642	167 3269
24.	बांसवाड़ा	79110	79062	48
25.	डूंगरपुर	142881	84296	58585
26.	जालोर	2016517	190043	1826474
27.	सिरोही	1578633	174512	1404121
	योग ..	197228458	77411136	119817322

मद्यनिषेध समाप्ति के पश्चात् चालू की गई देशी मदिरा के दुकानों की सूची—

क्रमांक	नाम जिला	दुकानों की संख्या
1	2	3
1.	जयपुर	134
2.	सीकर, झुन्झुनू	112
3.	अजमेर, टौंक व भीलवाड़ा	399
4.	भरतपुर, सवाई माधोपुर व अलवर	138
5.	बीकानेर, चूरू व नागौर	79
6.	श्री गंगानगर	27
7.	जोधपुर, पाली, जैसलमेर व बाड़मेर	131
8.	उदयपुर व चित्तौड़गढ़	311
9.	कोटा, बून्दी व झालावाड़	335
10.	जालौर व सिरोही	59
	कुल योग . . .	1,725

नोट:—जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में देशी मदिरा की दुकानें मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा चलायी जा रही हैं।

218

लिस्ट भारत निर्मित विदेशी मदिरा रिटेल ऑफ वर्ष 1981-82

क. स.	आवेदक का नाम/फर्म का नाम	स्थान जिसके लिये अनुज्ञप्ति चाही गई	जिला
1	2	3	4
	अजमेर, टोंक व भीलवाड़ा		
1.	श्री महादेव पुत्र कृपाल दास, श्रीमती धर्मीबाई पत्नी टोपनदास (मै. प्रकाश वाईन स्टोर, अजमेर) ।	अजमेर शहर	अजमेर
2.	श्री हरबंशसिंह पुत्र शेरसिंह, श्री सुरजीतसिंह पुत्र शेरसिंह (मै. गुडलक वाईन स्टोर, अजमेर)।	" "	" "
3.	श्री भावनदास पुत्र मोटूमल (मिलन वाईन स्टोर, अजमेर) ।	" "	" "
4.	श्री रामचन्द्र पुत्र टिल्लूमल, श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री हेमनदास श्री चन्द पुत्र मधाराम सिंधी (कराची वाईन स्टोर, अजमेर) ।	" "	" "
5.	श्री इन्द्रपालसिंह पुत्र जगतसिंह, श्री कुलदीपसिंह पुत्र जगतसिंह (नोवल्टी वाईन स्टोर, अजमेर) ।	" "	" "
6.	श्री जयकिशन पुत्र लालचंद (न्यू वाईन स्टोर, अजमेर) ।	" "	" "
7.	मैसर्स एम. आर. एण्ड संस, अजमेर	" "	" "
8.	श्री ईश्वरसिंह पुत्र प्रतापमल, श्रीमती ईशा पत्नी जवाहर (कमल वाईन स्टोर, अजमेर) ।	" "	" "
9.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र शंकरलाल टांक, श्री मानसिंह पुत्र भूरालाल (अजमेर वाईन स्टोर, अजमेर) ।	" "	" "
10.	श्री गुरबचनसिंह पुत्र ज्ञानचन्द, श्री पुरुषोत्तमसिंह पुत्र ज्ञानसिंह (सलूजा वाईन स्टोर, अजमेर) ।	" "	" "
11.	श्री ई. एन. कान्ट्रेक्टर पुत्र डी. एन. कान्ट्रेक्टर (फार्म वाईन स्टोर, अजमेर) ।	" "	" "
12.	श्री सत्य नारायण पुत्र जगदीश प्रसाद टांक, (अम्बिका वाईन स्टोर, मदनगंज) ।	मदनगंज [illegible]	अजमेर

1	2	3	4
13.	श्री उधवदास पुत्र रीझूमल सिन्धी (सिन्ध मेडिकल स्टोर्स, टोंक)।	टोंक	टोंक
14.	श्री तारनसिंह पुत्र सुन्दरसिंह, श्री जगजीतसिंह पुत्र इन्द्रसिंह (मै. माडर्न वाईन स्टोर, अजमेर)।	अजमेर	अजमेर
15.	श्री किशनचन्द पुत्र चनामल, अजमेर (मै. राजू वाईन स्टोर, अजमेर)।	"	"
16.	श्री घनश्यामदास पुत्र वलीराम, भीलवाड़ा (मै. वल्लभ स्टोर, भीलवाड़ा)।	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
17.	श्रीमती कान्ता देवी पत्नी दीपचन्द टांक, श्री बालूराम पुत्र रामधन (मै. कान्तादेवी-बालूराम, अजमेर)।	अजमेर	अजमेर
18.	श्री भंवरलाल पुत्र माधोलाल, अजमेर (शक्ति वाईन स्टोर, अजमेर)।	"	"
19.	श्री मंघाराम पुत्र पेशुमल सिन्धी, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
20.	श्री प्रेमचन्द पुत्र भंवरलाल श्रीमाल, श्री सत्यनारायण पुत्र छोटूलाल (श्रीमती वाईन स्टोर, अजमेर)।	अजमेर	अजमेर
21.	श्री अमरजीतसिंह पुत्र मनमोहनसिंह (अमर वाईन स्टोर, अजमेर)।	"	"
22.	श्री एम. जी. आत्मसिंह एण्ड संस, अजमेर (मेट्रो वाईन स्टोर, अजमेर)।	"	"
23.	श्री भंवरलाल पुत्र नन्दलाल टांक (मै. मून वाईन स्टोर, निवाई)।	निवाई	टोंक
24.	श्री मोहनलाल पुत्र किशनलाल, श्रीमती इन्द्रकुमारी पत्नी रामस्वरूप टांक (श्री अम्बिका वाईन स्टोर, मालपुरा)।	अजमेर	अजमेर
25.	श्री मनोहरसिंह दनक पुत्र श्री वश टांक (दुर्गा वाईन स्टोर, मालपुरा)।	मालपुरा	टोंक
26.	श्रीमती शांति देवी पत्नी भगवानदास (प्रीतम वाईन स्टोर, भीलवाड़ा)।	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा

220

1	2	3	4
27.	श्री अरविन्द कुमार पुत्र कन्यालाल, मदनगंज (किशनगढ़)	किशनगढ़	अजमेर
28.	श्री हरमानसिंह पुत्र बूटासिंह	ब्यावर	अजमेर
29.	श्री गुरुबचनसिंह पुत्र जयमलसिंह	ब्यावर	अजमेर
	[illegible]		
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र कल्याण सहाय श्रीमाल, सा. जयपुर (श्रीमाल ट्रेडिंग कारपोरेशन वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर नगर) ।	जयपुर शहर	जयपुर
2.	श्री घासी खां पुत्र पुसे खां (डायमण्ड वाईन स्टोर, स्टेशन रोड, जयपुर) ।	"	"
3.	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र शक्तिसिंह टांक, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी शक्तिसिंह टांक (नवीन वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
4.	श्री बदरूद्दीन पुत्र मांगीलाल (बीकानेर वाईन स्टोर, जयपुर नगर)।	"	"
5.	श्री हीरानन्द पुत्र नानूमल, श्री गिरधारीलाल पुत्र किशनचन्द (गुलमर्ग वाईन स्टोर, जयपुर नगर) ।	"	"
6.	श्री बिशनदास पुत्र रूपचन्द, श्री भागीराम पुत्र रूपचन्द सिन्धी (हिमालय वाईन स्टोर, जयपुर) ।	"	"
7.	श्रीमती विमला देवी पत्नी भागीराम सिन्धी (श्याम वाईन स्टोर, जयपुर नगर) ।	"	"
8.	श्री अनवर हुसैन पुत्र रहमत खां, एच. 62 मीरा मार्ग, जयपुर (खान ब्रदर्स, जयपुर नगर) ।	"	"
9.	श्री सुलेमान पुत्र मौलाबक्स (गोल्डन वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
10.	श्री गौरी शंकर पुत्र जयदेव, श्री संतोष कुमार पुत्र गौरी-शंकर (जयपुर वाईन एण्ड जनरल स्टोर्स, जयपुर) ।	"	"
11.	श्री अनुरेखा पुत्री रणवीर सिंह, हनुमान निवास बाग, शाहपुरा ।	शाहपुरा	जयपुर
12.	श्री संतोष पुत्र गौरी शंकर (जय वाईन स्टोर, जयपुर)	जयपुर	जयपुर

1	2	3	4
13.	श्री मोतीलाल पुत्र जयचन्दराम, सांगानेर, जि. जयपुर	सांगानेर	जयपुर
14.	श्री ईश्वरलाल पुत्र जेठानन्द (मै. अमर वाईन स्टोर्स, जयपुर)।	जयपुर	जयपुर
15.	श्री नारायण पुत्र हासूमल, 455, आदर्श नगर, जयपुर (कामिनी वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर)	जयपुर	जयपुर
16.	श्री बदरूद्दीन पुत्र करने खां (हैप्पी वाईन स्टोर, जयपुर)	जयपुर शहर	जयपुर
17.	श्री एस. पी. भल्ला पुत्र हरनामदास भल्ला, जयपुर (भल्ला वाईन कम्पनी, जयपुर)।	"	"
18.	श्री शंभूसिंह पुत्र राम सिंह (शिमला वाईन स्टोर, चांदी की टकसाल)।	"	"
19.	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल (गुडलक वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
20.	श्री मूलचन्द पुत्र गनामल (राना वाईन स्टोर एण्ड प्रोवीजन स्टोर, जयपुर)।	"	"
21.	श्री फूलचन्द पुत्र रामजीलाल, श्रीमती भंवरी पत्नी फूलचन्द टांक (जगदम्बा वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
22.	श्री बाबूलाल पुत्र अम्बालाल टांक (ओम वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर)।	"	"
23.	श्री राजुदीन पुत्र मांगीलाल (किंग वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
24.	श्री चिरंजीलाल पुत्र अम्बालाल टांक (मै. अम्बालाल वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर)।	"	"
25.	श्री नन्दलाल पुत्र कन्हैयालाल टांक (मै. इंगलिश वाईन एण्ड प्रोविजन स्टोर, जयपुर)।	"	"
26.	श्री ओम प्रकाश पुत्र लदाराम, श्री रमेश पुत्र लदाराम, श्री लदाराम पुत्र तोलाराम (मै. प्रकाश वाईन एण्ड प्रोविजनल स्टोर, जयपुर)।	"	"
27.	श्री गोपीकिशन पुत्र श्योबक्श विजयवर्गी (मै. क्वालिटी वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"

1	2	3	4
28.	श्री दामोदर लाल पुत्र घासीलाल श्री लालचन्द पुत्र माधलाल (मै. इंगलिश वाईन एण्ड जनरल स्टोर, शाहपुरा (जयपुर) ।	शाहपुरा	जयपुर
29.	श्री मुनीर खां पुत्र परीवश (मै. अरावली वाईन, जयपुर)	जयपुर शहर	जयपुर
30.	श्री गोपीचन्द पुत्र रामचन्द्र टोंक, सांभर (मै. इंगलिश वाईन स्टोर, सांभर) ।	सांभरलेक	"
31.	श्री चम्पीलाल पुत्र भंवरलाल, श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरूलाल (मै. टूरिस्ट वाईन पेलेस, आमेर)	आमेर	"
32.	श्री बज मोहन पुत्र कोजीलाल, जयपुर (न्यू फ्रेन्ड्स वाईन एण्ड जनरल स्टोर) ।	जयपुर शहर	"
33.	श्री मकुट पुत्र नन्दलाल टोंक (मै. नंदराज वाईन्स, जयपुर)	"	"
34.	धनराजमल पुत्र पोकरदास (मै. नागपाल वाईन्स, जयपुर	"	"
35.	श्री कन्हैयालाल पुत्र घासीलाल टोंक (मै. राजस्थान वाईन स्टोर, जयपुर) ।		"
36.	श्री दर्शन पुत्र वेन्मी मल, जयपुर (मै. दर्शन वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर) ।	"	"
37.	श्री प्रभुदास पुत्र हासूमल, श्री रामचन्द्र पुत्र प्रभुदास, जयपुर (मै. बावल वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर)	"	"
38.	श्री रियाल अहमद पुत्र फजूखां, जयपुर (पंवार वाईन स्टोर, जयपुर) ।	"	"
39.	श्री मदनलाल पुत्र किशनदास साहनी, सा. दौसा (मै. साहनी वाईन स्टोर) ।	दौसा	जयपुर
40.	श्री कुन्दनदास पुत्र जीवनराम केसवानी (मै. बोम्बे वाईन स्टोर, जयपुर) ।	जयपुर शहर	जयपुर
41.	श्री गुरु तेजसिंह पुत्र प्रेमसिंह, जयपुर (दिल बहार वाईन सेन्टर, जयपुर) ।	जयपुर शहर	जयपुर
42.	श्री हसन खां पुत्र समसु खां, मुसलमान (मै. अंगेलो वाईन, जयपुर)	जयपुर शहर	जयपुर

223

1	2	3	4
43.	श्री ईश्वर सहाय पुत्र बनवारीलाल शर्मा, श्री कृष्ण कुमार पुत्र ईश्वरसहाय, श्री अरविन्द सहाय पुत्र ईश्वर सहाय (मै. कैपिटल वाईन्स, जयपुर)।	जयपुर शहर	जयपुर
44.	श्री हरीशंकर पुत्र गुलाब चन्द (जे. जे. वाईन एण्ड प्रोविजन स्टोर, जयपुर)।	"	"
45.	श्री रघुवीर शरण पुत्र सुगनलाल पुरोहित (मै. पुरोहित वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
46.	श्री जयनारायण पुत्र हरि नारायण श्रीमाल (मै. श्रीमाल वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर)।	"	"
47.	श्री बंशीधर पुत्र कन्हैया लाल, जयपुर (मै. बंशी वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
48.	श्री रिझमल पुत्र थावरदास सिंधी, जयपुर (मै. तमिल वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर)।	"	"
49.	श्री दलीपकुमार पुत्र सुन्दरदास, श्री रामचन्द्र पुत्र गेऊमल (राजन वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
50.	श्री रमेश चन्द्र सेठी पुत्र जगतराम सेठी (मै. सेठी वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर)।	"	"
51.	श्रीमती गोमती देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण, श्री प्रवीण-कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण (मै. हाजीगुड वाईन एण्ड जनरल स्टोर, जयपुर)।	"	"
52.	श्री गोविन्द नारायण पुत्र भंवरलाल दुसाद श्री गंगा-शरण पुत्र भंवरलाल दुसाद, श्रीमती विमा पत्नी गोविन्द लाल (मै. वाईन सेन्टर, जयपुर)।	"	"
53.	श्री रामगोपाल पुत्र जगन्नाथ टॉक, श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी भोगागचन्द (मै. फ्रेन्डस वाईन, जयपुर)।	"	"
54.	श्रीमती मीना महलावत पुत्र विजेन्द्र सिंह (यूनियन वाईन स्टोर, जयपुर)।	"	"
55.	श्री ज्ञान चन्द पुत्र ताराचन्द, नि. जयपुर।	"	"

1	2	3	4
56.	श्री परसराम पुत्र मंगाराम, जयपुर	जयपुर शहर	जयपुर
57.	श्री राम किशन पुत्र श्योबक्श मोदी, जयपुर	,,	,,
	(,,)	,,	,,
58.	श्री हीराचन्द पुत्र खेमचन्द) (कमल वाईन स्टोर, जयपुर	,,	,,
59.	श्री रामलाल पुत्र नानगराम श्री राम बक्स पुत्र नानगराम मोदी, सा. तेलीवाडा (चौड़ा रास्ता), जयपुर	कोटपूतली	,,
60.	श्रीमति पुष्पादेवी पुत्र धन्नाराम गंगापोल, जयपुर	जयपुर शहर	जयपुर
61.	श्री जयराम पुत्र ईश्वरदास, (मैं. जयराम एण्ड संस, जयपुर)।	,,	,,
62.	श्री बदरुद्दीन पुत्र मन्नूखां श्री मुनीर खां पुत्र जान मोहम्मद, दूदू।	दूदू	जयपुर
63.	श्री निवाजअली पुत्र गनी खां	कोटपूतली	जयपुर
64.	श्री घनश्याम पुत्र लक्ष्मी नारायण	बांदीकुई	जयपुर
65.	श्रीराजेन्द्र कुमार पुत्र गोविन्द नारायण,	जयपुर	जयपुर
	झुन्झुनू झुन्झुनू		
1.	श्रीमती रोशनीदेवी पत्नी फैजूखां (हसनावत वाईन एण्ड जनरल स्टोर, खेतड़ी)।	खेतड़ी	झुन्झुनू
2.	श्री मनीर खां पुत्र अजमेरी खां, श्री मुमताज अली पुत्र नजीर खां (ताज वाईन स्टोर्स, खेतड़ीनगर)	खेतड़ीनगर	झुन्झुनू
3.	श्री भंवर खां पुत्र फैजू खां (शर्मा वाईन एण्ड जनरल स्टोर्स, खेतड़ीनगर)	,,	,,
4.	श्री शोभामल पुत्र नवलमल सीकर (मैं. शोभामल, जयपुर वाईन स्टोर, सीकर)	सीकर	सीकर
5.	श्री पुरुषोत्तम लाल पुत्र सकन्दराम पंजाबी, सा. नीमका थाना (मैं. पंजाबी इंगलिश वाईन एण्ड जनरल स्टोर, नीमकाथाना)	नीमकाथाना	सीकर

(225)

1	2	3	4
6.	श्री छोटेलाल पुत्र भैरूंलाल, चिड़ावा, जिला झुन्झुनू	चिड़ावा	झुन्झुनू
7.	श्री गुलाब चन्द पुत्र तेजपाल (तेजपाल वाईन एण्ड प्रोविजनल स्टोर, सीकर)।	सीकर	सीकर
8.	श्री महावीर प्रसाद पुत्र झब्बूराम, श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद (कारुडिया वाईन स्टोर, सूरजगढ़)	सूरजगढ़	झुन्झुनू
9.	श्री गणपतराम पुत्र नाथाराम, वार्ड नं. 23, सीकर (,, ,,)।	सीकर	सीकर
10.	श्री प्रेसीडेन्ट, कोपर कल्ब, खेतड़ीनगर	खेतड़ीनगर	झुन्झुनू
11.	श्री प्रवेश कुमार पुत्र शिवलाल, रींगस ( )	रींगस	सीकर
12.	श्री बाबूलाल पुत्र जोहरी मल, श्री पवन कुमार पुत्र जोहरीमल (गुप्ता वाईन स्टोर, पिलानी)।	पिलानी	झुन्झुनू
	भरतपुर, सवाई माधोपुर व अलवर		
1.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र रामनारायण (जगदीश वाईन स्टोर्स, महुवा)	महुवा	सवाईमाधोपुर
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र प्रहलाद राय सोनी	पिलानी	झुन्झुनू
	श्री शिवभान पुत्र तेजभान (शिव वाईन स्टोर, अलवर)	अलवर	अलवर
3.	श्री लीलाराम पुत्र नीताराम, श्रीमती शांतिदेवी पुत्री तेजभान (मदन वाईन स्टोर्स, अलवर)	,,	,,
4.	श्री लीलाराम पुत्र नीताराम, अलवर (मै. लीलाराम एण्ड संस, बहरोड़)	बहरोड़	अलवर
5.	श्री प्यारेलाल पुत्र मनस्या राम, श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र किशनलाल, भरतपुर (,,)	भरतपुर	भरतपुर
6.	श्री यशवेन्द्र सिंह पुत्र शिवचरण सिंह, श्री कैलाशचन्द्र पुत्र उदयचन्द जैन (,, ,,)	कामोंली	भरतपुर
7.	श्री वेद प्रकाश मलिक (मालिक गोविन्द राम वेद प्रकाश, अलवर)	अलवर	अलवर

1	2	3	4
8.	श्री प्रेम प्रकाश पुत्र मदनलाल शर्मा (प्रेम वाईन स्टोर, हिण्डौन सिटी)।	हिण्डौनसिटी	भरतपुर
9.	श्री पदमसिंह पुत्र रतनसिंह, श्री ब्रजबसिंह पुत्र बलरामसिंह (जितेन्द्र इंगलिश वाईन एण्ड जनरल प्रोविजन स्टोर, भरतपुर)।	भरतपुर	भरतपुर
10.	श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र किशनलाल (मै. गुप्ता वाईन एण्ड जनरल स्टोर, भरतपुर)।	"	"
11.	श्री शिवचरणलाल पुत्र रामदयाल (मै. इंगलिश वाईन स्टोर, धौलपुर)।	धौलपुर	भरतपुर
12.	श्री सुरेशचन्द पुत्र बाबूलाल (मै. भरतपुर वाईन स्टोर, भरतपुर)	भरतपुर	भरतपुर
13.	श्री अनिल कुमार पुत्र कन्हैयालाल, श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्यामगोपाल (मै. टांक वाईन स्टोर, केलादेवी)।	केलादेवी	सवाईमाधोपुर
14.	श्रीमती भगवती देवी पत्नी भागीरथ टांक (मै. भगवती वाईन एण्ड जनरल स्टोर, हिण्डौन)	हिण्डौन	" "
15.	श्री किशनलाल पुत्र ज्वालाप्रसाद (मै. महाजन वाईन स्टोर, भरतपुर)	भरतपुर	भरतपुर
16.	श्री मानसिंह पुत्र भगवानदास (मै. हरीदास वाईन स्टोर, भरतपुर)	"	"
17.	श्री बाबूलाल पुत्र मावलिगाराम, धौलपुर (बाबूलाल भगवानदास, भरतपुर)।	धौलपुर कोठी	भरतपुर
18.	श्रीमती सुमित्रादेवी पत्नी प्रेमचन्द (जुनेजा वाईन स्टोर, गंगामंदिर, भरतपुर)	भरतपुर	भरतपुर
19.	श्री कन्हैयालाल पुत्र बाबूलाल (मै. कन्हैयालाल इंगलिश वाईन स्टोर) चोपड़ागेट, धौलपुर।	चोपड़ागेट	"
20	श्री जगदीशचन्द पुत्र रोशनलाल (मै. फ्रन्टियर वाईन स्टोर, भरतपुर)	भरतपुर	भरतपुर

1	2	3	4
21.	श्री किशनलाल पुत्र ज्वालाप्रसाद, भरतपुर (किशनलाल अशोककुमार-इंगलिश वाईन मर्चेन्ट, भरतपुर) ।	भरतपुर	भरतपुर
22.	श्रीमती मीना देवी पत्नी रामनिवास टॉक, श्री नन्द लाल पुत्र कल्याणबक्ष टांक	स्टे. बजरिया	सवाई-माधोपुर
23.	श्री अमरसिंह पुत्र गोमतीलाल, श्रीमती मोतीदेवी पत्नी गोमतीलाल (कटारा वाईन स्टोर, बयाना)	बयाना	भरतपुर
24.	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी रतनसिंह श्री रामजी लाल पुत्र शंकरलाल (मै. चौधरी वाईन एण्ड जनरल स्टोर, गंगापुरसिटी)	गंगापुरसिटी	सवाई-माधोपुर
25.	श्री ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल (मै. ओमप्रकाश इंगलिश वाईन, कामां)	कामां	भरतपुर
26.	श्री प्रेमलाल पुत्र जेवरराम महाजन, डीग (मै. प्रेमलाल गिर्राज प्रसाद, डीग)	डीग	,,
27.	किरोड़ीमल पुत्र नारायणदास, भरतपुर (भरतपुर जनरल वाईन स्टोर, भरतपुर)	भरतपुर	,,
28.	श्री दिनेश शर्मा पुत्र किसनलाल, श्री बृजेन्द्र बिहारी पुत्र पूरनमल	राजगढ़	अलवर
29.	श्री रामगोपाल पुत्र जगनाथ, सा. सवाई माधोपुर	भरतपुर	भरतपुर
30.	श्री किरोड़ीलाल पुत्र कुंजीलाल, श्री फतहसिंह पुत्र कुंजीलाल (किरोड़ीलाल फतेहसिंह इंगलिश वाईन स्टोर, खेडली)	खेडली	अलवर
31.	श्री भगवत स्वरूप भार्गव, नि. अलवर	अलवर	अलवर
32.	श्री नंदलाल पुत्र कल्याणबक्ष, श्रीमती विमला देवी पत्नी रामनिवास टांक	बजरिया	सवाई माधोपुर
	जालोर व सिरोही		
1.	श्री मोहनलाल पुत्र मीठालाल, जालोर (मै. एम.एम. इंगलिश वाईन स्टोर, जालोर)	जालोर	जालोर

228

1	2	3	4
?	मै. सिरोही प्रोविजन स्टोर, सिरोही	सिरोही	सिरोही
?	मै. मोतीचन्द एण्ड संस, सिरोही	"	"
4.	मै. गोरीलाल पुत्र बद्रीनारायण अग्रवाल, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
5.	मै. ताराचन्द नेनमल, आबूरोड	आबूरोड	सिरोही
	कोटा, बूंदी व झालावाड़		
1.	श्री जसवन्त कुमार पुत्र श्यालूराम, श्री हीरालाल पुत्र दयाराम मसन्द (मै.मसन्द वाईन स्टोर, कोटा)।	कोटा शहर	कोटा
2.	श्री टी.आर. साहनी पुत्र मूलराज सहानी (टी.आर. साहनी वाईन स्टोर्स, कोटा)।	"	"
3.	श्री अमीरचन्द पुत्र तोलाराम बारां (आहूजा वाईन स्टोर, बारां)।	बारां	कोटा
4.	श्री अशोक भाटिया पुत्र बी.एम. भाटिया, श्री प्रेम जे. भाटिया पुत्र जे.सी. भाटिया (भाटिया वाईन स्टोर, कोटा)।	कोटा	कोटा
5.	श्री हरभगवान पुत्र मूलराज सहानी (सहानी वाईन स्टोर, सब्जीमण्डी, कोटा)	"	"
6.	श्री टी.आर. सहानी पुत्र मूलराज साहनी, श्री सत्यवान साहनी पुत्र टी.आर. सहानी व श्री सुधीर कुमार पुत्र टी. आर. साहनी (मै. पंजाब वाईन स्टोर, कोटा)।	"	"
7.	श्री आशाराम पुत्र हीरानन्द, श्रीमती दर्शना देवी पत्नी आर.एन. गुप्ता (मै. कोटा वाईन स्टोर, कोटा)।	कोटा	कोटा
8.	श्री किशन डी. भाटिया पुत्र स्व. धर्मराज, श्री एन. डी. भाटिया पुत्र स्व. धर्मराज (मै. गोपाल वाईन स्टोर, कोटा)।	"	"
9.	श्री सत्यवान साहनी पुत्र टी.आर. साहनी, श्री सुधीर साहनी पुत्र टी.आर. साहनी व श्री पुरुषोत्तम लाल पुत्र महेन्द्रचन्द (मै. एस. साहनी वाईन स्टोर, कोटा)।	कोटा	कोटा

1	2	3	4
10.	श्री फ़ामजी श्री रामजी फारसी, कोटा	कोटा	कोटा
11.	श्री कृपाराम पुत्र तुलसीराम 4-प.31, विज्ञान नगर, कोटा।	रामगंजमण्डी	कोटा
12.	श्री जेठानन्द पुत्र परचामल, कोटा (सिन्ध वाईन स्टोर, कोटा)।	कोटा	कोटा
13.	श्रीमती ईश्वरी भाटिया पत्नी वी.एम. भाटिया, श्रीमती पार्वती उर्फ द्रोपदी भाटिया पत्नी जे.सी.भाटिया (महाराजा वाईन स्टोर, कोटा)	कोटा	कोटा
14.	श्री कविराजा महीपतसिंह पुत्र कोटा।	कोटा	कोटा
15.	श्री मदनलाल व दिनेश कुमार	भवानीमंडी	झालावाड़
	गंगानगर		
1.	श्री जनकलाल पुत्र गुरदित्ताराम, सूरतगढ़	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर
2.	श्री नरेन्द्रनाथ पुत्र कस्तूरीलाल, श्रीमती कमलावन्ती पत्नी कस्तूरीलाल (भट्टा वाईन स्टोर, श्रीगंगानगर)।	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
3.	श्री सोमप्रकाश पुत्र बनारसीदास, नि. हनुमानगढ़ जंक्शन	मण्डी पीलीबंगा	श्रीगंगानगर
4.	श्री मूलचन्द पुत्र ईश्वरदास सिन्धी, नि. नोहर, जिला श्रीगंगानगर।	नोहर	" "
5.	श्री गोपालदास पुत्र रतुराम, नि. हनुमानगढ़ जं., जिला श्रीगंगानगर।	हनुमानगढ़	" "
6.	श्री हनीफ मोहम्मद पुत्र चिरागदीखां, नि. हनुमानगढ़ जं.	हनुमानगढ़ टाउन	" "
7.	श्री रेलमल पुत्र निहालचन्द, नि. भादरा, जिला श्रीगंगानगर।	भादरा	" "
8.	श्री मनोहरलाल पुत्र सोहनलाल अग्रवाल, सा. शार्दुलशहर।	शार्दुलशहर	" "
9.	श्री खेराजी राम पुत्र राजाराम 374 विनोबा बस्ती, श्री गंगानगर	" "	" "

1	2	3	4
10.	श्री गुलाब रसूल पुत्र अकबर खां, सा. हनुमानगढ़ टाऊन।	हनुमानगढ़ टाऊन	श्री गंगानगर
11.	श्री देवेन्द्रसिंह पुत्र हरचरणसिंह, श्री प्रीतमसिंह पुत्र हरचरणसिंह, नि. 170 ब्लाक, श्री गंगानगर।	श्रीगंगानगर	" "
12.	श्री अवतारसिंह पुत्र चरणसिंह, नि. 402 विनोबा बस्ती।	" "	" "
13.	श्री रहमत खां पुत्र चांद खां, सा. सूरतगढ़।	सूरतगढ़	" "
14.	श्री मोहम्मद दीन पुत्र सुलेमान खां, नि. हनुमानगढ़ टाऊन	हनुमानगढ़ टाऊन	" "
15.	श्री अशोक कुमार पुत्र मुकुन्द लाल, नि. हनुमानगढ़ टाऊन	" "	" "
16.	श्री कृष्ण कुमार पुत्र तेजराम, साकिन भादरा, जिला श्रीगंगानगर	भादरा	श्रीगंगानगर
17.	श्री ओम प्रकाश पुत्र विश्वंभर दास, साकिन हनुमानगढ़ जंक्शन, श्री कानसिंह पुत्र भागचंद, नि. भादरा	हनुमानगढ़ जंक्शन	" "
18.	श्री फतेह मोहम्मद पुत्र अशरफ अली, नि. पीलीबंगा	पीलीबंगा	श्रीगंगानगर
19.	श्री मांगे खां पुत्र जीवन खां, नि. भादरा,	भादरा	"
20.	श्री वेदप्रकाश पुत्र जगतराम सेठी, नि. श्रीगंगानगर,	श्रीगंगानगर	"
21.	श्री बलवन्तसिंह पुत्र किशनसिंह एण्ड कं., गोलूवाला, जिला श्रीगंगानगर।	गोलूवाला	"
22.	श्री भगवानदास पुत्र उतरनामल, सा. नोहर	नोहर	"
23.	श्री कस्तूरीलाल ताराचंद, नि. गंगानगर	हनुमानगढ़ जंक्शन	"
24.	श्री प्रेमकुमार पुत्र रामलाल, श्री रामलाल पुत्र सतरामदास, सा. शादुलशहर	शादुलशहर	"

1	2	3	4
25.	श्री राजकुमार पुत्र सरनदास, सा. पदमपुर	पदमपुर	श्री गंगानगर
26.	श्री रामरखामल पुत्र चितराम, नि. गंगानगर	श्रीगंगानगर	"
27.	श्री माहबलाल पुत्र बृजलाल, श्री जगनन्दनसिंह पुत्र बगरसिंह, नि. शादुलशहर ।	शादुलशहर	"
28.	श्री अमरजीतसिंह पुत्र उत्तमसिंह, श्री मनजीतसिंह पुत्र उत्तमसिंह, केसरीसिंहपुर ।	केसरीसिंहपुर	"
29.	श्रीमती विमला देवी पत्नी ओमप्रकाश, सा. विजयनगर ।	विजयनगर	"
30.	श्री विमल कुमार पुत्र राजकुमार, सा.पदमपुर ।	श्रीगंगानगर	"
31.	श्री पन्नेराज पुत्र तीर्थराम खत्री, श्री लालचन्द पुत्र भगवानदास अरोड़ा, नि. श्रीगंगानगर ।	"	"
32.	श्री खेरातीराम पुत्र राजाराम खत्री, श्रीगंगानगर	"	"
33.	श्री कमल किशनसिंह पुत्र गुजरसिंह, नि. संगरिया	संगरिया	"
34.	श्री ताराचन्द पुत्र गुरुदिताराम, श्री अशोक कुमार पुत्र ताराचन्द, सा अनूपगढ़ ।	अनूपगढ़	"
35.	श्री ताराचन्द पुत्र किशनचन्द, सा श्री गंगानगर	श्रीगंगानगर	"
36.	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र छगनलाल, श्रीगंगानगर	"	"
37.	श्री कस्तूरीलाल पुत्र सुन्दरदास, श्री ताराचन्द पुत्र किशनचन्द व श्रीमती गंगादेवी पत्नी मोहनलाल, सा. श्री गंगानगर ।	श्रीगंगानगर	"
38.	श्री अमरदास पुत्र लालचन्द, श्री दर्शनलाल पुत्र अमरदास, सा. श्री गंगानगर।	"	"
39.	श्री दुर्गासिंह पुत्र किशनसिंह, सा अनूपगढ़	अनूपगढ़	"

1	2	3	4
40.	श्री गुरदयाल सिंह पुत्र रामसिंह, सा. जेतसर, श्री गुरुबच्चनसिंह पुत्र ज्वालासिंह, सा. जेतसर।	जेतसर	श्री गंगानगर
41.	श्री गफूर खां पुत्र नत्थू खां, नि. नोहर, जिला श्रीगंगानगर	रावतसर	"
42.	श्री गलजारी लाल पुत्र चड़ाराम, श्री शंकरलाल पुत्र चिरंजीलाल व श्री बाघराज पुत्र गुलजारीलाल।	पदमपुर	"
43.	श्री किशनदास पुत्र लालदास, श्री प्रभुदयाल पुत्र रामदास, नि. पदमपुर	पदमपुर	"
44.	श्री अमरनाथ पुत्र रलाराम, साकिन रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	"
45.	श्रीमती संतोषबाला पत्नी रमेशचन्द्र सेठी (सेठी वाईन स्टोर, श्रीगंगानगर)।	श्रीगंगानगर	"
46.	श्री ओम प्रकाश पुत्र [illegible] रामल, श्री गोपालदास पुत्र नन्दलाल, साकिन श्रीगंगानगर•	विजयनगर	"
47.	श्री शंकर खां पुत्र अलादीन खां, नि. हनुमानगढ़ टाउन।	हनुमान टाउन	"
48.	श्री शिव भगवान पुत्र मोहनलाल, नि., संगरिया	संगरिया	"
49.	श्री मगनसिंह पुत्र रामसिंह, श्री सुल्तान सिंह, लाधूराम, श्री सहीराम पुत्र लेखराम, हनुमानगढ़ टाऊन।	हनुमानगढ़ टाऊन	"
50.	श्री किशोरीदास पुत्र अमरदास (स्पेन्सर वाईन स्टोर, श्री गंगानगर)।	श्रीगंगानगर	"
51.	श्री विमल कुमार पुत्र राज कुमार, सा. पदमपुर	पदमपुर	"
52.	श्री रामलाल पुत्र हरभगवान खत्री, श्री सरवण राम पुत्र हरभगवान खत्री, नि. करणपुर•	करणपुर	"
53.	श्री रामरतन पुत्र मोतीराम, सा. रावतसर, जिला गंगानगर	रावतसर	"
54.	श्री प्रदीप कुमार नरेन्द्र कुमार	पीलीबंगा	"

233

1	2	3	4
55.	श्री ओम प्रकाश, दुर्गादेवी, शान्ति देवी एवं वेद प्रकाश	अनुपगढ़	श्री गंगानगर
56.	श्रीमती रघुवीर कौर पत्नी गुरदीप सिंह	रायसिंहनगर	"
57.	श्रीमती बलवन्त कौर पत्नी ठेलूराम	श्रीकरणपुर	"
58.	श्री मोहनलाल पुत्र चानणराम	संगरिया	"
59.	राजेन्द्र कुमार पुत्र गौरी शंकर	"	"
	बीकानेर		
1.	श्री जमालदीन पुत्र कालू खां, श्री रमजान अली पुत्र दूद खां, सा, बीकानेर (वाईन एण्ड बीयर स्टोर, बीकानेर)	बीकानेर	बीकानेर
2.	श्री अनवरअली पुत्र करने खां, श्रीमती सायरा बेगम पत्नी बदरू खां, सा. बीकानेर ।	बीकानेर	बीकानेर
3.	श्री शकरू खां पुत्र गुलाब खां, श्री चन्दन खां पुत्र भूरेखां, सा. बीकानेर (मै. बीकानेर इंगलिश वाईन स्टोर, बीकानेर) ।	बीकानेर	बीकानेर
4.	श्री फतेहमोहम्मद पुत्र सुल्तान खां चोपदार, सा. रतनगढ़, जिला चूरू ।	लूणकरणसर	बीकानेर
5.	श्री भंवरखां पुत्र हुसैनखां, सा. बीकानेर, श्री मोहन खां पुत्र हुसैनखां, सा. बीकानेर (मै. रूबी वाईन स्टोर, बीकानेर) ।	बीकानेर	बीकानेर
6.	श्री यासीनखां, पुत्र शकरूखां, सा. बीकानेर (मै. लोपल वाईन स्टोर, बीकानेर) ।	"	"
7.	श्री बदरु खां पुत्र मालूखां, सा. बीकानेर, श्री मोहनलाल पुत्र रेलूमल, सा. बीकानेर (मै. राजहंस वाईन स्टोर, बीकानेर)	"	"
8.	श्री हुसैन खां, पुत्र कालू खां, सा. बीकानेर, श्री इमामुदीन पुत्र हुसैन खां, सा. बीकानेर (मै. लक्की वाईन स्टोर, बीकानेर) ।	बीकानेर	बीकानेर
9.	श्री नजीरखां, पुत्र शकरू खां, सा. बीकानेर, श्री जान मोहम्मद पुत्र शकरूखां, सा. बीकानेर (मै. राजस्थान इंगलिश वाईन स्टोर, बीकानेर) ।	"	"

234

1	2	3	4
10.	श्री बीरबल पुत्र नजीर खां, सा. बीकानेर । (मैं. राजा इंगलिश वाईन स्टोर, नागौर)	नागौर	बीकानेर
11.	श्री नूर मोहम्मद पुत्र दीने खां, सा. बीकानेर, श्री मुमताज खां पुत्र गफूर खां, सा. बीकानेर । (मैं. पंवार इंगलिश वाईन एण्ड बीयर स्टोर, बीकानेर)	बीकानेर	बीकानेर
12.	श्री कमरूदीन पुत्र दूलेखां, नि. राजगढ । (मैं. राजस्थान इंगलिश वाईन स्टोर, चूरू)	चूरू	बीकानेर
13.	श्री बाबू लाल पुत्र भंवर खाँ, श्री मूगे खां पुत्र चिमने खां व श्री करणदिवान पुत्र महमूद खां । (दीवान इंगलिश वाईन स्टोर, बीकानेर)	बीकानेर	बीकानेर
14.	श्री बदरूदीन पुत्र कमरू दीन नागरा, सा. राजगढ़ (चूरू) (मैं. बदरूदीन इंगलिश वाईन स्टोर, राजगढ़)	चूरू	चूरू
15.	श्री करणे खां पुत्र दुले खां सा. राजगढ, जाति नागरा । (मैं. करणे खां इंगलिश वाईन स्टोर, राजगढ़)	राजगढ़	,,
16.	श्री गनीखां पुत्र दीने खां चोपदार, सा. चाडवास (गनीखां इंगलिश वाईन स्टोर, सुजानगढ़)	सुजानगढ़	,,
17.	रामलाल पुत्र गंगाराम सा. बीकानेर। (मरूधर इंगलिश वाईन स्टोर, छतरगढ़)	छतरगढ़	बीकानेर
18.	श्रीमति रोशनी बेगम पत्नि हुसैनखां, सा. रतनगढ़ । (मलीन वाईन स्टोर, रतनगढ़)	रतनगढ़	चूरू
19.	श्री सुल्तान खां पुत्र शकरू खां ।	बीकानेर	बीकानेर
20.	श्री आसीन मोहम्मद पुत्र खुदावक्ष चौपदार, बीकानेर	नागौर	बीकानेर
	उदयपुर		
1.	श्री वासुदेव पी. बीजवानी, श्री भगवानदास सी चुग, बापू बाजार, उदयपुर । (ग्रीन वाईन स्टोर, बापू बाजार, उदयपुर)	उदयपुर शहर	उदयपुर
2.	श्री गंगाराम पुत्र वातमल सिंधी, नि. चितौड़गढ ।	चितौड़गढ	चितौड़गढ
3.	श्री घनश्याम पुत्र दुल्हनाराम खतुरिया	उदयपुर	उदयपुर

1	2	3	4
4.	श्री योगेश चन्द्र पुत्र पुरूषोत्तम शर्मा (मै. पेरीश वाईन स्टोर, चितौड़गढ़)।	चितौड़गढ़	चितौड़गढ़
5.	श्री उदयलाल पुत्र अम्बा लाल दोषी, श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र उदयलाल व श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र उदयलाल (लन्दन स्टोर, उदयपुर)	उदयपुर शहर	उदयपुर
6.	श्री जयपाल दास पुत्र भागूमल जी सिन्धी, सा. उदयपुर	"	"
7.	श्री भगवत सिंह पुत्र सरदारसिंह जी, सिक्ख कालोनी, उदयपुर	"	"
8.	श्री ओम प्रकाश पुत्र रेलूमल सिन्धी, सा. उदयपुर	"	"
9.	श्री गोविन्दलाल पुत्र कालाराम, नि. रावतभाटा	रावतभाटा	चितौड़गढ़
10.	श्री भोपालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह सोलंकी, नि. बड़ोला माधोसिंह, तहसील निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	चितौड़गढ़
11.	श्री मनोहरलाल पुत्र किशनचन्द, श्री हरिश कुमार पुत्र कन्हैयालाल, सा. उदयपुर (गोल्डन वाईन स्टोर, उदयपुर)	उदयपुर	उदयपुर
12.	श्री ओम प्रकाश पुत्र सखी दीनामल, सा. उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर
13.	श्री गोपालदास पुत्र उदाराम, जाति त्रिलोची, श्री छबीलादास पुत्र उदाराम, जाति त्रिलोची, सा. चितौड़गढ़।	चितौड़गढ़	चितौड़गढ़
14.	श्री जगदीश लाल पुत्र रतनलाल राठौड़, नि. प्रतापगढ़।	प्रतापगढ़	चितौड़गढ़
15.	श्री करतार सिंह पुत्र हरिसिंह, सा. प्रतापगढ़।	प्रतापगढ़	चितौड़गढ़
16.	श्री बाबूलाल पुत्र मूलचन्द, श्री बसन्ती लाल पुत्र मूलचन्द, सा. उदयपुर।	उदयपुर	उदयपुर
	जोधपुर		
1.	श्रीमति कमला देवी पत्नि मोहनलाल (जालोर इंगलिश वाईन स्टोर, जालोर)	जोधपुर शहर	जोधपुर

1	2	3	4
2.	श्रीमति कस्तूरी देवी पत्नि भैरूलाल कलाल, सा. पाली। (मै. महेश इंगलिश वाईन स्टोर, पाली)	पाली शहर	पाली
3.	श्री रामनारायण पुत्र घनराज, सा. पाली। (गिरधर वाईन स्टोर, पाली)	सुमेरपुर	पाली
4.	श्रीमति जडाव देवी पत्नि नारायण लाल कलाल, सा. जैतारण (मै. जगदम्बा इंगलिश वाईन स्टोर, जैतारण)।	जैतारण	,,
5.	श्री मगन बिहारी लाल पुत्र व्रज बिहारी लाल, सा. जोधपुर (मै. मोडर्न वाईन स्टोर, जोधपुर)।	जोधपुर	जोधपुर
6.	श्रीमति कमला देवी पत्नि लक्ष्मणदास (लक्ष्मी वाईन स्टोर, बाड़मेर)।	बाड़मेर	बाड़मेर
7.	श्री इन्द्रदास पुत्र जमनदास बीरवानी (बीरवानी वाईन स्टोर, जोधपुर)	जोधपुर	जोधपुर
8.	श्रीमति कौशल्या देवी पत्नि श्री मांगीलाल, बिलाड़ा।	बिलाड़ा	,,
9.	श्रीमति चन्द्रा देवी पत्नि भंवरलाल, जोधपुर।	जोधपुर	,,
10.	श्रीमति रोशनीदेवी पत्नि बीरवल, जोधपुर।	,,	,,
11.	श्रीमति भंवरी देवी पत्नि हस्तीमल कलाल (मै. जगदम्बा वाईन स्टोर, जोधपुर)।	,,	,,
12.	श्रीमति पुष्पादेवी पत्नि जगदीश लाल तलवार, सा. जोधपुर (मै. गंगानगर वाईन स्टोर, जोधपुर)।	,,	,,
13.	श्रीमति पुष्पादेवी पत्नि भीकमचन्द, श्रीमति श्यामा देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार, सा. जोधपुर।	,,	,,
14.	श्री पन्नालाल पुत्र मकनलाल परिहार (मै. परिहार इंगलिश वाईन स्टोर, जोधपुर)।	,,	,,
15.	श्री गोविन्दराम पुत्र गरूमुख दास सिन्धी, सा. जोधपुर (मै. लवली वाईन स्टोर्स, जोधपुर)।	,,	,,
16.	श्री केवल कृष्ण पुत्र अमरदास तलवार, सा. जोधपुर (मै. अप्सरा वाईन स्टोर, जोधपुर)।	,,	,,

1	2	3	4
17.	श्री सोजनलाल पुत्र मोहनलाल कलाल, सा. जोधपुर।	जोधपुर	जोधपुर
18.	श्रीमति कमला देवी पत्नि पुखराज, श्री पिशोरीलाल पुत्र अमरदास तलवार, सा. जोधपुर।	"	"
19.	श्री भंवरसिंह पुत्र रतनसिंह सोलंकी (सोलंकी वाईन स्टोर, पाली)।	पाली	"
20.	श्री कस्तूरीलाल पुत्र हुकमचन्द (मै. एवरग्रीन वाईन स्टोर, जोधपुर)।	जोधपुर	"
21.	श्री सुरेन्द्र नाथ पुत्र रामस्वरूप आहूजा, नि. जोधपुर	"	"
22.	श्री हेमीलाल पुत्र हजारी कलाल (मै. गोल्डन वाईन स्टोर, जोधपुर)।	"	"
23.	श्री पदमा राम पुत्र हंसराज, सा. जोधपुर (मै. क्वालिटी वाईन स्टोर, जोधपुर)।	"	"
24.	श्री सतपाल पुत्र वाधूमल, सा. जोधपुर (मै. इंगलिश वाईन स्टोर, जोधपुर)।	"	"
25.	श्री ललित किशोर सिंह पुत्र भवूतसिंह, सा. जोधपुर	"	"
26.	श्री रामचन्द्र पुत्र पमनराम, श्रीमती सुन्दरबाई पत्नि रामचन्द्र, श्री मूलचन्द पुत्र इन्दू मल, व श्रीमती कलावन्ती पत्नि लीलाधर (मै. रामसन चीफ इंगलिश वाईन स्टोर, पाली सिटी)।	पाली सिटी	पाली
27.	श्री रामचन्द्र पुत्र लादूराम सिद्धावत, श्रीमती मीमादेवी पत्नि रामचन्द्र (मरूधर इंगलिश वाईन स्टोर, जोधपुर)।	जोधपुर	जोधपुर
28.	श्री मशन बिहारी लाल पुत्र वृज बिहारी लाल कक्कड़, सा. जोधपुर।	"	"
29.	श्री दौलतराम पुत्र बंशीमल सिन्धी, नि. जोधपुर (मै. लक्की वाईन स्टोर, जोधपुर)।	"	"
30.	श्री जगदीश मल पुत्र नथर मल सिन्धी (मै. प्रकाश वाईन स्टोर, जोधपुर)।	"	"

238

1	2	3	4
31.	श्री गंगाराम पुत्र मोहनदास सिन्धी (रिगल वाईन स्टोर, जोधपुर) ।	जोधपुर	जोधपुर
32.	श्री धनराज पुत्र फतेहराज, चन्द्र वाईन स्टोर।	,,	,,
33.	श्री गोविन्द राम पुत्र पमन दास, जोधपुर ।	,,	,,

परिशिष्ट 12

परिशिष्ट 'अ'

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 की सूची

1	2	3	4
कोटा-खातोली :	1.	0600	
	2.	0730	बून्दी आगार द्वारा संचालित
	3.	0900	"
	4.	1030	"
	5.	1300	
	6.	1500	
	7.	1700	
कोटा-पीपल्दा :	1.	0630	
	2.	1200	बून्दी आगार
	3.	1600	
कोटा-गैंता :	1.	0700	
	2.	1830	
कोटा-गुडला :	1.	0600	
	2.	1300	
कोटा-लुहावद	1.	0700	
	2.	1430	
बारां से खातोली :	1.	0630	
	2.	0915	
	3.	1530	
	4.	1100	
बारां से पीपल्दा :	1.	0800	
	2.	1730	
बारां से गैंता :	1.	1700	
बारां से मांगरोल :	1.	0630	खातोली तक
	2.	0715	
	3.	0800	पीपल्दा तक
	4.	0915	खातोली तक
	5.	1000	
	6.	1100	खातोली तक
	7.	1230	
	8.	1330	
	9.	1430	

२४०

1	2	3	4
बारां से मांगरोल :	10.	1530	छातोली तक
	11.	1600	
	12.	1700	गैंता तक
	13.	1730	पीपल्दा तक
	14.	1830	
	15.	1930	

नोट:—निम्न वाहनों के अतिरिक्त अन्य सभी वाहनें मार्ग पर संचालित की जा रही है:-

1.	कोटा से लुहावद	0700
2.	बारां से पीपल्दा	0800
3.	बारां से गैंता	1700
4.	बारां से मांगरोल	0800